ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Center University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम कोड : MBA- 001

द्वितीय सेमेस्टर

पाठ्यचर्या कोड : MBA- 431

पाठ्यचर्या का शीर्षक : मुद्रा एवं बैंकिंग

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)

अनुक्रम

क्र.सं.	खंड का नाम	पृष्ठ संख्या
1	**खंड**	
	इकाई–1 मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य	2–7
	इकाई–2 मुद्रा का महत्व	8–12
	इकाई–3 मुद्रा का वर्गीकरण, पूर्ति एवं मूल्य का माप	13–18
	इकाई–4 सूचकांक, भारत में वर्तमान भौतिक पद्धति एवं प्लास्टिक मुद्रा	19–24
2	**खंड**	
	इकाई–5 व्यापारिक बैंकः साख निर्माण की प्रक्रिया	25–36
	इकाई–6 अग्रिम या ऋण योजनाएं, लघु व्यवसाय वित पोषण, कृषि बैंकिग, विदेशी मुद्रा व्यापार एवं अभिकर्ता तथा सेवाएं	37–44
	इकाई–7 बैंक का महत्व, प्रकार एवं संगठन प्रणालियाँ	45–62
	इकाई–8 बैंक की कार्य प्रणाली, स्थिति विवरण एवं साख	63–91
3	**खंड**	
	इकाई–9 भारतीय बैंकिग विधान, भारत में वाणिज्यिक बैंकिग पद्धति का ढांचा	92–98
4	**खंड**	
	इकाई–10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	99–114
	इकाई–11 सहकारी बैंक	115–127

खंड–1

इकाई–1 मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य

विषष सूची

अध्ययन के उद्देश्य
1.0 प्रस्तावना
1.1 मुद्रा की परिभाषाएँ
1.2 मुद्रा का इतिहास
1.3 मुद्रा के कार्य
सारांश
अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत आप समझ सकेंगेः

- मुद्रा का अर्थ
- मुद्रा की परिभाषाएँ
- मुद्रा का इतिहास
- मुद्रा के प्राथमिक कार्य
- मुद्रा के सहायक कार्य
- मुद्रा स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्य

1.0 प्रस्तावना

मुद्रा वह धुरी है, जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है ''कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहारों, जिसमें ऋण भी सम्मिलित है, को पूरा करने में भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा वह वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम मूल्य के मापक एवं मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है और जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, मुद्रा कहलाती है।''

वर्तमान समय में मुद्रा केवल वह नहीं जो आर.बी.आई. द्वारा निर्गमित की जाती है, जिसे हम सिक्के या कागज के नोट के रूप में देखते हैं और हम सामान्यतया मुद्रा मानते है, बल्कि वर्तमान में मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है। मुद्रा के अंतर्गत चेक, क्रेडिट कार्ड को भी सम्मिलित किया जाता है।

उदाहरणः यदि कोई व्यक्ति बाजार से 20,000 मूल्य का एल सी डी खरीदने जाता है तो वह नकद, चेक, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से 20,000 का भुगतान कर सकता है। अर्थात भुगतान का जो कार्य नोट करता है अब यह कार्य चेक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है। अतः विस्तृत अर्थ में यह भी मुद्रा है।

1.1 मुद्रा की परिभाषा व कार्य

सैलिगमैन के अनुसार,' मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है।''
कोल के अनुसार, ''मुद्रा केवल क्रय शक्ति है अर्थात् ऐसी वस्तु है जिससे दूसरी वस्तुएं खरीदी जा सकती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो साधारणतः व्यापक पैमाने पर भुगतान के रूप में प्रयोग की जाती है और ऋणों के भुगतान में स्वीकार की जाती है।''
मार्शल के अनुसार '' मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है।
मुद्रा एक मूल्यवान रिकार्ड है या आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाने वाला तथ्य है, यह सामाजिक आर्थिक संदर्भ के अनुसार ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

टूल बाक्स – 01
मुद्रा की परिभाषा मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राहयता प्राप्त है सैलिगमैन के अनुसार, ''मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है।''

शब्द 'मुद्रा' के संदर्भ में यह विश्वास किया जाता है कि यह हेरा के मंदिर से उत्पन्न हुआ है जोकि रोम के सात पहाड़ियों में से एक कापितोलिने से संबंधित है प्राचीन समय में हेरा का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में किया जाता था।
मुद्रा का मुख्य कार्य हैः

- विनिमय का माध्यम
- खाते की एक इकाई (यूनिट ऑफ अकांउट)
- मूल्य की एक दुकान (स्टोर ऑफ वैल्यू)
- आस्थगित भुगतान का एक मानक

कोई भी चीज जो उपरोक्त मानकों को पूरा करता है उसे हम मुद्रा के रूप में मान सकते है

टूल बाक्स – 02
आधुनिक समय में मुद्रा से अभिप्राय नकद, चेक, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड आदि जो कि भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाए शामिल होते है।

1.2 मुद्रा का इतिहास

मुद्रा ऐतिहासिक वस्तु के रूप में स्वीकार की जाती है। यह बाजार का मापक होती है, ऐतिहासिक रूप से ही इसका आस्तित्व रहा है। लेकिन व्यावहारिक रूप से सभी समकालीन मुद्रा फिएट प्रणाली पर आधारित होती है। फिएट मुद्रा का अर्थ है कोई चेक की राशि जोकि आंतरिक रूप से मूल्यरहित हो और उसे भार रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कोई चीज जो उपरोक्त मानकों को पूरा करता है, उसे हम मुद्रा के रूप में मान सकते हैं।
मुद्रा ऐतिहासिक वस्तु के रूप में स्वीकार की जाती है। यह बाजार का मापक होती है। ऐतिहासिक रूप से ही इसका अस्तित्व रहा है। लेकिन व्यावहारिक रूप से सभी समकालीन मुद्रा फिएट प्रणाली पर आधारित है। फिएट मुद्रा का अर्थ है कोई चेक या उधारी की राशि जोकि आंतरिक रूप से मूल्यरहित हो और उसे भौतिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। यह अपने

मूल्य की स्वतः ही खोज करती है अर्थात् इसके मूल्य का निर्धारण सरकारों द्वारा किया जाता है जोकि एक कानूनी विधा है अर्थात् यह वह है कि जोकि देश के परिसर के भीतर भुगतान के एक फार्म के रूप में स्वीकार किया जाता है।

एक देश की मुद्रा की आपूर्ति मुद्रा के रूप में होती है जिसके अंदर बैंक की मुद्राएं भी शामिल होती है। विकसित देशों में यह इसका रिकार्ड कागजी तौर ब्रांड मनी के तौर पर रखा जाता है। ब्रांड मनी से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों में माँग जमाओं को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत उस मुद्रा को भी शामिल किया जाता है जिस तक आसानी से पहुँच को बनाये रखा जा सकता हो, ब्राड मनी के अंतर्गत तरल मुद्रा और गैर नकद घटक को शामिल किया जाता है जोकि आम तौर पर बहुत आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

टूल बाक्स – 03
सर्वप्रथम मुद्रा ऐतिहासिक काल में वस्तु के रूप में वस्तु देकर ही स्वीकार की जाती थी। उसके पश्चात् सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन रहा था।

1.3 मुद्रा के प्राथमिक कार्य

मुद्रा के प्राथमिक कार्यो को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इन कार्यो के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यो को सम्मिलित किया जाता है, जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते है। इसलिए मुद्रा के इन कार्यों को मौलिक या आवश्यक कार्य भी कहा है। मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य हैः–

टूल बाक्स – 04
मुद्रा के कार्य
• मुद्रा के प्राथमिक कार्य • मुद्रा के सहायक कार्य • मुद्रा के स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्य

(1) विनिमय का माध्यमः–मुद्रा विनिमय के माध्यम रूप में कार्य करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। प्राचीन समाज में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान–प्रदान किया जाता था, किन्तु इस पद्धति में दोहरे संयोग का अभाव होने के कारण विनिमय कार्य में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु विनिमय प्रणाली की इस कठिनाई को दूर किया है। वर्तमान में विनिमय का संपूर्ण कार्य मुद्रा के माध्यम से किया जाता है।

टूल बाक्स – 05
मुद्रा के प्राथमिक कार्य
• विनिमय का माध्यम • मूल्य का मापक

(2) मूल्य का मापकः—मुद्रा मूल्य मापन की इकाई का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है। वस्तु विनिमय में मूल्य का कोई सामान्य मापदण्ड नहीं था। परिणामस्वरूप विनिमय का मूल्य निश्चित करने में बहुत कठिनाई आती थी। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। मूल्य को मापने के लिए मुद्रा को प्रयोग करने से अधिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो गया है।

अपनी प्रगति जाचिएं	
प्र.1	मुद्रा का क्या अर्थ है?
प्र.2	मुद्रा की एक परिभाषा दीजिएं।
प्र.3	मुद्रा किसके द्वारा निर्गमित की जाती है?
प्र.4	फिएट मुद्रा का क्या अर्थ है?
प्र.5	सर्वप्रथम मुद्रा किस रूप में उपयोग में लाई गई?

गौण या सहायक कार्य

मुद्रा के गौण कार्यो के अंतर्गत वे कार्य आते है जो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की सहायता के लिए किए जाते है। इसलिए इन कार्यो को मुद्रा के सहायक या गौण कार्य कहा जाता है। मुद्रा के तीन गौण कार्य निम्नलिखित हैः—

(1) स्थगित भुगतान का मानः—जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया है क्योंकि (i) अन्य किसी वस्तु की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है, (ii) इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है, (iii) अन्य वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाउ है, मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप ही घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकास संपन्न हो सका है।

(2) मूल्य का संचयः—मनुष्य की यह प्रवृति है कि वह अपनी वर्तमान आय में से कुछ बचाकर भविष्य के लिए संचित करके रखना चाहता है, ताकि वह अपनी भावी आवश्कताओं को सरलता विश्वास हो कि उसके द्वारा की गई बचत पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और वह उसका प्रयोग अपनी इच्छानुसार कभी नष्ट नही होती, साथ ही उसमें सामान्य क्रय शक्ति भी निहित होती है जिससे कभी भी आवश्यकतानुसार वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त की जा सकती है।

(3) मूल्य का हस्तांतरणः—मुद्रा विनिमय का एक तरल साधन है। अतः मुद्रा द्वारा मूल्य अथवा क्रय शक्ति का हस्तांतरण बहुत सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान समय में मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का सर्वोतम साधन बन गयी है। अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए यह तभी संभव है जब वह पृथक् पृथक् वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार व्यय करे कि सभी वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता या तुष्टिगुण उन वस्तुओं के अनुपात के बराबर हो जाये। मुद्रा के चलन में आते से यह स्थिति संभव है।

टूल बाक्स – 06

मुद्रा के सहायक कार्य

- स्थगित भुगतान का मान
- मूल्य का संचय
- मूल्य का हस्तांतरण
- पूँजी की तरलता व गतिशीलता के सहायक

- निर्णय का वाहक

(4) पूँजी की तरलता व गतिशीलता में सहायकः– आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन अथवा पूँजी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है। इससे पूँजी की तरलता एवं गतिशीलता बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा का पूँजी के रूप में लाभदायक उपयोग संभव है। उदाहरण कोई भी व्यक्ति मकान, जमीन अथवा अचल संपति के रूप में भुगतान अस्वीकार कर सकता है किंतु मुद्रा के रूप में नहीं। इस प्रकार से पूँजी संपति को तरल बनाकर इसमें गतिशीलता लाता है।

(5) निर्णय का वाहकः– मुद्रा निर्णय का वाहक है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एकत्रित की गयी मुद्रा का भविष्य में अपनी इच्छानुसार अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, जिसके द्वारा भविष्य में कोई भी वस्तु क्रय की जा सकती है।

अपनी प्रगति जाचिएं	
प्र.6	मूल्य का संचय से क्या तात्पर्य है?
प्र.7	मूल्य का हस्तांतरण क्या होता है?
प्र.8	मुद्रा किस प्रकार मूल्य की तरलता व गतिशीलता में सहायक है?
प्र.9	मुद्रा के स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्य को क्या अभिप्राय है?

मुद्रा के स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्य

(क) स्थैतिक कार्य–स्थैतिक कार्य वे कार्य है जो अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते है किंतु उसमें गति उत्पन्न नहीं करते। स्थैतिक कार्यों में सम्मिलित कार्य हैं–विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, मूल्य संचय, मूल्य का हस्तांतरण, स्थगित भुगतान आदि। मुद्रा के ये सभी कार्य स्थैतिक कार्यों की श्रेणी में आते है क्योंकि इन कार्यो का सभी अर्थव्यवस्थाओं में स्वरूप एक जैसा बना रहता है और इनसे अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से कोई वेग उत्पन्न नहीं होता।

(ख) प्रावैगिक अथवा गत्यात्मक कार्य–मुद्रा के वे कार्य जिनसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियाँ सक्रिय रूप में प्रभावित होती है। मुद्रा के प्रावैगित अथवा गत्यात्मक कार्य कहे जाते है। मुद्रा के प्रावैगिक अथवा गत्यात्मक कार्य अर्थव्यवस्था में आय स्तर, आय वितरण, रोज़गार स्तर, कीमत स्तर आदि को प्रभावित करते है।

सारांश

वर्तमान समय में मुद्रा केवल वह नहीं जो आर.बी.आई. द्वारा निर्गमित की जाती है, जिसे हम सिक्के या कागज के नोट के रूप में देखते है जिसे हम सामान्यतया मुद्रा मानते है बल्कि वर्तमान में मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है। मुद्रा के अंतर्गत चेक, क्रेडिट कार्ड को भी सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा किसी अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रक्रियाओं का आधार है। मुद्रा के बिना कोई भी आर्थिक क्रिया से अभिप्राय न केवल नोट, सिक्के व अन्य मुद्रा है बल्कि डेबिट कार्ड, क्रेटिड कार्ड, चेक, ड्राफ्ट द्वारा आर्थिक क्रिया आदि भी है। इन सभी प्रकार की मुद्रा से ही विनिमय, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, मुद्रा का पूँजी के रूप में उपयोग आदि संभव होता है।

अभ्यास

लघु उतरीय प्रश्न

प्र.1 मुद्रा की कोई दो परिभाषाएं बताएं?
प्र.2 मुद्रा के मुख्य कार्य कौन–2 से हो सकते है?
प्र.3 ऐतिहासिक समय में मुद्रा का क्या अस्तित्व था?
प्र.4 मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा का क्या कार्य होता है?
प्र.5 मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान किन–किन कारणों से बोला गया है?

दीर्घ उतरीय प्रश्न

प्र.6 मुद्रा से क्या तात्पर्य है? मुद्रा का ऐतिहासिक समय में क्या अस्तित्व था विस्तारपूर्वक बताएं
प्र.7 मुद्रा के कार्यो का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए?

खंड–1

इकाई–2 मुद्रा का महत्व

विषय सूची

अध्ययन के उद्देश्य

2.0 प्रस्तावना

2.1 आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व

2.2 मुद्रा के दोष

सारांश

अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत आप समझ सकेंगे:

- मुद्रा का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में महत्व
- मुद्रा के आर्थिक व सामाजिक दोष

2.0 प्रस्तावना

मुद्रा की प्रकृति से संबंधित एक विचारधारा के अनुसार मुद्रा एक ऐसा साधन है, जो उत्पादन की मात्रा तथा साधनों की उत्पादकता को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में यह एक सक्रिय तत्व है। आधुनिक अर्थशास्त्री इसी विचारधारा का समर्थन करते है। इसके विपरीत, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा को अर्थव्यवस्था में एक निष्क्रिय तत्व मानते थे। उनके अनुसार इसका महत्व केवल इतना ही है कि इससे व्यक्तियों को कुछ सुविधा तो प्राप्त होती है, परंतु इसके द्वारा आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। कार्ल मार्क्स ने भी मुद्रा को न केवल अनुत्पादक बल्कि समाज में समस्त सामाजिक और आर्थिक बुराइयों की जड़ माना था।

2.1 आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व

---

(1) उत्पादन के क्षेत्र में–(i) आर्थिक हिसाब के आधार पर ही उत्पादन संबंधी निर्णय किए जाते है और आर्थिक हिसाब मुद्रा के ही माध्यम से होता है। (ii) श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण जो आर्थिक प्रगति के आधार हैं, मुद्रा के प्रयोग द्वारा ही सम्भव हुए हैं। बेन्हम के अनुसार,''आधुनिक जीवन जो विशिष्टीकरण पर आधारित है, मुद्रा के अभाव में संभव नहीं होगा।'' (iii) मुद्रा पूँजी का सबसे तरल रूप होने के कारण पूँजी को गतिशीलता प्रदान कर उसे अधिक उत्पादन बनाती है। (iv) अधिकतम उत्पादन के लिए मुद्रा उत्पति के साधन जुटाने में सहायक होती है। केवल यही नहीं, मुद्रा की सहायता से ही उत्पादक प्रतिस्थापन नियम के अनुरूप विभिन्न साधनों का अनुकूलतम संगठन कर पाता है। (v) बचत एवं विनियोग मुद्रा द्वारा ही संभव होते है और इनके ही आधार पर पूँजी का निर्माण होता है।

टूल बाक्स – 01
मुद्रा का महत्व **1.** उत्पादन के क्षेत्र में **2.** उपभोग के क्षेत्र में **3.** विनिमय के क्षेत्र में **4.** वितरण के क्षेत्र में **5.** राजस्व के क्षेत्र में **6.** मुद्रा व आर्थिक जीवन में **7.** आर्थिक प्रगति का सूचक

(2) उपभोग के क्षेत्र में–(i) मुद्रा की सहायता से उपभोक्ता की सत्ता बनी रहती है। वह व्यय तभी करता है जब उसकी इच्छानुसार उसे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती है। हाम के विचार में,''मुद्रा रहित अर्थव्यवस्था को राशनिंग प्रणाली का प्रयोग करना होगा अर्थात् सामाजिक उत्पति का वितरण पूर्व निश्चित मात्रा में होगा। इस प्रकार उपभोग संबंधी निर्णय की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी।''

(ii) मुद्रा ने विनिमय कार्य तरल बना दिया है, जिससे उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली वस्तुओं की संख्या एवं मात्रा बढ़ गयी है। साथ में उत्पादन करते समय उपभोक्ता की रुचि को ध्यान में रखा जाता हैं।

(iii) सम सीमान्त उपयोगिता नियम का पालन करने में भी मुद्रा सहायक होती है, जिससे उपभोक्ता को अपने व्यय से अधिकतम संतोष प्राप्त होता है।

(3) विनिमय के क्षेत्र में –(i) मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली को दोषों को दूर कर विनिमय को सुगम बनाती है।

(ii) मुद्रा के द्वारा भावी सौदे वर्तमान में किए जाते है जिनके अंतर्गत भावी कीमत वर्तमान में ही निश्चित हो जाती है।

(iii) मुद्रा कीमत संयंत्र का आधार है और कीमतों मे होने वाले परिवर्तन समस्त प्रकार के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

(iv) मुद्रा के प्रयोग से राष्ट्रीय एव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है।

(v) साख का निर्माण तथा प्रयोग भी मुद्रा पर ही आधारित है।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.1 मुद्रा को निष्क्रिय तत्व क्यों माना गया है? **प्र.2** उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा कौन–2 से कार्य करती है? **प्र.3** उपभोग व मुद्रा का क्या संबंध है? **प्र.4** विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व बताएं?

(4) वितरण के क्षेत्र में–उत्पति के प्रत्येक साधन का पारिश्रमिक अथवा पुरस्कार निर्धारित करना तथा उत्पादन पूर्ण होने और बिकने से पहले विभिन्न साधनों के पारिश्रमिक की अदायगी कर देना मुद्रा के प्रयोग द्वारा ही संभव हुआ है। यह आवश्यक है कि विभिन्न साधनों में कुल आय का न्यायानुकूल वितरण हो, जिससे पारस्परिक सहयोग की भावना बनी रहे और कल्याण की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती रहे। यह सब मुद्रा द्वारा ही सम्भव होता है।

(5) राजस्व के क्षेत्र में–एक आधुनिक राज्य द्वारा सामाजिक न्याय एवं जन कल्याण के लिए राजस्व का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य वित का महत्वपूर्ण साधन कर तथा लोक ऋण है जो मुद्रा के रूप में ही प्राप्त होते है। राज्य अपना व्यय भी मुद्रा के रूप में ही निर्धारित करता है।

मुद्रा के बिना तो सरकार द्वारा बजट बनाना और उसके अनुसार आय–व्यय समायोजन करना सोचा भी नहीं जा सकता।

(6) मुद्रा एवं आर्थिक जीवनः–किसी भी देश के आर्थिक जीवन की रचना में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुद्रा आर्थिक जीवन का नियंत्रण भी करती है। हमारा आर्थिक जीवन सहज है अथवा अस्त व्यस्त, इसका अनुमान देश की मुद्रा प्रणाली से लगाया जा सकता है। मुद्रा ने ही आर्थिक उदारतावाद को प्रोत्साहन दिया है जो पूँजीवाद का आधार है। सत्य तो यह है कि यदि मुद्रा न होती तो आर्थिक विकास के उस शिखर तक मानव कभी न पहुँच पाता, जिस पर आज के युग में वह औद्योगीकरण एवं आर्थिक सहयोग की सहायता से पहुँच चुका है। पीगु ने ठीक कहा कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है।

मुद्रा का चक्राकार बहाव –आर्थिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता मौद्रिक भुगतानों का चक्राकार बहाव है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदने में जो भी व्यय करते हैं वह अनेक व्यक्तियों जैसे–फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता और निर्माता आदि के हाथों में से होता हुआ पुनः मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ के रूप में उपभोक्ताओं के पास लौट आता है। इसमें से कुछ भाग सरकार के पास करों के रूप में पहुँच जाता है, परंतु वह भी सामूहिक कल्याण के लिए व्यय हो जाता है। अर्थ व्यवस्था की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा के चक्राकार बहाव में संतुलन बना रहे है। इसमें रूकावट पैदा होते ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है।

(7) आर्थिक प्रगति का सूचकः–चुँकि प्रत्येक आर्थिक कार्य, वस्तु या घटना को मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, इसलिए किसी देश की आर्थिक प्रगति को भी मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। किसी देश में आर्थिक प्रगति का स्तर और मुद्रा प्रणाली का स्वरूप एक दूसरे से घनिष्ट रूप में संबंधित होते है। आर्थिक प्रगति के क्रम में मुद्रा अनेक प्रकार से सहायक होती है। ऐसे देश जिनके निर्यात अधिक होते है, उनकी मुद्रा की माँग अधिक होने के कारण मुद्रा का मूल्य भी ऊँचा होता है, जो वहाँ की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का सूचक है।

2.2 मुद्रा के दोष

मुद्रा में अनेक गुणों के होते हुए भी यह मानव के लिए एक अमिश्रित वरदान नहीं है। जहाँ इससे अनेक लाभ है इसमें कुछ दोष भी है–कुछ आर्थिक और कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से।

(क) आर्थिक दोष

टूल बाक्स – 02
मुद्रा के दोष • आर्थिक दोष • सामाजिक दोष

(1) धन की विश्वासघातिनी संरक्षिका– मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता। पत्र मुद्रा और बैंक मुद्रा के प्रचलन में अस्थिरता और भी बढ़ गई है। वास्तव में मुद्रा के मूल्य में गिरावट की समस्या एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। कभी–कभी तो स्थिति अत्यन्त गंभीर हो जाती है। जर्मनी में युद्ध के पूर्व लोग दुकानों पर मुद्रा जेब में रखकर ले जाते थे और सामान टोकरियों में लाते थे। युद्ध के पश्चात् स्थिति यह हो गई कि मुद्रा तो टोकरियों में भरकर जाने लगी और माल जेबों में आने लगा। लोगों ने मुद्रा को अपने संचित धन का संरक्षण सौंपा और उनका धन लुट गया। प्रायः यह ताना दिया जाता है कि मुद्रा हमारे धन की एक विश्वासधातिनी संरक्षिका है।

टूल बाक्स – 02
मुद्रा के आर्थिक दोष • धन की विश्वासघातिनी संरक्षिका • आर्थिक जीवन में अनिश्चिता • शोषण यंत्र • अपव्ययता में वृद्धि • सेवक नहीं स्वामी

(2) आर्थिक जीवन में अनिश्चिताः—मुद्रा व्यापार चक्रों को जन्म देती है। व्यापार चक्रों के अंतर्गत कभी आर्थिक तेजी से कभी मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है और यह क्रम निरन्तर चलता रहता है। वैसे तो व्यापार चक्रों के अनेक कारण बताए जाते हैं। परंतु इन सब में मौद्रिक कारण ही अधिक प्रभावपूर्ण है। केंस के अनुसार, व्यापारिक उतार–चढाव बचत तथा निवेश संबंधी निर्णयों में असमानता का परिणाम होते है। बचत तथा विनियोग दोनों ही मुद्रा से संबंधित होते हैं, इसलिए व्यापार चक्र एक मौद्रिक घटना ही तो है।

(3) शोषण–यंत्र—मुद्रा के विकास से ही पूँजीवाद का जन्म हुआ और पूँजी को केंद्रीयकरण कुछ लोगों के हाथों में हो गया। पूरा समाज हुजूर तथा मजूर दो वर्गो में बट गया। श्रमिक पूँजीपतियों पर आश्रित हुए और मजदूरी कम देकर पूँजीपतियों ने उनका शोषण किया। धन और संपति के वितरण में असमानताएँ बढ़ी। परिणामतः धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन बनते गए। एकाधिकार स्थापित हो जाने से उपभोक्ता के हितों की रक्षा न हो पायी। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी धनी देशों ने निर्धन देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण किया है।

(4) अपव्ययता में वृद्धिः—मुद्रा ने मनुष्य को अपव्ययी बना दिया है। अति पूँजीकरण तथा अति उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है, जिससे अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न होता है। अनुचित रूप से उपभोग पर अनावश्यक व्यय तथा सट्टेबाजी की प्रवृतियाँ भी मुद्रा का परिणाम है। मुद्रा के उपभोग में ऋणग्रस्तता में भी वृद्धि हुई है।

(5) सेवक नहीं स्वामीः—मुद्रा हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं पर इस तरह छा गयी है कि हमारे अधीन नहीं रही, बल्कि हम इसके अधीन हो गए है। मुद्रा उपयोगी तभी होती है जब सेवक के रूप मे हो, स्वामी के रूप मे तो यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करती है।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.5 मुद्रा के चक्राकार बहाव से क्या तात्पर्य है? **प्र.6** मुद्रा एक शोषण यंत्र का काम कैसे करती है? **प्र.7** मुद्रा सेवक नहीं स्वामी इस बात की विवेचना कीजिए?

(ख) सामाजिक दोष

मुद्रा अनेक सामाजिक तथा नैतिक बुराइयों की जड है। जीवन के अभौतिक एवं नैतिक गुणों को समाप्त कर समाज का भौतिकतावादी शोषण मुद्रा के ही कारण होता है। मीसेस ने तो यहाँ तक लिखा है कि मुद्रा को चोरी, हत्या, छल तथा प्रतिज्ञा भंग का कारण माना गया है। जब वेश्या अपना शरीर तथा न्यायधीश अपना न्याय बेचता है तो मुद्रा की निंदा होती है। चरित्रवादी जब बहुत अधिक भौतिकवाद की निंदा करना चाहता है तब वह मुद्रा के ही विरूद्ध कहता है। लालच को मुद्रा प्रेम कहना और सब बुराइयों को लालच से उत्पन्न मानना अपना महत्व रखता है। रस्किन ने कहा कि मुद्रा के शैतान ने आत्माओं को दबा दिया है किसी भी धर्म या दर्शन में इसे बहिष्कृत करने की शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि मुद्रा ने साधन के बजाय

साध्य का रूप धारण कर लिया है, जिससे न केवल अभौतिक कल्याण में कमी हुई है बल्कि राजनीतिक भ्रष्टाचार रिश्वत, बेईमानी आदि को प्रोत्साहन भी मिला है।

सारांश

ऊपर बताये गए मुद्रा के दोष गंभीर होते हुए भी वास्तव में मुद्रा के दोष नहीं, ये समस्त दोष मुद्रा के अनुचित तथा अव्यवस्थित उपयोग के है जिनके लिए मानव स्वयं उतरदायी है। मुद्रा वरदान तभी तक है जब तक इसका नियंत्रित उपयोग किया जाए। दुरुपयोग इसे अभिशाप बना देता है। राबर्टसन ने ठीक ही कहा है कि मुद्रा जो मानव समाज के लिए अनेक प्रकार से वरदान को स्रोत है यदि नियंत्रण के बाहर हो जाती है तो संकट और भ्रम का कारण बन जाती है।

अभ्यास

दीर्घ उतरीय प्रश्न

प्र.1 मुद्रा वह धुरी है जिसके चारो ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? व्याख्या कीजिए।

प्र.2 मुद्रा स्वयं कुछ भी उत्पन्न नहीं करती, यह वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन एवं वितरण क्रियाओं के लिए तेल का काम करती है और सामाजिक न्याय की प्राप्ति का साधन है। विवेचना कीजिए।

प्र.3 आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व की व्याख्या कीजिए।

प्र.4 मुद्रा कीमत निर्धारण की प्रक्रिया का आधार है जिससे अर्थव्यवस्था निर्दिष्ट होती है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व समझाते हुए इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए।

प्र.5 समाजवादियों का विचार था कि वे मुद्रा रहित समाज की रचना करेगें। किन कारणों से समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का परित्याग नहीं किया जा सका।

प्र.6 एक नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व पूँजीवादी व्यवस्था में इसके महत्व से किस प्रकार भिन्न है।

प्र.7 एक सामाजिक अर्थव्यवस्था मौद्रिक अर्थव्यवस्था ही रहेगी। विवेचना कीजिए।

प्र.8 मुद्रा एक अच्छी सेविका किंतु बुरी स्वामिनी है। स्पष्ट कीजिए।

प्र.9 मुद्रा जो समाज के लिए अनेक प्रकार के वरदान का स्रोत है, यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो संकट और अव्यवस्था का कारण बन जाती है। विवेचना कीजिए।

लघु उतरीय प्रश्न

प्र.10 मुद्रा के महत्व से संबंधित आधुनिक विचारधारा किस प्रकार प्रतिष्ठित विचारधारा से भिन्न है?

प्र.11 मुद्रा भ्रम से क्या अभिप्राय है?

प्र.12 मुद्रा का चक्राकार बहाव किस प्रकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है?

प्र.13 मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। स्पष्ट कीजिए।

प्र.14 समाजवादी व्यवस्था में मुद्रा का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है?

प्र.15 एक मिश्रित अथवा नियोजित व्यवस्था में मौद्रिक साधनों का समायोजन क्यों आवश्यक समझा जाता है?

प्र.16 मुद्रा के दोष बताइए।

खंड–1

इकाई–3 मुद्रा का वर्गीकरण, पूर्ति एवं मूल्य का माप

विषष सूची

अध्ययन के उद्देश्य
3.0 प्रस्तावना
3.1 मुद्रा का अर्थ
3.2 मुद्रा का वर्गीकरण
3.3 मुद्रा की पूर्ति
सारांश
अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत आप समझ सकेंगेः

- मुद्रा का अर्थ
- मुद्रा के कार्य
- मुद्रा के प्रकार या वर्गीकरण
- मुद्रा की पूर्ति
- संकुचित व व्यापक मुद्रा
- मुद्रा नीति के उपकरण व भारतीय रिजर्व बैंक

3.0 प्रस्तावना

मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष से बनी हो, उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय नहीं हो सकता और इसलिए वहाँ मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती है। एक से अधिक अर्थिक एजेंट बाजार के माध्यम से स्वयं व्यवहार शुरू करते है, मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। मुद्रा की मुख्य भूमिका विनिमय को सुगम बनाना है, किंतु यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य है।

मुद्रा के कार्य

- मुद्रा की सर्वप्रथम भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है।
- मुद्रा सुविधाजनक लिखा की एक इकाई के रूप में कार्य करती है।
- मुद्रा व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय का काम करती है।

टूल बाक्स – 01
मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है।

3.1 मुद्रा का वर्गीकरण या मुद्रा के प्रकार

मुद्रा के निम्नलिखित प्रकार हैः

1. **वास्तविक मुद्राः** किसी देश में वास्तव में प्रचलित मुद्रा अर्थात् दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा ही वास्तविक मुद्रा कहलाती है। यही मुद्रा देश में विनिमय के माध्यम तथा सामान्य मूल्य मापक के रूप में प्रचलित होती है। इसे यथार्थ मुद्रा या साधारण मुद्रा भी कहा जाता है। उदाहरण : भारत में प्रचलित नोट तथा सिक्के वास्तविक मुद्रा के उदाहरण है।
2. **ऐच्छिक मुद्राः**—यह वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा न करना पूर्णतः भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात इस मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरणः हुण्डी, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र

ऐच्छिक मुद्रा दो प्रकार ही होती हैः—

(क) बैंकिग मुद्रा—चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, पोस्टल आर्डर

(ख) साख मुद्रा— प्रतिज्ञा पत्र, हुण्डी, बिल ऑफ एक्सचेंज

साख मुद्रा में वे सभी विलेख सम्मिलित है जो बैंकों तथा व्यक्तियों पर लिखे जाते हैं।

साख मुद्रा एवं बैंकिग मुद्रा के मध्य केवल दर्जे या विस्तार का अंतर होता है।

3. **धातु मुद्रा**— जब मुद्रा किसी धातु विशेष की बनी होती है तो वह धातु मुद्रा कहलाती है। सिक्के धात्विक मुद्रा के उदाहरण हैं।
4. **प्रमाणित या मानक मुद्रा**—यह देश की प्रधान मुद्रा होती है जिसका आंतरिक तथा अंकित मूल्य समान होता है।
5. **सांकेतिक मुद्रा**—यह वह मुद्रा होती है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। उदाहरण भारतीय सिक्के सांकेतिक मुद्रा के उदाहरण हैं।
6. **कागजी मुद्राः**—कागजी मुद्रा विशेष किस्म के कागज पर लिखित, प्रतिज्ञा पत्र अदा करने का वचन देता हूँ कि जिसके माध्यम से निर्गमन अधिकारी धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन देता है। इसका निर्गमन एक निश्चित विधान के अंतर्गत किया जाता है।
7. **दुर्लभ मुद्राः**—अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माँग लगातार अधिक होती हैं। वह मुद्रा दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। उदाहरण प्रायः विकसित देशों की मुद्रा दुर्लभ मुद्रा कहलाती है जैसे—अमेरिकी डालर
8. **सुलभ मुद्राः**—अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है, परंतु माँग कम रहती है सुलभ मुद्रा कहलाती है। प्रायः विकासशील देशों की मुद्रा सुलभ मुद्रा कहलाती है जैसे भारत की मुद्रा।

टूल बाक्स — 02

मुद्रा का वर्गीकरण

- वास्तविक मुद्रा
- ऐच्छिक मुद्रा
- धातु मुद्रा
- प्रमाणित मुद्रा
- सांकेतिक मुद्रा
- कागजी मुद्रा

- दुर्लभ मुद्रा
- सुलभ मुद्रा
- हॉट मुद्रा
- प्लास्टिक मुद्रा
- आंतरिक मुद्रा
- ब्राह्म मुद्रा
- नजदीकी मुद्रा
- वैधानिक मुद्रा
- काशन मुद्रा

9. **हॉट मनीः–** उस विदेशी मुद्रा को हॉट मनी कहा जाता है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृति होती है, अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक होती है उसी स्थान पर यह हस्तांतरित हो जाती है। शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं हॉट मनी के उदाहरण है।
10. **प्लास्टिक मुद्राः**–प्लास्टिक मुद्रा से आशय विभिन्न बैंकों, वितीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड से है।
    डेबिट कार्ड–बैंक खाते में जितनी धनराशि जमा होती है उतनी धनराशि या फिर उससे कम धनराशि का सामान खरीदने के लिए डेबिड कार्ड का प्रयोग कर सकते है।
    क्रेडिट कार्ड–बैक खाते में जितनी धनराशि जमा होती है, उससे अधिक धनराशि का सामान खरीद सकते हैं। निश्चित समय के भीतर शेष धनराशि बैंक में जमा करनी पड़ती है। अन्यथा उस अतिरिक्त धनराशि पर ब्याज अदा करना होता है। इसमें ब्याज की दर ऊंची होती है क्योंकि बैंक द्वारा ऐसे ऋण बिना किसी प्रतिभूति की आड़ में दिए जाते हैं।

टूल बाक्स – 03

प्लास्टिक मुद्रा

- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड

11. **आंतरिक मुद्राः**–निजी क्षेत्र या संस्थाओं के द्वारा आपस में ही ऋणों के भुगतान के लिए जिसे मुद्रा का प्रयोग किया जाता है उसे आंतरिक मुद्रा कहते है। चूँकि यह निजी क्षेत्र की अपनी मुद्रा होती है उसका ड्डोत भी निजी होता है अर्थात् यह एक निजी क्षेत्र का दूसरे निजी क्षेत्र को ऋण होता है जिसके कारण निजी क्षेत्र के धन में कोई वृद्धि नहीं होती।
12. **बाह्म मुद्राः**–सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्रों की वित संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जिस मुद्रा का सृजन किया जाता है उसे बाह्म मुद्रा कहते हैं। बाह्म मुद्रा का सृजन सरकार दो प्रकार से करती है।
    - सरकार द्वारा नए नोट छापकर निजी क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।
    - सरकार सार्वजनिक ऋण या विदेशों से ऋण लेकर, निजी क्षेत्र को देती है।

    बाह्म मुद्रा निर्गमित कर सरकार निजी क्षेत्र को प्रयोग के लिए देती है जिससे निजी क्षेत्र की संपति में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में तरलता के बढ़ने से मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो दूसरी ओर अत्यधिक ऋण लेने

से सरकार की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होती है। सरकार इन दोनों स्थितियों की उपेक्षा करते हुए बाह्य मुद्रा निर्गमित करने का कार्य करती है।

नोटः बाह्य मुद्रा निजी क्षेत्र के धन में वृद्धि करती है, जबकि आंतरिक मुद्रा नहीं।

13. **नजदीकी मुद्राः**—वह संपति जो ऐसे रूप मे हो, जिसे जल्दी तथा आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता। वह नजदीकी मुद्रा या समीपस्थ मुद्रा कहलाती है। जैसे—सोना और चाँदी।
14. **वैधानिक/अनुज्ञापित मुद्राः**—भारत में चलने वाले नोट एवं सिक्के वैधानिक मुद्रा के उदाहरण हैं। ये मुद्राएं सरकार के अनुज्ञा या आर्डर पर चलते हैं। अतः इन्हें स्वीकार करना कानूनी बाध्यता होती है।

    नोटः वैधानिक मुद्रा सीमित ग्राह्म या असीमित ग्राह्म हो सकती है। भारत में छोटे सिक्के तथा 1 के नोट या 1 का सिक्का सीमित ग्राह्म वैधानिक मुद्रा है क्योंकि एक सीमा तक इसे भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार करना वैधानिक अनिवार्यता होती है, परंतु उस सीमा के बाद इन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।
15. **काशन मनीः**—किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर माँगी जाने वाली राशि को काशन मनी कहते हैं।

अपनी प्रगति जाचिएं	
प्र.1	मुद्रा के मुख्य कार्य बताएं?
प्र.2	वास्तविक मुद्रा से क्या तात्पर्य है?
प्र.3	ऐच्छिक मुद्रा कितने प्रकार की होती है?
प्र.4	दुर्लभ व सुलभ मुद्रा में क्या अंतर है?

3.2 मुद्रा की पूर्ति व मूल्य का माप

मुद्रा की माँग

- स्वयंव्यवहार प्रयोजन
- सट्टा उद्देश्य प्रयोजन

मुद्रा की पूर्ति

आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश मे मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्के आते है। भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक जारी करता है जो कि भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है। किंतु सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते है। करेंसी नोट और सिक्के के अतिरिक्त व्यवासायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए बचत खाते को भी और चालू खातों को भी मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इन खातों से आहरित चेकों का उपयोग स्वयंव्यवहार के लिए किया जाता है। ऐसी जमा को माँग जमा कहते है, जो खाताधाारी की माँग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होता है। अन्य जमा, जैसे आवधि जमा की परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है, और इसे आवधिक जमा कहते हैं।

वैध परिभाषाएंः संकुचित और व्यापक मुद्रा

मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तक होती है। एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को चार रूपों में प्रकाशित करता है, नामतः एम1, एम2, एम3 और एम4। ये सभी निम्नलिखित रूपों से परिभाषित किए जाते है—

एम1 = सी.यू. + डी.डी.

एम2 = एम1 + डाकघर बचत बैकों में बचत जमाएं
एम3 = एम1 + व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएँ
एम4 = एम3 + डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाए

अपनी प्रगति जाचिएं	
प्र.5	हॉट मनी से क्या अभिप्राय है?
प्र.6	डेबिट व क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है?
प्र.7	बाह्म मुद्रा का सृजन कैसे होता है?
प्र.8	वैधानिक मुद्रा से क्या तात्पर्य है?
प्र.9	मुद्रा की माँग तथा पूर्ति से क्या तात्पर्य है?

मुद्रा नीति के उपकरण और भारतीय रिजर्व बैंक

अर्थव्यवस्था में मुद्रा में स्टॉक का कुल परिणाम उच्च शक्तिशाली मुद्रा के परिणाम से बहुत अधिक होता है। व्यावसायिक बैंक अपनी एक अंश कर्ज अथवा निवेश साख के रूप में प्रदान करके मुद्रा के इसी अतिरिक्त मात्रा का सृजन करता है।

किसी भी आर्थिक संकट की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों का जमानतदार होता है और वह इन बैंकों की संपन्नता निश्चित करने के लिए ऋण प्रदान करता है। मुद्रा प्राधिकरण की इस भूमिका को अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार और राज्य सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करता है। सरकार द्वारा बजटीय घाटे की पूर्ति के लिए वित प्रबंध को केंद्रीय बैंक ऋणग्रहण के मध्यम से घाटे का वित्त प्रबंध कहते हैं।

अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक मौद्रिक नीति का संचालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह अर्थव्यवस्था में उच्च शक्तिशाली मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी करता है तथा व्यावसायिक बैंकों के निवेशकों को कर्ज अथवा साख प्रडम करने के लिए प्रोत्साहित या निरूत्साहित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के संचालन के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग करता है–

- खुली बाजार करवाई
- बैंक दर नीति
- आरक्षित आवश्यकताओं में अंतर करके

मुद्रा पूर्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्रीय परिवर्तण है। किसी अर्थव्यवस्था के निर्गत, कीमत स्तर और ब्याज की साम्य दर की मूल्यों पर इसके प्रभाव का बहुत महत्व है।

सारांश

मुद्रा से अभिप्राय नोट, सिक्के व प्लास्टिक मुद्रा से है जिसके द्वारा विनिमय व मूल्य मापक आदि किया जाता है। मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष से बनी हो, उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय नहीं हो सकता और इसलिए वहाँ मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती है। एक से अधिक अर्थिक एजेंट बाजार के माध्यम से स्वयं व्यवहार शुरू करते है, मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। मुद्रा की मुख्य भूमिका विनिमय को सुगम बनाना है, किंतु यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा कई प्रकार की हो सकती

है। मुद्रा की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण रिजर्व बैंक अपने गुणात्मक व संख्यात्मक उपकरणों के द्वारा करता है।

अभ्यास

लघु उतरीय प्रश्न

प्र.1 मुद्रा का अर्थ क्या है और उसके मुख्य कार्य बताएं?
प्र.2 ऐच्छिक मुद्रा से क्या तात्पर्य है। उसके प्रकार बताएं?
प्र.3 प्लास्टिक मनी कितने प्रकार की होती है?
प्र.4 आंतरिक मुद्रा व बाह्म मुद्रा में अंतर बताएं?
प्र.5 वैधानिक मुद्रा से क्या अभिप्राय है?
प्र.6 मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते है?

दीर्घ उतरीय प्रश्न

प्र.7 मुद्रा क्या है व मुद्रा का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तार से बतांए?
प्र.8 मुद्रा की पूर्ति व माप के बारे में विस्तारपूर्वक बताएं?

खंड–1
इकाई–4 सूचकांक, भारत में वर्तमान भौतिक पद्धति एवं प्लास्टिक मुद्रा

विषय सूची

4.0 प्रस्तावना
4.1 सूचकांक के प्रकार
4.2 भारत में वर्तमान भौतिक पद्वति
4.3 प्लास्टिक मुद्रा
सारांश
अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत आप समझ सकेंगे।

- सूचकांक के उपयोग व विभिन्न प्रकार
- मुद्रा स्फीति व उसके कारक
- मुद्रा स्फीति से पड़ने वाले प्रभाव
- प्लास्टिक मुद्रा व उसके प्रकार

4.0 प्रस्तावना

भारत में उद्योगों का वितरण समरूप नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थितिक कारकों से कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं। उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का उपयोग किया जाता है जिनमें प्रमुख हैः–

1. खाद्यान्न, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं का विभिन्न समय का मूल्य बतलाने वाला अंक या लेखा।
2. सामान्य स्थिति के समय का मूल्य प्रायः 100 मान लिया जाता हैं।
3. इससे बढ़ने या घटते हुए अंक आपेक्षिक मंहगी या सस्ती के परिदर्शक होते है।
4. इन्डेक्स नंबर
5. औद्योगिक इकाइयों की संख्या
6. औद्योगिक कर्मियों की संख्या
7. औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति की मात्रा
8. कुल औद्योगिक निर्गत वनजचनज
9. उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि।

4.1 सूचकांक के प्रकार

1. मानव विकास सूचकांक

मानव विकास सूचकांक एक समग्र पद के लिए मानव विकास स्तर से देशों, जीवित या जीवन की गुणवता के पुराने अवधि के मानकों का एक पर्याय के रूप में लिया और बहुत उच्च मानव विकास भेद चलता है, उच्च मानव विकास, मध्यम मानव विकास और कम मानव विकास देशों, एचडीआई तैयार हैं।

मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, शिक्षा और दुनिया भर के देशों के लिए रहने के मानकों का एक तुलनात्मक उपाय है। यह अच्छी तरह से किया जा रहा है विशेष रूप से बच्चे के कल्याण को मापने का एक मानक का मतलब है। यह भेद है कि देश में एक विकसित की है या एक विकासशील देश के तहत विकसित की है जीवन की गुणवता पर भी आर्थिक नीतियों के प्रभाव को मापने के लिए है के लिए प्रयोग किया जाता है वहां भी कर रहे हैं, स्थानीय संगठनों या कंपनियों द्वारा राज्यों, शहरों, गावों आदि के।

2. थोक मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ हुई वस्तुओं के सामूहिक औसन मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत और फिलीपिन्स आदि देश थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को मंहगाई में परिवर्तन के सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किंतु भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अब उत्पादक मूल्य सूचकांक का प्रयोग करने लगे हैं।

भारत में थोक मूल्य सूचकांक को आधार मान कर मंहगाई दर की गणना होती है क्योंकि थोक मूल्य और खुदरा मूल्य में काफी अंतर होने के कारण इस विधि को कुछ लोग सही नहीं मानते हैं।

टूल बाक्स – 01
सूचकांक के प्रकार
• मानव विकास सूचकांक • थोक मूल्य सूचकांक • उत्पादक मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक के लिए एक आधार वर्ष होता है। भारत में अभी 2014–15 के आधार वर्ष के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक की गणना हो रही है। इसके अलावा वस्तुओं का एक समूह होता है जिनके औसत मूल्य का उतार–चढाव थोक मूल्य सूचकांक के उतार चढाव को निर्धारित करता है। अगर भारत की बात करे तो यहाँ थोक मूल्य सूचकांक में 435 पदार्थो को शामिल किया गया है जिनमें खाद्यान्न, धातु, ईंधन, रसायन आदि हर तरह के पदार्थ है और इनके चयन मे कोशिश की जाती है कि ये अर्थव्यवस्था के हर पहलू का प्रतिनिधित्व करें। आधार वर्ष के लिए सभी 435 सामानों का सूचकांक 100 मान लिया जाता है।

उदाहरण

मान लीजिए हमें वर्ष 2004 के लिए गेहूँ का थोक मूल्य सूचकांक निकालना है। अगर 1994 में गेहुं की कीमत 8 रू. प्रति किलो थी और वर्ष 2004 में यह 10 रू. प्रति किलो है तो कीमत अंतर हुआ 2 रू. का।

अब यही अंतर अगर प्रतिशत में निकालें तो 25 प्रतिशत बैठता है। आधार वर्ष (2004–05) के लिए सूचकांक 100 मान जाता है, इसलिए वर्ष 2004 में गेंहूँ का थोक मूल्य सूचकांक होगा 100+25=125।

इसी तरह सभी 435 पदार्थो के अलग–अलग थोक मूल्य सूचकांक निकाल कर उन्हें जोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा करते समय अगर ये लगता है कि अर्थव्यवस्था में किसी खास सामान की उपयोगिता अधिक है तो सूचकांक में उसकी हिस्सेदारी का भारांक को कृत्रिम तौर पर बढ़ाया जा सकता है।

थोक मूल्य सूचकांक की गणना हर हफ़्ते होती है।

समानों के थोक भाव लेने और सूचकांक तैयार करने में समय लगता है, इसलिए मुद्रास्फीति की दर हमेशा दो हफ्तों पहले की जाती है। भारत में हर हफ्ते थोक मूल्य सूचकांक का आकलन किया जाता है। इसलिए महंगाई दर का आकलन भी हफ्ते के दौरान कीमतों में हुए परिवर्तन को दिखाता है।

अब मान लीजिए 13 जून को खत्म हुए हफ्ते में थोक मूल्य सूचकांक 120 है और यह बढ़ कर 20 जून को 122 हो गई। तो प्रतिशत में अंतर हुआ लगभग 1.6 प्रतिशत और यही महंगाई दर मानी जाती है।

टूल बाक्स – 02
थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले उतार–चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक की कमियाँ

अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर, चीन जैसे देशों में महंगाई की दर खुदरा मूल्य सूचकांक के आधार पर तय की जाती है। इस सूचकांक में आम उपभोक्ता जो सामान्यतय सेवा खरीदते है उसकी कीमतें शामिल होती है। इसलिए अर्थशास्त्रियों के एक तबके का कहना है कि भारत को भी इसी आधार पर महंगाई दर की गणना करनी चाहिए जो आम लोगों के लिहाज से ज्यादा सटीक होगी।

भारत में खुदरा मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगारों, शहरी मज़दूरों, कृषि मज़दूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए अलग–अलग निकाली जाती है लेकिन ये आँकडा हमेशा लगभग एक साल पुराना होता है।

महंगाई दर

गणित के हिसाब से थोक या खुदरा मूल्य सूचकांक में निश्चित अंतराल पर होने वाले बदलाव को जब हम प्रतिशत के रूप में निकालते है तो उसे ही महंगाई दर या मुद्रा स्फीति कहते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए	
प्र.1	सूचकांक से क्या तात्पर्य है?
प्र.2	मानक विकास सूचकांक का क्या अर्थ है?
प्र.3	थोक मूल्य सूचकांक की गणना किस प्रकार होती है?
प्र.4	थोक मूल्य सूचकांक की कमियां बताएं?

4.2 भारत में वर्तमान भौतिक पद्धति

यह अभी भारत में लागू नहीं है। डब्लू पी आई की कमियां दूर करने के लिए पी पी आई लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुद्रा स्फीति एक गणितीय आकलन पर आधारित अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिसमें बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए

1990 में एक सौ रूपये में जितना सामान आता था अगर 2000 में उसे खरीदने के लिए दो सौ रूपय व्यय करने पड़े है तो माना जाएगा कि मुद्रा स्फीति शत प्रतिशत बढ गई।
चीजों की कीमतो में बढोत्तरी और मुद्रा की कीमत में कमी को वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध करना मुद्रा स्फीति का काम होता है। इससे ब्याज दरें भी तय होती है।
मुद्रा स्फीति समस्त अर्थशास्त्रीय शब्दों में संभवतः सर्वाधिक लोकप्रिय है किंतु इसे पारिभाषित करना एक कठिन कार्य है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी भिन्न–भिन्न परिभाषा दी है।

1. बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक धन की आपूर्ति हो जाने से इसका जन्म हो जाता है।
2. माल या सेवा की आपूर्ति की तुलना में माँग अधिक होने पर भी इसका जन्म हो जाता है।
3. आपूर्ति में दोष, गत्यावरोध तथा ढ़ाचांगत असंतुलन के चलते भी मुद्रा स्फीति पनपती है।

सामान्य रूप से इसका अर्थ ये होगा कि ये बिना रूके बढ़ती दर से किसी दिए गए काल खंड में मूल्य स्तर की वृद्धि है जो भविष्य में और अधिक वृद्धि की संभावना को बढ़ाती है।

टूल बाक्स – 03
मुद्रा स्फीति
मुद्रा स्फीति के द्वारा बाज़ार में मुद्रा का प्रसार व वस्तु की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है।

मुद्रा स्फीति के कारण

कारणात्मक रूप से मुद्रा स्फीति के कई कारण हो सकते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं।

1. माँग कारक
2. मूल्य वृद्धि कारक

माँग कारक माल सेवा की माँग की वृद्धि में पैदा होते हैं जबकि मूल्य वृद्धि अथवा माल सेवा की आपूर्ति में कमी से उत्पन्न होते हैं।

माँग कारक

1. बढ़ता सरकारी व्यय–जो की विगत कई सालों से बढ़ रहा हो, जिस से सामान्य जनता के हाथों में अधिक धन आ जाता है जो उनकी खरीद क्षमता को बढ़ाता है। यह मुख्य रूप से गैर योजना व्यय है जो कि अनुत्पादक प्रकृति का होता है तथा केवल क्रय क्षमता में तथा माँग में वृद्धि करता है।
2. घाटे की पूर्ति तथा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से बढते सरकारी व्यय की पूर्ति, घाटे के बजट से तथा नई मुद्रा छाप कर की जाती हैं जो मुद्रा स्फीति तथा आपूर्ति दोनों में वृद्धि कर देते हैं।

टूल बाक्स – 04
मुद्रा स्फीति के कारण
• माँग कारक • मूल्य वृद्धि कारक

मूल्य वृद्धि कारक

1. उत्पादन आपूर्पि में उतार चढावः जब कभी उत्पादन में अत्यधिक उतार चढ़ाव आता है या प्राप्त उत्पादन को मुनाफाख़ोर जमा कर लेते है।

2. उत्पादकता से अधिक वेतन वृद्धि लागत मूल्य को बढ़ाते है जो नतीजतन मूल्य में वृद्धि कर देते हैं, साथ ही माँग तथा क्रय क्षमता में भी वृद्धि होती है जो पहले वाले शीर्षक के अंतर्गत वृद्धि कर देती हैं।
3. अप्रत्यक्ष कर भी लागत मूल्य बढ़ाकर सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारक बनते हैं।
4. ढाँचागत विकास में कमी या दोष से प्रति इकाई लागत मूल्य बढ़ता है जो कि सामान्य कीमत में वृद्धि कर देता हैं।
5. प्रतिशत मूल्य में वृद्धि जैसे खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य या पेट्रोल तथा अन्य उत्पादों के मूल्य जिन्हें सरकार स्वेच्छा से निर्धारित करती है क्योंकि वे आम आदमी के बजट का एक बड़ा भाग होते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए	
प्र.5	मुद्रा स्फीति से क्या अभिप्राय है?
प्र.6	माँग कारक के बारे में बताएं?
प्र.7	मुद्रा स्फीति के प्रभाव बताएं?

मुद्रा स्फीति के प्रभाव

1. उत्पादन में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप उत्पाद की माँग अनिश्चित हो जाती है व संसाधनों का वितरण असंगत हो जाता है। पूँजी संसाधन दीर्घकालीन रूप में नहीं वरन् अल्पकालीन प्रयोग में आने लगते हैं तथा उत्पादकों का झुकाव ज़रूरी से गैर जरूरी उत्पाद की ओर हो जाता है क्योंकि गैर ज़रूरी उत्पाद की कीमत बढ़ जाने पर उनमें निवेश लाभप्रद हो जाता है।
2. मुद्रा स्फीति से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में मंदी आ जाती है। जैसे भारत में कपड़ा उत्पाद मूल्य बढ़ जाने पर इन उत्पादों की माँग में गिरावट आ जाती है लोग केवल बेहद ज़रूरी माल ही खरीदते है। इससे उद्योग ठप्प पड़ जाते हैं।
3. देश में आय वितरण गड़बड़ा जाता है। मुनाफाख़ोरों को लाभ होने लगता है और नौकरीपेशा संकट में पड़ जाते हैं। भ्रष्टाचार, कालाबाज़ारी और सट्टेबाजी बढ़ती है। कठोर श्रम की इच्छा शक्ति में भी कमी आ जाती है।

भारत में मुद्रा स्फीति का नापन थोक मूल्य सूचकांक तथा औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है।

4.3 प्लास्टिक मुद्रा

प्लास्टिक मुद्रा से आशय विभिन्न बैंकों, वितीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड से है।

- **डेबिट कार्डः** बैंक खाते में जितनी धनराशि जमा होती है उतनी धनराशि या फिर उससे कम धनराशि का सामान खरीदने के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- **क्रेडिट कार्डः** बैंक खाते में जितनी धनराशि जमा होती है, उससे अधिक धनराशि का समान खरीद सकते हैं। निश्चित समय के भीतर शेष धनराशि बैंक में जमा करनी पड़ती है। अन्यथा उस अतिरिक्त धनराशि पर ब्याज अदा करना होता हैं। इसमें ब्याज की दर ऊँची होती है क्योंकि बैंक द्वारा ऐसे ऋण बिना किसी प्रतिभूति की आड़ पर दिए जाते हैं।

टूल बाक्स – 08
प्लास्टिक मुद्रा से अभिप्राय बैंको वं वितीय संस्थाओं द्वारा जारी किए क्रेडिट व डेबिट कार्ड आदि से है।

सांराश

सूचकांक के अंतर्गत कई प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सूचकांक का उपयोग उत्पादन, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय उपभोग आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता हैं। भारत में इसका बहुत उपयोग होता है और यह एक प्रभावकारी विधि है। प्लास्टिक मुद्रा आज के समय की माँग है। इसके द्वारा ग्राहक बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं।

अभ्यास

लघु उतरीय प्रश्न

प्र.1 सूचकांक का क्या तात्पर्य है?
प्र.2 महत्वपूर्ण सूचकांकों के नाम बताएं?
प्र.3 भारत में थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बताएं?
प्र.4 मुद्रा स्फीति का अर्थ बताएं?
प्र.5 मूल्य वृद्धि के कारक बताएं?
प्र.6 प्लास्टिक मुद्रा से क्या तात्पर्य है?

दीर्घ उतरीय प्रश्न

प्र.7 सूचकांक का अर्थ व उसके विभिन्न प्रकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें?
प्र.8 मुद्रा स्फीति के कारक व उसके प्रभावों का विस्तारपूर्वक वर्णन करे।
प्र.9 प्लास्टिक मुद्रा व उसके प्रकारों का वर्णन करें?

खंड–2
इकाई–5 व्यापारिक बैंकः साख निर्माण की प्रक्रिया

विषय सूची

अध्ययन के उद्देश्य
5.0 प्रस्तावना
5.1 साख निर्माण की मान्यताएँ
5.2 साख निर्माण की प्रक्रिया
5.3 साख निर्माण की सीमाएँ
सारांश
अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत आप समझ सकेंगेः

- साख निर्माण का अर्थ, परिभाषाएँ
- साख निर्माण की आधारभूत धारणाएँ
- साख निर्माण की प्रक्रिया
  - ❖ एक बैंकिग प्रणाली
  - ❖ बहु बैंकिग प्रणाली
- साख निर्माण न होने के कारण या सीमाएँ

5.0 प्रस्तावना

साख का निर्माण या साख का विस्तार व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। साख निर्माण करके व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा को प्रभावित करते हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन का स्तर, उपभोग एवं निवेश प्रभावित होते है तथा तद्नुसार अर्थव्यवस्था में संवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता नकद आरक्षित अनुपात पर निर्भर करती है। व्यापारिक बैंकों के पास जनता की जमाएँ भी साख निर्माण का आधार हैं। अर्थव्यवस्था में कुल साख सृजन नकद आरक्षित अनुपात का गुणनफल है। साख निर्माण की कुछ जानी–मानी परिभाषाएँ इस प्रकार हैं।

परिभाषाएं

1. **न्यूलन** के अनुसार,"साख निर्माण से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे ऋण देकर प्रतिभूतियों में निवेश गौण जमा का विस्तार करते हैं।"
2. **हॉम** के अनुसार, "गौण जमा का निर्माण साख निर्माण कहलाता है।"

संक्षेप में, साख निर्माण बैंकों की वह शक्ति है जिससे वे ऋणों, अग्रिमों तथा निवेशों के द्वारा अपनी गौण जमा का, प्राथमिक जमा से अधिक विस्तार करते हैं।

टूल बाक्स – 01
साख निर्माण से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे ऋण देकर

प्रतिभूतियों में निवेश गौण जमा का विस्तार करते है।

कुछ आधारभूत धारणाएँ

(क) बैंक जमाः—साख निर्माण का आधार बैंक जमा है। **केन्ज** तथा **फिलिप्स** के विचारों के आधार पर **प्रो. हॉम** ने दो प्रकार की जमा राशियों का उल्लेख किया हैः (i) प्राथमिक जमा तथा (ii) गौण जमा। अतएव जमा दो प्रकार की होती है—

(i) नकद जमा या प्राथमिक जमाः—जो धन राशि लोगों द्वारा बैंकों में नकद मुद्रा के रूप में जमा करवाई जाती है उसे नकद जमा या प्राथमिक जमा कहते है। इस जमा को निष्क्रिय जमा भी कहा गया है, क्योंकि इसका निर्माण करने में बैंक का कोई योगदान नहीं होता। इस जमा की राशि जमाकर्ताओं पर ही निर्भर करती है।

(ii) साख जमा या गौण जमाः—जब कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेने के लिए आता है तो बैंक उसे नकद राशि नहीं देता बल्कि उसके नाम एक खाता खोल देता है और उसे चैक द्वारा उसमें से रूपया निकालने का अधिकार दे देता है। इस प्रकार की जमा को साख जमा व गौण जमा कहते हैं। बैंक के द्वारा दिया गया प्रत्येक ऋण नई जमा उत्पन्न करता है। साख जमा प्राथमिक जमा का ही परिणाम होती है, क्योंकि बैंक नकद जमा का कुछ भाग कोष में रखकर साख जमा का सृजन करता है। **हॉम** के अनुसार,"गौण जमा का निर्माण ही साख का सृजन है।" इस प्रकार एक बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी ही साख जमा उत्पन्न होती है तथा ऋण का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि,"जमा राशियाँ साख को जन्म देती है तथा साख जमा राशियों को जन्म देती है।"

(ख) व्यापारिक संस्थाः—बैंक एक व्यापारिक संस्था है, इसलिए वह अपनी राशि को अधिक से अधिक मात्रा में उधार देकर अधिकतम लाभ कमाना चाहती है।

(ग) नकद कोष अनुपातः—यह ठीक है कि बैंक अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते है परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी जमा राशि की कुल मात्रा उधार दे देगा। जो लोग बैंक में रूपया जमा करवाते हैं वे किसी भी समय रूपया निकलवा सकते हैं। परंतु बैंकों का अनुभव यह है कि सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी सारी जमा निकलवाने नहीं आते। इसलिए बैंकर कुल जमा राशि में से कुछ भाग अपने पास नकद कोष के रूप में रख लेते हैं ताकि वे जमाकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा कर सके। कुल जमा का जो अनुपात बैंक अपने पास नकद के रूप में रखते है उसको नकद कोष अनुपात कहते हैं।

(घ) अत्यधिक या आधिक्य कोषः—अपनी कुल जमा मे से नकदी को रखने के बाद बैंकों के पास जो राशि बच जाती है उसे अत्यधिक या आधिक्य कोष कहते हैं। वास्तव में यह आधिक्य कोष ही साख निर्माण का आधार है।

(ङ) साख गुणकः—साख गुणक से अभिप्राय कुल जमा में वृद्धि व प्राथमिक जमा में वृद्धि के अनुपात से हैं। यदि प्राथमिक जमा में रू. 100 की वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप कुल जमा में वृद्धि, रू. 1,000 की होती है तो साख गुणक 10 होगा। साख गुणक और नकद कोष अनुपात में विपरीत संबंध को निम्नलिखित समीकरण के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है।

$$\text{साख गुणक} = \frac{1}{\text{नकद कोष अनुपात}}$$

5.1 साख निर्माण की मान्यताएँ

साख निर्माण की उपरोक्त प्रक्रिया निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित हैः

1. सभी जमाकर्ता अपनी जमाओं को एक ही समय में नहीं निकलवाएंगे।
2. बैंक अपने ग्राहकों को स्वीकृत की गई साख का भुगतान नकदी के रूप में नहीं करता। इसका भुगतान केवल बैंक की किताबों में जमा खातों के रूप में किया जाता है।
3. सभी बैंक न्यूनतम नकद कोष अनुपात का पूरी तरह से पालन करते है।
4. अतिरिक्त सुरक्षा निधि के आधार पर बैंक साख का विस्तार करता है उसकी पूर्ण राशि अन्य बैंकों को हस्तांतरित कर दी जाती है।
5. बैंकों में लोग केवल माँग जमा के रूप में ही अपनी रकम जमा करते है।,
6. केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता।
7. सभी बैंक अपनी जमाराशि के एक निश्चित अनुपात को उधार देते हैं।
8. सभी बैंक एक साथ क्रियाशील होते है। सभी बैंक एक साथ ही नई जमाएं प्राप्त करते है। साख निर्माण की आरम्भिक अवस्था में सभी बैंकों के पास अतिरिक्त कोष होते हैं।
9. जनता लेन–देन तथा व्यापार संबंधी सभी भुगतान चैकों द्वारा करती है।
10. देश में व्यापारिक तथा औद्योगिक स्थिति सामान्य है।
11. साख के बदले में दी गई जमानत जोखिमपूर्ण नहीं है।

टूल बाक्स – 02
नकद कोष अनुपात जमा का जो भाग बैंक अपने पास नकद कोष के रूप में रख लेते है ताकि वे जमाकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा कर सके, उसे नकद कोष अनुपात कहते है।

5.2 साख निर्माण की प्रक्रिया

साख निर्माण की क्रिया का अध्ययन दो भागों में किया जा सकता हैः (1) एक बैंकिग प्रणाली तथा (2) बहु–बैंकिग प्रणाली।

एक बैंकिग प्रणाली में साख का निर्माण

एक बैंकिग प्रणाली वाली अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंक कार्य करता है। सभी प्रकार के लेन–देन इसी बैंक द्वारा किए जाते है। इस प्रणाली में बैंक के साख निर्माण की क्रिया को दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता हैः

अपनी प्रगति जांचिए	
प्र.1	साख निर्माण की एक परिभाषा बताइएं?
प्र.2	बैंक जमा कितने प्रकार की होती है?
प्र.3	साख निर्माण को मान्यताएं बताइएं?

(i) साख गुणक का आधार

बैंक प्रायः अपनी प्राथमिकता जमा के आधार पर ही साख का निर्माण (अर्थात् गौण जमा का निर्माण) करते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक में 1,000 रू.. जमा करवाता है बैंक के लिए यह 1,000 रू. प्राथमिक जमा अथवा नकद जमा है। बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह जानता है कि सभी जमाकर्ता अपनी जमाओं

को एक ही समय में नहीं निकलवाएंगे। मान लीजिए बैंक कुल जमा की 10 प्रतिशत नकद रूप में रखकर बाकी राशि ऋण के रूप में दे देता है। इस उदाहरण में बैक 100 रू. बैंक कोष में रखकर बाकी 900 रू. किसी 'अ' व्यक्ति को उधार दे देता है। बैंक यह 900 रू. की राशि नकदी के रूप में नहीं देता बल्कि उसके नाम 900 रू. का जमा खाता चालू कर देता है। बैंक द्वारा 'अ' व्यक्ति को 900 रू. की राशि के चैक देने की अनुमति दे दी जाती है। अब मान लीजिए कि 'अ' व्यक्ति ने किसी 'ब' व्यक्ति को 900 रू. के ऋण का भुगतान करना है और वह 'ब' व्यक्ति को 900 रू. का चैक दे देता है, 'ब' व्यक्ति इस चैक को बैंक में अपने खाते में जमा करवा देता है। बैंक 'अ' व्यक्ति के खातों में से 900 रू. निकाल कर 'ब' व्यक्ति के खाते में 900 रू. जमा कर देगा। इस प्रकार बैंक की जमा में 900 रू. की वृद्धि हो गई। बैंक इन 900 रू. में से 10 प्रतिशत नकद कोष में रख कर बाकी 810 रू. 'स' व्यक्ति को ऋण दे देता है। मान लीजिए 'स' व्यक्ति ने किसी द व्यक्ति के ऋण का भुगतान करना है और वह उस व्यक्ति को 810 रू. का चैक दे देता है। बैंक स व्यक्ति के खाते में से 810 रू. निकाल कर 'द' व्यक्ति के खाते में 810 रू. जमा कर देता है। इस प्रकार बैंक की जमा में 810 रू. की और वृद्धि हो जाती है। यह प्रक्रिया काफ़ी समय तक चलती जाएगी। इस प्रकार बैंक, जमा खातों के रूप में ऋण देकर साख निर्माण करता है। इस उदाहरण में कुल साख का निर्माण 9,000 रू. होगा तथा बैंक की कुल जमा=नकद जमा + गौण जमा = 1,000 रू. + 9,000रू. = 10,000 रू. होगी।

इस बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया ताालिका 1 द्वारा स्पष्ट की जा सकती है।

तालिका 1 साख निर्माण की प्रक्रिया

	प्राथमिक जमाएं	नकद कोष अनुपात 10 प्रतिशत	ऋण या द्वितीयक जमाएं
पहला	1,000	100	900
दूसरा	900	90	810
तीसरा	810	81	729
	—	—	—
	—	—	—
कुल	10,000	1,000	9,000

तालिका 1 से स्पष्ट हो जाता है कि कुल जमा 10,000 रू. होगी जिसमें से 1,000 रू. बैंक अपने पास नकद कोष के रूप में रखता है। यह नकद या प्राथमिक जमा है और बाकी 9,000 रू. साख निर्माण करता है। इसे गौण जमा भी कहा जाता है।

(ii) साख समीकरण तथा साख गुणक

साख समीकरण तथा साख गुणक को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता हैः

$$\text{नकद कोष अनुपात} = \frac{\text{प्राथमिक जमा}}{\text{कुल जमा}}$$

$$क = \frac{अ}{ब}$$

अथवा

यहाँ, क = नकद कोष अनुपात; अ = प्राथमिक जमा; ब = कुल जमा या साख)

यदि प्राथमिक जमा में होने वाले परिवर्तनों को ∆अ तथा कुल जमा में होने वाले परिवर्तनों को

∆ब द्वारा व्यक्त किया जाए तो

$$क = \frac{∆अ}{∆ब}$$

नकद कोष अनुपात का विपरीत 1/क साख गुणांक कहलाता है। यह कुल जमा तथा प्राथमिक जमा में होने वाले परिवर्तनों का अनुपात है अर्थात्

$$\frac{1}{क} = \frac{∆ ब}{∆ अ}$$

प्रत्येक चरण में साख में ∆ब(1–क) की वृद्धि होगी। यदि आरम्भ में ∆ब = 1,000 है तथा क=1/10 या 10 प्रतिशत है तो यदि पहले चरण में प्राथमिक में 1,000 रू. की वृद्धि हुई तो दूसरे चरण में 1,000 x 9/10= 900 रू. की गौण जमा बढ़ जाएगी। अर्थात् 900 रू. की साख का सृजन होगा। तीसरे चरण में 900 x 9/10= 810 रू. की गौण जमा बढ़ जायेगी अर्थात् 810 रू. की साख का सृजन होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 9,000 रू. की गौण जमा बढ़ जायेगी। प्राथमिक जमा 1,000 रू. थी। इसलिए कुल जमा 1,000+9,000=10,000 रू. होगी।

बैंक जमा में कुल वृद्धि = पहले चरण में प्राथमिक जमा+दूसरे चरण में गौण जमा + तीसरे चरण में गौण जमा +.....+आदि चरण में गौण जमा

उपरोक्त सूत्र साख निर्माण का सूत्र हैं इसकी सहायता से उपरोक्त तालिका द्वारा प्रकट साख निर्माण की प्रक्रिया को निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है।

कुल जमा = 1,000+900+810+729+.....

इस प्रकार हम देखते है कि यदि प्राथमिक जमा (अ) 1,000 रू. है और नकद कोष अनुपात (क) 10 प्रतिशत हो तो कुल जमा (ब) 10,000 रू. होगी। इसमें 1,000 रू. प्राथमिक जमा है तथा 9,000 रू. बैंक द्वारा निर्मित साख है।

(iii) बैलेंस शीट का आधार

बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया को बैलेंस शीट के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। आरम्भ में जब बैंक में हजार रुपयें की प्राथमिक जमा होती है तो उसकी बैलेंस शीट निम्नलिखित प्रकार की होगी।

तालिका 2 साख निर्माण की प्रक्रिया

दायित्व		परिसंपत्ति	
प्राथमिक जमा	1,000	कोष	1,000
कुल	1,000	कुल	1,000

बैंक के पास 1,000 रू. के कोष 1,000 रू. के दायित्व को जन्म देते है। बैंक इनमें से 10 प्रतिशत न्यूनतम रक्षित कोष के रूप में रख कर बाकी रकम हो उधार दे देता है। अतः बैंक 900 रू. उधार देगा। बैंक जिस व्यक्ति को रुपयें उधार देता है, उसका खाता खोलकर उसमें 900 रू. जमा कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जमा ऋण को जन्म देता है। बैंक की बैलेंस शीट ऋण देने के बाद निम्नलिखित प्रकार की हो जाएगी।

टूल बाक्स – 03
एक बैंकिग प्रणाली में साख का निर्माण • साख गुणक का आधार

- साख समीकरण व साख गुणक
- बैंलेस शीट का आधार

ऋण देने के बाद बैंक की बैलेंस शीट

दायित्व		परिसंपत्ति	
जमा	1,000	कोष	1,000
	900	ऋण	900
कुल	1,900	कुल	1,900

उपरोक्त बैलेंस शीट से ज्ञात होता है कि जब बैंक 900 रू. का ऋण प्रदान करता है तो बैंक की परिसंपत्ति और दायित्व में उतने ही मूल्य की वृद्धि होती है। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए बैंक के पास 10 प्रतिशत नकद आरक्षित कोष होना चाहिए। बाकी 810 रू. का प्रयोग बैंक नए ऋण देने के लिए कर सकता है। इसके बाद 729 रू. तथा इसी प्रकार बैंक अन्य ऋण देता जाएगा। अंत में बैंक की बैलेंस शीट का निम्नलिखित रूप हो जाएगाः

तालिका–4

दायित्व		परिसंपत्ति	
जमा	1,000	कोष ऋण	1,000
1	900	1	900
2	810	2	810
3	729	3	729
	.....		.....
	.....		.....
कुल	10,000	कुल	10,000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बैंक में जमा किया गया 1,000 रू. का प्रारंभिक डिपोजिट अर्थव्यवस्था में 9,000 रू. का साख का विस्तार करेगा। इस प्रकार कुल जमा 10,000 रू. की हो जाएगी। यह केवल उसी स्थिति में संभव होगा जब न्यूनतम आरक्षित कोष 10 प्रतिशत है।

बहु–बैंकिग प्रणाली द्वारा साख का निर्माण

वास्तविक संसार के किसी अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंक नहीं होता, बल्कि बहुत से बैंक होते हैं। एक अकेला बैंक अपनी फालतू नकदी से अधिक साख का निर्माण नहीं कर सकता। परंतु बहु बैंकिग प्रणाली अपनी प्राथमिक जमाओं से कई गुना अधिक साख का निर्माण कर सकती है। बहु बैंकिग प्रणाली में भी साख निर्माण का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है–

(i) साख गुणक का आधारः–मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में कई बैंक हैं। बैंक 'अ' के पास एक व्यक्ति 1,000 रू. नकदी के रूप में जमा करवाता है। बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह जानता है कि सभी जमाकर्ता अपनी जमा को एक ही समय में नहीं निकलवाएंगे। मान लीजिए बैंक कुल जमा का 10 प्रतिशत नकद कोष में रखकर बाकी की राशि ऋण के रूप में दे देता है। इस उदाहरण में 'अ' बैंक 100 रू. नकद कोष में रखकर 900 रू. किसी 'क' व्यक्ति को उधार देगा। जिस व्यक्ति को रुपया उधार दिया गया है। वह इस रुपये का भुगतान चैक के रूप में ऐसे व्यक्ति को करता है जिसका खाता 'ब' बैंक में है। यह व्यक्ति 900 रू. के चैक को 'ब' बैंक में जमा करा देगा। इस प्रकार ब बैंक 900 रू. का 10 प्रतिशत अर्थात 90 रू. नकद कोष में रखकर 810रू. उधार दे देगा। मान लीजिए जिस व्यक्ति को यह रुपया उधार दिया

गया है उसने चैक द्वारा इसका भुगतान ऐसे व्यक्ति को किया है जिसका 'स' बैंक में खाता है। वह व्यक्ति 810 रू. 'स' बैंक में जमा करवा देता है। इस प्रकार स बैंक की प्राथमिक जमाओं में 810 रू. की वृद्धि हो जायेगी। 'स' बैंक 810 रू. का 10 प्रतिशत अर्थात 81 रू. पास रखकर 729 रू. उधार देगा। इस प्रकार यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक 1,000 रू. जमा के कारण सभी बैंक 9,000 रू. की साख निर्माण न कर लें। साख निर्माण की प्रक्रिया को निम्नलिखित तालिका द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता हैः

तालिका –5 साख गुणक के आधार पर साख निर्माण

बैंक	नई जमाएं	आवश्यक कोष अनुपात 10%	ऋण का द्वितीयक जमाएं
क	1000	100	900
ख	900	90	810
ग	810	81	729
घ	———	———	———
ङ	———	———	———
कुल	10,000	1,000	9,000

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 1,000 रू. नकद जमा रहने पर यदि 10 प्रतिशत नकद कोष के रूप में रखकर बाकी ऋण दे दिया जाए तो देश की बैंकिग प्रणाली द्वारा 9,000 रू. के ऋण दिए जाएंगे तथा कुल जमा बढ़कर 10,000 (1,000रु. प्रारंभिक जमा + 9,000रु. गौण जमा) हो जायेगी। इस प्रकार बैंकिग प्रणाली 9,000 रु. की साख का निर्माण करेगी।

बहु बैंकिग प्रणाली में साख निर्माण को सामने के रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता हैः

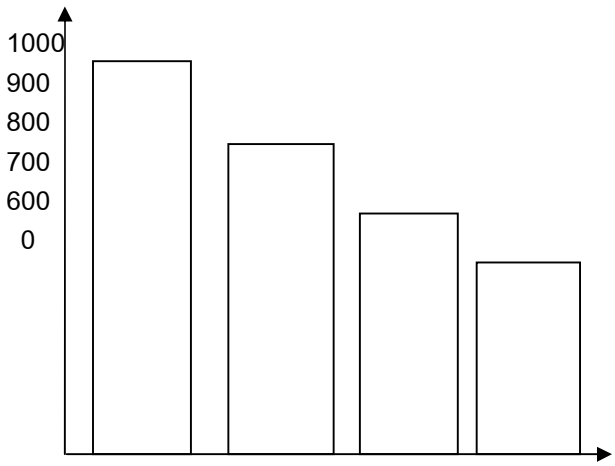

इस चित्र से ज्ञात होता है कि पहले बैंक के प्राथमिक जमा 1,000रु. है। इसके आधार पर उसने 900रु. की साख दी। यह साख बैंक के प्राथमिक जमा बन गए। उसने इनके आधार पर 810रु. की साख दी जो कि बैंक स के प्राथमिक जमा बन गए। इस प्रकार यह जमा बढ़ती जाएगी तथा कुल जमा 10,000रु. हो जाएगी।

संक्षेप में 1,000रु. की प्राथमिक जमा के फलस्वरूप कुल जमा बढ़कर 10,000रु. हो जायेगी।

(ii) बैलेंस शीट का आधारः–मान लीजिए अर्थव्यवस्था में अ,ब,स तथा कई अन्य बैंक हैं। सबसे पहले बैंक 'अ' में ग्राहक 1,000 रु. प्राथमिक जमा करता है अंत एंव बैंक अ की बैलेंस शीट निम्न प्रकार होगीः

तालिका– 6 बैंक 'अ' की प्रारंभिक बैलेंस शीट

दायित्व		परिसंपत्ति	
जमा	1,000	कोष	1,000
कुल	1,000	कुल	1,000

बैंक अ 10 प्रतिशत सुरक्षित रख कर 900 रु. उधार देता है अंत एंव बैंक बैंक ब की अंतिम बैलेंस शीट निम्न प्रकार की होगी।

तालिका– 7 बैंक 'अ' की प्रारंभिक बैलेंस शीट

दायित्व		परिसंपत्ति	
जमा	1,000	कोष ऋण	100 900
कुल	1,000	कुल	1,000

ग्राहक 900रु. के इस ऋण को बैंक 'ब' में जमा करा देगा। बैंक ब की प्रारंभिक तथा अंतिम बैलेंस शीट निम्नलिखित होगी।

तालिका– 8 बैंक ब की प्रारंभिक बैलेस शीट

दायित्व		परिसंपत्ति	
जमा	900	कोष	900
कुल	900	कुल	1,000

बैंक ब अपनी प्रारंभिक जमा का 10 प्रतिशत निधि के रूप में रखकर 810 रु. उधार दे देगा। इस प्रकार उसकी अंतिम बैलेंस शीट तालिका द्वारा प्रकट की जा सकती है।

तालिका– 9 बैंक 'ब' की अंतिम बैलेस शीट

दायित्व		परिसंपत्ति	
जमा	900	कोष ऋण	90 810
कुल	900	कुल	900

ग्राहक द्वारा 810 रु. का ऋण बैक 'स' में जमा करा दिया जाता है। बैंक स की प्रारंभिक बैलेंस शीट निम्न प्रकार की होगीः

तालिका–10 बैंक 'स' की प्रारंभिक बैलेस शीट

दायित्व		परिसंपत्ति	
जमा	810	कोष	810
कुल	810	कुल	810

बैंक 'स' इसका 10 प्रतिशत न्यूनतम सुरक्षित राशि के रूप में रख कर 729 रु. उधार देगा। इस प्रकार उसकी बैलेंस शीट निम्न प्रकार की होगी।

तालिका– 11 बैंक 'स' की अंतिम बैलेस शीट

दायित्व		परिसंपत्ति	
जमा	810	कोष ऋण	81 729
कुल	810	कुल	810

यह प्रक्रिया बैंक क, ख, ग आदि तक चलती रहेगी जब तक सारी जमा ऋण के रूप में नहीं दे दी जाती। इस प्रकार सब बैंक मिलकर 9,000 रु. की नई जमा का सृजन करेगें। इस प्रकार कुल जमा बढ़ कर 10,000 रु. हो जायेगी।

टूल बाक्स – 04

बहु बैंकिग प्रणाली द्वारा साख का निर्माण

- साख गुणक का आधार
- बैंलेस शीट का आधार

तालिका –12 अंतिम बैंलेस शीट

बैंक	नई जमाएं	आवश्यक कोष	नए ऋण
अ	1,000	100	900
ब	900	90	810
स	810	81	729
अन्य बैंक	729	–	–
बैंकिग प्रणाली के लिए कुल	10,000	1,000	9,000

संक्षेप में, 1,000 के प्राथमिक जमा के फलस्वरूप कुल जमा बढ़कर 10,000 रु. की होगी।

5.3 साख निर्माण की सीमाएँ

बैंक असीमित मात्रा में साख का निर्माण नहीं कर सकते। उनके साख निर्माण की शक्ति की बहुत सी सीमाएँ है जिनका विवरण निम्नलिखित हैः

(i) नकद आरक्षित अनुपातः–बैंक, साख का कम निर्माण कर सकेंगे या अधिक, यह नकद आरक्षित अनुपात पर निर्भर करता है। यदि बैंक अपने पास नकद कोष में अधिक राशि रखना चाहते है तो कम साख का निर्माण होगा और नकद आरक्षित अनुपात में उल्टा संबंध है। यदि नकद आरक्षित अनुपात अधिक है तो कम साख का निर्माण होगा और यदि नकद आरक्षित अनुपात कम है तो अधिक साख का निर्माण होगा। उदाहरणस्वरूपः

तालिका –13

नकद आरक्षित अनुपात (रु.)	प्राथमिक जमा (रु.)	कुल जमा (रु.)	साख निर्माण (रु.)
10%	1000	10,000	10,000–1,000=9,000
5%	1000	20,000	20,000–1,000=19,000
20%	1000	5,000	5,000–1,000=4,000

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जब प्राथमिक जमा रु. 1000 है तो नकद आरक्षित अनुपात के 10 प्रतिशत होने पर कुल जमा बढ़कर रु. 10,000 हो जायेगी तथा साख का निर्माण रु. 9,000 होगा। यदि नकद आरक्षित अनुपात कम होकर 5 प्रतिशत हो जाता है तो कुल जमा बढ़कर रु. 20,000 हो जायेगी अर्थात् रु. 19,000 की साख का निर्माण होगा। यदि कुल नकद आरक्षित अनुपात बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाता है तो कुल जमा कम होकर रु. 5,000 हो जायेगी तथा साख निर्माण केवल रु. 4,000 का होगा।

(ii) प्राथमिक जमाओं की मात्राः—बैंक द्वारा साख का निर्माण प्राथमिक जमाओं की मात्रा पर भी निर्भर करता है। इन दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। यदि प्राथमिक जमाओं की मात्रा अधिक है तो नकद कोष अनुपात के स्थिर रहने पर, साख निर्माण होगा और इसके विपरीत प्राथमिक जमाओं की मात्रा के कम होने से साख का निर्माण कम होगा।

(iii) लोगों की बैंकिग संबंधी आदतेंः—बैंकों के साख निर्माण की शक्ति लोगों की बैंक संबंधी आदतों पर भी निर्भर करती है। यदि किसी देश में जनता लेन—देन तथा व्यापार संबंधी भुगतान चैंकों द्वारा करती है तो लोगों को अपना कम रुपया नकदी के रूप में रखना पड़ता है। इसके फलस्वरूप बैंकों के नकद कोष बढ़ जाते है और बैंकों की साख निर्माण की शक्ति भी बढ़ जाती है। अधिकतर विकसित देशों में बैंकों की साख निर्माण की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर लोग सब प्रकार के लेन—देन चैकों के द्वारा करते है। परंतु अल्पविकसित देशों में बैंकों की साख निर्माण की शक्ति कम होती है, क्योंकि वहाँ के लोग अधिकतर लेन—देन चैंकों द्वारा नही करते। लेन—देन अधिकतर नकदी में किया जाता है। इससे नकदी की माँग अधिक रहती है और बैंकों की नकद जमा कम होती है। इससे बैंकों की साख निर्माण की शक्ति भी कम हो जाती है।

(iv) केंद्रीय बैंकों की साख संबंधित नीतिः—व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण शक्ति किसी देश के केंद्रीय बैंक की साख नीति पर भी निर्भर करती है। यदि केंद्रीय बैंक साख के विस्तार की नीति अपनाता है तो व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की शक्ति अधिक होगी और इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक साख के संकुचन की नीति अपनाता है तो बैंकों की साख निर्माण की शक्ति कम होगी।

(v) अन्य बैंकों की साख नीतिः—एक बैंक की साख निर्माण की शक्ति दूसरे बैकों द्वारा अपनाई गई नीति पर भी निर्भर करती है। यदि सब बैंक परस्पर सहयोग से काम करते हैं तो अधिक साख का निर्माण होगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक बैंक साख का निर्माण करता है परंतु दूसरे बैंक उतने ऋण नहीं देते जितने कि अपने अतिरिक्त कोष के आधार पर दे सकते हैं तो साख निर्माण की कुल मात्रा कम हो जायेगी।

(vi) चलन में रिसावः—साख निर्माण की प्रक्रिया में से होने वाले रिसाव पर निर्भर करती है। यदि जमाओं के सृजन की प्रक्रिया के किसी चरण में कोई चैक प्राप्त करने वाला व्यक्ति वह रकम बैंक में जमा कराने की बजाए उसे निकाल की चलन में खर्च कर देता है या इसे बैंकिग व्यवस्था से बाहर कहीं और जमा कर देता है तो साख के सृजन की मात्रा कम हो जायेगी। उदाहरण के लिए, हमारे उदाहरण में रु. 1,000 के प्राथमिक जमा के आधार पर कुल जमा बढ़कर रु. 10,000 हो जाती है। यदि बैंकों से रु. 100 निकाल कर चलन में डाल दिए जाए और रिजर्व कोषों में केवल रु. 900 ही बैंकिग प्रणाली में रहें तो कुल जमा बढ़ कर केवल रु. 9,000 के ही हो सकेंगे।

(vii) प्रतिभूतियों का स्वरूप या अच्छे उधार लेने वालेः—बैंकों की साख निर्माण की शक्ति प्रतिभूतियों के स्वरूप पर भी निर्भर करती है। यदि उधार लेने वाले व्यक्ति विश्वास योग्य है अर्थात् वे बैंकों को ऋण के बदले में अच्छी प्रतिभूतियों की जमानत दे सकते हैं तो बैंक अधिक साख का निर्माण कर सकेंगे। इसके विपरीत यदि प्रतिभूतियाँ जोखिमपूर्ण है तो बैंक कम साख का सृजन करेंगे। **क्राउथर** ने इस संबंध में ठीक कहा है कि,"बैंक हवा में से साख का सृजन

नहीं करता, वह संपत्ति के अन्य रूपों में परिवर्तित करता है।" बैंकरों की शक्ति इतनी अधिक नहीं है कि वे व्यर्थ के पदार्थों को कीमती पदार्थों मे परिवर्तन कर सकें। लेकिन वे स्थिर संपत्ति को मुद्रा या तरल संपत्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। बैंक प्रतिभूति को अपनी परिसंपत्ति के रूप में लेता है तथा उसके बदले में अपनी मुद्रा दे देता है। संक्षेप में, बैंकों की साख सृजन की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक से ऋण चाहने वाले व्यक्ति किस प्रकार की प्रतिभूतियां देने की स्थिति में है।

(viii) व्यापारिक तथा औद्योगिक स्थितिः–बैंकों की साख निर्माण की शक्ति देश की व्यापारिक तथा औद्योगिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। मंदी के दिनों में व्यापार तथा उद्योगपतियों द्वारा की माँग कम होने पर बैंक अधिक साख का निर्माण नहीं कर पाते। तेजी की स्थिति मे बैक अधिक साख का निर्माण कर सकते है।

टूल बाक्स – 05
साख निर्माण की सीमाएँ • नकद जमाओं की मात्रा • प्राथमिक जमाओं की मात्रा • लोगों की बैकिग संबंधी आदतें • केंद्रीय बैंक की साख संबंधित नीति • अन्य बैंकों की साख नीति • चलन में रिसाव • प्रतिभूतियों का स्वरूप • व्यापारिक तथा औद्योगिक स्थिति

सारांश

क्या बैंक वास्तव में साख का निर्माण करते हैं? अर्थशास्त्रियों में इस संबंध में मतभेद पाया जाता है कि वास्तव में साख का निर्माण बैंक करते है या जमाकर्ता करते हैं। **वाल्टर लीफ** और **कैनन** का यह विचार है कि बैंक स्वयं साख का निर्माण नहीं करते। साख निर्माण का कार्य जमाकर्ता करते है क्योंकि जमाकर्ता ही अपनी जमा द्वारा बैंक को मौद्रिक साधन प्रदान करते हैं और बैंक जमाओं का एक भाग लोगों को उधार दे देते है। इसी कारण साख का निर्माण होता है। यदि जमाकर्ता अपना धन जमा न करवाएँ तो बैंक साख निर्माण नहीं कर सकेंगे। बैंकों की तुलना तो एक क्लॉक रूम से की जा सकती है। मान लीजिए पार्टी में पचास मेहमान एक जैसे कोट लेकर आते है और उन्हें पार्टी में 12 बजे तक रहना है क्लॉक रूम का चपरासी 10 कोट क्लॉक रूम में रख कर बाकी 40 कोट लोगों को 11.30 बजे तक किराये पर दे देता है। वह अपने पास 10 कोट इसलिए रखता है जिससे यदि कुछ लोग पहले जाना चाहें जो उन्हें दे सके। क्या इस प्रकार 40 कोट उधार देकर चपरासी ने 40 कोटों का निर्माण किया है? यह बिल्कुल गलत है। इसलिये बैंक भी जमाकर्ताओं का रुपया उधार देकर साख का निर्माण नहीं करते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए **डा. केनन** ने कहा है कि "बैकों द्वारा साख निर्माण की बात चंद्रमा की रोशनी की भांति है। प्रत्येक व्यापारिक बैंकर जानता है कि वह साख मुद्रा, अथवा किन्हीं अन्य वस्तुओं का निर्माता नहीं है, वरन् एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्तियों से, जिनके पास साधन हैं, अन्य व्यक्तियों को जो उनका प्रयोग कर सकते हैं ऋण दिलाने की सुविधा प्रदान करता है।"

परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार **वाल्टर लीफ** और **कैनन** का यह विचार उचित नहीं हैं, क्योंकि बैंक प्राथमिकता जमा से अधिक रुपया उधार दे देते है। इसलिए यह मानना ही पड़ेगा कि बैंक साख का निर्माण करते है। **हार्टले विदर्स** के अनुसार,"ऋण जमाओं को जन्म देते है और उसके निर्माण का श्रेय बैंकों को है।"

लिप्सी तथा **स्टीनर** का भी यह विश्वास है कि साख का विस्तार स्वचालित नहीं हैं। यह बैंकरों के निर्णय पर निर्भर करता है। यदि बैंक जमा में होने वाली वृद्धि का प्रयोग अपने निवेशों को बढ़ाने के लिये नहीं करेगा तो जमा का विस्तार नहीं होगा।

अभ्यास

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1 साख निर्माण से क्या अभिप्राय है?
प्र.2 प्राथमिक तथा गौण जमा में भेद बताइएं?
प्र.3 साख निर्माण की क्या सीमाएँ है?
प्र.4 साख गुणक की धारणा पर संक्षिप्त नोट लिखें।
प्र.5 प्राथमिक जमाएँ क्या है?
प्र.6 साख निर्माण की मान्यताएं क्या है?
प्र.7 क्या बैंक वास्तव में साख का निर्माण करते हैं?
प्र.8 नकद आरक्षित अनुपात क्या है?
प्र.9 साख गुणक की परिभाषा दें?
प्र.10 साख जमा या गौण जमाएं क्या है?
प्र.11 अत्यधिक या आधिक्य कोष को परिभाषित करें।
प्र.12 साख एवं साख निर्माण को परिभाषित करें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्र.13 साख सृजन क्या है? वाणिज्यिक बैंक में सृजन किस प्रकार होता है? साख सृजन की सीमाएँ बताइए।
प्र.14 व्यापारिक बैंक कौन–सी विधियों से साख का निर्माण करते है? साख का निर्माण में कौन–कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है? साख गुणक का फार्मूला लिखिए।
प्र.15 बैंक साख क्या होती है? इसका निर्माण कैसे होता है?
प्र.16 जमायें साख को जन्म देती है और साख जमा उत्पन्न करते है। व्याख्या कीजिए।
प्र.17 साख निर्माण बैंको के विभिन्न कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। साख निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्या इस प्रक्रिया की कुछ सीमाएं है?
प्र.18 साख निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस प्रक्रिया की मान्यताएं और सीमाएं क्या है?
प्र.19 बैंक केवल मुद्रा के व्यापारी नहीं, वे एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के उत्पादक भी है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
प्र.20 ऋण जमा की सन्तान है और जमा ऋणों की सन्तान। इस कथन की पुष्टि उदाहरण देकर कीजिए।
प्र.21 साख गुणक की धारणा की व्याख्या करें।
प्र.22 साख निर्माण की विधि तथा उसके प्रभावों का वर्णन करें।

खंड–2

इकाई–6 अग्रिम या ऋण योजनाएं, लघु व्यवसाय वित्त पोषण, कृषि बैंकिग, विदेशी मुद्रा व्यापार एवं अभिकर्ता तथा सेवाएं

विषय सूची

6.0 प्रस्तावना
6.1 ऋण के प्रकार
6.2 लघु व्यवसाय
6.3 लघु उद्यमों का वित्तपोषण
6.4 कृषि बैंकिग
6.5 कृषि बैंकिग के तत्व
6.6 विदेशी मुद्रा व्यापार
6.7 विदेशी मुद्रा की लागत
6.8 अभिकर्ता
सारांश
अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

- ऋण व ऋण के प्रकार
- लघु व्यवसाय व उसमें शामिल तत्व
- कृषि बैंकिग
- विदेशी मुद्रा व्यापार की आकर्षक विशेषताएँ
- चल व अचल विदेशी मुद्रा दरें
- भारत में प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज

6.0 प्रस्तावना

ऋण वह है जो किसी से माँगा या लिया जाता है, सामान्यतः यह ली गयी संपत्ति को व्यक्त करता है, लेकिन वह शब्द धन की आवश्यकता के परे नैतिक दायित्व एवं अन्य पारस्परिक क्रियाओं को भी व्यक्त करता है। परिसंपत्तियों के मामले में, ऋण कुल जोड़ अर्जित होने के पूर्व वर्तमान में भविष्य की क्रय शक्ति के प्रयोग का माध्यम है। कुछ कंपनियों एवं निगम ऋण का प्रयोग अपनी संपूर्ण संगठित वित्तीय योजनाओं के भाग के रूप में करते हैं।

ऋण तब सृजित होता है जब एक ऋणदाता एक ऋण को कुछ परिसंपत्ति प्रदान करता है। आधुनिक समाज में, सामान्यतः ऋण को अपेक्षित पुनर्भुगतान से साथ प्रदान किया जाता है, ज़्यादातर मामलों में ब्याज सहित, ऐतिहासिक रूप से, ऋण अनुबंधित नौकर के सृजन हेतु ज़िम्मेदार था।

6.1 ऋण के प्रकार

कोई भी कंपनी अपने कार्यकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई तरह के ऋणों का प्रयोग करती है। विभिन्न प्रकार के ऋणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

1. सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण
2. निजी एवं सार्वजनिक ऋण
3. संघीय एवं द्विपक्षीय ऋण तथा
4. अन्य प्रकार के ऋण जो उपरोक्त वर्णित ऋणों के एक या अधिक लक्षणों को व्यक्त करता है।

(1) ऋण दायित्व को सुरक्षित माना जाता है यदि ऋणदाता को कंपनी की परिसंपतियों को बेचने का मालिकाना हक हो या अन्यथा कंपनी के विरूद्ध सामान्य दावों से आगे हो, असुरक्षित ऋण में दायित्व शामिल है, जहाँ ऋणदाता को उसके दावों को पूरा करने के लिए ऋणप्राप्तकर्ता की परिसंपति पर अधिकार न हो।

(2) निजी ऋण में बैंक ऋण प्रकार के दायित्व शामिल है, चाहे वरिष्ठ हो या बीच के, सार्वजनिक एक्सचेंज या पटल पर मुक्त रूप से व्यापार योग्य होते है, यदि कोई प्रतिबंध हो,

(3) ऋण का संघीकरण एक जोखिम प्रबंधन तरीका है, जो अग्रणी बैंकों को अपने जोखिम को कम करने एवं ऋण प्रदान क्षमता को मुक्त करने के लिए ऋण को अधोलिखित करने की अनुमति देता है।

(4) आधारभूत ऋण सबसे सरल तरीके का ऋण हैं। इसमें एक अनुबंध के द्वारा एक नियत समय में पुनर्भुगतान के लिए रकम प्रदान करना सम्मिलित होता है। वाणिज्यिक ऋणों में, ऋण की मुख्य राशि पर प्रतिवर्ष प्रतिशत के रूप में किए गए ब्याज का भी उस तिथि तक भुगतान करना होता है।

कुछ ऋणों में ऋण प्राप्तकर्ता को वास्तविक रूप से दी गयी राशि उसके द्वारा वापस की जाने वाली राशि से कम होती है, अतिरिक्त मुख्य राशि का उच्च ब्याज दर की तरह ही आर्थिक प्रभाव होता है एवं इसे कभी–कभी बैंकर का दर्जन संदर्भित किया जाता है, बैंकर्स डजन पर एक नाटक माँगे गए बारह पर ग्यारह का ऋण होता है। नोट करे कि प्रभावी ब्याज दर छूट के बराबर नहीं है। यदि कोई रू.10 का ऋण प्राप्त करता एंव रू.11 का भुगतान करता है तब यह 10 प्रतिशत ब्याज है।

टूल बाक्स – 01
ऋण
ऋण से अभिप्राय उस धन से जो किसी से उधार लिया जाता है या माँगा जाता है।

एक संघीय ऋण किसी कंपनी को दिए जाने वाला वह ऋण है जिसमें वह कंपनी उतनी धनराशि चाहती है, जिसे कोई ऋणदाता एकल ऋण के रूप में जोखिम लेने को तैयार न हो, सामान्यतः यह राशि कई मिलियन डॉलर होती है। ऐसे मामलों में बैंकों का संघ मुख्य धनराशि के एक अंश को प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान करता है।

ऋण की सुरक्षा हेतु निश्चित संस्थानों जैसे कि कंपनियों एवं सरकारों द्वारा बांड जारी किए जाते है। बांड के द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता को मुख्य राशि को ब्याजरहित वापस करने की बाध्यता होती है। धन प्राप्ति के इच्छुक संस्थान द्वारा भी बाजार में निवेशकों को बांड जारी किए जाते है। बांड की एक निश्चित अवधि होती है। सामान्यतः कुछ वर्ष, दीर्घविधि बांड सहित जो 30 वर्ष तक चलते है, सामान्यतः कम प्रचलित है। बांड की अवधि की समाप्ति पर पूरी धनराशि वापस करनी

चाहिए, अंतिम भुगतान के समय ब्याज को भी जोड़ना चाहिए या इसे बांड की जीवन अवधि में नियमित किस्तों द्वारा भुगतान किया जा सकता है। बांड का बांड बाजार में व्यवसाय किया जा सकता है एवं इसे इक्विटी की तुलना में सुरक्षित निवेश के रूप में प्रयोग किया जाता है।

6.2 व्यवसाय

लघु व्यवसाय वे उद्योग है जो छोटे पैमाने पर किए जाते हैं तथा सामान्य रूप से मज़दूरों व श्रमिकों की सहायता से मुख्य धन्धे के रूप में चलाए जाते हैं। वे उद्योग जिनमें 10 से 50 लोग मज़दूरी के बदले में काम करते हो, लघु उद्योग के अंतर्गत आते है। लघु उद्योग एक औद्योगिक उपक्रम है, जिसमें निवेश संयंत्र एवं मशीनरी में नियत परिसंपति होती है। यह निवेश सीमा सरकार द्वारा समय–समय पर बदलता रहता है। लघु उद्योग में माल बाहर से मंगाया जाता है और तकनीकी कुशलता को भी बाहर से प्राप्त किया जा सकता है।

वित वर्ष 2015–16 के अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित मंत्री श्री अरूण जेटली ने 20,000 करोड़ रू. की राशि तथा 30,000 करोड़ रू. की ऋण गारंटी राशि के साथ एक सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित एंजेसी बैंक के सृजन का प्रस्ताव रखा था। मुद्रा का गठन एक कानून बनाने के जरिए किया जाएगा। यह एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सभी सूक्ष्म वित्त संस्थानों जो विनिर्माण व्यापार एवं सेवा गतिविधियों से जुड़े सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण देने के व्यवसाय में है के जरिए विकास एवं पुनर्वित्त के लिए जबावदेह होगा। मुद्रा लघु/सूक्ष्म व्यवसाय उपक्रमों के स्थानीय वितदाताओं को वित मुहैया कराने के लिए राज्य/क्षेत्रीय स्तर के समन्वयकों के साथ साझीदारी भी करेगा। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य केवल ऋण के दृष्टिकोण से आगे बढ़कर देशभर में फैले इन उपक्रमों के लिए ऋण जमा समाधान प्रस्तुत करना भी है। मुद्रा के लिए परिकल्पित भूमिकाओं में ये शामिल है–

- लघु उपक्रम वित्तपोषण व्यवसायों के लिए नीति दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- एम एफ आई इकाईयों का पंजीकरण
- एम एफ आई इकाईयों का प्रमाणन/मूल्यांकन
- कर्जधारिता से मुक्ति पाने के लिए ज़िम्मेदार वित्तपोषण प्रचलनों का निर्धारण तथा उचित ग्राहक सुरक्षा सिद्धांतों और वसूली की पद्धतियाँ सुनिश्चित करना।
- सुक्ष्म उपक्रमों को कर्ज देने वाले ऋणों/विभागों को गारंटी मुहैया करने के लिए एक ऋण गारंटी योजना का निर्माण एवं संचालन।
- क्षेत्र में विकास एवं प्रवर्तन गतिविधियों का समर्थन।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म व्यवसायों को स्थानीय ऋण आपूर्ति की एक अच्छी संरचना का सृजन।

टूल बाक्स – 02
लघु व्यवसाय वह उद्योग जो छोटे पैमाने पर किए जाए व निवेश सीमा भी सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

मुद्रा द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का लक्ष्य युवाओं, शिक्षितों या कुशल श्रमिकों और महिला उद्यमियों समेत उद्यमियों को मुख्य धारा में लाना है। भारत सरकार का मानना है कि आर्थिक वृद्धि और विकास को समावेशी होना चाहिए। 2013 के एनएसओ सर्वे के अनुसार, 5.77 करोड़

लघु व्यवसाय इकाइयाँ जो ज्यादातर एकल स्वामित्व वाली है और विनिर्माण, व्यापार या सेवा गतिविधियों का संचालन करती है। इनमें लघु, विनिर्माण इकाइयों, दुकानदारों, फलों एवं सब्जियों के विक्रेताओं, ट्रक एवं टैक्सियों के संचालकों, खाद्य सेवा इकाइयों, मरम्मत की दुकानों, लघु उद्योगों, कारीगरों, खाद्य प्रोसेसर, छोटे विक्रेताओं एंव कई अन्य छोटे उद्योग धंधें शामिल है।

6.3 लघु उद्यमों का वितपोषण

मुद्रा बैंक का उद्देश्य छोटे उद्यमों को आसान दरों पर 10 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध करवाना तथा सुक्ष्म वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण एवं उनका विकास है, जिससे अंततः देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी और रोज़गार के अधिक अवसरों का सृजन होगा।

वित वर्ष 2015–16 के बजट भाषण में केंद्रीय वित मंत्री अरूण जेटली ने 20,000 करोड़ रूपये की राशि तथा 3,000 करोड रूपये की ऋण गारंटी राशि के साथ एक सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एंजेसी बैंक के सृजन का प्रस्ताव रखा था।

मुद्रा बैंक की स्थापना वैधानिक संस्था के तौर पर हुई है। मुद्रा बैंक को संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाना है, पर इस संबंध में कानून बनने तक इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की इकाई के रूप में चलाया जाएगा। यह एक गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी के तौर पर काम करेगी।

अपनी प्रगति जांचिए	
प्र.1	निजी व सार्वजनिक ऋण क्या होता है?
प्र.2	संघीय व द्विपक्षीय ऋण से क्या तात्पर्य है?
प्र.3	लघु व्यवसाय की वितपोषण नीतियाँ बताएं?

6.4 कृषि बैंकिग

आर्थिक आयोजन के वर्तमान युग में कृषि उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए बैंकिग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। एक ही बैंक के लिए व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि की समुचित वित्तव्यवस्था करना असंभव नही ंतो कठिन अवश्य होता है। अतएव विशिष्ट कार्यों के लिए अलग–अलग बैंक स्थापित किए जाते है, जैसे व्यापारिक बैंक, कृषि बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक तथा बचत बैंक।

कृषि बैंकिग का अर्थ

बैंक की शाखाओं ने कृषि संबंधी समस्त कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान किए है। फसल उत्पादन, बागानी फसलें, कृषि यंत्रीकरण, भूमि विकास और सुधार, कुएँ खोदना, नलकूप और सिंचाई परियोजनाएँ, वानिकी, शीतागार और गोदाम निर्माण, कृषि उत्पाद प्रक्रम, खाद बीज आदि के व्यापारियों को ऋण, डेयरी, मछली पालन, सूअर पालन, पुनर्सज्जित पूर्व प्रयुक्त ट्रैक्टर, गोदाम रसीद की गिरवी पर ऋण, किसान के अपने परिसर में भंडारित उत्पाद पर ऋण, शहतूत की कृषि, रेशमकीट पालन और अन्नशुल्क इसके उदाहरण है। बैंक अन्य कोई भी संबंधित कार्यकलाप भी इसमें शामिल कर सकता है।

6.5 कृषि बैंकिग के तत्व

- बैंक की शाखाएँ जमीन तैयार करने से लेकर कृषि गतिविधियों जैसे फसल प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन करने के लिए सहायता करती है।
- कृषि ऋण को विशेष ध्यान देने के लिए बैंक ने भी विभिन्न विषयों के कृषि विशेषज्ञों को नियुक्त किया है जो किसानों को अपने कृषि उद्यम में परियोजनाओं को संभालने के लिए मार्गदर्शन कर सकें।
- कृषि अग्रिम गरीब से गरीब व्यक्ति को छोटे गतिविधियों से लेकर बड़े फंड परिव्यय शामिल उच्च तकनीक गतिविधियों को दिया जाता है।
- हमारे पास हर क्षेत्र के लिए एक प्रभावी विपणन और वसूलीटीम है जो कृषि उत्पादों के डीलरों के साथ और ऋण स्वीकृति, प्रसंस्करण, निगरानी और वसूली के लिए विपणन और संबंधों के निर्माण के लिए ज़िम्मेदारियाँ निभाती है।
- सरकार और लोगों के सामूहिक प्रयास के साथ हम ग्रामीण के साथ हम ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों मे विकास को उत्प्रेरित करने में शामिल होकर हर भारतीय के लिए बैंकर बन सकते हैं।

टूल बाक्स – 03
कृषि बैंकिग के तत्व
• कृषिकों के लिए फसल प्रबंधन, प्रसंस्करण व विपणन में सहायता • ऋणों का प्रबंध करवाना • उच्च तकनीक उपलब्ध करवाना • कृषि क्षेत्र में विकास को उत्प्रेरित करना।

6.6 विदेशी मुद्रा व्यापार

विदेशी मुद्रा व्यापार 1971 में गठन किया गया था, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से स्थानांतरित अस्थायी विनिमय दर के लिए तय यह निर्दिष्ट रकम का आदान–प्रदान के लिए बाज़ार के विदेशी मुद्रा लेनदेन के एंजेटों के एक संग्रह है पर एक सहमति व्यक्त की दर पर किसी अन्य के लिए एक देश की मुद्रा की मुद्रा एक निश्चित तारीख, एक दूसरे के रिश्तेदार मुद्रा की विनिमय दर पर निर्धारित किया जाता है बहुत आसान है, आपूर्ति और माँग विनिमय है जो दोनों पक्ष सहमत है। वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार मे लेनदेन की मात्रा लगातार बढ रही है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास और मुद्रा प्रतिबंध के उन्मूलन के साथ जुडा हुआ है कई देशों , अपने लेनदेन की मात्रा पर ही प्रभावशाली है नहीं है, लेकिन यह भी दर है जो बाजार के विकास के रूप में चिन्हतः 1977 में दैनिक कारोबार पाँच अरब अमरीकी डॉलर दस साल में यह 600 अरब करने के लिए गुलाब और 1992 में एक खरब डॉलर तक पहुँच है, विदेशी मुद्रा की दैनिक मात्रा दुनिया में 1998 के मध्य में आपरेशन के 1 खरब 982 अरब डॉलर की राशि संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयार्क के बारे में 18 प्रतिशत, जर्मन बाजार का आदान–प्रदान किया, इस समय, दैनिक अधिक से अधिक 3 खरब डॉलर का कारोबार सभी लेन–देन के बारे में 80 प्रतिशत अप लाभ के लिए एक दृश्य के साथ सट्टा लेनदेन विनिमय दरों में अंतर पर खेल से, आढ़त कई प्रतिभागियों, दोनों वितीय संस्थाओं और व्यक्तिगत निवेशकों को आकर्षित करती है।

बाज़ार विदेशी मुद्रा की विशिष्ट आकर्षक विशेषताएँ

- विदेशी मुद्रा की तरलता

- बाज़ार बहुत बड़ा संचालित पैसे की और पूरा को खोलने के लिए या इस समय एक मौजूदा स्थिति को बंद करने की स्वतंत्रता देता है। बाजार उद्धरण के लिए एक शक्तिशाली चुबंक है क्योंकि किसी भी निवेशक, वह उसके लिए खुला है और किसी भी मात्रा की स्थिति को बंद करने की स्वतंत्रता देता है।
- दक्षता विदेशी मुद्रा
- 24 घंटे के आपरेशन के द्वारा प्रतिभागियों विदेशी मुद्रा बाज़ार में एक घटना पर प्रतिक्रिया के रूप में यह कई बाज़ारों में होता है, प्रतीक्षा नहीं की ज़रूरत है।
- विदेशी मुद्रा की उपलब्धता
- 24 घंटे एक दिन व्यापार की क्षमता, एक बाज़ार प्रतिभागी एक घटना पर प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है, व्यापार विदेशी मुद्रा के संगठन की लचीला विनियमन, मुद्रा बाजार की स्थिति पूर्व से स्थापित अवधि के अनुरोध पर खुला हो सकता है निवेशक जो उनके भविष्य गतिविधि के लिए योजना के लिए समय की अनुमति देता है।

टूल बाक्स – 04
विदेशी मुद्रा व्यापार का अर्थ
इससे अभिप्राय विभिन्न देशों की मुद्रा की आदान–प्रदान व उसके व्यापार से है।

6.7 विदेशी मुद्रा की लागत

- विदेशी मुद्रा बाज़ार में पारंपरिक रूप से कोई शुल्क नहीं है, करता है प्राकृतिक बाज़ार फर्क बोली के लिए छोड़कर/आपूर्ति और माँग की कीमतों में पूछना।
- विशिष्टता कोटेशन विदेशी मुद्रा, उच्च बाजार में तरलता की वजह से, सबसे अधिक बिक्री एक एकल बाज़ार मूल्य के द्वारा प्रदर्शन किया, इस प्रकार की समस्याओं से बचने अस्थिरता है कि वायदा में मौजूद है और अन्य मुद्रा निवेश है, जो एक समय में और निश्चित मूल्य पर ही मुद्रा का एक सीमित मात्रा में बेच सकते है।
- बाज़ार विदेशी मुद्रा की दिशा, मुद्राओं की आंदोलन एक निश्चित दिशा से है, जो किया जा सकता है समय की काफी लंबी अवधि का पालन करें, प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा केवल समय पर उसकी विशेषता परिवर्तन है, जो देता है दिखाता है निवेश प्रबंधकों संभावना विदेशी मुद्रा के बाजार में हेरफेर करने के लिए।
- मार्जिन विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा बाज़ार का लाभ उठाने में ग्राहक और बैंक या बैंक के बीच समझौते से ही निर्धारित किया जाता है ब्रोकरेज फर्म है जो उसे बाज़ार में पहुँच प्रदान करता है, और आम तौर पर 1:100, दूसरे शब्दों में 1000 की एक प्रतिज्ञा बनाकर, ग्राहक पर लेन–देन आचरण हो सकता है। 100 हजार डॉलर के बराबर है, ऐसे बड़े उपयोग उतोलन, मुद्राओं के मूल्य के मज़बूत परिवर्तनशीलता के साथ युग्मित और इस बाजार अत्यधिक लाभदायक लेकिन ज़ोखिम भरा बनाता है।

अचल, चल विदेशी दरें

अचल विदेशी मुद्रा दरें

अचल विदेशी मुद्रा दरों का चलन, प्री वर्लड वार समय में जारी आर्थिक भेदभाव के मुद्दों की वजह से हुआ, जहाँ कुछ देशों के पास दूसरे देशों की तुलना में अधिक व्यापारिक अधिकार होते

थे। स्वतंत्र व्यापार को बढावा देने के लिए अलग–अलग मुद्राओं के बीच स्वतंत्र परिवर्तन का होना जरूरी समझा गया और इसलिए अचल विदेशी मुद्रा दर प्रणाली अस्तित्व के आई, इससे संदर्भित नियम 44 सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में जुलाई 1944 के पहले तीन हफ़्तों के दौरान तय किए गए थे। इस सम्मेलन का आयोजन, ब्रैटनवुड्स न्यू हैम्पशायर में किया गया था और इसलिए इस प्रणाली या नियमों को ब्रैटनवुड्स प्रणाली कहा जाता है।

चल विदेशी दरें

चल विदेशी मुद्रा दर प्रणाली में किसी देश की मुद्रा में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा बाजार में जारी व्यापार, माँग व पूर्ति या अन्य संदर्भित कारणों की वजह से होने वाले उतार–चढाव की वजह से होता रहता है।

टूल बाक्स – 05
विदेशी मुद्रा की दरें
• अचल मुद्रा दरें • चल मुद्रा दरें

भारत में प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज

भारत में मान्यता प्राप्त 27 कमोडिटी एक्सचेंज है जिनमें प्रमुख है

- मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
- नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
- नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज
- नेशनल स्पॉट एक्सचेंज
- भारत डायमंड बोर्स
- अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च एक्सचेंज

6.8 अभिकर्ता

अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से व्यापार संबंधी कार्य करे। अधिकांशतः तो उसका कार्य माल के क्रय, विक्रय अथवा वितरण में अपने प्रधान की सहायता करना है और प्रायः उसका पारिश्रमिक वर्तन के रूप में होता है। कार्यानुसार अभिकर्ता विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। क्रेता और विक्रेता के बीच सौदा तय करानेवाला अभिकर्ता दलाल कहलाता है। अपने प्रधान की ओर से माल का क्रय अथवा विक्रय करने वाले अभिकर्ता को कमीशन एंजेट कहते है क्योंकि माल के मूल्य पर कमीशन उसका पारिश्रमिक होता है। कभी–कभी निर्माता अपने माल का विक्रय बढाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अभिकर्ता नियुक्त कर देते है जो अपने प्रधान के माल के विक्रय की समुचित व्यवस्था करके उसे विक्रय संबंधी समस्याओं से मुक्त कर देते है।

अपनी प्रगति जांचिए	
प्र.4	कृषि बैंकिग से क्या अभिप्राय हैं?
प्र.5	कृषि बैंकिग के तत्व बताएं?
प्र.6	चल लागत की दरें से क्या तात्पर्य है?
प्र.7	अचल लागत दरें कौन–सी होती है?

सारांश

इस अध्ययन को समझने के पश्चात् हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि व्यवसाय के विकास के लिए ऋणी को होना बहुत आवश्यक है। वित्त एक व्यवसाय के लिए रक्त समान है। लघु उद्योगों के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएँ उपलब्ध करवाई गई है तथा विदेशी व्यापार के अंतर्गत भिन्न विदेशी मुद्राओं का आदान–प्रदान व व्यापार, अभिकर्ता की सहायता द्वारा किया जाता है।

अभ्यास

प्र.1 ऋण का अर्थ बताए?
प्र.2 सुरक्षित व असुरक्षित ऋण में क्या अंतर है?
प्र.3 लघु व्यवसाय में सन् 2015–16 में क्या बदलाव किए गए है?
प्र.4 लघु व्यवसाय वित नीति निर्देश बताएं?
प्र.5 कृषि बैंकिग से क्या तात्पर्य है?
प्र.6 विदेशी मुद्रा की लागत क्या होती है?
प्र.7 अभिकर्ता कौन होता है?

दीर्घ उतरीय प्रश्न

प्र.8 ऋण का अर्थ व उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए?
प्र.9 लघु व्यापार व उनके वितपोषण का विस्तारपूर्वक वर्णन करें?
प्र.10 कृषि बैंकिग क्या है उसके विभिन्न तत्व बताएं?
प्र.11 विदेशी मुद्रा का अर्थ व उसकी विशेषताओं का वर्णन करें?
प्र.12 विदेशी मुद्रा की लागत व उसकी दरों के प्रकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें?

खंड–2

इकाई–7 बैंक का महत्व, प्रकार एवं संगठन प्रणालियां

विषय सूची

अध्ययन के उद्देश्य
7.0 प्रस्तावना
7.1 बैंक की परिभाषाएँ
7.2 बैकों का विकास
7.3 आधुनिक बैंकों के कार्य
7.4 बैंकों का महत्व
7.5 बैंकों का प्रकार
7.6 वाणिज्यिक बैंकों की संगठन प्रणालियाँ
7.7 श्रेष्ठ बैंकिग प्रणाली की विशेषताएँ
सारांश
अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत आप समझ सकेंगेः

- बैक का अर्थ
- बैंकों के कार्य
  जमा स्वीकार करना
  ऋण देना
  अभिकर्ता सम्बन्धी कार्य
  विदेशी विनिमय क्रय–विक्रय आदि।
- आधुनिक बैंकों के प्रकार
- वाणिज्यिक बैंकों की संगठन प्रणालियाँ
  शाखा बैंकिग
  इकाई बैंकिग

7.0 प्रस्तावना

बैंक शब्द का प्रयोग काफ़ी समय से होता आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यह इटेलियन भाषा के शब्द बैंकों से बना है, जो फ्रेंच भाषा के बैंके से बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक हो गया है। बैंकों का अर्थ बैंच होता हैं। चूँकि इटली में कुछ लोग बैंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य किया करते थे तथा उनमें से किसी का व्यापार बंद होने पर उसकी बैंच को तोड़ दिया जाता था, अतः कालान्तर में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा परिवर्तन करने वाली और बाद में साख की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। एक अन्य विचार यह है कि बैंक

शब्द का स्रोत जर्मन भाषा का शब्द बैंक है, जिसका अर्थ सम्मिलित स्कन्ध कोष होता है। यह कठिन है कि बैंक शब्द का आरम्भ कैसे हुआ परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक बैंकों का आरंभ यूरोप में ही हुआ और क्रमशः ये पूरे संसार में फैल गए।

7.1 बैंक की परिभाषाएँ

बैंक के विकास के प्रारम्भिक काल से लेकर अब तक बैंक के रूप तथा कार्यो में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन विभिन्नताओं के कारण बैंक की अलग–अलग परिभाषाएँ दी गई हैः

(1) बैंक की कुछ परिभाषाएँ कानूनी आधार पर दी गयी है। इग्लैंड के विनिमय बिल विधान के अनुसार, ''बैंकर के अंतर्गत बैंकिग का कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक समूह चाहे वह समामेलित हो अथवा नहीं सम्मिलित होता है।'' भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार, ''बैंकर के अंतर्गत बैंकिग का काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा इनका आधार यह है कि जो बैंक का कार्य करे वह बैंकर है। परंतु इन परिभाषाओं से यह अनुमान नहीं लग सकता कि बैंक के कार्य क्या है तथा बैंक का स्वरूप क्या है।

(2) बैंक के कार्यो के आधार पर भी अनेक परिभाषाएँ दी गई है। सन् 1949 के भारतीय बैंकिग कंपनीज एक्ट की धारा 5(b) के अनुसार, ''बैंक अथवा बैंकिग कंपनी वह है कि जो ऋण देने के लिए अथवा निवेश के लिए जनता से मुद्रा की जमाराशियों को स्वीकार करती है, जिन्हें माँगे जाने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके तथा चैक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सकें।'' इस परिभाषा में बैंक के जमा स्वीकार करने तथा उनको लौटाने के कार्यो का उल्लेख है।

टूल बाक्स – 01
बैंक का अर्थ
बैंक वह है जो ऋण देने के लिए जनता से जमा स्वीकार करता है व जिन्हें माँगे जाने पर चैक, ड्राफ्ट, आदेश द्वारा निकाला जा सकता है।

7.2 बैंकों का विकास

रोम सभ्यता के पतन के पश्चात् ईसा मसीह के बाद पाँचवी शताब्दी के यूरोप के अंधेरे युग का आरम्भ होने पर बहुत लंबे काल के लिए बैंकिग व्यवसाय प्रायः समाप्त सा हो गया था, जिसका पुनरूत्थान मध्य काल में हुआ। 12वीं शताब्दी में विशेषकर यहूदियों के प्रयासों से बैंकिग का पुनः आरंभ हुआ। ईसाइयों को अपने धर्म की ओर से ऋण देकर ब्याज लेने की आज्ञा नहीं थी। इसलिए यहूदियों को बैंकिग कार्य में किसी प्रतियोगिता का भय नहीं था। परंतु कुछ समय पश्चात् इटली के लोगों ने बैंकिग का कार्य आरंभ कर दिया तथा लगभग दो शताब्दी के समय में उनकी क्रियाओं का विस्तार सारे यूरोप में हो गया। 1148 में जिनोआ में एक महत्वपूर्ण बैंक स्थापित हुआ और सन् 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। 1401 ई. में बैंक ऑफ वार्सीलोना तथा 1407 में बैंक ऑफ जिनोआ स्थापित किए गए।

आधुनिक बैंकिग का वास्तविक विकास सत्रहवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ। सन् 1609 में हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्सटर्डम, सन् 1619 में जर्मनी में बैंक ऑफ हेम्बर्ग तथा 1694 में इंग्लैंड की स्थापना हुई। आर्थिक क्षेत्र में धीरे–धीरे बैंकों का महत्व बढने लगा। कालान्तर में सयुक्त पूँजी वाले बैंकों की स्थापना हुई, जिससे विकास की गति तेज हो गयी और आज बैंकिग व्यवस्था प्रत्येक देश अर्थ व्यवस्था की आधारशिला है।

7.3 आधुनिक बैंकों के कार्य

जिस प्रकार बैंकों का विकास धीरे–धीरे हुआ है, उनके कार्यो का विस्तार धीरे–धीरे ही होता रहा है। प्राचीन काल में बैंकर आरम्भ में केवल मुद्राओं का अदल बदल ही करते थे, बाद में वे लोगों से ब्याज पर ऋण भी स्वीकार करने लगे। उनके पास अधिक धन जमा हो जाने पर उन्होंने इस धन में से ऋण देना भी आरम्भ कर दिया। धीरे–धीरे चैक का प्रयोग आरम्भ हुआ तथा अन्य साख पत्रों का विकास हुआ। सन् 1708 तक नोटों के निर्गमित करने का अधिकार या तो सरकार के हाथों में था या केंद्रीय बैंक के हाथ में। संयुक्त पूँजी वाले बैंकों का उदय होने पर ये संस्थाएँ विविध प्रकार के एजेंसी कार्य भी करने लगी। आधुनिक बैंक अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। उनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है–

(1) जमा स्वीकार करनाः–बैंकों द्वारा जनता से धन मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है–अपने शेयर बेचकर तथा जनता से जमा स्वीकार करके। शेयरों की बिक्री से प्राप्त पूँजी बैंक के व्यवसाय के लिए पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए बैंकों को जनता से उनकी जमाराशियों के रूप में ऋण लेना पड़ता है। लोग अपनी बचते बैंकों में जमा कर देते हैं जिन पर उन्हें ब्याज मिलती है तथा उनका धन सुरक्षित रहता है। बड़े व्यापारियों को अपना धन बैंक के पास रखने में भुगतानों में बड़ी सुविधा होती है।

बैंक में रकम करने के लिए प्रायः पाँच प्रकार के खातों की व्यवस्था होती है, जिनमें से प्रथम तीन प्रकार के खाते तो सभी बैंकों में होते है, परंतु अंतिम तीन प्रकार के खातों की व्यवस्था केवल कुछ ही बैंकों में होती है। ये विभिन्न खाते निम्नलिखित हैः

(क) निश्चितकालीन जमा खाताः–इस प्रकार के खाते में रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है जो प्रायः 3 माह से 5 वर्ष तक के लिए होती है। जमाकर्ता को जमा की रसीद दे दी जाती है, जिसमें जमाकर्ता का नाम, जमा की राशि, ब्याज की दर तथा जमा की अवधि लिखी रहती है। यह रसीद हस्तान्तरणीय नहीं होती और अवधि की समाप्ति पर रकम वसूल करते समय यह रसीद बैंक को लौटा देनी होती है। यदि जमाकर्ता को अपनी रकम की आवश्यकता अवधि पूर्ण होने से पहले पड़ जाती है तो कुछ कटौती काट कर बैंक उसे रकम लौटा देता है। निश्चितकालीन जमा पर बैंक अधिक ब्याज देता है। अवधि जितनी ही लंबी हो ब्याज दर उतनी ही ऊँची होती है क्योंकि बैंक को यह विश्वास रहता है कि वह इस रकम को लंबे समय तक प्रयोग कर सकता है तथा ऋण देकर ब्याज कमा सकता है। इस प्रकार की जमाराशि को बैंक की काल देनदारी कहा जाता है।

(ख) चालू खाताः–इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता दिन में जितनी बार चाहे रूपया जमा करा सकता है और निकाल सकता है। जमाराशि प्रायः चैक द्वारा निकाली जाती है। व्यापारियों तथा बड़ी–बड़ी संस्थाओं के लिए चालू खाते बहुत उपयोगी होते है क्योंकि उन्हें दिन में कई भुगतान प्राप्त होते है और अनेक भुगतान करने होते है। चालू खाता खोलने पर बैंक द्वारा एक पास बुक जिसमें लेन देन का विवरण होता है, एक चैक बुक तथा रकम जमा कराने के फार्म दिए जाते है। साधारणतया चालू खाते में जमाराशि पर बैंक ब्याज नहीं देते बल्कि कुछ बैंक तो जमाकर्ता से कुछ सेवा व्यय भी वसूल करते है। जमाराशि के न्यूनतम रकम के कम होने पर दोनों के अंतर पर जमाकर्ता से ब्याज ले ली जाती है। चालू खाते में जमाराशि को बैंक की माँग देनदारी कहा जाता है। अमेरिका में चालू खाते को चैक खाता कहते हैं।

टूल बाक्स – 02
मुद्रा के कार्य
• जमा स्वीकार करना

- ऋण देना
- अभिकर्ता संबंधी कार्य
- विदेशी विनिमय का क्रय–विक्रय
- विविध उपयोगी सेवाएँ
- इलेक्ट्रॉनिक आधारित बैंकिग कारोबार
- साख निर्माण का कार्य

(ग) बचत खाताः–छोटी बचत वाले लोगों के लिए बचत खाते अधिक उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के खाते में सप्ताह में कई बार रकम जमा की जा सकती है परंतु एक या दो बार से अधिक निकाली नहीं जा सकती। कुछ बैंकों में रकम निकालने की सुविधा या आधार साप्ताहिक न होकर वार्षिक होता है अर्थात् एक वर्ष में 100 बार के लगभग रकम निकाली जा सकती है एक बार मे एक निर्धारित सीमा से अधिक रूपया निकालने के लिए बैंक पहले से सूचना देने की शर्त रख सकता है। इन खातों से रूपया निकालने की दो प्रणालियाँ है। एक तो रूपया निकालने समय पास बुक प्रस्तुत करनी होती है और रूपया निकालने का फार्म भरकर रूपया निकाला जाता है। दूसरा तरीका चैक द्वारा रूपया निकालने का है। एक निश्चित रकम से कम जमाराशि न होने पर बैंक चैकों द्वारा निकालने की सुविधा देते है।

(घ) आवर्ती जमा खाताः–एक निर्धारित अवधि के लिए जमाकर्ता मासिक आधार पर रकम जमा करता है जिसे बैंक द्वारा अवधि पूर्ण होने पर लौटाया जाता है। कुछ बैंक दैनिक आधार पर भी जमा स्वीकार करते है। आवर्ती खातों में प्रायः छोटी बचत वाले लोग ही रकम जमा करते हैं। इन पर बैंक ब्याज देता है जोकि मूल धन के साथ जुड़ती रहती है। सामान्यतया अवधि पूर्ण होने से पहले रकम नहीं निकाली जा सकती है। यदि इसके लिए बैंक अनुमति देता है तो ब्याज में कटौती की जाती है।

(ङ) गृह बचत खाताः–कुछ बैंकों द्वारा छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ग्राहकों को घर ले जाने के लिए गुल्लक दी जाती है जिसमें वे समय–समय पर अपनी बचत डालते रहते है। गुल्लक की चाबी बैंक के पास रहती है। कुछ समय बाद गुल्लक बैंक में लाने पर उससे रकम निकाल ली जाती है और जमाकर्ता के खाते में जमा हो जाती है। इस प्रकार की जमा पर ब्याज की दर प्रायः कम होती है।

(च) अनिश्चितकालीन जमा खाताः–इस खाते के अंतर्गत अनिश्चित काल के लिए रकम जमा करायी जाती है जिसे कुछ विशेष दशाओं मे ही निकाला जा सकता है। जमाकर्ता केवल ब्याज की रकम निकाल सकता है। इस खाते में जमा रकम पर ब्याज दर काफ़ी ऊँची होती है परंतु ऐसे खाते हमारे देश में विशेष प्रचलित नहीं है।

इस प्रकार बैंक अपना व्यवसाय चलाने के लिए अंश पूँजी के अतिरिक्त जनता से उपर्युक्त खातों के अंतर्गत जमा प्राप्त करता है। इस पर भी यदि बैंक पर्याप्त साधन जुटा पाता हो वह अन्य बैंकों से अथवा केंद्रीय बैंक से ऋण लेता है। केंद्रीय बैंक अन्य सभी बैंकों की स्थिति का ध्यान रखता है।

(2) ऋण देनाः–आधुनिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना है। जमाकर्ताओं की रकम बैंक के पास जमा रखी नहीं रहती। कुछ नकद कोष रखने के पश्चात् बैंक बाकी रकम ज़रूरतमंद व्यवसायियों को ऋण के रूप में दे देता है। बैंक जमा पर दी जाने वाली ब्याज की अपेक्षा ऋणों पर अधिक ब्याज लेता है और इन दोनों की दरों के अंतर से बैंक को लाभ होता है। बैंकों को ऋण देने का कार्य काफ़ी सतर्कता से करना होता है क्योंकि असावधानी का परिणाम बैंक के लिए हानिकारक हो सकता है। आधुनिक बैंक प्रायः उत्पादन कार्यों के लिए ही ऋण देते हैं तथा उचित जमानत या धरोहर की माँग करते हैं। अधिकांश बैंक ऐसी धरोहर पर ऋण देते हैं जिसे आसानी से बाजार में बेचा जा सके। ऋण की रकम प्रायः धरोहर मूल्य से

कम होती है, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन की संभावना के कारण कुछ अंतर रखना आवश्यक होता है। कभी–कभी बैंक द्वारा व्यक्तिगत जमानत पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सम्मिलित जमानत पर या चल एवं अचल संपत्ति की गिरवीं पर भी ऋण दिया जाता है। बैंक सामान्यतः निम्नलिखित चार प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं:

(क) ऋण तथा अग्रिम धनः–एक निश्चित रकम के निश्चित समय के लिए दिए गए ऋण जिनका भुगतान पूर्णतया हो जाने पर ही ऋण का अंत होता है, ऋण अथवा अग्रिम धन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, ऋणी बैंक से जो संपूर्ण राशि ऋण के रूप में प्राप्त करता है उनका कुछ अंश लौटा देने पर ऋणी पुनः उसी ऋण के अंतर्गत उसे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। बैंक उसे अलग से दूसरा ऋण दे सकता है। इस प्रकार ऋण कभी चालू नहीं रहता। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब कभी इस प्रकार का ऋण दिया जाता है तो ऋण लेने वाले के नाम एक खाता खोलकर ऋण की राशि उसमें लिख दी जाती है। ऋण लेने वाला आवश्यकतानुसार चैक द्वारा समय–समय पर रकम निकालता रहता है। ऋण की पूरी रकम पर तत्काल ब्याज लगना आरम्भ हो जाता है, चाहे उस रकम का केवल एक भाग ही निकाला जाय। ऋण प्रायः यथेष्ट जमानत पर आधारित होता है तथा इसकी अवधि निश्चित होती है। ब्याज की दर का ग्राहक की साख, ऋण के उद्देश्य, अवधि तथा धरोहर की किस्म आदि पर निर्भर करता है।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.1 बैंक की कोई एक परिभाषा बताएं?
प्र.2 बैंकों का विकास किस प्रकार हुआ?
प्र.3 बैंकों में जमा के प्रकार बताएं?
प्र.4 बैंक द्वारा प्रदान ऋण कितने प्रकार के होते है?

(ख) नकद साखः–इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक एक निश्चित सीमा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार दे देता है। इस सीमा के अंदर ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से रकम लेता रहता है और जमा भी करता रहता है। ब्याज उसी रकम पर वसूल किया जाता है, जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है परंतु कभी–कभी बैंक नकद साख की कुल रकम पर ही ऋणी से ब्याज लेता है। ऋण के लिए व्यापारिक माल, बॉण्ड अथवा स्वीकृति प्रतिभूतियों की जमानत ली जाती है। यह प्रणाली स्कॉटलैंड में आरंभ हुई थी और आज सभी देशों में प्रचलित है।

(ग) अधिकवर्षः–बैंक में चालू खाता अथवा बचत खाता रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अंतर्गत अपनी जमा की राशि से अधिक रकम निकालने की अनुमति ले लेते हैं। निकाली गई अतिरिक्त रकम को ही अधिकवर्ष कहा जाता है। इस प्रकार की सुविधा बैंक द्वारा अल्प समय के लिए ही दी जाती है। यह उचित जमानत देने पर केवल विश्वसनीय ग्राहकों को ही मिलती है। अधिकवर्ष पर ब्याज भी अधिक ली जाती है। यह सुविधा उन्हीं खातों पर दी जाती है जिनमें चैक के द्वारा रकम निकाली जा सकती है।

(घ) विनिमय बिलों का भुनानाः–मुद्दती बिलों की मुद्दत अथवा अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि बिल का भुगतान प्राप्त करने वाला भुगतान चाहता है तो वह बैंक से बिल भुना लेता है। भुगतान के बाकी समय की ब्याज की कटौती करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है कि इस प्रकार के बिल व्यापारिक बिल ही हों। बिल की कटौती अथवा बट्टा तीन बातों पर निर्भर करता है–बिल की अवधि, बिल की रकम तथा बिल की जोखिम। बिलों के आधार पर दिए गए ऋण बैंक के लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि 1. बिल का भुगतान के लिए ज़िम्मेदारी बिल के दोनों पक्षों, अर्थात् बिल के लिखने वाले तथा स्वीकार करने वाले की होती है, इसलिए बैंक को दोहरा संरक्षण रहता है, 2. आवश्यकता पड़ने पर बैंक इन बिलों को

केंद्रीय बैंक से पुनः भुना सकता है, 3. यह ऋण अल्पकालीन होता है, 4. बिलों को मूल्य स्थिर रहता है क्योंकि इनकी रकम निश्चित होती है। इनसे देश के व्यापार को भी लाभ पहुँचता है।

(3) अभिकर्ता संबंधी कार्यः—बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेण्ट अथवा प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते है। ऐसे कार्यो के लिए ग्राहक स्वयं अपने बैंक को लिखित अनुमति देते है। इनमें से कुछ कार्य निशुल्क किए जाते है तथा कुछ के लिए निश्चित शुल्क प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैः

- ग्राहकों द्वारा भेजे गए चैक, विनिमय बिल आदि साख पत्रों का भुगतान एकत्र करने का कार्य बैंक करते हैं।
- बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गए चैकों का भुगतान करते हैं तथा कभी—कभी ग्राहकों के बिल भी स्वीकार करते हैं, जिनका भुगतान निश्चित तिथि पर कर दिया जाता है।
- ग्राहकों के आदेशानुसार बैंक अपने बीमे के प्रीमियम, कर, ब्याज चंदे, ऋण की किस्त आदि के भुगतान करने का कार्य करते हैं।
- अपने ग्राहकों की ओर से बैंक लाभांशों, ब्याज, किराया, ऋण की किस्त आदि वसूल भी करते हैं।
- बैंक अपने ग्राहकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियाँ, कंपनियों के शेयर्स तथा ऋणपत्रों आदि के क्रय विक्रय का कार्य भी करते हैं।
- बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को रकम भेजने की व्यवस्था की जाती हैं।
- बैंक अपने ग्राहकों की संपति के प्रबंधक, ट्रस्टी अथवा व्यवस्थापक का कार्य भी करते हैं।
- ग्राहकों के लिए बैंक पासपोर्ट तथा यात्रा संबंधी विदेशी विनिमय एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी पत्र व्यवहार करते हैं।

(4) विदेशी विनिमय का क्रय विक्रयः—अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए बैंक विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करते हैं। यद्यपि यह कार्य मुख्य रूप से विदेशी विनिमय बिलों का है, परंतु साधारण वाणिज्यिक बैंक भी यह कार्य करते है। जिन देशों में विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है, यह कार्य केंद्रीय बैंक अथवा उससे अनुमति प्राप्त किसी अन्य बैंक द्वारा ही किया जाता है।

(5) विविध उपयोगी सेवाएंः—ऊपर बताए गए अनेक कार्यों के अतिरिक्त आधुनिक बैंक निम्नलिखित कुछ सामान्य उपयोगी कार्य भी करते है जैसे—

- बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं जैसे जेवर, कानूनी पत्र, दस्तावेज़ आदि को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार की छोटी तिजोरियाँ अपने पास रखते हैं।
- बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चैक तथा साख प्रमाण पत्र देते है जिससे उन्हें यात्रा करते समय नकद मुद्रा साथ नहीं ले जाती पड़ती।
- बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड जारी किए जाते है, जिनके माध्यम से इनके धारक अनेक प्रकार के भुगतान कर सकते है। इन्हें प्लास्टिक मनी की संज्ञा दी जाती है। क्रेडिट कार्ड का धारक इसका प्रयोग करने पर बैंक का ऋणी हो जाता है। एक निर्धारित अवधि के पश्चात् रकम वसूल न होने पर बैंक ब्याज लेता है। डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर धारक के बैंक खाते में जमा राशि से स्वतः की विक्रेता को भुगतान प्राप्त हो जाता है। बैंकों का कंप्यूटरीकरण होने के पश्चात् ए.टी.एम जारी किए गए है जिनका प्रयोग करके बैंक बिना काउन्टर पर गए नकदी प्राप्त कर सकते है। कुछ बैंकों के ए.टी. एम का प्रयोग डेबिट कार्ड के रूप में भी किया जा सकता है।

- बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना अन्य व्यापारियों को देते है और पूछे जाने पर अन्य व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की जांच पड़ताल करके अपने ग्राहकों को सूचित करते हैं।
- कुछ बड़े बैंक देश के व्यापार तथा उद्योग से संबंधित आँकड़े एकत्र करते हैं तथा सूचनाएँ प्रकाशित करते हैं।
- बैंक कंपनियों के शेयर्स तथा ऋणपत्रों के अभिगोपन का कार्य करते हैं, जिससे कंपनियों को पूँजी प्राप्त करने में सुविधा होती है। यह शेयर्स जनता द्वारा न खरीदे जाने पर बचे हुए शेयर्स बैंक स्वयं खरीद लेता है।
- सरकार द्वारा जारी किए गए ऋणों की बिक्री की व्यवस्था बैंकों द्वारा की जाती है।
- बाढ़ पीडितों का कोष, सुरक्षा कोष आदि राष्ट्रीय चंदे संग्रह करने का कार्य भी बैंकों द्वारा किया जाता है।
- देश के प्रमुख बैंक स्टॉक एक्सचेंज में समाशोधन गृह का कार्य भी करते हैं तथा सौदों के भुगतान में सहायक होते हैं।
- बैंक अपने ग्राहकों की उपभोग की महंगी वस्तुओं, जैसे मोटर, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर आदि की उपलब्धि ऋण पर करा देते हैं।
- बैंक एक विशेषज्ञ के समान अपने ग्राहकों को उनके धन तथा निवेश संबंधी मामलों में सलाह देते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.5 अधिकवर्ष से क्या तात्पर्य है?
प्र.6 विदेशी विनिमय में बैंक क्या कार्य करता है?
प्र.7 बैंकों के कुछ उपयोगी सेवाएँ बताएँ?

(6) इलेक्ट्रॉनिक आधारित बैंकिग कारोबारः–देश के भीतर और विभिन्न देशों में आर्थिक एकीकरण, विनियमन, दूरसंचार की उन्नति और इन्टरनेट एवं बेतार सूचना, प्रौद्योगिकी की वृद्धि से वितीय सेवाओं के स्वरूप और प्रकृति में नाटकीय परिवर्तन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग में वृद्धि तथा कागज आधारित लिखितों के अतिरिक्त अन्य तरीकों के आधार पर निधि अंतरण के आविर्भाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक आधारित बैंकिग कारोबार में वृद्धि हुई है। कागज रहित प्रणाली के संबंध में ई–मनी को अपनाया जा सकता है। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी सिस्टम से मुक्त इन्टरनेट बैंकिग शुरू करने के लिए कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग और सुरक्षा अंतर बैंक भुगतान गेटवे और विविध ढाँचे से मुक्त प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बुनियादी आवश्यकताएँ शामिल रहती हैं।

(7) साख निर्माण का कार्यः–अधिक लाभ कमाने के लिए आधुनिक बैंक अपनी अंश पूँजी तथा जमा राशि की कुल मात्रा से अधिक ऋण देते हैं जो उनके द्वारा साख का निर्माण करने पर संभव होता है। वास्तव में, आधुनिक बैंक व्यवस्था का विकास बहुत कुछ बैंकों की साख निर्माण की शक्ति द्वारा ही संभव हुआ है। बैंकों के साख निर्माण कार्य का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में अलग से किया गया है।

7.4 बैकों का महत्व

वर्तमान समय में प्रत्येक देश का उत्पादन, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बैंकिग व्यवस्था पर आश्रित होते है। आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं की सफलता के लिए प्रत्येक देश की बैंकिग के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान देता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों को वाणिज्य तथा व्यापार का तंत्रिका केंद्र कहना अनुचित न होगा। विकसेल ने बैंकों को आधुनिक चलन व्यवस्था का हृदय तथा केंद्र बिंदु कहा है। आर्थिक विकास के साथ–साथ बैंकों के कार्य तथा महत्व में भी वृद्धि होती है और एक विकसित अर्थ व्यवस्था में तो बैंकों के अभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बैंकों से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभ निम्नलिखित हैः

टूल बाक्स – 03

बैंकों का महत्व

- बचत का संग्रह करके उत्पादन कार्यो में लगाना
- मुद्रा प्रणाली में लोच
- मुद्रा के प्रेषण में सहायक
- भुगतान में सुविधा
- बैंकिग की आदत को प्रोत्साहन
- धन की सुविधा
- ग्राहकों का विविध सेवाएँ
- व्यापार एवं उद्योग में सहायक
- सरकार को सहायता

(1) बचत का संग्रह करके उत्पादन कार्यों में लगानाः–लोगों के पास अतिरिक्त धन की मात्रा को बैंक जमा के रूप में प्राप्त करते हैं। चूँकि बैंक जमा धनराशि सुरक्षित रहती है तथा उस पर ब्याज मिलता है, इसलिए बचत की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार एकत्रित धन को बैंक उन लोगों को ऋण के रूप में दे देते है जिन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए इसकी आवश्यकता होती है। उत्पादकों की आर्थिक सहायता करके बैंक देश में पूँजी के निर्माण में सहायक होते है। इससे न केवल कुछ व्यक्तियों का बल्कि सारे समाज का हित होता है।

(2) मुद्रा प्रणाली में लोचः–व्यापार तथा उद्योग की मौद्रिक आवश्यकता में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बैंक देश में साख मुद्रा का समय–समय पर आवश्यकतानुसार प्रसार एवं संकुचन करते रहते हैं, जिससे मुद्रा प्रणाली लोचपूर्ण बन जाती है।

(3) मुद्रा के प्रेषण में सहायकः–बैकों की सहायता से मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत थोड़े से खर्चे से सुरक्षित पहुँचाया जा सकता है।

(4) भुगतान में सुविधाः–चैकों द्वारा भुगतान करने से एक तो लोगों को सिक्के तथा नोट गिनने तथा परखने की असुविधा नहीं होती, दूसरे भुगतान करने वाले व्यक्ति को भुगतान का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। यात्रियों के चैक, साख प्रमाण पत्र तथा विदेशी विनिमय की व्यवस्था द्वारा बैंक विदेशी भुगतानों को भी सुविधाजनक बना देते हैं।

(5) बैंकिग की आदत को प्रोत्साहनः–बैंकों के संपर्क में आने से लोगों में बैंकिग की आदत उत्पन्न होती है। विधिग्राह्म मुद्रा के स्थान पर लोग चैकों द्वारा अधिक भुगतान करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में बचत होती है। आधुनिक काल में साख का प्रसार मुख्य रूप से बैंकों की ही देन है, जिससे साख का प्रयोग के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।

(6) धन की सुविधाः–बैंकों में अपना धन जमा करके तथा बैंकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजने मे तो धन की सुरक्षा प्राप्त होती है, इसके अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों की

बहुमूल्य वस्तुएँ, आभूषण तथा महत्वपूर्ण पत्र आदि सुरक्षित रखने के लिए अपने पास मज़बूत लॉकरों की व्यवस्था करते हैं।

(7) ग्राहकों की विविध सेवाएं:—बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक प्रकार के एजेन्सी कार्य भी करते हैं, जैसे ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करना अथवा भुगतान देना, शेयर्स आदि खरीदना और बेचना, ट्रस्टी या प्रबंधक का कार्य करना इत्यादि।

(8) व्यापार तथा उद्योग के लिए सहायक:—व्यापार तथा उद्योगों के लिए बैंक से ऋण प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक कंपनियों के शेयर्स तथा ऋणपत्रों का अधिगोपन करते है। व्यापारियों को एक दूसरे की आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हैं तथा उनके ऋणों की गारण्टी देते है। आंकड़े व सूचनाएं प्रकाशित करके देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी देते हैं।

(9) सरकार को सहायता:—बैंक केवल जनता को ही नहीं, सरकार को भी विभिन्न प्रकार से सहायता देते है। ये सरकारी ऋण के विक्रय में बहुत सहायक होते हैं। कभी—कभी ये सरकार की ओर से कर की वसूली एवं सरकारी भुगतानों का भी कार्य करते है। सार्वजनिक चंदा आदि इकट्ठा करके ये संकट काल में सरकार की सहायता भी करते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि बैंक आधुनिक अर्थ व्यवस्था में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

7.5 आधुनिक बैंकों के प्रकार

वैसे तो बैंक के अनेक कार्य होते है, परंतु प्रत्येक बैंक कहलाने वाली संस्था के कुछ प्रमुख कार्य तथा उद्देश्य होते है और इन्हीं के लिए उसकी स्थापना की जाती है। अलग—अलग प्रकार के बैंकों की जमाराशियों के स्वरूप तथा इनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के उद्देश्य भी अलग—अलग होते हैं। इनके प्रमुख कार्यों तथा उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न रूप निम्नलिखित है:

(1) वाणिज्यिक बैंक:—वाणिज्यिक बैंक जिन्हें व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं, सामान्य बैंकिग के कार्य करते हैं तथा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करते है। चूँकि इन बैंकों की अधिकतर अल्पकालीन जमाराशियाँ ही होती हैं, इसलिए साधारणतः ये एक वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण नहीं दे पाते हैं। भारत में निजी क्षेत्र में मिश्रित पूँजी बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में स्टेट बैंक, इसके सहायक बैंक तथा उन्नीस राष्ट्रीयकृत बैंक वाणिज्यिक बैंक ही है। व्यापार संबंधी ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त यें बैंक जमा प्राप्त करने, चैकों का संग्रह व भुगतान करने तथा एजेन्सी संबंधी अनेक कार्य करते है जिनका उल्लेख हम पीछे कर चुके है।

प्रो. चैण्डलर के अनुसार इन बैंकों का वाणिज्यिक बैंक कहना अनुचित तथा भ्रमात्मक है और इनकों किसी अन्य नाम से पुकारा जाना चाहिए। वाणिज्यिक बैंक कहलाने वाली संस्थाओं के कार्यों का अब अधिक विस्तार हुआ हैं, क्योंकि इनके द्वारा अब केवल वाणिज्य तथा व्यापार संबंधी ऋण ही नहीं बल्कि औद्योगिक तथा अन्य कई प्रकार के ऋण भी दिए जाते है। इसके अतिरिक्त वे चैकों के भुगतान, बचत को प्रोत्साहन तथा अनेक प्रकार के एजेन्सी कार्यो के द्वारा अपने ग्राहकों की सेवा करते है।

(2) औद्योगिक बैंक:—उद्योगों के लिए मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाली संस्थाएँ औद्योगिक बैंक कहलाती है। अपने पास से ऋण देने के अतिरिक्त यें औद्योगिक फर्मों का उनके शेयर्स, ऋणपत्र तथा बॉण्ड आदि बिकवा कर अथवा अभिगोपन द्वार पूँजी प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। सामान्यतः औद्योगिक बैंकों के तीन प्रकार से कार्य होते है—प्रथम, दीर्घकालीन जमा प्राप्त करना, द्वितीय औद्योगिक कंपनियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, तथा तृतीया कुछ अन्य कार्य करना, जैसे—औद्योगिक कंपनियों के अंशों व ऋणपत्रों

के क्रय विक्रय में सहायक होना तथा उनकी निवेश संबंधी समस्याओं पर उन्हें परामर्श देना आदि।

(3) **विदेशी विनिमय बैंकः**—विदेशी मुद्रा में लेन—देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को विनिमय बैंक कहा जाता है। इस प्रकार के बैंकों को अपनी शाखाएँ अनेक देशों में स्थापित करनी पड़ती है। इन्हें काफ़ी अधिक पूँजी तथा अपेक्षाकृत अधिक कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। आजकल विनिमय बैंक साधारण वाणिज्यिक बैंकों के समान बैंकों के अन्य कार्य भी करते है। इसके विपरीत वाणिज्यिक बैंक भी विनिमय बैंकों का कार्य करते हैं इसलिए इसका कोई अलग वर्ग नहीं है। प्रायः ऐसे बैंकों को ही जो अन्य बैंकिग कार्यों के साथ—साथ विदेशी विनिमय का लेन—देन करते है, विनिमय बैंक कहा जाता है। भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं मुख्य रूप से विदेशी विनिमय का व्यवसाय करती है। भारतीय वाणिज्यिक बैंक भी विदेशी विनिमय का व्यवसाय करते हैं।

(4) **कृषि कार्यः**—कृषि की वित्त संबंधी आवश्यकताएं व्यापारिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं से भिन्न प्रकार की होती है। कृषक को बीज, खाद्य, औजार आदि खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण तथा भूमि के स्थायी सुधार के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। परंतु कृषक ऋण प्राप्ति के लिए उस प्रकार की जमानत नहीं दे पाते जिस प्रकार वाणिज्यिक तथा औद्योगिक बैंक चाहते है! अतएव उनके लिए अलग प्रकार के बैंकों की व्यवस्था करनी पडती है। जापान, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों में अनेक नामों से कृषि बैंकों की स्थापना की गई है। भारत सरकार तथा केंद्रीय बैंक इसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं कि देश में वाणिज्यिक बैंक कृषि वित्त की व्यवस्था करें। कृषि बैंक मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं—सहकारी बैंक तथा भूमि बंधक बैंक।

कृषि बैंकिग के क्षेत्र में भारत में वाणिज्यिक बैंक भी कार्य कर रहे है। 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए है। एक सर्वोच संस्था के रूप में जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गयी है।

सहकारी बैंक—इनका प्रारंभ सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। भारत में इनका प्रारंभ सन 1904 के सहकारी साख समिति एक्ट से हुआ और समय समय पर इसके संगठन में परिवर्तन होता रहा है। शहरों में सहकारी बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों की भांति ही कार्य करते हैं, परंतु इनका पंजीकरण संबंधित राज्य सरकार के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। इन पर रिजर्व बैंक को भी विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकार प्राप्त हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएँ स्थापित की जाती है। अल्पावधि ऋणों के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ गठित की जाती है। कृषक प्रारंभिक समितियों के सदस्य होते है, जो सदस्यों को शेयर बेचकर तथा जमा स्वीकार करके पूँजी इकट्टी करती है। इनकी देखभाल तथा सहायता के लिए मध्यवर्ती तथा राज्य सहकारी बैंकों का संगठन किया जाता है जो प्रारम्भिक समितियों को ऋण प्रदान करते हैं। बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत केवल शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र के बैंक कहलाने के पात्र है।

सहकारी बैंक अपने व्यापक शाखा नेटवर्क और स्थानीयकृत परिचालानात्मक आधार के साथ सामान्यतः विकास प्रक्रिया में और विशेषतः ऋण वितरण तथा जमा संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

टूल बाक्स — 04
आधुनिक बैंकों के प्रकार
• वाणिज्यिक बैंक • औद्योगिक बैंक • विदेशी विनिमय बैंक

- कृषि कार्य
- देशी बैंकर्स
- बचत बैंक
- केंद्रीय बैंक

भूमि विकास बैंक–ये ऐसी सहकारी, अर्द्ध सहकारी अथवा गैर सहकारी संस्थाएँ हैं जो भूमि को बंधक रखकर भूमि के स्थायी सुधार के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। इसलिए इन्हें भूमि बंधक बैंक कहा जाता था। इनकी स्थापना सर्वप्रथम 1882 में फ्रान्स में हुई। कालान्तर में इन्हें दूसरे देशों में भी स्थापित किया गया। अधिकांश देशों में ये बैंक मिश्रित पूँजी वाले बैंक होते हैं। ये अपनी अधिकांश कार्यशील पूँजी अंशों, ऋणपत्रों तथा दीर्घकालीन जमाराशियों एवं ऋणों द्वारा प्राप्त करते है। कुछ वर्ष पूर्व भारत मे इन्हें भूमि विकास बैंक कहा जाने लगा था। अब इन्हें सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाने लगा है। इनका संगठन प्राथमिक स्तर तथा राज्य स्तर पर किया जाता है।

(5) देशी बैंकर्सः–आधुनिक बैंकों के विविध रूपों के अतिरिक्त भारत में देशी बैंकर्स का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनकों महाजन, साहूकार, सर्राफ आदि नामों से भी पुकारा जाता है। भारतीय केंद्रीय बैंकिग जाँच समिति के अनुसार, ''देशी बैंकर अथवा बैंक वह व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत फर्म है जो जमा स्वीकार करने, हुण्डियों में व्यवसाय करने अथवा ऋण देने का कार्य करती है।'' ये देश के हर भाग में पाए जाते हैं तथा कृषि एवं व्यापार की अधिकतर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये अन्य बैंकों से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनकी जमाराशियाँ नहीं होती हैं अथवा बहुत ही कम होती है। ये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों तथा ऋण के उद्देश्यों में भेद नहीं करते, बैंकिग के साथ अन्य व्यापार तथा व्यवसाय भी करते है तथा बहुत ऊँची ब्याज दर रखते है। भारतीय बैंकिग कंपनी अधिनियम के अनुसार इनकों बैंक अथवा बैंकर नहीं माना गया है और न ही इन पर अधिनियम की व्यवस्थाएँ लागू होती है, परंतु वर्तमान भारतीय व्यवस्था में इनके महत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा।

(6) बचत बैंकः–पाश्चात्य देशों मे कम अथवा निश्चित आय वाले लोगों द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बचत बैंक स्थापित किए जाते है, जो प्रायः वाणिज्यिक बैंकों के सहायक बैंक के रूप में कार्य करते है। भारत में वाणिज्यिक बैंक ही बचत खातों का संचालन करते है और अलग से बचत बैंक स्थापित नहीं किए जाते है।

इंग्लैंड तथा भारत मे डाकखाने भी लोगों की बचत जमा के रूप में स्वीकार करते है तथा उस पर ब्याज देते हैं। जमाकर्ता सप्ताह में एक या दो बार रूपया निकलवा सकता है। इस प्रकार डाकखाने बचत बैंक का कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों मे जहाँ बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस सेंविग्स काफ़ी महत्वपूर्ण है।

(7) केंद्रीय बैंकः–प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो देश की मुद्रा का निर्गमन करने के साथ–साथ मुद्रा तथा साख की मात्रा पर नियन्त्रण रखता है। यह सरकार का बैंकर होता है और सरकार के सभी खातों का हिसाब किताब रखता है तथा सरकार को ऋण देता है। यह बैंकों का भी बैंक होता है, क्योंकि आवश्यकता पडने पर वे इससे ऋण लेते हैं तथा अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात इसके पास जमा करते हैं। अन्य बैंक केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करते हैं और यह देश की समूची बैंकिग प्रणाली पर अपना नियंत्रण रखता हैं। केंद्रीय बैंक सरकार को आर्थिक तथा मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है तथा देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों का इकट्ठा करता है और प्रकाशित करता है।

7.6 वाणिज्यिक बैंकों की संगठन प्रणालियाँ

संगठन के दृष्टिकोण से वाणिज्यिक बैंकों को दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है–(1) शाखा बैंकिग तथा (2) इकाई बैंकिग

(1) शाखा बैंकिग

शाखा बैंकिग प्रणाली के अंतर्गत बैंक के एक प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त उसकी अनेक शाखाएं देश में फैली होती है और कभी–कभी कुछ शाखाएं देश के बाहर भी होती है। इग्लैड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांन्स, आस्ट्रेलिया आदि देशों में इसी प्रकार की बैंकिग व्यवस्था है। इंग्लैंड के महान पाँच बैंकों –मिडलैंड, लॉयड्स, बर्कलेस, वेस्टमिन्स्टर तथा नेशनल प्राविंशियल– की शाखाएँ देश भर में फैली हुई है तथा उन्होंने इंग्लैंड की अधिकांश बैंकिग संस्थाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। भारत में भी वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं देश भर में फैली हुई है। अमेरिका में शाखा बैंकिग का आरम्भ 1909 में केलीफोर्निया में एक अधिनियम के अंतर्गत हुआ था और इसके पश्चात् इसकी उन्नति हुई है।

शाखा बैंकिग प्रणाली के गुण

(क) बड़े पैमाने के व्यवसाय तथा श्रम विभाजन के लाभः–एक ही बैंक का विशाल संगठन होने के कारण उसके व्यापार की मात्रा अधिक होती है। अनेक शाखाएँ होने के कारण अधिक मात्रा में जमाराशियां प्राप्त की जा सकती है तथा पूँजी का बडे पैमाने पर लाभदायक निवेश संभव होता है। कार्य का संचालन करने के लिए ये बैंक ऊँचे वेतन पर योग्य विशेषज्ञ रख सकते हैं। समस्त कार्य का वैज्ञानिक पद्धति से विभाजन कर श्रम विभाजन तथा विशिष्टिकरण का उपयोग संभव होता है। जिसके फलस्वरूप कम लागत पर अधिक कार्यक्षमता प्राप्त की जा सकती है।

टूल बाक्स – 05
वाणिज्यिक बैंकों की संगठन प्रणालियाँ • शाखा बैंकिग • इकाई बैंकिग

(ख) नकद कोषों में बचतः–शाखा बैंकिग प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं पर कम मात्रा में नकद कोष रखकर काम चलाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर एक शाखा से दूसरी शाखा को नकदी का हस्तांतरण किया जा सकता है। शाखाएँ न होने पर बैंक के लिए बडी मात्रा में नकद कोष रखना आवश्यक होता है।

(ग) सस्ती एवं सुगम मुद्रा का प्रेषण–इस प्रणाली में कम व्यय पर सुविधापूर्वक मुद्रा का प्रेषण संभव होता है क्योंकि अनेक स्थानों पर शाखाएं होने के कारण एक शाखा से दूसरी शाखा को धन भेजने में न कोई असुविधा होती है न ही अधिक खर्च होता है। केवल पात्र के द्वारा की प्रेषण हो जाता है। विभिन्न देशों मे ब्याज की दर भी समान बनी रहती है, क्योंकि एक स्थान पर ब्याज अधिक होने से वहाँ अधिक धन आने लगता है और कम होने से पूर्ति कम हो जाती है।

(घ) व्यावसायिक जोखिम का भौतिक वितरणः–बैंक की शाखाएं देश भर में फैली होने के कारण जोखिम का भौगोलिक आधार पर वितरण हो जाता है। देश के विभिन्न भागों में स्थापित अलग–अलग उद्योगों तथा व्यवसायों में बैंक निवेश करता है तथा इससे एक क्षेत्र अथवा व्यवसाय मे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति दूसरे क्षेत्र तथा व्यवसाय से प्राप्त लाभ से हो जाती है। यही कारण है कि महान मंदी के काल मे इंग्लैंड के बैंक इतने प्रभावित नहीं हुए, जितना प्रभाव अमेरिका के इकाई बैंकों पर पड़ा।

(ङ) बैंकिग सेवाओ का विस्तारः–शाखा बैंकिग के द्वारा देश के उन सभी छोटे व बड़े नगरों का जहाँ एक स्वतंत्र बैंक की स्थापना करना संभव नहीं होता है, बैंकिग सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं।

(च) साधनों का कुशल निवेशः—ऐसे बैंकों के पास पर्याप्त साधन तथा योग्य कर्मचारियों के होने के कारण बैंक केवल अच्छी प्रतिभूतियों मे ही धन का निवेश करते हैं। बैंक को निवेश के लिए विस्तृत क्षेत्र मिलता है और पूँजी उन शाखाओं को भेज दी जाती है जहाँ निवेश से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सकता है। इससे बैंकों के लाभ में वृद्धि के साथ—साथ राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.8 केंद्रीय बैंक से अभिप्राय बताएं?
प्र.9 शाखा बैंकिग के दो गुण बताएं?
प्र.10 शाखा प्रणाली का अभिप्राय बताएं?

(छ) कर्मचारियों का प्रशिक्षणः—बैंकिग का विस्तृत क्षेत्र तथा विविध कार्य होने के कारण बैंक कर्मचारियों को सभी प्रकार की बैंकिग व्यवसाय का अनुभव प्राप्त होता है। बैंक अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का विशेष व्यवस्था करते हैं

(ज) देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञानः—देश के सभी भागों से संपर्क होने के कारण इन बैंकों को देश के सभी क्षेत्रों की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती रहती है जिससे बैंक की पूँजी का निवेश करने की सुविधा रहती है।

शाखा बैंकिग प्रणाली के दोष

(क) प्रबंध, निरीक्षण तथा नियंत्रण की कठिनाइयाँः—सभी शाखाओं का प्रबंध केंद्रीय कार्यालय द्वारा होता है। विस्तृत कार्य क्षेत्र तथा विशालकाय संगठन होने के कारण इस प्रणाली में कुशल प्रबन्धन, उपयुक्त निरीक्षण तथा नियंत्रण के अभाव की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है।

(ख) एकाधिकार को प्रोत्साहनः—पूँजी का अत्यधिक केंद्रीयकरण होने से आर्थिक सत्ता थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है जिससे एकाधिकार की प्रवृति को अनावश्यक प्रश्रय मिलता है। इससे समाज का हानि होती है।

(ग) व्ययपूर्ण प्रणालीः—शाखा बैंकिग प्रणाली काफ़ी खर्चीली होती है, क्योंकि प्रत्येक शाखा की स्थापना पर अलग—अलग व्यय करना पड़ता है। शाखाओं की संख्या अधिक होने पर समंवय, नियंत्रण तथा निरीक्षण आदि पर भी काफ़ी व्यय करना पड़ता है।

(घ) छोटे व्यापारियों की उपेक्षा—छोटे—छोटे व्यापारियों का धन इकट्ठा करके बड़े व्यापारियों को दिया जाता है, क्योंकि एक तो इन बैंकों के संगठन में बड़े व्यापारियों का महत्वपूर्ण हाथ होता है और दूसरे बड़े व्यापारियों को ऋण देना अधिक सुरक्षित तथा लाभदायक समझा जाता है।

(ङ) प्रतियोगी विकास को प्रोत्साहनः—प्रत्येक नगर तथा क्षेत्र में सभी प्रमुख बैंकों की अलग—अलग शाखाएं होती है जिनके बीच प्रतियोगिता की संभावना रहती है। बैंकिग सुविधाओं का अनावश्यक दोहरापन होता है तथा छोटे बैंकों के साथ हानिकारक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है।

(च) दुर्बल शाखाएंः—शाखा बैंकिग प्रणाली में दुर्बल तथा हानिप्रद शाखाएँ भी सुदृढ़ तथा लाभदायक शाखाओं के बल पर जीवित बनी रहती है। यह बैंकों के लिए बहुत अहितकर होता है क्योंकि यदि बैंक की कुछ शाखाओं में हानि होती है तो उसका प्रभाव समस्त शाखाओं पर पड़ता है।

(छ) लोच एवं पहल की प्रेरणा का अभावः—शाखाओं को प्रधान कार्यालय के आदेशों का पालन करना होता है, जिसके कारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं के मैनेजर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते। फलस्वरूप कार्य में लोच का अभाव रहता है। चूँकि प्रत्येक कार्य कार्यालय से पूँछकर करना पड़ता है, इसलिए इसमें पहल करने की प्रेरणा का अभाव पाया जाता है।

(ज) पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधाः—देश के सभी क्षेत्रों में शाखाएँ होने के कारण छोटे तथा पिछड़े स्थानों से पूँजी एकत्रित होकर बडे—बडे औद्योगिक तथा व्यावसायिक केंद्रों में पहुँच जाती

है, क्योंकि बैंक पूँजी का निवेश वहाँ करना अधिक लाभपूर्ण समझते हैं। इससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वे विकास के लिए स्वयं अपनी बचतों के प्रयोग से भी वंचित रह जाते हैं।

(झ) विदेशों में कठिनाइयाँः—विदेशों में शाखाएँ स्थापित करने से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विदेशों में बैंकिग कानून, व्यापारिक परिस्थितियाँ तथा मौद्रिक नीतियाँ अलग—अलग होती है। विदेशों में इन शाखाओं के राष्ट्रीयकरण का भय भी सदैव बना रहता है।

इस प्रकार शाखा बैंकिग प्रणाली के अनेक गुण होते हुए भी एक सीमा के भीतर ही रहना पड़ता हैं क्योंकि सीमा का उल्लंघन करने में व्यापक हानियाँ होती है। शाखाओं का अंधाधुध विस्तार करने से बैंकिग मे दोष उत्पन्न होने लगते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.11 इकाई बैंकिग प्रणाली से क्या तात्पर्य है?
प्र.12 इकाई बैंकिग के दो गुण बताएं?

इकाई बैंकिग

इकाई बैंकिग प्रणाली के अंतर्गत एक बैंक का कार्य साधारणतया एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है, यद्यपि एक सीमित क्षेत्र में ये बैंक अपनी कुछ शाखाएं भी स्थापित कर लेते है। केष्ट के शब्दों में इकाई बैंकिग प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय बैंकिग संस्था एक पृथक् पंजीकरण होता है और जिसकी स्वयं की अपनी पूँजी संचालक मंडल तथा स्कन्धधारी होता है। इस प्रकार की प्रणाली अमेरिका में बहुत प्रचलित है जहाँ हजारों छोटे—छोटे बैंक है जिनका केवल एक ही कार्यालय होता है। शाखा बैंकों की तुलना में इकाई बैंकों की पूँजी तथा व्यवसाय काफी सीमित होते हैं। इकाई बैंकिग प्रणाली इस विचारधारा पर आधारित है कि एक बैंक का प्रारंभ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा ही होना चाहिए। इस प्रकार इस प्रणाली में बैंक के कार्य का स्थानीय आर्थिक व सामाजिक संगठन के साथ एकीकरण होता है। प्रत्येक स्थानीय बैंक एक अलग संस्था के रूप में अपने क्षेत्र में व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा कृषकों से संबंधित होता है।

चूँकि एक बैंक की अपनी शाखाएँ एक सीमित क्षेत्र से बाहर नहीं होती है, इसलिए धन के स्थानान्तरण तथा अन्य कार्यो के लिए विभिन्न बैंकों के बीच आपसी समझौता किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक बैंक अन्य बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये बैंक अपने नकद कोष अन्य बड़े बैंकों में जमा कर देते है तथा उनके द्वारा देश के एक भाग से दूसरे भाग को धन का प्रेषण करते हैं इन बैंकों को संचार बैंक कहा जाता है।

इकाई बैंकिग के गुण

(1) प्रबंध, निरीक्षण तथा नियंत्रण में सुविधाः—बैंक का व्यवसाय छोटे पैमाने पर सीमित क्षेत्र में होने के कारण प्रबंध, निरीक्षण तथा नियंत्रण की कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होती है।

(2) स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारितः—इस प्रणाली में स्थानीय बैंकिग आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही बैंक के नियम बनाए जाते है। स्थानीय जनसंख्या से प्रत्यक्ष तथा व्यक्तिगत संपर्क एवं स्थानीय प्रबंध होने के कारण बैंक का संचालन तथा इसकी कार्यविधि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होती है।

(3) अकुशल बैंकों की संपत्तिः—इकाई बैंकिग प्रणाली में केवल कुशल बैंक ही जीवित रह सकते है। शाखा प्रणाली में तो दुर्बल शाखाएँ कुशल शाखाओं के बल पर जीवित रहती है परंतु इकाई प्रणाली मे अकुशल बैंक समाप्त हो जाते हैं जो मुद्रा बाज़ार के लिए हितकर होता है।

(4) एकाधिकार के विकास पर रोकः—बैंकों के छोटे—छोटे एवं स्थानीय होने के कारण यह भय नहीं रहता कि अर्थ व्यवस्था में कुछ बैंकों का एकाधिकार हो जाएगा।

(5) कार्य–कुशलता में वृद्धिः–प्रबन्ध स्थानीय होने के कारण बैंक के कार्यो से संबंधित निर्णय शीघ्र लिया जा सकता है जिससे विलम्ब नहीं होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में नौकरशाही तथा दीर्घसूत्रता का प्रभाव नहीं रहता है।

(6) व्यवसाय के पहल की प्रेरणाः–स्थानीय प्रबन्ध तथा स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी के कारण बैंकों में पहल करने की प्रेरणा रहती है। इससे बैंकिग व्यवस्था में समय–समय पर आवश्यक परिवर्तन होते रहते है।

(7) मुक्त उद्यम सिद्धान्त के अनुकूलः–इकाई बैंकिग प्रणाली मुक्त उद्यम सिद्धांत पर आधारित है।

इकाई बैंकिग के दोष

(1) सीमित साधनः–बैंकों का छोटा आकार तथा सीमित क्षेत्र होने के कारण उनके साधन भी सीमित रहते हैं तथा बड़े–बड़े व्यापारियों और उद्योगों की आवश्यकताओं को ये बैंक पूरा नहीं कर पाते, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

(2) श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का अभावः–व्यवसाय का पैमाना छोटा होने के कारण बैंक की प्रबंध कुशलता, विशिष्टीकरण तथा कार्यविधियों से संबंधित सुधार करना कठिन होता है।

(3) जोखिम के भौगोलिक वितरण का अभावः–बैंक का कार्य क्षेत्र स्थानीय होने के कारण जोखिम का भौगोलिक वितरण नहीं होता, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की स्थिरता कम होती है तथा स्थानीय मंदी अथवा अन्य कठिनाइयाँ उत्पन्न होने पर बैंकों के विफल होने का भय बना रहता है।

(4) बैंकिग कार्य में अधिक व्ययः–बैक की शाखाएँ न होने के कारण नकदी एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना कठिन तथा व्ययपूर्ण होता है। संचार बैंकों की सहायता से भी नकदी का स्थानान्तरण अधिक व्ययपूर्ण होता है।

(5) ब्याज दर में असमानताः–कठिन तथा व्ययपूर्ण होने के कारण देश में सभी भागों में ब्याज की दर में समानता नहीं पाई जाती है।

(6) बैंकिग सुविधाओं के विस्तार में कठिनाईः– इकाई बैंकिग प्रणाली के अंतर्गत छोटे तथा पिछड़े हुए स्थानों में बैंकिग का विस्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि केवल बड़े शहरों मे ही स्वतंत्र बैंक स्थापित किए जाते है।

(7) सरकारी नियंत्रण में असुविधाः–इकाई बैंकिग प्रणाली में सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों का नियंत्रण तथा निरीक्षण असुविधाजनक होता है। प्रत्येक बैंक पर अलग–अलग निगरानी रखना बड़ा कठिन कार्य है।

केण्ट के अनुसार,'' हमारी इकाई बैंकिग व्यवस्था में असफलताएँ ऐसे हजारों बैंकों को, जिनमें अधिकांश के पास कार्य करने के लिए न तो पर्याप्त साधन है और न व्यावसायिक अवसर बनाये रखने के औचित्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह हैं।''

इकाई बैंकिग प्रणाली में सुधार

इकाई बैंकिग के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए अमेरिका में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं।

(1) श्रृंखलाकारी तथा समूह बैंकिग का विकासः–वर्तमान शताब्दी में अमेरिका में श्रृंखलाकारी बैंकिग तथा समूह बैंकिग प्रणालियों के विकास की ओर ध्यान दिया गया है। श्रृंखलाकारी बैंकिग के अंतर्गत दो अथवा अधिक बैंकों पर एक ही व्यक्ति अथवा वर्ग का प्रभुत्व होता है। समूह बैंकिग प्रणाली के अंतर्गत दो अथवा अधिक बैंकों का प्रमण्डल अथवा ट्रस्ट द्वारा होता है। इन प्रणालियों मे शाखा तथा इकाई बैंकिग प्रणालियों के लाभ विद्यमान होते हैं क्योंकि प्रत्येक बैंक अलग–अलग होने पर भी स्वामित्व की एकता के कारण इनमें परस्पर संबंध स्थापित हो जाते हैं। 1930 ई. में महान् मंदी के पूर्व इन प्रणालियों का तेजी से विकास हो रहा था तथा इनके सदस्य बैंकों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। मंदी काल में अनेक श्रृंखला कंपनियों तथा बैंकिग समूहों के विफल होने के कारण बाद के वर्षो में इनका धीरे–धीरे पतन होता रहा है।

(2) सीमित क्षेत्र में शाखाओं का विस्तारः—कुछ बैंकों को सीमित क्षेत्र के भीतर शाखाएं खोलने का अधिकार दिया गया है। परिणामस्वरूप शाखाओं वाले बैंकों की संख्या तथा उनकी शाखाओं की कुल संख्या में निरंतर वृद्वि हुई है।

(3) कॉरेसपोण्डेण्ट बैंकों की स्थापनाः—ये बैंक बड़े नगरों में होते हैं और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तथा छोटे बैंक अपने खाते खोलते हैं और नकद कोष जमा कराते हैं। इन सामान्य बैंकों के बीच रकम का लेन—देन आसान हो जाता है। ये बड़े बैंक छोटे बैंकों के फालतू धन को उपयोगी कार्यो में लगाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण देकर उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। ये छोटे बैंकों को व्यावसायिक मामलों पर परामर्श भी देते हैं।

उपर्युक्त सुधारों के परिणामस्वरूप इकाई प्रणाली वाले बैंकों को भी शाखा प्रणाली के कुछ गुण प्राप्त हो जाते हैं।

शाखा बैंकिग श्रेष्ठ है अथवा इकाई बैंकिग

दोनों प्रणालियों के गुणों तथा दोषों का विवेचन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही में अच्छाईयाँ है और बुराईयाँ भी, इसलिए किसी एक प्रणाली के पक्ष में निर्णय देना कठिन है। **प्रो. टॉमस** ने शाखा बैंकिग तथा इकाई बैंकिग प्रणालियों की तुलना करने हुए लिखा है, ''यद्यपि दोनों प्रणालियाँ अपूर्ण है। परंतु दोनों की कार्य पद्धति को देखने से यह ज्ञात होता है कि शाखा बैंकिग प्रणाली श्रेष्ठ हैं।'' अमेरिका की अपनी विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक भाग में पर्याप्त पूँजी तथा अन्य साधन उपलब्ध होने के कारण इकाई बैंकिग ठीक हो सकती है, परंतु वहां भी सभी मुद्राशास्त्री इकाई बैंकिग की उपयुक्तता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तथा इस प्रणाली के स्थान पर धीरे—धीरे शाखा बैंकिग को अपनाया जा रहा है। सन् 1930 की महान् मंदी ने यह सिद्ध कर दिया था कि संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए इकाई बैंकिग की अपेक्षा शाखा बैंकिग ही अधिक उपयुक्त है।

भारत जैसे अर्द्ध विकसित देश में जहाँ पूँजी की कमी है, जनता की आय कम है, बैंकिग प्रणाली का विशेष विकास नहीं हुआ है तथा देश में अधिकतर पिछड़े हुए और ग्रामीण क्षेत्र है, शाखा बैंकिग प्रणाली विशेष रूप से लाभदायक है, परंतु शाखा प्रणाली के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक शाखा अपनी नीति तथा कार्य प्रणाली में परिवर्तन करे जिससे व्यवसाय की उन्नति हो तथा बैंकिग व्यवस्था मे लोच उत्पन्न हो सके।

भारत ने प्रारम्भ से ही शाखा बैंकिग को अपनाया है और ऐसा करने के कुछ कारण भी रहे हैं। आधुनिक प्रकार के बैंकों की संख्या कम होने के कारण देश के विभिन्न भागों में बैंकिग की सुविधाएं बढ़ाने का एकमात्र उपाय शाखाओं को स्थापित करना था। साधनों की कमी के कारण प्रत्येक शहर में अलग से स्वतंत्र बैंक नहीं बनाए जा सकते थे। देश की विशालता एवं पिछड़ेपन को देखते हुए यह प्रणाली देश के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है तथा भारत में बैंकों की शाखाएँ तेजी से बढ़ रही है। स्टेट बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाखाएँ स्थापित की है।

7.7 श्रेष्ठ बैंकिग प्रणाली की विशेषताएँ

आधुनिक युग में किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक अच्छी बैंकिग व्यवस्था का होना आवश्यक है। हम पहले देख चुके हैं कि आर्थिक विकास के लिए बैंकों से अनेक प्रकार की सहायता मिलती हैं। बचत को प्रोत्साहित कर तथा निष्क्रिय बचतों को एकत्र कर बैंक पूँजी निर्माण की मात्रा को बढाते हैं। पूँजी के अभाव में बैंक साख के निर्माण द्वारा औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अतएव एक श्रेष्ठ बैंकिग प्रणाली का होना अति आवश्यक है। एक श्रेष्ठ बैंकिग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(1) बैंकों का सुदृढ़ होना आवश्यक है जोकि तभी संभव है जब उनके पास पर्याप्त पूँजी का रक्षित कोष हो जिसे संकट की स्थिति में प्रयोग किया जा सके।
(2) बैंकों के पास पर्याप्त तरलता होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में बैंकों के पास पर्याप्त नकदी हो अथवा उनके कोषों का एक भाग इस रूप में हो कि आवश्यकता पड़ने पर इसे नकदी में बदला जा सके। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां चैकों के बजाय नकद मुद्रा का भुगतानों के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है, वहाँ बैंकों को पर्याप्त मात्रा में नकदी रखनी चाहिए। इससे बैंकों की आय तो कम हो जाती है परंतु उनके प्रति ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। आवश्यक है कि बैंकों के लाभकारी निवेशों तथा तरल साधनों के बीच एक उपयुक्त अनुपात बनाए रखा जाय।

टूल बाक्स – 06

श्रेष्ठ बैंकिग की विशेषताएं

1. सुदृढ़ता
2. पर्याप्त तरलता
3. लाभपूर्ण
4. आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल
5. साख नियंत्रण
6. बचत को प्रोत्साहन
7. समंवय
8. बैंकिग विकास में सहायक
9. पूँजी निर्माण में सहायक
10. कर्मचारियों का प्रशिक्षण

(3) बैंकों का लाभदायकता का त्याग नहीं करना चाहिए। बैंक एक व्यावसायिक संगठन है, जिसका लाभपूर्ण होना आवश्यक है। बैंक को अपने साधन जुटाने और उनका ऋणों अथवा निवेशों के रूप में प्रयोग करते समय लाभदायकता के पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए। कार्य संचालक व्यय को नियंत्रित रखना भी आवश्यक है।
(4) एक श्रेष्ठ बैंकिग प्रणाली के लिए देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होना आवश्यक है। कुछ देश विकसित है तो कुछ अर्द्ध विकसित, कुछ उद्योग प्रधान हैं तो कुछ कृषि प्रधान और कुछ के लिए विदेशी व्यापार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि बैंकिग प्रणाली देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होती है तो आर्थिक विकास में यह अधिक सहयोग दे सकती है।
(5) देश के सभी वर्गो द्वारा बचत को प्रोत्साहन देना तथा एकत्र करना अच्छी बैंकिग प्रणाली का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के खातों की सुविधा देकर जब छोटी–छोटी निष्क्रिय बचतें एकत्र करके निवेश के लिए दी जाती है तो यह सक्रिय पूँजी बन जाती है, जिससे औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास में सहायता मिलती है। यह भी आवश्यक है कि भौगोलिक आधार पर भी बैंक की शाखाओं का व्यापक विस्तार हो।
(6) साख के विस्तार में पर्याप्त लोच होते हुए भी मात्रा पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मुद्रा के समान साख भी व्यापार के लिए बहुत बड़ा वरदान हैं। परंतु नियंत्रण के बाहर होने पर यह आर्थिक संकट का एक बहुत बड़ा कारण भी बन जाती है। साख का विस्तार अर्थ व्यवस्था की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुकूल ही होना चाहिए ताकि विकास के साथ–साथ स्थिरता को भी बनाए रखा जा सके। ऋणों की वसूली में कुशलता भी आवश्यक है।
(7) बैंकिग प्रणाली समन्वित होनी चाहिए अर्थात् विभिन्न बैंकों में न तो कहीं अनावश्यक प्रतियोगिता हो और न कहीं बैंकिग सुविधाओं का नितान्त अभाव हो। बैंकिग व्यवस्था में उचित समन्वय होना आवश्यक है।
(8) समाशोधन तथा धन स्थानान्तरण की कुशल व्यवस्था बैंकिग के विकास में सहायक होती है।

(9) बैंकिग प्रणाली की कार्य व्यवस्था देश की उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं के साथ संबंधित होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ बैंकिग प्रणाली देश में पूँजी निर्माण व पूँजी की गतिशीलता में सहायक होती है।
(10) कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण तथा प्रबंध में सुधार की उचित व्यवस्था करना भी आवश्यक होता है।

सारांश

वास्तव में किसी भी बैंकिग प्रणाली की उपयुक्तता की मुख्य कसौटी यह है कि वह देश की आर्थिक प्रगति में सहायक है। यह तभी संभव हो सकता है जब बैंकिग प्रणाली देश की आर्थिक आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुरूप हो।

अभ्यास

लघु उतरीय प्रश्न

प्र.1 बैंकों द्वारा कितने प्रकार के खातों में जमाराशियाँ प्राप्त की जाती है?
प्र.2 बैंकों द्वारा कितने प्रकार के ऋण दिए जाते है?
प्र.3 बैंकों के अभिकर्ता संबंधी कार्यों का उल्लेख कीजिए?
प्र.4 बैंकों के महत्व की व्याख्या कीजिए?
प्र.5 सहकारी ऋण संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना का उल्लेख कीजिए?
प्र.6 श्रेष्ठ बैंकिग प्रणाली की विशेषताएँ बताइएं?

दीर्घ उतरीय प्रश्न

प्र.7 बैंक की परिभाषा दीजिए तथा उनके कार्यो की व्याख्या कीजिए?
प्र.8 बैंक जमा प्राप्त करने तथा उसे लौटाने वाली संस्था है। इस कथन की व्याख्या कीजिए।
प्र.9 ''बैंक आधुनिक व्यापार तथा उद्योग की आधारशिला है।'' व्याख्या कीजिए।
प्र.10 बैंकों के विभिन्न प्रकारों तथा उनके कार्यो का वर्णन कीजिए।
प्र.11 इकाई एवं शाखा बैंकिग प्रणालियों के सापेक्षिक गुण दोषों का विवेचन कीजिए।
प्र.12 शाखा बैंकिग तथा इकाई बैंकिग से क्या अभिप्राय है? भारत के लिए इनमें से कौन सी प्रणाली अधिक उपयुक्त है।

खंड–2
इकाई–8 बैंक की कार्य प्रणाली, स्थिति विवरण एवं साख

विषय सूची

अध्ययन के उद्देश्य
8.0 प्रस्तावना
8.1 बैंक की पूँजी के साधन
8.2 निवेश नीति का सिद्धांत
8.3 बैंकों के निवेशों के प्रकार
8.4 ऋणों के लिए जमानत के प्रकार
8.5 बैंक का स्थिति विवरण
8.6 साख का अर्थ
8.7 साख के प्रकार
8.8 साख की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व
8.9 साख का महत्व
8.10 साख पत्रों का अर्थ
8.11 साख पत्रों के प्रकार
8.12 साख निर्माण की सीमाएं
सारांश
अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत आप समझ सकेंगे:

- बैंक के पूँजी के साधन व निवेश के सिद्धांत
- बैंकों के निवेश के प्रकार व ऋणों के लिए जमानतों के प्रकार
- बैंक का स्थिति विवरण का नमूना
- स्थिति विवरण के अध्ययन से लाभ
- साख का अर्थ व प्रकार
- साख पूँजी का अभिप्राय
- साख पत्र, उनके प्रकार व प्रकारों के लक्षण व लाभ
- बैंकों द्वारा साख निर्माण

8.0 प्रस्तावना

बैंक का प्रमुख कार्य साख तथा मुद्रा का लेन–देन करना है। बैंक की कार्य प्रणाली को समझने के लिए आवश्यक है कि हम देखें कि किस प्रकार पूँजी की व्यवस्था करते हैं और किस प्रकार बैंकों द्वारा उसका लाभकारी निवेश किया जाता है।

8.1 बैक की पूँजी के साधन

बैंक द्वारा पूँजी प्राप्त करने के सामान्यतः निम्नलिखित साधन हैः

(1) अंश पूँजी–आधुनिक बैंकों का संगठन प्रायः संयुक्त पूँजी कंपनियों के रूप में किया जाता है, इसलिए ये अन्य कंपनियों के समान अंश बेचकर पूँजी प्राप्त करते हैं। बैंक का संचालक मंडल यह निश्चित करता है कि बैंक की अधिकृत पूँजी कितनी होगी। अधिकृत पूँजी का कुछ भाग निश्चित मूल्य के अंश बाजार में बेचकर प्राप्त किया जाता है। जितनी रकम के अंश बाजार में बेचने का निर्णय किया जाता है उसे बैंक की निर्गमित पूंजी कहते है तथा इसमें से जो भाग जनता वास्तव में चुकाती है, प्रदत पूँजी कहलाता है। स्वीकृत अंशों की पूरी रकम की माँग तत्काल करने से स्वीकृत तथा प्रदत पूँजी में अंतर समाप्त हो जाता है। बैंक की वास्तविक पूँजी उसकी चुकता अथवा प्रदत पूँजी हो जाती है।

(2) जमाराशियाँः–बैकों द्वारा पूँजी प्राप्त करने का दूसरा साधन जनता से जमा प्राप्त करना है। सभी बैंक विभिन्न प्रकार के खातों में अलग–अलग नियमों के अंतर्गत लोगों की रकम जमा करते है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सभी बैंक स्थायी जमा खाते तथा चालू खाते खोलने की व्यवस्था करते हैं। अच्छे बैंकों के पास जमाराशियों के रूप में पर्याप्त पूँजी एकत्र हो जाती है।

(3) ऋणः–वैसे तो जनता से प्राप्त जमाराशियाँ ही बैंक के ऋण होती हैं, क्योंकि उनकी अदायगी का दायित्व बैंक पर होता है, परंतु असाधारण परिस्थितियों में बैंक अन्य बैंकों–केंद्रीय बैंक, सरकार या वितीय संस्थाओं से भी ऋण लेते हैं। इस प्रकार के ऋणी की आवश्यकता प्रायः तब होती है जब जमाकर्ता इतनी अधिक नकदी की माँग करने लगते है कि बैंक उसे अपने साधनों से पूरा नहीं कर पाता। ऐसे ऋण अल्पकालीन होते हैं तथा मौसमी माँग में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति से सामान्य होने पर लौटा दिए जाते हैं।

टूल बाक्स – 01
बैंक की पूँजी के साधन 1. अंश पूँजी 2. जमाराशियाँ 3. ऋण 4. साख का निर्माण 5. सुरक्षित कोष

(4) साख का निर्माणः–बैंकों द्वारा साख निर्माण की विधि का विस्तृत विवरण पहले दिया जा चुका है। साख को पूँजी कहना तो ठीक नहीं होगा। परंतु इसमें संदेह नहीं है कि बैंक साख के निर्माण द्वारा पूँजी की अधिक पूर्ति कर पाने में सफल होते हैं। आधुनिक युग में साख निर्माण द्वारा काफी मात्रा में पूँजी प्राप्त होती है।

(5) सुरक्षित कोषः—बैंक अपने संपूर्ण लाभ को अंशधारियों में नहीं बाँट देते। प्रत्येक बैंक अपने वार्षिक लाभ का एक भाग सुरक्षित कोष के रूप में रखता है, जिसमें उसके पास कुछ वर्षो में एक बड़ी रकम जमा हो जाती है। भारत में 1949 के बैंकिग अधिनियम की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत सुरक्षित कोष में डालना पड़ता है।

8.2 बैंक की निवेश नीति

विभिन्न साधनों से प्राप्त पूँजी बैंक के पास बेकार नहीं पड़ी रहती, बल्कि उसके निवेश द्वारा बैंक लाभ कमाता है। बैंक द्वारा किए गए कुछ निवेश अलाभप्रद भी होते हैं, परंतु बैंक की स्थापना का प्रधान उद्देश्य तो पूँजी के निवेश द्वारा लाभ कमाना ही होता है। विभिन्न देशों में आर्थिक परिस्थितियाँ तथा बाजार की दशाएँ अलग—अलग होने के कारण वहाँ बैंकों के निवेश की नीतियाँ भी अलग—अलग होती हैं। बैंकों की निवेश नीति क्या हो, इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते। फिर भी बैंक को निवेश नीति निश्चित करते समय बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए।

निवेश नीति का सिद्धांत

सामान्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर पूँजी का निवेश करने से बैंक सुरक्षित रूप से लाभ कमाने में समर्थ को सकते हैंः

(1) निधि की सुरक्षाः—निवेश करने समय बैंक का उद्देश्य सुरक्षा सर्वप्रथम होना चाहिए, क्योंकि निवेश के सुरक्षित न रहने पर स्वयं बैंक का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। निवेश की सुरक्षा के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है जैसे—(1) बैंक को अपना समस्त धन किसी एक ही व्यक्ति अथवा व्यवसाय को ऋण के रूप में नहीं देना चाहिए। (2) बैंक को यथासंभव दीर्घकालीन ऋण नही देने चाहिए। (3) ऋणी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जमानत की भली—भाँति जांच कर लेनी चाहिए और यह देख लेना चाहिए कि जमानत का बाज़ार मूल्य ऋण के मूल्य से अधिक है अथवा नहीं, (4) ऋणी के व्यक्तिगत आचरण तथा चरित्र के विषय में सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा (5) बैकों को चाहिए कि वे सस्ती साख नीति न अपनाए ताकि ऋणियों में अपव्यय की भावना उत्पन्न न होने पाए।

(2) तरलताः—तरलता से अभिप्राय जमा के बदले में नकद मुद्रा देने की क्षमता से है। बैंक का अस्तित्व जनता के विश्वास पर निर्भर करता है और जनता का विश्वास इस बात पर आधारित रहता है कि बैंक में जमाराशि को नकद मुद्रा में परिवर्तित करने की क्षमता सदा होगी। तरलता की दृष्टि से ये बातें आवश्यक हैः (1) बैंक का सर्वाधिक तरल साधन नकद कोष है, इसलिए साधारणतः अपनी कुल जमाओं का 20 से 25 प्रतिशत तक बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखना चाहिए। (2) बैंक को चाहिए कि उन साधनों में निवेश करे, जिसमें बिना क्षति के स्थानापरिवर्ती साध्यता का गुण हो जैसे बैंक के अभियोचित एवं अल्पकालीन ऋण तथा अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों एवं उच्चकोटि के वाणिज्यिक पत्र जैसे अंश व ऋणपत्र आदि, (3) बैंक को केवल उन्हीं सरकारी प्रतिभूतियों तथा उच्चकोटि के व्यावसायिक पत्रों में निवेश करना चाहिए जो कुछ आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते है तथा केंद्रीय बैंक द्वारा पुनः कटौती के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं, ताकि संकट की स्थिति में बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक की अंतिम सहायता के रूप में सहायता प्राप्त की जा सके।

स्टीड के अनुसार, ''बैंक को केवल कार्यशील पूँजी की पूर्ति के लिए ही ऋण देना चाहिए, अचल या स्थायी पूँजी बनाने के लिए नहीं।''

(3) लाभदायकताः—चूँकि बैंक का उद्देश्य अपने निवेश द्वारा लाभ कमाना होता है, इसलिए बैंक को अपने धन का इस प्रकार निवेश करना चाहिए कि उसे नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होता रहे। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रायः तरलता तथा लाभदायकता दोनों एक दूसरे से विपरीत होते है। नकद कोष पूर्णतः तरल साधन हैं परंतु इससे कोई आय प्राप्त नहीं होती। दूसरी ओर दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम अधिक लाभदायक होते है, परंतु तरल नहीं होते।

टूल बाक्स – 02
बैंक की निवेश नीति के सिद्धांत
1. निधि की सुरक्षा 2. लाभदायकता 3. जोखिम का विभिन्नीकरण 4. प्रतिभूतियों की विक्रयता 5. अन्य सिद्धांत

(4) जोखिम का विभिन्नीकरणः—बैंकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके अधिकांश धन का निवेश एक ही प्रकार के ऋणों, व्यवसायों तथा प्रतिभूतियों में न हो। बैंकों को अपना धन विविध प्रकार के ऋणों अथवा व्यवसायों आदि में लगाना चाहिए ताकि एक ओर ही हानि को दूसरी ओर के लाभ से पूरा किया जा सके। इनके अतिरिक्त जैसा पहले कहा गया है समस्त ऋण एक ही व्यक्ति अथवा फर्म को देने के बजाय अनेक व्यक्तियों तथा फर्मो को छोटे–छोटे ऋण देना अधिक अच्छा होता है।

(5) प्रतिभूतियों की विक्रेयताः—सुरक्षा तथा तरलता की दृष्टि से ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करना अच्छा होता है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से बाजार में बेचा जा सके। सरकारी तथा उतम श्रेणी की व्यावसायिक प्रतिभूतियों, अच्छी कंपनियों के अंशों तथा ऋणपत्रों, विनिमयसाध्य साख पत्रों तथा तैयार माल की जमानत पर ऋण देने से बैंकों द्वारा निवेश करना अच्छा होता है। इसके विपरीत, अचल संपति के आधार पर दिया गया ऋण अच्छा नहीं माना जा सकता है।

(6) अन्य सिद्धांतः—बैंकों को निवेश करने समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि (1) यथासंभव निवेश ऐसी प्रतिभूतियों अथवा वस्तुओं में किया जाय जिनकी कीमतों में अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता रहती है। (2) यथासंभव ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश को प्राथमिकता दी जाय जो आय कर से मुक्त हो, अथवा जिन पर कर कम लगता हो। (3) बैंकों को अपनी निवेश नीति सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर तय करनी चाहिए।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.1 बैंक की पूँजी के साधनों के नाम बताएं? **प्र.2** बैंक की निवेश निधि से क्या तात्पर्य है? **प्र.3** निधि की सुरक्षा सिद्धांत से क्या अभिप्राय है?

8.3 बैंकों के निवेशों के प्रकार

बैंक के निवेशों को दो भागों में बाँटा जा सकता है (क) अलाभकर निवेश तथा (ख) लाभकर निवेश। बैंक को दोनों प्रकार के निवेशों में धन लगाना पड़ता है। बैंक के सफल संचालन के लिए इन दोनों निवेशों में उचित संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है।

(क) अलाभकर निवेशः—अलाभकर निवेश से बैंक की किसी प्रकार की प्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होती, परंतु सुरक्षा तथा तरलता की दृष्टि से इस प्रकार के निवेश काफी महत्वपूर्ण होते है। अलाभकर निवेश दो प्रकार के होते हैः (1) नकद कोष, तथा (2) मृत स्कन्ध।

(1) नकद कोषः—ऐसा कहा जाता है कि नकद कोष बैंकों के लिए सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है। नकद कोष प्रत्येक बैंक की तरल परिसंपत्ति होता है। बैंक के पास यथेष्ट नकद कोष न होने पर संभव है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह ग्राहकों की नकदी की माँग को पूरा न कर सके। जिससे बैंक के प्रति ग्राहकों का अविश्वास उत्पन्न हो जाय और बैंक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाय। 1930 की मंदी में विफल होने वाले अनेक बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब नहीं थी परंतु ग्राहकों को नकद रकम भुगतान न कर सकने के कारण बंद हो गये।

नकद कोषों का मात्रा का निर्धारण—बैंक को कितना नकद कोष रखना चाहिए, इसके लिए निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। देश, काल तथा बैंक की स्थिति अलग—अलग होने पर विभिन्न बैंको की नकद कोष की आवश्यकता में भी अंतर होता है। आवश्यकता से अधिक नकद कोष रखने पर बैंक के लाभकर निवेश की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए कोष की मात्रा के निर्धारण में बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता है। निम्नलिखित तत्वों के आधार पर बैंक नकद कोष की मात्रा का निर्धारण कर सकता है।

(i) वैधानिक आवश्यकताः—अधिकांश देशों में सरकार अथवा केंद्रीय बैंक वैधानिक रूप से बैंकों के नकद कोषों की न्यूनतम मात्रा निश्चित कर देते है। विधान के अनुसार बैंक नकद कोष अपने पास रखते हैं तथा उनका कुछ भाग केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं।

(ii) परम्पराः—प्रत्येक देश में बड़े—बड़े बैंक अपने अनुभव के आधार पर नकद कोष रखने से संबंधित परम्पराएं निश्चित करते हैं जिनका अनुसरण अन्य बैंक भी करते हैं।

(iii) निवेश की प्रकृतिः—यदि बैंक के अधिकांश निवेश तरल आदेयों जैसे विनिमय बिलों, अल्पकालीन ऋणों, विनिमयशील प्रतिभूतियों आदि में है तो वे कम मात्रा में नकद कोष रखकर भी काम चला सकते हैं।

(iv) जमाराशियों का आकारः—बैंकों में ग्राहकों की बड़ी बड़ी रकम जमा होने पर बैंकों को अधिक मात्रा में नकद कोष रखने की आवश्यकता होगी ताकि बड़ी से बड़ी माँग को पूरा किया जा सके। जब जमाराशियों का आकार छोटा होता है और जमाकर्ताओं की संख्या अधिक होती है तो थोड़ी मात्रा में नकद कोष रखने से ही चल जाता है।

(v) जमाराशियों का स्वरूपः—यदि किसी बैंक की अधिकतर जमाराशियाँ चालू खातों में हैं तो बैंक को अधिक मात्रा में नकद कोष रखने पडते है। इसके विपरीत निश्चितकालीन अथवा बचत खातों में जमाराशियों की मात्रा अधिक होने पर थोड़े नकद कोष से काम चल सकता है।

(vi) ग्राहकों की प्रकृतिः—जिस बैंक में सट्टेबाजों तथा बड़े व्यापारियों के खाते अधिक होते हैं जैसे बड़ी मात्रा में नकद कोष रखने होते है, क्योंकि उसके ग्राहकों को धन की माँग बराबर बनी रहती है। यदि बैंक के अधिकांश ग्राहक मध्यवर्गीय नौकरीपेशा लोग है तो बैंक को अधिक मात्रा में नकद कोष नहीं रखने पड़ते, क्योंकि वे लोग प्रायः अधिक रकम नहीं निकालते।

(vii) बैंकिग विकास तथा चैक का प्रयोगः—यदि देश में बैंकिग का पर्याप्त विकास हो चुका है तथा लोगों में चैकों द्वारा भुगतान करने की आदत है तो बैंक को अधिक नकदी रखने की आवश्यकता नहीं होती। बैंकों के विकास के अभाव में नकद लेन—देन की आदत होने पर बैंकों को अधिक नकद कोष रखने पडते है।

टूल बाक्स — 03

बैंक निवेश के प्रकार

- अलाभकर निवेश
- लाभकर निवेश

(viii) समाशोधन गृहों का विकासः—जिन स्थानों पर समाशोधन गृहों की सुविधा उपलब्ध होगी, चैकों का तत्काल समाशोधन होने के कारण जनता को चैकों का प्रयोग करने की प्रोत्साहन मिलेगा। बैंक चैकों का नकद भुगतान न करके अधिकांश भुगतान केवल खातों की प्रविष्टियों द्वार ही तय कर लेगें। इस प्रकार कम नकद कोष रखने पडेगें।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार अपने पास नकद कोष रखते है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बहुत कुछ जनता द्वारा बैंक के प्रति विश्वास की मात्रा पर निर्भर करता है। जनता का बैंक में विश्वास बने रहने पर बैंक के सामने साधारणतया कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, परंतु जनता का विश्वास न रहने पर बैंक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

(2) मृत स्कन्धः—बैंक के प्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक लाभ न होने पर भी अपना व्यवसाय चलाने के लिए भवनों का निर्माण करना पड़ता है, कार्यालयों के लिए फर्नीचर और पंखे आदि की व्यवस्था करनी पडती है तथा सुरक्षा के लिए मज़बूत अलमारियाँ, तिजोरियाँ और लॉकर आदि रखने पड़ते है। चूँकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें आसानी से नहीं बेचा जा सकता इसलिए इन्हें मृत स्कन्ध कहते हैं।

अपनी प्रतिष्ठा को बढाने के लिए प्रायः बैंक अपने कार्यालयों के लिए विशाल एवं सुंदर भवन बनवाते है। इस संबंध में बैंक को यह देखना चाहिए कि कार्यालय के लिए भवन किराए पर लेना सस्ता होगा अथवा उसका निर्माण करना। डा. राव के शब्दों में बैंक के लिए ईट तथा चूने में पूँजी लगाने के स्थान पर शुद्ध नकदी के रूप में रखना अधिक श्रेष्ठ है।

(ख) लाभकर निवेशः—बैंकों द्वारा लाभकर निवेश अनेक मदों में किए जाते है। इनका वर्णन नीचे किया गया है।

(i) माँग पर अथवा अल्पसूचना राशिः—बैंक द्वारा दिए गए ये ऐसे ऋण होते है जिन्हें बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा अल्प सूचना देकर वापस ले सकता है। इस प्रकार के ऋणों पर बैंक को बहुत कम ब्याज प्राप्त होती है परंतु अति अल्पकालीन होने के कारण ये बैंक के अत्यधिक तरल निवेश होते है। इस प्रकार के ऋणों में निवेश करने से बैंक अपने साधनों में तरलता बनाए रखता है तथा साथ में ब्याज भी कम लेता है। इस प्रकार एक साथ दो लाभ प्राप्त हो जाते हैं। यदि नकद कोष को बैंक की रक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाय तो अल्पसूचना राशि की रक्षा की द्वितीय पंक्ति कहा जा सकता है। भारत में अधिकांश अल्प सूचनार्थ ऋण प्रायः एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को दिए जाते हैं।

(ii) बिलों की कटौती करनाः—व्यापारिक बिलों की कटौती करके भी बैंक अपने धन का निवेश करते है। इस प्रकार का निवेश अल्पकालीन होने के साथ अच्छी आय देने वाला, सुरक्षित तथा तरल होता है, इसलिए इसे बैंक की तृतीय रक्षा पंक्ति भी कहा जाता है। बिलों की कटौती के आधार पर बैंकों द्वारा ऋण देने से बिलों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है तथा बैंकों को आय प्राप्त होती है। बिल की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि बैंक को रकम की आवश्यकता पड़ जाय तो बिल बाज़ार में बिक्री अथवा केंद्रीय बैंक से बिल की पुनःकटौती द्वारा बैंक अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल प्रथम श्रेणी के उतम व्यापारिक बिलों की ही कटौती की जाय ताकि इनकी केंद्रीय बैंक से पुनर्कटौती संभव हो सके।

(iii) कोषागार विपत्र तथा प्रतिभूतियांः—बैंक अपने साधनों का एक भाग कोषागार विपत्रों अथवा ट्रेजरी बिलों में निवेश करते है क्योंकि इससे सरकार को सहायता मिलती है तथा बैंकों को भी आय प्राप्त होती है। ये बिल प्रायः अल्पकालीन होते है तथा इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है,

इसलिए इनमें किए गए निवेश में तरलता का गुण होता है। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से बैंक अपने धन का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ खरीदने में भी लगाते है। परंतु यह बात ध्यान में रखने की है कि बैंकों को प्रतिभूतियों में निवेश करते समय निवेश में तरलता, सुरक्षा एवं आय के सिद्धांतों को सामने रखना चाहिए तथा यथासंभव ऐसी प्रतिभूतियों में लेन–देन करना चाहिए, जिनके मूल्य में स्थिरता रहती है और जिनमें विक्रयशीलता का गुण होता है।

(iv) ऋण तथा अग्रिमः–प्रायः सभी वाणिज्य बैंक अपने साधनों का बहुत बड़ा भाग ऋणों तथा अग्रिमों में निवेश करते है। इनसे बैंकों को काफी आय प्राप्त होती है। चूँकि ऋण तथा अग्रिम उचित धरोहर के आधार पर ही दिए जाते हैं, इसलिए इनमें सुरक्षा का गुण भी होता है। इनसे व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थाओं की धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.4 बैंक के निवेश कितने प्रकार के होते है?
प्र.5 नकद कोष की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है?
प्र.6 मृत स्कन्ध से क्या तात्पर्य है?
प्र.7 बिलों की कटौती का क्या अर्थ है?

ऋण देने में सावधानियाँ–ऋण देते समय बैंकों को उचित सावधानी रखनी चाहिए। बैंकों द्वारा ऋण व्यक्तियों को भी दिए जाते हैं तथा संस्थाओं को भी। ऋण देने में कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता है, जैसे

1. किसी भी ग्राहक को बहुत लंबी अवधि के लिए ऋण नहीं देना चाहिए।
2. किसी भी ग्राहक को बहुत बड़ी रकम का ऋण नहीं देना चाहिए, बल्कि ऋणों का विकेंद्रीकरण की नीति अपनानी चाहिए।
3. सट्टे के कार्य तथा उपभोग के लिए ऋण देना अच्छा नहीं होता जबकि उत्पादक कार्यो के लिए दिए गए ऋण स्वयं साध्य होते है और उनमें अधिक सुरक्षा रहती है।
4. ऋणों का बार–बार व आसानी से नवीनीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऋणों की वसूली करना अंत में कठिन हो जाता है।
5. ऋणों के लिए उचित व पर्याप्त जमानत प्राप्त करनी चाहिए तथा जमानत के मूल्य से कम मूल्य का ऋण देना चाहिए।
6. ऋण लेने वाले की साख तथा उसके व्यवसाय की ठीक से जाँच कर लेनी चाहिए।
7. बैकों में पारस्परिक स्पर्द्धा के कारण सस्ते ऋणों की नीति बहुत हानिकारक होती है, इसलिए इसे कभी–कभी नहीं अपनाना चाहिए।

8.4 ऋणों के लिए जमानत

ऋणों की सुरक्षा के लिए बैंक अपने ग्राहकों से किसी न किसी प्रकार की जमानत अवश्य लेता है। ये जमानतें प्रायः दो प्रकार की होती है–(1) व्यक्तिगत जमानत तथा (2) सहायक जमानत।

(1) व्यक्तिगत जमानतः–बिना किसी माल या संपत्ति को जमानत के रूप में लिए, व्यक्तिगत साख अथवा जमानत के आधार पर दिए गए ऋण आरक्षित अथवा स्वच्छ ऋण कहलाते हैं। व्यक्तिगत जमानत अथवा प्रतिभूति के आधार पर ऋण देने के पूर्व बैंक ऋणी की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, साख, व्यापारिक कुशलता तथा चरित्र आदि से संबंधित विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर लेता है। भारत में व्यक्तिगत जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों में अधिकवर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कभी–कभी ऋणी की व्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिष्ठित

व्यक्ति अथवा संस्था की गारंटी भी माँगी जाती है, जिसके अंतर्गत ऋणों की रकम न चुकाने पर गारण्टी करने वाला दायित्व को अपने ऊपर लेने का आश्वासन देता है। ऐसे ऋणी के दो हस्ताक्षरों वाले कागजी ऋण कहते हैं। व्यक्तिगत जमानत केवल एक विशिष्ट ऋण से संबंधित होने पर उसे विशिष्ट व्यक्तिगत जमानत कहते हैं तथा भविष्य में लिए जाने वाले समस्त ऋण से संबंधित होने पर उसे चालू जमानत कहते हैं।

(2) सहायक जमानतः—ऋण की सुरक्षा के लिए ऋणी द्वारा बैंक के पास जमानत के रूप में रखी गई भौतिक संपत्ति तथा वस्तएँ सहायक जमानत कहलाती है। इस प्रकार की जमानत बैंक के पास प्रायः तीन प्रकार से रखी जाती है—

(1) रहन अथवा धरणाधिकारः—इसमें जमानत के रूप में रखी गई संपत्ति बैंक के पास रहती है तथा ऋण वसूल न होने पर बैंक अदालत की आज्ञा से इसे बेचकर अपना ऋण वसूल कर सकता है।

(2) गिरवीः—इसमें भी संपत्ति बैंक के पास रहती है तथा ऋण का भुगतान न होने की दशा में बैंक ऋणी को सूचना देकर जमानत की संपत्ति को बेच सकता है। इसके लिए अदालत की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती।

(3) बन्धकः—जब भुगतान के रूप में भूमि, भवन, आदि अचल संपत्ति की जमानत दी जाती है तो वह बैंक के पास नहीं रहती, उस पर बैंक का अधिकार मात्र होता है परंतु ऋणी द्वारा भुगतान न करने पर इस संपत्ति पर बैंक का स्वामित्व हो जाता है।

सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की भौतिक संपत्तियों को सहायक जमानत के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(क) स्टॉक एक्सचेन्ज प्रतिभूतियांः—स्टॉक एक्सचेन्ज से नियमित रूप से क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों में सरकारी अर्द्ध सरकारी स्वायत, संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा जाती की गई प्रतिभूतियों के अतिरिक्त व्यावसायिक तथा औद्योगिक कंपनियों के अंश, ऋणपत्र, प्रतिज्ञा पत्र तथा अन्य प्रकार के विनिमयसाध्य साख पत्र सम्मिलित किए जाते है। इन प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देना बैंकों के लिए अच्छा समझा जाता है क्योंकि इससे अनेक लाभ होते हैः(1) इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है, इसलिए ये बहुत तरल होती है। (2) इनके स्वामित्व परिवर्तन में कोई कठिनाई नहीं होती। (3) इनका मूल्यांकन करने के कोई कठिनाई नहीं होती। (4) इनके मूल्य में अधिक उतार—चढ़ाव नहीं होते तथा (5) इनकी जमानत पर स्वयं बैंक भी ऋण प्राप्त कर सकता है।

टूल बाक्स — 04
जमानत के लिए रखी जाने वाली भौतिक संपत्तियाँ
(क) स्टॉक एक्सचेज प्रतिभूतियां
(ख) माल व माल के स्वत्व लेख्य
(ग) विनिमय बिल
(घ) संपत्ति।

इन प्रतिभूतियों में अनेक गुण होने के कारण बैंक इन्हें सदा प्राथमिकता देते है परंतु ऐसी प्रतिभूतियों को स्वीकार करने समय बैंक को यह चाहिए कि कुछ बातों के प्रति सावधान रहे जैसे (1) इनके स्वामित्व में दोष न हो तथा उनका हस्तांरण बैंक के पक्ष में उचित प्रकार से किया गया हो। (2) इनका किसी मान्य शेयर बाजार में क्रय विक्रय होता हो, (3) इनके मूल्य में अधिक परिवर्तन न हो तथा (4) पूर्ण प्रदत हों।

(ख) माल और माल के स्वत्व लेख्यः—अनेक बार माल के गोदाम पर बैंक अपना ताला लगाकर उनकी जमानत पर ऋण देते हैं। जैसे—जैसे ऋणों का भुगतान होता जाता है गोदाम से माल

निकाला जा सकता है। माल के स्वत्व लेख्य जैसे गोदाम की रसीद, रेलवे की रसीद डाक वारण्ट आदि की जमानत पर भी बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है।

माल तथा माल के स्वत्व लेख्य की जमानत पर ऋण देने मे ये लाभ है (1) इनको किसी भी समय आसानी से बेचा जा सकता है तथा ऋण का भुगतान न होने पर माल की बिक्री से बैंक रकम प्राप्त कर सकता है। (2) ये ऋण प्रायः अल्पकालीन होते है। (3) मूल्यांकन में विशेष कठिनाई नहीं होती (4) चूँकि मूल्यों में परिवर्तन एकदम नहीं होते इसलिए गिरावट आरम्भ होते ही सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जा सकता है। अतः जोखिम कम रहता है तथा (5) व्यावसायिक उन्नति को प्रोत्साहन मिलता है।

परंतु माल तथा माल के स्वत्व लेख्य की जमानत पर ऋण देने में कई दोष तथा कठिनाई भी है–(1) अच्छे गोदामों के अभाव के कारण माल के खराब हाने का भय रहता है। (2) माल का मूल्य गिर जाने पर पूरा ऋण वसूल करने में कठिनाई होती है। (3) माल की विभिन्न किस्मों के कारण उनका सही मूल्य आँकने में कठिनाई होती है। (4) गोदाम में माल रखते समय धोखे का भय रहता है जैसे असली माल के बीच नकली या घटिया माल भरा जा सकता है। (5) स्वत्व लेख्य में धोखा होने की संभावना रहती है।

बैंक को चाहिए कि वह कुछ सावधानियां रखे जैसे–(1) ऋण की रकम तथा माल के मूल्य में यथेष्ट अंतर होना चाहिए, (2) शीघ्र बिकने वाले माल को ही जमानत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। (3) माल के मूल्य तथा अधिकार पत्रों को ठीक प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए। (4) जमानत के रूप में रखा गया माल न तो शीघ्र नष्ट होने वाला हो और न ही उसके मूल्यों में बहुत उतार–चढाव होता हो। (5) ऋण प्रार्थी विश्वसनीय तथा ईमानदार हो। (6) ऋण का उद्देश्य व्यावसायिक हो न कि मुनाफाख़ोरी के लिए अधिक समय तक माल रोकना। (7) गोदामों का प्रबंध कुशल, ईमानदार तथा उतरदायी कर्मचारियों के हाथ में हो तथा (8) माल का गोदाम सहित बीमा करा लेना चाहिए।

(ग) विनिमय बिल–विनिमय बिलों की परिपक्वता के पूर्व उनकी कटौती करके उनका मूल्य चुका देने पर ये बिल बैंक के अधिकार में आ जाते है तथा इनके बदले में दी गयी रकम की जमानत के रूप में ये बैंक के पास रहते है।

इनके अनेक लाभ होते हैः–(1) इन बिलों के मूल्य स्थिर रहते है, (2) आवश्यकता पडने पर इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है तथा केंद्रीय बैंक से पुनः कटौती के आधार पर रकम प्राप्त की जा सकती है तथा (3) इनकी वसूली में आसानी होती है क्योंकि बिल के दोनों पक्ष उतरदायी होते है।

विनिमय बिलों को स्वीकार करने में सबसे बड़ा दोष यह होता है कि यदि बिल को स्वीकार करने वाला बिल का भुगतान करने से इंकार कर देता है तो बैंक के लिए काफी असुविधा हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बैंक उतम श्रेणी के बिलों को ही स्वीकार करें तथा इनके लिखने वाले और स्वीकार करने वाले पक्षों के चरित्र, साख एवं आर्थिक दशा आदि से संबंधित पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लें।

(घ) संपत्तिः–संपत्ति दो प्रकार की होती है–चल तथा अचल। दोनों प्रकार की संपत्तियों के आधार पर बैंक ऋण देते हैं। चल संपत्ति के अंतर्गत माल तथा स्टॉक एक्सचेन्ज प्रतिभूतियों के अतिरिक्त सोना, चॉदी तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ आती है। बैंकों द्वारा बहुमूल्य धातुओं तथा आभूषणों के आधार पर भी ऋण दिया जाता है। चूँकि इन्हें ऋण का भुगतान न होने पर तत्काल बाजार में बेचा जा सकता है, इसलिए इन्हें अत्यन्त तरल संपत्ति समझा जाता है। परंतु धातुओं आदि की जमानत पर ऋण देने के पूर्व बैंकों को चाहिए कि इनकी वास्तविक शुद्धता का अनुमान लगवा ले तथा उनका सही मूल्यांकन करा लें।

जमीन, मकान, दुकान, मशीन आदि अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति के आधार पर ऋण देने से लाभ ये है (1) किसान, जो अपनी भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जमानत नहीं दे पाता, अचल संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। (2) व्यापारी वर्ग के लोगों

को भी अन्य कोई जमानत के न रहने पर अपनी अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण मिल जाता है, (3) मकान तथा जमीन की जमानत पर ऋण देकर बैंक भवन निर्माण कार्यों में सहायक होते है तथा (4) संपत्ति के मूल्य में विशेष कमी आने की आशंका नहीं होती।

परंतु व्यावहारिक रूप में बैंक अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण देना उचित नहीं समझते, क्योंकि इसमें कई दोष है–(1) संपत्ति को आसानी से उचित मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता, (2) संपत्ति के स्वामित्व को तय करना कठिन होता है और इसके लिए कानूनी सलाह लेनी पडती है। (3) ऋणी द्वारा उसी संपत्ति पर अनेक व्यक्तियों से ऋण ले लेने का भय रहता है। (4) संपत्ति का उचित मूल्यांकन करना भी कठिन होता है। (5) संपत्ति के मूल्य में ह्रास आदि के कारण कमी आ जाती है तथा (6) भूमि अथवा मकान को बंधक आदि रखने के लिए अदालती कार्यवाही करनी पड़ती है।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.8 ऋण देने के बैंकों को कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? कोई दो सावधानियाँ बताएं?
प्र.9 ऋणों के लिए जमानत कितने प्रकार की होती है?
प्र.10 स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों को जमानत पर रखने के क्या लाभ है?
प्र.11 माल को जमानत पर रखने की कठिनाईयाँ बताएं?

अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण देने के पूर्व उसके स्वामित्व से संबंधित सही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा हस्तांतरण संबंधी पूरी कानूनी कार्यवाही कर लेनी चाहिए। संपत्ति के मूल्य तथा ऋण की मात्रा में पर्याप्त अंतर रखना आवश्यक है।

इस प्रकार बैंक का चाहिए कि सहायक जमानतों से संबंधित गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से काम ले।

8.5 बैंक का स्थिति विवरण

बैंक का स्थिति विवरण अथवा चिट्ठा उसके आदेय तथा दायित्व का विवरण होता है। किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति देखने के लिए उसका स्थिति विवरण महत्वपूर्ण होता है परंतु इस प्रकार के विवरण का महत्व बैंकों के लिए अत्यधिक है। बैंक का मुख्य कार्य लेन–देन का व्यापार है और उसे अपनी लेनदारी तथा देनदारी को समतुल्य करना होता है। इस प्रकार किसी बैंक के सम्पूर्ण व्यवसाय तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका स्थिति विवरण देखना आवश्यक होता है। क्राउथर ने लिखा है कि बैंक का संपूर्ण व्यवसाय उसके स्थिति विवरण में होता है। इसके अतिरिक्त विवरण का यह भी गुण होता है कि उसे एक दृष्टि में देखने से वे अनुपात प्रकट हो जाते है जिन पर बैंक कार्य कर रहा होता है।

भारत में वाणिज्यिक बैंकों के स्थिति विवरण का रूप कानून द्वारा निश्चित होता है और प्रत्येक बैंक को एक निश्चित अवधि के बाद इसे प्रकाशित करना पड़ता है। स्थिति विवरण में दो कॉलम होते हैं। बाएं कॉलम में पूँजी तथा दायित्व और दाएं कॉलम में संपत्ति तथा आदेय दिखाए जाते हैं। स्थिति विवरण में दोनों कॉलमों में संपत्ति की विभिन्न रकमों का जोड़ सदा बराबर होता है। एक वाणिज्यिक बैंक के स्थिति विवरण का सरल तथा संक्षिप्त नमूना आगे दिया गया है।

पूँजी तथा दायित्व	राशि	संपत्ति तथा आदेय	राशि
1. पूँजी– अधिकृत पूँजी निर्गमित पूँजी		1. हस्तगत नकदी, रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक में 2. अन्य बैंको के पास धन–चाले	

परिदत पूँजी अधिमान प्राप्त अंश साधारण अंश तथा आस्थगित अंश 2. रक्षित कोष तथा अन्य रक्षित कोष 3. जमाएँ तथा अन्य खाते 4. अन्य बैंकों, अभिकर्ताओं आदि के ऋण 5. शोधनीय बिल 6. वसूली हेतु बिल, विपरीत ओर पर वसूली वाले बिल होने पर 7. अन्य दायित्व 8. स्वीकृतियाँ, बेचान, तथा अन्य देनदारियाँ, विपरीत ओर पर वसूली वाले लिखे अनुसार 9. लाभ और हानि खाता। 10. आकस्मिक दायित्व		खातों में 3. माँग पर अथवा अल्पसूचना राशि 4. निवेश–लागत भाव या उससे कम पर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ केंद्र तथा अन्य न्यासधारी प्रतिभूतियाँ केंद्र और राज्यों के ट्रेजरी बिल सहित। पूर्ण दत अंश आंशिक अंश ऋणपत्र तथा बॉण्ड अन्य निवेश स्वर्ण 5. अग्रिम, ऋण, नकद, साख, अधिकवर्ष इत्यादि खरीदे अथवा डिस्काउण्ट किए गए बिल। 6. विपरीत ओर पर वसूली के लिए प्राप्य बिल। 7. विपरीत ओर पर लेखा संघटक क स्वीकृतियों के लिए देनदारियाँ, बेचान तथा दायित्व 8. बैंक भवन 9. फर्नीचर व अन्य स्थिर सामान 10. अन्य आदेय तथ चॉदी 11. दावों की प्राप्ति हेतु अधिगृहीत गैर बैंकिग आदेय।	

टूल बाक्स – 05
बैंक का स्थिति विवरण बैंक का स्थिति विवरण उसके आदेय तथा दायित्व का विवरण होता है।

बैंक के दायित्व

(1) पूँजी–संयुक्त पूंजी वाला प्रत्येक बैंक अपनी कार्यशील पूँजी का एक महत्वपूर्ण भाग अंश पूँजी के रूप में प्राप्त होता है। बैंक की अधिकृत पूँजी निर्गमित पूँजी प्रार्थित पूँजी तथा परिदत पूँजी को बैंक अपने स्थिति विवरण में अलग–अलग दिखाते हैं। बैंक की पूँजी उसका दायित्व इसलिए होती है कि यह पूँजी अंशधारियों की होती है तथा बैंक उनका देनदार होता है। भारत में बैकों की निर्गमित अथवा स्वीकृत पूँजी का अधिकृत पूँजी से आधा तथा प्रदत पूँजी का स्वीकृत पूँजी से आधा होना आवश्यक है।

(2) कोष निधिः–बैंक अपने संपूर्ण लाभ का विवरण अंशधारियों में न करके उसका एक भाग संचित कोष में रखता है। इससे बैंक की कार्यशील पूँजी में वृद्धि होती है तथा बैंक की आर्थिक स्थिति दृढ़ होती है। कुछ देशों में सुरक्षित कोष का निर्माण करना अनिवार्य होता है। इस कोष के धन का प्रयोग केवल संकट काल में ही किया जाता है।

(3) जमाराशि तथा अन्य खातेः–बैंक के दायित्वों में सबसे बड़ी मद जमाराशियों की होती है। चालू, बचत तथा स्थायी खातों में प्राप्त होने वाली राशि बैंकों को अलग–अलग दिखानी पड़ती

है। जमाराशियों का एक भाग ऋणों से उत्पन्न होता है तथा दूसरा नकदी के रूप में प्राप्त होता है। नकद जमाराशि, जिसे प्राथमिक जमा कहा जाता है, बैंक की साख सृजन की शक्ति का आधार होती है।

(4) अन्य बैंकों, अभिकर्ताओ आदि के ऋणः—आवश्यकता पड़ने पर बैंक अन्य बैंकों अथवा केंद्रीय बैंक तथा अभिकर्ताओं आदि से ऋण लेता है, जो प्रायः अल्पकालीन होता है। भारत के प्रत्येक बैंक अन्य देशों अथवा विदेशी बैंकों से प्राप्त ऋण की राशि को अपने स्थिति विवरण में अलग से दिखाता है।

(5) शोधनीय बिलः—इस मद में उन बिलों की कुल राशि आती है, जिनके भुगतान करने का दायित्व बैंक पर होता है।

(6) अन्य बिलः—इसके अंतर्गत उन बिलों की राशि दिखाई जाती है जो ग्राहकों द्वारा समय समय पर बैंकों को उनका भुगतान वसूल करने के लिए भेजे जाते हैं और जिनकी राशि को बैंक ग्राहकों के खाते में जमा कर देता है। इस प्रकार के बिल स्थिति विवरण में दायित्व के रूप में भी दिखाए जाते हैं तथा आदेय के रूप में, क्योंकि एक ओर तो बैंक इनका लेनदार होता है और दूसरी ओर इनका भुगतान प्राप्त कर ग्राहकों के खातों में जमा करना होता है।

(7) अन्य दायित्वः—कुछ अन्य प्रकार के दायित्वों की राशि इस मद में दिखायी जाती है जैसे—अदत लाभांश, आयकर के लिए आयोजन, कर्मचारियों को बोनस, कर्मचारियों की सहायता खाता, ब्राचों के पारस्परिक जमा खर्च, विविध देनदारी खाता, अनर्जित प्राप्त आय, माँग पर अग्रिम भुगतान इत्यादि।

टूल बाक्स — 06
बैंक के दायित्व 1. पूँजी 2. कोष निधि 3. जमाराशि व अन्य खातें 4. अन्य बैंकों के ऋण 5. शोधनीय बिल 6. अन्य बिल 7. अन्य दायित्व 8. स्वीकृतियां बेचान 9. लाभ व हानि खाता 10. आकस्मिक देनदारी

(8) स्वीकृतियाँ, बेचान तथा इसी प्रकार के अन्य दायित्वः—बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए स्वीकार किए गए विनिमय बिल तथा साख पत्रों पर दी गयी गारण्टी आदि की राशि इस मद में सम्मिलित होती है। यह बैंक के दायित्व तथा आदेय दोनों ही माने जाते हैं, क्योंकि इनका भुगतान करना बैंक का दायित्व होता है। परंतु इनकी रकम ग्राहकों से प्राप्त होती है।

(9) लाभ और हानि खाताः—स्थिति विवरण में लाभ तथा हानि दोनों ही दायित्वों के रूप में दिखाये जाते है। चूंकि लाभ की राशि का वितरण अंशधारियों में करना होता है, इसलिए यह बैंक की देनदारी होती है।

(10) आकस्मिक देनदारीः—इसके अंतर्गत बैंक ऐसी देनदारियाँ दिखाता है, जिनकी राशि निश्चित नहीं होती, परंतु भविष्य में उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना होती है। इस प्रकार की देनदारी का अनुमान लगाकर स्थिति विवरण में सबसे नीचे दिखाया जाता है।

बैंक की लेनदारी अथवा आदेय

(1) नकदः—ग्राहकों की नकद मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक कुछ नकद कोष अपने पास रखते हैं और कुछ केंद्रीय बैक अथवा किसी अन्य बैंक के पास रखते हैं। स्थिति विवरण में हस्तगत नकदी तथा अन्य बैंकों के पास रखी गयी नकदी को अलग–अलग दिखाया जाता है।

(2) अन्य बैंकों में जमाः—बैंकों में पारस्परिक लेन देन के कारण कुछ रकम दूसरे बैंको के पास चालू खातों से जमा रह जाती है, जिसे स्थिति विवरण में अलग से दिखाया जाता है।

(3) माँग पर तथा निवेश राशिः—बैंक के ऐसे अल्पकालीन ऋण जिन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा एक अत्यंत अल्पकालीन सूचना देकर वसूल किया जा सकता है, इस मद के अंतर्गत दिखाए जाते हैं।

(4) निवेशः—इस मद में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में लगाई गई रकम, ट्रेजरी बिल, अंश, ऋणपत्र, ब्राण्ड्स, स्वर्ण आदि में किए जाने वाले निवेश अलग अलग दिखाए जाते है। ये सब निवेश प्रतिभूतियों आदि के लिखित मूल्य अथवा उससे कम मूल्य पर होते है।

(5) अग्रिमः—इसके अंतर्गत बैंक के अग्रिम धन, ऋण, नकद साख तथा अधिकवर्ष की रकम दिखाई जाती है। खरीदे अथवा डिकाउण्ट किए गए बिलों की राशि भी इसी के अंतर्गत दिखाई जाती है। ऋण की जमानतों तथा ऋणियों की स्थिति के आधार पर बैंक के ऋण और अग्रिम अलग–अलग दिखाए जाते हैं, जैसे–पूर्णतया सुरक्षित ऋण, व्यक्तिगत जमानत पर दिए गए ऋण जिन पर ऋणी की व्यक्तिगत जमानत के अलावा अन्य व्यक्तियों की भी व्यक्तिगत जमानत है, बिना जमानत के ऋण, बैंक के संचालकों तथा अधिकारियों को दिए गए ऋण, ऐसी कंपनियों को दिए गए ऋण जिनसे बैंक के संचालक किसी भी रूप में संबद्ध है, अन्य बैंकों पर ऋण इत्यादि।

(6) वसूली के लिए प्राप्य बिलः—बैंक के पास ग्राहकों की वसूली के लिए आए हुए बिल इसके अंतर्गत दिखाए जाते हैं। चूँकि इनकी वसूली भुगतान ग्राहकों को करना होता है इसलिए ये दायित्वों में भी दिखाए जाते हैं।

(7) स्वीकृतियाँ, बेचान आदिः—इसके अंतर्गत ऐसे बिलों की रकमें दिखाई जाती है जिन्हें बैंक अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार करता है और जिनके भुगतान का दायित्व वह अपने ऊपर लेता है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से बैंक के दायित्व होते है, परंतु बैंक इनकी रकम ग्राहकों से वसूल करने का अधिकारी होता है, इसलिए ये बैंक के आदेय अथवा लेनदारी भी हैं। इस मद में आदेय तथा दायित्व दोनों एक दूसरे से संतुलित हो जाते हैं।

(8) बैंक भवनः— इसके अंतर्गत बैंक के कार्यालयों के भवनों का मूल्य, घिसावट निकालकर दिखाया जाता है। यह वास्तव में बैंक का सब से कम तरल आदेय होता है।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.12 स्थिति विवरण का अर्थ बताएं?
प्र.13 दायित्वों में पूँजी के अंतर्गत कौन सी पूँजियां आती है?
प्र.14 कोष निधि से क्या अभिप्राय है?
प्र.15 आकस्मिक देनदारी का तात्पर्य बताएँ?
प्र.16 बैंक की लेनदारी में स्वीकृतियां, बेचान क्या होते हैं?

(9) फर्नीचर तथा अन्य मृत स्कन्धः—भवनों के समान, बैंक के फर्नीचर, पंखे, अलमारियों, लॉकरों आदि का मूल्य भी घिसावट निकालकर अलग से दिखाया जाता है।

(10) अन्य आदेयः— इस मद में अनेक प्रकार के आदेय दिखाए जाते हैं। जैसे विनियोगों पर प्राप्य आय जिसे अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है, किराया तथा अन्य सेवा संबंधी वसूलियों जो अभी वसूल करनी है, बैंक के पास स्टेशनरी तथा टिकट आदि।

(11) गैर बैंकिग आदेयः—ये बैंक के ऐसे आदेय है जिनमें बैंक ने स्वेच्छा से निवेश नहीं किया होता, बल्कि जो भुगतान न करने वाले ऋणियों से दावों की पूर्ति में प्राप्त होते है।

स्थिति विवरण के अध्ययन से लाभ

बैंक का स्थिति विवरण बैंक की संपूर्ण आर्थिक स्थिति का चित्रण होता है। इसके अध्ययन के विशेष रूप से उल्लेखनीय लाभ निम्नलिखित हैः

1. बैंक के दायित्वों तथा आदेयों का विश्लेषण करने से बैंक की वर्तमान आर्थिक दशा के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है।
2. चालू वर्ष के स्थिति विवरण को पिछले वर्षों के विवरणों से तुलना करके बैंक की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।
3. विभिन्न बैंको की स्थिति विवरण के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति की तुलना की जा सकती है।
4. स्थिति विवरण के प्रकाशन से बैंक से संबंधित सभी व्यक्तियों को उनके हितों के बारे में सूचना मिल जाती है। बैंक के अंशधारी, निपेक्षधारी, देनदार तथा कर्मचारी सभी को उनके हितों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है।
5. बैंक में जनता के विश्वास का आधार उनका स्थिति विवरण ही होता है और इसी से जनता को निवेश के लिए रास्ता मिलता है।
6. स्थिति विवरण से बैंक की सुरक्षा तथा तरलता स्थिति का भी ज्ञान प्राप्त होता है।

8.6 साख का अर्थ

'साख' का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द क्रेडिट है, जो लैटिन भाषा के शब्द क्रिडो से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रकार साख का शाब्दिक अर्थ विकास अथवा भरोसा होता है। आर्थिक भाषा में साख शब्द का प्रयोग प्रायः उधार लेन–देन या स्थगित भुगतान के लिए होता है। वैसे क्रेडिट शब्द का प्रयोग तीन अर्थो में किया जा सकता है–उधार लेन–देन में, व्यापार में किसी व्यक्ति की साख का अनुमान लगाने में तथा हिसाब लेखों में नाम अथवा जमा की प्रविष्टियों में।

साख की परिभाषा

जेवन्स के अनुसार साख शब्द का अर्थ ''भुगतान को स्थगित करना है''। **टॉमस** के अनुसार, ''साख वह विश्वास है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बहुमूल्य वस्तुएँ तथा सेवाएँ देता है, भले ही ये वस्तुएँ मुद्रा, सेवा तथा साख मुद्रा क्यों न हों और आशा करता है कि वह व्यक्ति इनको वापस लौटा देगा। **जीड** के शब्दों में,'' साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के उपरान्त भुगतान करने पर पूर्ण होता है।'' इन सभी परिभाषाओं में साख को विश्वास पर आधारित स्थगित भुगतान माना गया है।

8.7 साख के प्रकार

साख अनेक प्रकार की होती है। इसके विभिन्न रूपों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता हैः

(क) स्त्रोत के अनुसार–साख की प्राप्ति के स्त्रोत के आधार पर साख तीन प्रकार की हो सकती हैः

1. व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत साख, जिसे उन व्यक्तियों से प्राप्त किया जाता है जो ऋणों के लेन–देन का व्यवसाय करते हैं, परंतु साथ ही कुछ अन्य व्यवसाय भी करते हैं।
2. संस्थागत साख जिसे बैंकों तथा अन्य ऐसी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है जिनका व्यवसाय ऋणों का लेन–देन करना ही है।

3. व्यावसायिक साख जो व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की उधार बिक्री के रूप में प्राप्त की जाती है।

(ख) प्रयोग के अनुसार—साख का प्रयोग उपभोक्ता, व्यवसाय, उद्योग तथा सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं द्वारा अपनी उपभोग संबंधी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए प्राप्त किए गए ऋण उपभोक्ता साख कहलाते हैं। ऐसे ऋण जिनका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, उत्पादन साख कहलाते हैं।

विभिन्न व्यवसायियों द्वारा लिए गए ऋण व्यावसायिक साख कहे जाते है। औद्योगिक साख का प्रयोग उद्योगपतियों द्वारा तथा कृषि साख का प्रयोग किसानों द्वारा उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जाता है। उत्पादन के लिए प्रयोग किए गए ऋणों से लाभ यह होता है कि इनका भुगतान करने में ऋणियों का कोई विशेष परेशानी नही होती क्योंकि उनकी आय अथवा भुगतान करने की क्षमता में साख के प्रयोग से वृद्धि होता है। सार्वजनिक साख के रूप में सरकार द्वारा भी जनता तथा बैंकों से ऋण लिए जाते हैं जिनका प्रयोग सरकार द्वारा अपने आय तथा व्यय के घाटे की पूर्ति के लिए किया जाता है।

(ग) अवधि के अनुसारः—यदि साख थोड़े समय के लिए दी जाय तो इसे अल्पकालीन साख कहते है। इसकी अवधि प्रायः 1 वर्ष तक की होती है। किसी भी समय माँग पर देय होने पर इसे माँग साख कहते हैं। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए मध्यकालीन साख तथा इससे अधिक अवधि के ऋण दीर्घकालीन साख कहलाते हैं।

(घ) धरोहर के अनुसारः—धरोहर अथवा जमानत के अनुसार जिन ऋणों के पीछे यथेष्ट मूल्य की संपत्ति जमानत के रूप में रखी जाती है, उन्हें पूर्ण सुरक्षित साख कहते हैं। ऋणों के पीछे कोई जमानत न रखकर केवल ऋणों को व्यक्तिगत जमानत पर दी गई साख असुरक्षित साख कहलाती है। इन दोनों प्रकार की साख के बीच एक प्रकार की साख ऐसी भी होती है, जिसके पीछे साख के मूल्य से कम संपत्ति धरोहर के रूप में रखी जाती है, इसे अंशतः सुरक्षित साख कहते हैं।

8.8 साख की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व

साख की मात्रा से तात्पर्य यह है कि किसी देश में वर्तमान परिस्थितियों में साख की पूर्ति तथा माँग कितनी है। साधारणतया साख की मात्रा निम्नलिखित बातों से प्रभावित होती हैः

(क) लाभ की दरः—यदि ऋण से निवेशक, उत्पादक तथा व्यवसायी को अधिक लाभ प्राप्त होता है, अथवा केन्स के शब्दों में पूँजी की सीमान्त क्षमता अधिक है तो ऋण के लिए माँग अधिक होती है। ऋण की माँग अधिक होने पर ब्याज दर ऊँची होती है तथा ऋणों की पूर्ति बढ़ती है।

(ख) व्यापार की दशाएंः—तेजी के काल में जब कीमते बढ़ रही होती है, व्यापारी भविष्य के लिए आशावादी होते है। इन परिस्थितियों में ब्याज दर ऊँची होती है तथा साख का प्रसार होता है। इसके विपरीत, मंदीकाल में कीमते गिरने के कारण लाभ घटने लगते है तथा निराशा का वातावरण उत्पन्न होता है। ऋणों की माँग कम हो जाती है तथा साख की मात्रा कम होती है।

(ग) सट्टेबाजी की स्थितिः—भविष्य में कीमते बढ़ने की आशा न होने पर सट्टा बाजार में अधिक सौदे होने लगते हैं तथा ऋणों की माँग बढ़ती है और साख का विस्तार होता है। भविष्य में कीमते गिरने की सम्भावना होने पर ऋणों की माँग कम होती है तथा साख की मात्रा कम हो जाती है।

(घ) देश की राजनीतिक दशाः—देश में शान्ति तथा सुव्यवस्था होने से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है तथा ऋण की माँग एवं पूर्ति में वृद्वि होती है। अशान्ति तथा राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में साख की मात्रा कम हो जाती है।

(ङ) केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतिः—साख की मात्रा पर केंद्रीय बैंकी की मौद्रिक नीति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि सस्ती मुद्रा नीति के अंतर्गत बैंक दर कम कर दी जाती है तो बैंकों को भी ऋणों पर ब्याज दर घटानी पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप साख का विस्तार होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा ऊँची बैंक दर तथा साख नियंत्रण की नीति अपनाने पर साख की मात्रा में कमी होती है।

(च) देश की मुद्रा व्यवस्थाः—देश की मुद्रा व्यवस्था सुव्यवस्थित होने पर साख का विस्तार होता है। मुद्रा व्यवस्था से अनिश्चितता तथा मूल्यों में अस्थिरता उत्पन्न होने की स्थिति में साख की मात्रा घट जाती है।

(छ) बैंकिग प्रणाली का विकासः—बैंक साख का मुख्य स्त्रोत होते है। अतः बैंकिग प्रणाली के विकसित होने पर साख का प्रसार होगा तथा अविकसित होने पर साख का मात्रा अधिक नहीं हो सकती। अल्प विकसित देशों में बैंकिग प्रणाली भी प्रायः अविकसित होती है तथा साख की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है। उन्नत देशों में बैंकिग प्रणाली के विकसित होने के कारण साख का अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है।

टूल बाक्स – 07
साख की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व • लाभ की दर • व्यापार की दशाएँ • सट्टेबाजी की स्थिति • देश की राजनीतिक दशा • केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति • देश की मुद्रा व्यवस्था • बैंकिग प्रणाली का विकास

क्या साख पूँजी है?

साख पूँजी के रूप में उत्पादन में सहायक होती है अथवा नहीं? इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद पाया जाता है। एक ओर तो मेकलियोड का विचार है कि मुद्रा और साख दोनों पूँजी हैं। व्यापारिक साख व्यापारिक पूँजी है।'' इस विचार का आधार यह है कि साख पत्रों का मुद्रा की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इनकी सहायता से उत्पति के अन्य साधन—श्रम, भूति आदि खरीदे जा सकते है। दूसरी ओर रिकार्डो तथा मिल साख को पूँजी नहीं मानते। रिकार्डो के अनुसार साख पूँजी का सृजन नहीं करती है, यह तो बस इतना निर्धारित करती है कि पूँजी का प्रयोग किसके द्वारा होना चाहिए। मिल ने लिखा है,''उधार देने मात्र से पूँजी का निर्माण नहीं होता, ऐसी स्थिति में तो केवल उस पूँजी का जो पहले से ही ऋणदाता के पास थी ऋणी को हस्तान्तरण होता है। साख तो केवल दूसरे की पूँजी का उपयोग करने का अधिकार है। इससे उत्पति के साधनों को बढ़ाया नहीं जा सकता, उनका केवल हस्तांतरण हो सकता है।

अधिकतर अर्थशास्त्री साख को पूँजी नहीं मानते, क्योंकि

(1) साख द्वारा पूँजी का केवल हस्तांतरण होता है, पूंजी का निर्माण नहीं होता। इसी के माध्यम से एक व्यक्ति की पूँजी पर दूसरे को अधिकार प्राप्त होता है। कभी—कभी साख अनुत्पादक संचय को हस्तांतरण द्वारा उत्पादक कार्यो में लगाती है परंतु इसको पूँजी का निर्माण तो नहीं कहा जा सकता। यह केवल निष्क्रिय पूँजी का सक्रिय होना है।

(2) जिस प्रकार पूँजी और श्रम उत्पति के साधन है उस प्रकार साख उत्पति का एक स्वतंत्र साधन नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि साख एक ऐसी रीति है, जिससे उत्पादन में सहायता प्राप्त होती है परंतु स्वयं साख को उत्पति का साधन नहीं माना जा सकता।
(3) साख पत्र स्वयं पूँजी नहीं होते, वे केवल पूँजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। साख पत्र धन के हस्तांतरण का केवल एक साधन हैं।

इस प्रकार साख केवल साधन है, साध्य नहीं है। साख की सहायता से पूँजी प्राप्त की जा सकती है, परंतु साख स्वयं पूँजी नहीं है।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.17 साख से क्या तात्पर्य है?
प्र.18 साख कितने प्रकार का होता है?
प्र.19 व्यापार की दशाएं साख को कैसे प्रभावित करती है?
प्र.20 साख पूँजी का अर्थ बताएं?

8.9 साख का महत्व

वर्तमान समय में साख का महत्व इतना अधिक है कि इसे व्यावसायिक संगठन का प्राण कहा जाता है। हॉट्रे तथा विलिस ने साख को वर्तमान आर्थिक प्रणाली की आधारशिला कहा है जिस पर सभी आर्थिक क्रियाएं आश्रित है। डेनियल वैब्स्टर के शब्दों में, ''साख ने संसार को धनी बनाने में संसार की सारी खानों की अपेक्षा हजार गुना अधिक कार्य किया है। इसने श्रम को प्रोत्साहित किया है, निर्माणकर्ताओं को प्रेरित किया है, वाणिज्य को सागरों पार तक विस्तृत किया है, और प्रत्येक राज्य तथा मानव की प्रत्येक छोटी जाति को परस्पर एक दूसरे से परिचित करा दिया है।'' साख के महत्व को साख से प्राप्त होने वाले लाभों द्वारा समझा जा सकता है जो निम्नलिखित हैः

(क) पूँजी की उत्पादन शक्ति में वृद्धि–जे.एस.मिल के अनुसार साख मुद्रा द्वारा पूँजी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण करना होता है परंतु यह हस्तांतरण उन व्यक्तियों का किया जाता है जो पूँजी का उत्पादक उपयोग कर सकते है। ब्याज पर उद्यमकर्ताओं को पूँजी उधार मिल जाने से इसका उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से उपयोग करना सम्भव हो जाता है। यद्यपि साख मुद्रा का व्यापक प्रयोग होने से समस्त पूँजी की मात्रा मे कोई परिवर्तन नहीं होता है परंतु उत्पादन क्षमता का उपयोग होन पर अभीष्टतम उत्पादन संभव हो जाता है।''

(ख) सरल भुगतानः–साख के कारण बैंकों आदि संस्थाओं का जन्म हुआ है जिनके माध्यम से भुगतान करना बहुत सरल हो गया है। साख पत्रों के प्रयोग से न केवल देशी तथा विदेशी भुगतान सरलतापूर्वक तथा सुरक्षापूर्ण ढंग से किए जा सकते हैं, बल्कि विनिमय के माध्यम के आकार में वृद्धि होती है जिससे अधिक व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त होती है।

(ग) उपभोग में वृद्धिः–साख द्वारा जीवन के भौतिक सुखों की सामयिक पूर्ति मे यथेष्ट योगदान मिलता है। एक लम्बे समय तक त्याग तथा बचत करते रहने के पश्चात् उपभोग की वस्तुएँ प्राप्त करने से अच्छा यह है कि वस्तुओं को साख के आधार पर प्राप्त कर लिया जाए और उनके मूल्य का भुगतान धीरे–धीरे होता रहे। जीवन के आरम्भ मे ही किसी व्यक्ति के द्वारा उपभोग की महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्राप्त करना केवल साख के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। अनेक व्यापारिक संस्थाएं किस्तों पर माल उधार देती है जिससे उपभोक्ता साख का निर्माण होता है। वस्तुओं की माँग बढ़ती है जिसको पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ता है तथा जीवन सुखमय होने लगता है।

(घ) मितव्ययताः—साख मुद्रा का प्रयोग करने से धातु तथा अन्य विधिग्राह्म मुद्रा की बचत होती है। विधिग्राह्म मुद्रा यदि पत्र मुद्रा ही है तो भी यह साख मुद्रा से अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ धातु कोष रखने की आवश्यकता होती है। साख पत्रों के माध्यम से देशी तथा विदेशी भुगतान करना भी मितव्ययतापूर्ण होता है।

(ङ) व्यापारिक उन्नतिः—साख के कारण देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है क्योंकि बैंको के माध्यम से व्यापारी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। व्यापारिक लेन—देन प्रायः साख तथा बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है।

(च) बचत को प्रोत्साहनः—बैंक व अन्य साख संस्थाएँ जनता की बचतों को अपने पास जमा कर लेती है जो अन्यथा निष्क्रिय ही रहती है। ब्याज के लोभ में बचत को प्रोत्साहन मिलता है तथा देश में पूँजी निर्माण की मात्रा में वृद्धि होती है।

(छ) कीमतों में स्थिरताः—सरकार तथा केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण द्वारा कीमतों में स्थिरता बनाए रख सकते है। कीमतों में वृद्धि होने पर साख संकुचन द्वारा उन्हें घटाया जा सकता है। इसके विपरीत, कीमते गिर जाने पर साख का प्रसार किया जाता है जिससे कीमते ऊपर उठने लगती हैं।

(ज) मुद्रा प्रणाली में लचकः—देश की मौद्रिक आवश्यकताओं में परिवर्तन होने पर मुद्रा की मात्रा में तत्काल परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता, परंतु यह कार्य साख की सहायता से सुविधापूर्वक किया जा सकता है। वाणिज्य बैंक देश में व्यापार तथा उद्योगों की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार साख की मात्रा का विस्तार व संकुचन करते हैं, जिससे देश की मुद्रा प्रणाली में लचक बनी रहती हैं।

(झ) आर्थिक विकास में सहायकः—आधुनिक काल में आर्थिक विकास में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विकास के व्यय में एक बड़ा भाग सरकार हीनार्थ प्रबंधन तथा सार्वजनिक ऋणों द्वारा प्राप्त करती है। साख के प्रयोग के द्वारा ही सरकार अपनी आय तथा व्यय के बीच के घाटे को पूरा करती है।

(ञ) उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम उपयोगः—आर्थिक कठिनाइयों के कारण अवरूद्ध औद्योगिक विकास के लिए साख ऐसे स्नेहक का काम करती है जिससे औद्योगिक क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि होती है और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। केन्स के विचारानुसार, पूर्ण रोज़गार की स्थिति को प्राप्त करने हेतु कीमत स्तर में मंद गति से वृद्धि होती रहनी चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण तथा विस्तार करते रहने से यह स्थिति सहज ही उत्पन्न हो जाती है। साधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा उत्पादन बढ़ने से रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है तथा आय स्तर ऊँचा होता है।

(ट) आर्थिक संकट से त्राणः—व्यक्ति तथा सरकार दोनों की साख की सहायता से आर्थिक संकटों का सामना कर सकते हैं। युद्ध अथवा अन्य विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ऋणों द्वारा अपने साधनों में वृद्धि कर सकती है।

(ठ) नियंत्रित अर्थव्यवस्थाः—केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख की मात्रा तथा दिशा में नियमित ढंग से परिवर्तन करके उसे आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुकूल मोड़ सकता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण आर्थिक नियमन का एक महत्वपूर्ण शस्त्र है।

डीफो के शब्दों में,''साख संसार में व्यापार तथा वाणिज्य के पहिए का तेल, हड्डियों की मज्जा, धमनियों का रक्त तथा हृदय का प्राण है।''

8.10 साख पत्र

साख पत्रों से अभिप्राय उन प्रपत्रों अथवा लिखतों से है, जिनके आधार पर साख अथवा ऋण का आदान प्रदान होता है। विनिमय के माध्यम के रूप में साख पत्र भी मुद्रा के समान कार्य करते हैं। इसलिए उन्हें साख मुद्रा कहा जाता है। किन्तु मुद्रा तथा साख मुद्रा में कुछ अंतर हैंः

1. मुद्रा विधिग्राह्म होती है, इसलिए उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण होता है। साख पत्रों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती, वे केवल विश्वास के आधार पर चलते हैं।
2. मुद्रा का चलन देश व्यापी होता है, जबकि साख पत्रों का क्षेत्र प्रायः सीमित होता है।
3. मुद्रा सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित की जाती है, जबकि साख पत्रा निजी व्यक्तियों अथवा बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं।
4. मुद्रा में एकरूपता होती है जबकि साख पत्र अलग–अलग प्रकार के होते हैं।
5. मुद्रा का मुक्त हस्तांतरण होता है, परंतु साख पत्रों का हस्तांतरण करने के लिए उनका बेचान करना पड़ता है।

टूल बाक्स – 08
साख पत्र इससे अभिप्राय उन प्रपत्रों से है जिनके आधार पर साख व ऋण का आदान प्रदान होता है व मुद्रा के समान कार्य करते है।

8.11 साख पत्रों के प्रकार

प्रमुख साख पत्र निम्नलिखित हैंः

(1) चैक

साख पत्रों का सर्वाधिक प्रचलित रूप चैक है। भारतीय विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम के अनुसार, चैक बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक के लिए लिखित आदेश है जिससे वह बैंक को यह आदेश देता है कि चैक में अंकित रकम उसमें लिखित व्यक्ति या उससे आदेश प्राप्त व्यक्ति या उसके धारक को माँग पर प्रदान करें। इस प्रकार चैक में तीन पक्ष होते हैं प्रथम, चैक को लिखने वाला आहार्ता, द्वितीय वह बैंक जिसके नाम चैक लिखा जाता है अथवा जिसे भुगतान का आदेश दिया जाता है यानि आहार्यी, तृतीया जिसे भुगतान दिलाना होता है, अर्थात् आदाता। (यदि चैक दिलाने वाला रकम का भुगतान स्वयं अपने लिए चाहता है तो आहार्ता तथा आदाता एक ही व्यक्ति होता है।)

चैक के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं–(1) चैक एक लिखित आदेश होता है। (2) चैक का भुगतान बिना किसी शर्त के होता है। (3) चैक सदा उस बैंक के नाम लिखा जाता है जिसमें लिखने वाले का खाता होता है। (4) भुगतान की रकम स्पष्ट रूप से अंकों व अक्षरों में लिखी होती है। (5) चैक पर आहार्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है और यह हस्ताक्षर वैसे ही हो जैसे कि वह नमूने के तौर पर बैंक मे दे चुका है। (6) चैक का भुगतान माँगने पर तुरंत कर दिया जाता है। (7) चैक का भुगतान इस पर निर्देशित व्यक्ति अथवा उसके आदेश प्राप्त व्यक्ति अथवा चैक के वाहक को किया जाता है। चैक कई प्रकार के होते है जैसे

(क) बेयरर या वाहक चैकः–यह वह चैक है जिसका भुगतान निर्देशित व्यक्ति को अथवा किसी भी व्यक्ति को जो बैंक को प्रस्तुत करे दिया जा सकता है। इस प्रकार चैक का हस्तांतरण करने के लिए चैक पर किसी प्रकार बेचान अथवा आदाता के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं होती, यद्यपि बैंक कभी–कभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हस्ताक्षर ले लेता है। इस प्रकार यह चैक पूर्णतया हस्तान्तरणीय होता है।

(ख) ऑर्डर या आदेशित चैकः–इस प्रकार के चैक का भुगतान केवल उस व्यक्ति को किया जाता है जिसका नाम चैक पर लिखा होता है। यदि वह व्यक्ति इसका हस्तान्तरण किसी अन्य

व्यक्ति को करता है उस चैक की पीठ पर दूसरे व्यक्ति का नाम तथा उसे भुगतान का आदेश लिखकर अपने हस्ताक्षर करने होगें। चैक पर छपा हुआ बेयरर शब्द काट देने से चैक को आसानी से ऑर्डर चैक में बदला जा सकता है।

(ग) रेखांकित चैकः—इस प्रकार के चैक का भुगतान किसी भी व्यक्ति को नकद मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है। इसकी रकम उस व्यक्ति अथवा उसमें आदेश प्राप्त व्यक्ति के खाते में जमा की जाती है। ऐसे चैक के बायीं ओर ऊपरी भाग में दो आड़ी रेखाएं खींचकर शब्द लिखे जाते हैं।

रेखांकित चैक भी तीन प्रकार के होते है

(क) साधारण रेखांकित चैकः—चैक की बायीं ओर के कोने में दो आड़ी रेखाओं के बीच एंड कंपनी अथवा नॉट निगोशिएबल शब्द लिख दिए जाने का यह अर्थ नहीं होता कि चैक को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। इसका आशय केवल यह है कि हस्तांतरणकर्ता केवल उसी प्रकार के अधिकार का हस्तांतरण कर सकता है जैसा कि उसे स्वयं प्राप्त है।

(ख) विशेष रेखांकित चैकः—इसमें रेखांकन के साथ—साथ भुगतान लेने वाले बैंक का नाम भी लिख दिया जाता है।

(ग) एकाउण्ट पेयी चैकः—इस चैक की दोनों रेखाओं के बीच एकाउण्ट पेयी लिखा होता है जिससे चैक की रकम केवल आदाता के ही खाते में जमा की जाती है बैंक किसी अन्य किसी व्यक्ति को इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता। यदि आदाता का बैंक में खाता नहीं है तो उसे चैक का भुगतान लेने के लिए उस बैंक में खाता खोलना पड़ेगा।

(2) विनिमय बिल

भारतीय विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम के अनुसार,''विनिमय बिल एक ऐसा पत्र है जो इसके लिखने वाले के द्वारा हस्तांतरित होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को एक शर्तरहित आदेश होता है कि निश्चित रकम किसी व्यक्ति को उसके आदेशानुसार अथवा पत्र के वाहक को दी जाय।''

विनिमय बिल के भी तीन पक्ष होते हैं—(1) **आहार्ता,** जो बिल को लिखता है, वह प्रायः लेनदान होता है, **(2) आहार्यी**—वह व्यक्ति जिस पर बिल लिखा जाता है और जो इसे स्वीकार करता है वह प्रायः ऋणी अथवा देनदार होता है तथा **(3) आदाता,** जिसे बिल की रकम का भुगतान प्राप्त होता है आहार्ता तथा आदाता दोनों एक ही हो सकते है अथवा अलग—अलग भी।

विनिमय बिल के मुख्य लक्षण ये होते है

1. यह लिखित आदेश होता है।
2. यह एक बिना शर्त आज्ञापत्र होता है।
3. साधारणतः यह ऋणदाता द्वारा ऋणी पर लिखा जाता है।
4. इस पर ऋणदाता अथवा आहार्ता के हस्ताक्षर होते है।
5. इस पर ऋणी अथवा आहार्यी की स्वीकृति तथा हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
6. बिल का भुगतान माँगने पर अथवा निश्चित अवधि की समाप्ति पर किया जाता है।
7. विनिमय बिल मे लिखी गई रकम निश्चित होती है।
8. बिल का भुगतान किसी विशेष व्यक्ति अथवा उससे आदेश प्राप्त व्यक्ति अथवा वाहक को ही किया जाता है।

विनिमय बिल के प्रकार—भुगतान की अवधि के आधार पर बिल दो प्रकार के होते हैं

(1) दर्शनी बिल, जिसका भुगतान माँग पर अथवा बिल को प्रस्तुत करने पर करना पड़ता है।

(2) मुद्दती बिल, जिसका भुगतान बिल में लिखी हुई अवधि के बाद ही किया जाता है। मुद्दती बिल में लिखित समय की अवधि में तीन अनुग्रह दिवस भी रियायत के रूप में दिए जाते हैं। मुद्दती बिलों पर मूल्यानुसार टिकट लगाना अनिवार्य होता है, किंतु दर्शनी बिल पर स्टाम्प लगाना आवश्यक नहीं होता।

टूल बाक्स — 09
साख पत्रों के प्रकार

- चैक
- विनिमय बिल
- प्रतिज्ञा पत्र
- हुण्डी
- बैंक ड्राफ्ट
- साख प्रमाण पत्र
- बुक क्रेडिट
- यात्री चैक
- क्रेडिट कार्ड
- कोषागार विपत्र

स्थान के विचार से भी विनिमय बिल दो प्रकार के होते है–**(1) देशी बिल,** जिसे लिखने वाला और स्वीकार करने वाला दोनों एक ही देश के रहने वाले होते हैं। **(2) विदेशी बिल,** जिसे एक देश में रहने वाला व्यक्ति लिखता है और दूसरे देश में रहने वाला स्वीकार करता है। विदेशी बिल प्रायः तीन प्रतियों में लिखे जाते है और तीनों को अलग–अलग डाक से स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जो प्रति सबसे पहले पहुँचती है उस पर स्वीकृति दे दी जाती है। विदेशी बिल पर दो बार स्टाम्प लगाने पड़ते है, लिखने वाले के देश में तथा स्वीकारकर्ता के देश में।
बिल के उद्देश्य के विचार से भी विनिमय बिल दो प्रकार के होते है।
(1) व्यापारिक बिल, जिसका उद्देश्य व्यापार के लिए रकम या सामान उधार लेना देना होता है तथा, (2) अनुग्रह बिल, जो आपसी सहायता के लिए लिखे जाते हैं।

विनिमय बिलों के लाभ–विनिमय बिलों के प्रयोग से लेनदार तथा देनदार दोनों को लाभ होता है–

1. व्यापारियों को बिल की अवधि तक माल उधार मिल जाता है, इस बीच में वे माल बेचकर भुगतान के लिए धन प्राप्त कर लेते हैं।
2. लेनदार को यह लाभ होता है कि यदि बिल की अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही उसे धन की आवश्यकता होती है तो वह बैंक से भुना सकता है, बैंक बाकी बचे समय का ब्याज काटकर नकद रकम दे देता है।
3. भुगतान की तिथि निश्चित होने के कारण भुगतान का प्रबंध पहले से ही किया जा सकता है।
4. बिल द्वारा ऋणी अपनी स्वीकृति देकर ऋण का लिखित प्रमाण देता है।
5. अनुग्रह बिलों द्वारा व्यापारी आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते है।
6. ऋण को हस्तांतरित करने का यह एक सरल उपाय है।

विनिमय बिल तथा चैक में तुलना– दोनों में अनेक समानताएँ है जैसे–(1) दोनों में तीन पक्ष होते हैं–आहार्ता, आहायीं तथा आदाता। (2) दोनों बिना शर्त आदेश है, (3) दोनों पर आहार्ता के हस्ताक्षर होते है। (4) दोनों विनिमय साध्य है, (5) दोनों पर बेचान किया जा सकता है, (6) दोनों की रकम वाहक को या आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को दी जाती है।
दोनों में असमानताएँ ये हैं–(1) बिल पर देनदार की स्वीकृति होती है जो कि चैक पर नहीं होती। (2) बिल को रेखांकित नहीं किया जाता, जबकि चैक रेखांकित हो सकता है। (3) बिल में किसी व्यक्ति अथवा फर्म को भुगतान का आदेश होता है, जबकि चैक में यह आदेश बैंक के लिए होता है। (4) बिल का भुगतान निश्चित तिथि को होता है, जबकि चैक का भुगतान तुरंत किया जाता है। (5) बिल के अप्रतिष्ठित होने की सूचना सभी संबंधित पक्षों को देना आवश्यक है, जबकि चैक की अप्रतिष्ठा की सूचना नहीं दी जाती है। (6) बिलों पर स्टाम्प लगाना होता है

परंतु चैक पर कोई स्टाम्प नहीं होता तथा (7) विदेशी बिल तीन प्रतियों में लिखे जाते है परंतु चैक सदा एक ही लिखा जाता है।

(3) प्रतिज्ञा पत्र

भारतीय विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम के अनुसार, ''प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित पत्र होता है जिसमें इसके लिखने वाला इसमें अंकित रकम इसमें लिखे हुए व्यक्ति या पक्ष को या उसके आदेशानुसार या उसके वाहक को बिना शर्त देने की प्रतिज्ञा करता है।'' इस प्रकार प्रतिज्ञा पत्र अथवा प्रोनोट में केवल दो पक्ष होते है–एक लिखने वाला, जो प्रायः ऋणी होता है तथा दूसरा प्राप्तकर्ता जो लेनदार होता है। प्रतिज्ञा पत्र पर उसकी रकम के अनुसार रेवेन्यु स्टाम्प लगा होता है।

प्रतिज्ञा पत्र तथा विनिमय पत्र में मुख्य अंतर ये हैं–(1) प्रतिज्ञा पत्र में दो पक्ष होते है जबकि विनिमय पत्र में तीन पक्ष होते है। (2) प्रतिज्ञा पत्र को देनदार लिखता है जबकि विनिमय बिल लेनदार द्वारा लिखा जाता है। (3) प्रतिज्ञा पत्र पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती जबकि बिल पर स्वीकृति होना आवश्यक होता है। (4) प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है जबकि बिल में भुगतान का आदेश होता है। (5) प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान की जिम्मेदारी लिखने वाले की होती है, बिल में स्वीकार करने वाला भुगतान का जिम्मेदार होता है। (6) प्रतिज्ञा पत्रों को व्यक्तिगत तथा व्यापारिक दोनों प्रकार के लेन–देन के लिए प्रयोग किया जाता है जबकि विनिमय बिलों का प्रयोग केवल व्यापारिक कार्यो के लिए ही होता है।

प्रतिज्ञा पत्र तथा चैक में अंतर ये हैं–(1)प्रतिज्ञा पत्र में दो पक्ष होते है, जबकि चैक में तीन पक्ष होते हैं। (2) प्रतिज्ञा पत्र स्वयं पर लिखा जाता है, चैक किसी बैंक पर लिखा जाता है। (3) प्रतिज्ञा पत्र एक प्रतिज्ञा है चैक एक आदेश है। (4) प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान माँग या कुछ समय बाद किया जाता है, चैक का भुगतान माँग पर होता है (5) प्रतिज्ञा पत्र ऋणी द्वारा लिखा जाता है चैक लिखने वाले व्यक्ति की रकम बैंक में जमा होती हैं (6) प्रतिज्ञा पत्र पर स्टाम्प लगता है चैक पर स्टाम्प नहीं लगाना पडता।

(4) हुण्डी

हुण्डी एक भारतीय साख पत्र है जिसका चलन देश में लगभग दसवीं शताब्दी से होता आया है। यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न भाषाओं में तथा विभिन्न रीतियों में लिखी जाती है तथा इसका रूप सुनिश्चित नहीं होता। हुण्डी भारतीय साध्य विपत्र अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। विनिमय बिल के समान हुण्डी पर भी स्टाम्प होता है।

समय की दृष्टि से हुण्डी दो प्रकार की होती है–**(1) दर्शनी हुण्डी,** जिसका माँगने पर तुरंत भुगतान कर दिया जाय, इस पर स्टाम्प की आवश्यकता नहीं होती तथा **(2) मुद्दती हुण्डी,** जिसका भुगतान एक निश्चित मुद्दत अथवा अवधि के बाद किया जाता है इसमें भुगतान की तिथि लिख दी जाती है परंतु इसमें रियायती दिन देने की प्रथा है।

भुगतान पाने वाले की दृष्टि से हुण्डी चार प्रकार की होती है–(1) **देखनहार हुण्डी,** जिसका भुगतान वाहक को कर दिया जाता है तथा हस्तांतरण के लिए बेचान की आवश्यकता नहीं होती। (2) **धनी जोग हुण्डी,** जिसका भुगतान हुण्डी में लिखित व्यक्ति अथवा धनी को या उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को किया जाता है और जिसके हस्तांतरण के लिए इसकी पीठ पर बेचान करना आवश्यक होता है, (3) **नाम जोग हुण्डी,** जिसका भुगतान केवल हुण्डी में लिखित व्यक्ति को ही किया जाता है तथा (4) **शाह जोग हुण्डी,** जिसका भुगतान किसी प्रतिष्ठित व्यापारी को ही किया जाता है।

(5) बैंक ड्राफ्ट

बैंक ड्राफ्ट ऐसा साख पत्र है जिसके द्वारा एक बैंक अपनी किसी शाखा अथवा किसी अन्य बैंक को लिखित आदेश देता है कि ड्राफ्ट में लिखी हुई रकम लिखित व्यक्ति को या उससे आदेश प्राप्त व्यक्ति को दे दी जाय। बैंक ड्राफ्ट में विनिमय बिल तथा चैक दोनों के गुण पाए जाते हैं। बैंक ड्राफ्ट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को रकम भेजने के लिए बैंक में रकम जमा करा दी

जाती है। ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक कमीशन वसूल करता है। बैंक द्वारा ड्राफ्ट रकम देने वाले को दिया जाता है जो कि डाक द्वारा इसे उस व्यक्ति को भेज देता हैं। जिसकों भुगतान प्राप्त करना होता है और वह चैक के समान ही ड्राफ्ट बैंक में प्रस्तुत करके रकम वसूल कर लेता है।

(6) साख प्रमाण पत्र

साख प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति फर्म अथवा बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा बैंक पर लिखा गया साख पत्र होता है जो यह प्रार्थना करता है कि वह पत्र में अंकित व्यक्ति को एक निश्चित रकम का भुगतान कर दे। इसमें एक तिथि लिख दी जाती है और रकम उसी तिथि तक प्रदान की जाती है। ये प्रमाण पत्र दो प्रकार के होते हैः (1) **साधारण साख प्रमाण पत्र,** जो किसी एक बैंक या एक व्यक्ति के नाम ही लिखा जाता है, (2) **चलायमान साख प्रमाण पत्र,** जो एक ही साथ बैंक की विभिन्न शाखाओं तथा संबंधित बैंकों को लिखा जाता है। विभिन्न स्थानों पर लिए गए ऋण की रकम प्रमाण पत्र की पीठ पर लिख दी जाती है।

विदेशी व्यापार में साख प्रमाण पत्रों का काफी अधिक प्रयोग किया जाता है। आयातकर्ता की ओर से उसका बैंक दूसरे निर्यातकर्ता को उस देश में किसी बैंक के माध्यम से निश्चित शर्ते पूरी करने पर विशिष्ट भुगतान करने का आश्वासन देता है।

(7) बुक क्रेडिट

बुक क्रेडिट अथवा किताबी साख वह है जिसमें जब कोई व्यापारी अपना माल उधार बेचता है या कोई बैंक ऋण देता है तो दी गयी रकम को खाते में लिख लिया जाता है। साख के लिए अलग से कोई पत्र अथवा रूक्का नहीं लिखा जाता, खाते मे लिखे हुए साख के विवरण को वैधानिक रूप मे भी स्वीकार कर लिया जाता है। आधुनिक युग में व्यापारी किताबी साख का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। प्रायः इस प्रकार के ऋणों का आपसी लेन–देन द्वारा ही समायोजन हो जाता है, इसके बाद जो कुछ बचत है उसका नकद भुगतान कर दिया जाता है। बैंक अपने आपसी लेन–देन किताबी साख द्वारा की करते हैं और उनके खातों के समायोजन का कार्य समाशोधन गृह करते हैं।

(8) यात्री चैक

यात्री चैकों का प्रयोग यात्रियों द्वारा किया जाता है, जो उन्हें प्रस्तुत करके चैक जारी करने वाले बैंक की किसी शाखा अथवा किसी अन्य संबंधित संस्था से रकम वसूल कर सकते है। इनको एक निश्चित अवधि तक ही प्रयोग किया जा सकता है, इसके बाद रकम केवल जारी करने वाले बैंक से ही प्राप्त की जा सकती है। चैक जारी करने वाला बैंक चैक पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करा लेता है जिसे भुगतान लेना होता है। यह हस्ताक्षर भुगतान करने के पहले मिला लिए जाते है। इसलिए इनके खो जाने पर भी गलत व्यक्ति को भुगतान होने की संभावना नहीं रहती।

(9) क्रेडिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया ऐसा कार्ड है जिसका प्रयोग करके कार्ड का धारक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का एक निश्चित सीमा तक क्रय कर सकता है। क्रेडिट कार्ड के आधार पर की गई बिक्री का भुगतान विक्रेताओं द्वारा बैंक से प्राप्त कर लिया जाता है। कार्ड का धारक इस राशि का भुगतान बैंक को करता है। यदि भुगतान करने में निर्धारित समय से विलंब होता है तो बैंक इस पर ब्याज प्राप्त करता है। अधिकांश क्रेडिट कार्ड धारक को यह सुविधा देते है कि वह बैंक की किसी शाखा से एक निश्चित सीमा तक नकदी प्राप्त कर सकता है। भारत में पिछले कुछ वर्षो से क्रेडिट कार्ड का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है। यहाँ तक कि, किसानों की सुविधा के लिए अलग से किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। अनेक बैंकों द्वारा जारी किए गए एटीएम का प्रयोग डेबिट कार्ड के रूप में भी किया जा सकता है। यह क्रेडिट कार्ड से इस बात में भिन्न है कि इसका प्रयोग करने पर विक्रेता कार्ड धारक के बैंक खाते से रकम प्राप्त कर लेता है।

(10) ट्रेजरी बिल्स अथवा कोषागार विपत्र

जब सरकार को अल्पकाल के लिए ऋण की आवश्यकता होती है तो वह ट्रेजरी बिल्स जारी करती है, जिनकी अवधि प्रायः 3, 6, 9 अथवा 12 मास होती है। निश्चित अवधि के समाप्त होने पर इनका भुगतान सरकार से प्राप्त किया जाता है। इनके बेचने के लिए सरकार टेण्डर माँगती है और जिस टेण्डर में ब्याज व बट्टे की दर कम माँगी जाती है उसी को बिल बेच दिए जाते है। बट्टे की रकम ऋणदाता पहले से ही काट लेता है।

उपर्युक्त साख पत्रों के अतिरिक्त अनुग्रह बिल तथा मिश्रित पूँजी कंपनियों के ऋण पत्र तथा बॉण्ड आदि भी उल्लेखनीय हैं।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.21 साख पत्र का अर्थ बताएँ?
प्र.22 साख पत्रों के कितने प्रकार होते है?
प्र.23 विनिमय बिल में कितने पत्र होते है?
प्र.24 हुण्डी का अभिप्राय है व कितने प्रकार?
प्र.25 कोषागार विपत्र की अवधि कितनी होती है?

विनिमय साध्य साख पत्र

जिन साख पत्रों का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे को केवल उनकी सुपुदृगी देने से या बेचान लिखकर सुपुदृगी देने से हस्तांतरित किया जा सकता है, उन्हें विनिमय साध्य पत्र कहते हैं। चैक, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, बैंक ड्राफ्ट आदि विनिमय साध्य साख पत्र है। विनिमय साध्यता के लिए बेचान कई प्रकार से किया जा सकता है।

1. **सामान्य बेचान**–इनमें साख पत्र की पीठ पर बेचान करने वाला केवल अपने हस्ताक्षर करता है किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं लिखता।
2. **विशेष बेचान**–इसमें बेचान करने वाला भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम लिखकर अपने हस्ताक्षर करता है।
3. **प्रतिबंधित बेचानः**–इसमें बेचान करने वाला भुगतान प्राप्त करने वाले के नाम के आगे केवल लिखकर यह प्रतिबंध लगा देता है कि इसका पुनः बेचान न हो सके।
4. **उतरदायित्व बेचानः**–इसमें बेचानकर्ता अपने उतरदायित्व से बचने के लिए अपने हस्ताक्षर के नीचे दायित्वरहित अथवा शब्द लिख देता है।

बैंकों द्वारा साख का निर्माण

वर्तमान अर्थव्यवस्था में साख के महत्व की व्याख्या करने के पश्चात् यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह देखें कि साख का निर्माण किस प्रकार होता है तथा उसकी सीमाएं क्या हैं?

किसी भी देश में जिस प्रकार विधिग्राह्म मुद्रा का निर्माण वहाँ की सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, वहाँ की बैंकिग व्यवस्था साख का निर्माण करती है।

सेयर्स के अनुसार, ''बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थाएँ नहीं है, अपितु एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा की निर्माता भी है।'' अधिकांश मुद्रा शास्त्री–हार्टले विदर्स, केन्स, सेयर्स, हाम आदि–यह स्वीकार करते है कि बैक का महत्वपूर्ण कार्य साख का निर्माण करना है।

वैसे तो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए नोट भी एक प्रकार साख पत्र ही है, क्योंकि उनका निर्गमन शत–प्रतिशत धात्विक कोष के बजाय केंद्रीय बैंक की साख पर आधारित होता है, परंतु चूंकि इन नोटों को विधिग्राह्म मुद्रा का रूप प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें व्यवहार में बैंक साख अथवा बैंक मुद्रा से अलग समझा जाता है।

बैंक मुद्रा अथवा साख मुद्रा का संबंध वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा की गई उस राशि से होता है जिसे चैक के द्वारा निकाला जा सकता है। चूँकि यह माँग पर देय होती है इसलिए इसे माँग

जमा अथवा जमा मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की बैंक जमा बढ़ने पर ही साख मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है।

बैंक अपनी कुल जमाराशि से कई गुना अधिक राशि उधार देकर साख मुद्रा का निर्माण करते हैं।

केन्स तथा सी.ए. फिलिप्स के विचारों के आधार पर प्रो. हाम ने दो प्रकार की जमाराशियों का उल्लेख किया है–**प्रारम्भिक जमा** तथा **व्युत्पन्न जमा।** प्रारम्भ जमा से अभिप्राय उन जमाराशियों से है जो नकदी अथवा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमाकर्ता बैंक में जमा करते हैं। इनकों निष्क्रिय जमा अथवा नकद जमा भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत, जब बैंक किसी को ऋण देने के उद्देश्य से उसके नकद साख खाते में कुछ रकम लिख देता है, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाली जमा व्युत्पन्न जमा कहलाती है। इसको साख जमा अथवा गौण जमा भी कहते हैं। व्युत्पन्न जमा प्रारम्भिक जमा का ही परिणाम होती है, क्योंकि बैंक नकद जमा का कुछ भाग कोष में रखकर साख जमा की ही सृजन करता है। **हाम** के अनुसार,''व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन है।''

इस प्रकार बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतना ही अधिक साख उत्पन्न होती है तथा ऋण का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि जमाराशियाँ साख को जन्म देती है और साख जमाराशियों को जन्म देती है।

साख मुद्रा के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन क्रमशः एक बैंक तथा बहु बैंक बैंकिग प्रणाली के अंतर्गत किया जा सकता है।

देश में केवल एक ही बैंक होने की स्थिति में, मान लीजिए इस बैंक को माँग जमा के रूप में कुल 1,000 रू. की राशि प्राप्त होती है। यदि बैंक इस सम्पूर्ण राशि को नकद कोष के रूप में अपने पास रख लेता है, तो 1,000 रू. की वास्तविक मुद्रा बैंक मुद्रा में बदल जाती है। चूंकि बैंका को प्राप्त जमाराशि पर ब्याज देनी पड़ती है और बैंक यह जानता है कि जमाकर्ता एक साथ सम्पूर्ण राशि निकालने की माँग नहीं करेंगे, इसलिए इस रकम का एक निश्चित भाग नकद कोष में रखकर शेष 800 रू. बैंक किसी को ऋण के रूप में दे देता है अथवा प्रतिभूतियों आदि में निवेश करता है। बैंक को 1,000 रू. की नकद जमा प्राप्त होने पर वास्तविक मुद्रा बैंक मुद्रा में बदल गयी थी, परंतु मुद्रा की कुल पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अब 800 रू. के ऋण देकर बैंक द्वारा लोगों को इतनी बैंक मुद्रा का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। बैंक ने अपने पास केवल 200 रू. की नकद मुद्रा रखकर जनता के लिए 1,000 रू. की बैंक मुद्रा की व्यवस्था की है जिसके परिणामस्वरूप 800 रू. की नकद मुद्रा बैक मुद्रा में बदल गई है। एक व्यक्तिगत बैंक यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपनी नकद जमा से अधिक मात्रा में वह ऋण दे सकता है अथवा विनियोग कर सकता है। 20 प्रतिशत नकद कोष रखने पर यह बैंक 1,000 रू. की नकद जमा प्राप्त होने पर 800 रू. तक के ऋण दे सकेगा, अधिक नहीं।

यद्यपि कोई एक बैंक व्यक्तिगत रूप से अपनी कुल प्रारम्भिक जमा का केवल कुछ ही भाग ऋणों व निवेशों मे लगा सकता है, परंतु बहु बैंक बैंकिग प्रणाली के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में संपूर्ण बैंकिग प्रणाली कुछ प्रारंभिक जमाओं की राशि से कई गुना अधिक राशि ऋणों तथा निवेशों में लगातार साख मुद्रा का निर्माण करती है। परिणामस्वरूप व्युत्पन्न जमाओं का आकार प्रारंभिक जमाओं के आकार से कई गुना अधिक हो सकता है। सम्पूर्ण बैंकिग प्रणाली की दृष्टि से साख मुद्रा के निर्माण की इस प्रक्रिया को बैंक जमाओं का बहुगुणक विस्तार कहते हैं। इस प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

पहले का उदाहरण लेने हुए यदि एक बैंक की प्रारंभिक जमा 1,000 रू. है, तो इसमें से वह 20 प्रतिशत कोष में रखकर 800 रू. का ऋण देता है जो ऋणी के माँगने पर प्राप्त किया जा सकता है। इस ऋणी को अब यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऋण की राशि के बराबर चैक काट सकता है। इस बैंक का ऋणी जब विभिन्न भुगतानों के लिए चैक काटता है तो ये बैंक अन्य बैंकों में उनकी प्रारंभिक जमा राशि के रूप में जमा हो जाते है। इस प्रकार एक बैंक की

व्युत्पन्न जमा दूसरे बैंकों की प्रारंभिक जमा बन जाती है। मान लीजिए, यह 800 रू. की रकम किसी प्रकार दूसरे बैंक के पास जमा के रूप में पहुँच जाती है जो यह बैंक इसका 20 प्रतिशत कोष में रखकर शेष 640 रू. की रकम पुनः उधार दे देगा। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक कि सम्पूर्ण बैंकिग व्यवस्था की जमा पाँच गुनी नहीं बढ जाती।

क्या बैंक वास्तव में साख का निर्माण करते हैं?

साख तथा जमाराशि का निर्माण बैंक करता है अथवा जमाकर्ता? इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है।

हार्टले विद्र्स के अनुसार, ''ऋण जमाराशियों को जन्म देते है और उनके निर्माण का श्रेय बैंकों को है।'' यह ठीक है कि जमाकर्ता तथा ऋणी अपनी रकम को बैंक से निकालने अथवा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र होते है, परंतु यह निकाली गई या हस्तांतरित की गई रकम किसी अन्य बैंक अथवा बैंक में पुनः जमा होने की प्रवृति दिखाती है। एक बैंक द्वारा दिया गया ऋण किसी अन्य बैंक अथवा बैंक की जमा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज की बैंकिग प्रणाली में व्युत्पन्न जमाराशियों का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि सेलिगमैन के अनुसार,''पहले बैंक नकद जमा में व्यवसाय करते थे, आजकल वे प्रमुख रूप से साख जमा में व्यवसाय करते है।''

उपर्युक्त मत के विपरीत डा. वाल्टर लीफ तथा प्रो. कैनन के अनुसार साख निर्माण का श्रेय बैंक को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका आरम्भ जमाकर्ता द्वारा होता है। जमाराशियों से ही बैंक को साधन उपलब्ध होते है और बैंक ऋण इसलिए दे पाते हैं कि जमाकर्ता अपनी पूरी रकम बैंक से एक साथ नहीं निकालते। डॉ. कैनन ने बैंकिग प्रणाली की तुलना एक सामान घर से की है। मान लीजिए, रात्रि क्लब के 100 सदस्य अपना–अपना छाता सामान घर में जमा कराते हैं। छाता रखने वाला व्यक्ति अपने अनुभव से यह जानता है कि एक घंटे में 10 से अधिक छाते नहीं माँगे जाएंगे। वह एक रात के लिए 90 छाते किराये पर देकर लाभ कमा लेता है। परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति ने 90 छातों का निर्माण लिया है। यही स्थिति बैंक की भी है। इसी प्रकार के तर्को को ध्यान में रखते हुए कैनन ने लिखा है कि ''प्रत्येक व्यावहारिक बैंकर जानता है कि वह साख मुद्रा अथवा किसी अन्य वस्तु को निर्माता नहीं है, वरन् एक ऐसा व्यक्ति है जो उन व्यक्तियों से जिनके पास साधन है, अन्य व्यक्तियों को जो उनका प्रयोग कर सकते हैं, ऋण दिलाने की सुविधा प्रदान करता है।''

वास्तविकता यह है कि लीफ तथा कैनन के विचार भ्रमात्मक है और उन्हें केवल यहाँ तक माना जा सकता है कि बैंकों द्वारा साख निर्माण के कार्य में जमाकर्ताओं का सहयोग बैंक को प्रोत्साहन देता है। साख निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करते समय हम यह देख चुके है कि **एक अकेला बैंक एक रूपये की नकद जमा प्राप्त होने पर 5 रूपये की बैंक मुद्रा का निर्माण नहीं कर सकेगा। परंतु संपूर्ण बैंकिग प्रणाली में सभी बैंक मिलकर यह कार्य आसानी से कर सकते हैं जबकि व्यक्तिगत रूप में सभी बैंकों ने अपनी प्रारंभिक जमाओं का केवल 4/5 भाग ऋण तथा निवेश के रूप में प्रयोग किया है।** बैंकों द्वारा साख का निर्माण केवल नकद जमा तथा साख के द्वारा ही नहीं, बल्कि अधिकवर्ष की सुविधाएँ देकर भी किया जाता है। प्रतिभूतियों को खरीदकर इनका भुगतान अपने साधनों द्वारा करके भी बैंक साख का सृजन करते हैं। केंद्रीय बैंक से अपने बिलों को पुनः भुनाकर भी बैंक अपनी साख निर्माण की शक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए यहीं कहना अधिक ठीक होगा कि बैंक साख का निर्माण करते हैं।

8.12 साख निर्माण की सीमाएँ

यह समझ लेना आवश्यक है कि बैंक मुद्रा के निर्माण की उपर्युक्त प्रक्रिया केवल एक आदर्श स्थिति को व्यक्त करती है। प्रारंभिक जमा के आधार पर साख अथवा व्युत्पन्न जमा का

अनुमानित मात्रा में निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित चार मान्यताओं के अंतर्गत ही संभव होता है:

1. बैंक पर लिखे गए चैकों का भुगतान जमाकर्ताओं के खातों में चैक की रकम जमा करके होता है, नकदी के रूप में नहीं।
2. बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक को न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात का भुगतान करने के अलावा बैंकों को नकदी रखने की आवश्यकता नहीं होती है।
3. जनता बैंकों से बैंकों की अधिकतम ऋण देने की शक्ति तक ऋण लेने को तैयार है।
4. बैंक अपनी अधिकतम ऋण देने की शक्ति तक जनता को ऋण देने के लिए तैयार हैं।

व्यावहारिक रूप से उपर्युक्त मान्यताएँ अवास्तविक है। सभी लोग अपने चैकों को बैंक में जमा नहीं करते, इसलिए नकद भुगतान करने के लिए बैंकों को अपने पास कुछ नकदी अवश्य रखनी पड़ती है। यह भी आवश्यक नहीं कि जनता द्वारा बैंक ऋणों की माँग इतनी ही हो जितनी कि बैंक की अधिकतम उधार देने की शक्ति है। ऋण की माँग अनेक बातों से प्रभावित होती है तथा मंदी काल में तो माँग बहुत कम होती है। यह भी आवश्यक नहीं कि बैंक सदा अपनी अधिकतम ऋण देने की शक्ति के बराबर ही ऋण देगा। बैंक को लाभ के साथ–साथ ऋणों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। इन कठिनाईयों के कारण पूर्णतया स्वतंत्र रहने पर भी बैंक अनियंत्रित मात्रा में साख का निर्माण नहीं कर पाता। साख निर्माण की अपनी कुछ सीमाएँ हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैः–

(1) देश में विधिग्राह्म मुद्रा की कुल मात्राः–बैंकों के पास आने वाली प्रारंभिक जमा की मात्रा देश में विधिग्राह्म मुद्रा की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। मुद्रा की मात्रा अधिक होने पर बैंकों की जमाराशियाँ बढ़ती हैं जिनके आधार पर अधिक साख का निर्माण संभव होता है। मुद्रा स्फीति के दिनों में बैंकों की जमा तथा कोष बढ़ जाते हैं तथा उनके दिए हुए ऋणों की मात्रा भी बढ़ती है। इसके विपरीत, मुद्रा संकुचन की स्थिति में बैंकों की नकद अथवा प्रारंभिक जमा मे कमी होती है, जिससे बैंकों की साख निर्माण की शक्ति कम होती है।

(2) लोगों की नकदी रखने की आदतः–बैंकों की साख निर्माण की शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोग अपने पास नकद मुद्रा रखना चाहते हैं अथवा भुगतान करने के लिए चैक का प्रयोग करते हैं। यदि लोग अपने पास नकदी रखना अधिक पसंद करते हैं तो जैसे ही बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा, ऋणी बैंक से नकद रकम ले लेगा। बैंकों के नकद कोष कम हो जाने पर उनकी साख निर्माण की शक्ति भी घट जाएगी। इसके विपरीत, बैंकिग की आदत अधिक होने पर चैकों का अधिक प्रयोग होगा तथा बैंकों की साख निर्माण की शक्ति भी अधिक होगी।

टूल बाक्स – 10
साख निर्माण की सीमाएं • देश में विधिग्राह्म मुद्रा की कुल मात्रा • लोगों की नकदी रखने की आदत • बैंकों के नकद कोष • बैंकों के केंद्रीय बैंक के पास रक्षित कोष • केंद्रीय बैंक साख संबंधित नीति • अन्य बैंकों की साख संबंधित नीति • प्रारंभिक जमाओं की मात्रा

(3) बैंको के नकद कोषः–कुल जमाराशियों का न्यूनतम अनुपात जो बैंकों द्वारा नकद कोष के रूप में रखा जाता है, बैंकों की साख निर्माण की शक्ति को प्रभावित करता है। कुछ देशों में इस

प्रकार का अनुपात केंद्रीय बैंक अथवा सरकार द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। कुल जमा के अनुपात में नकद कोषों की मात्रा कम रहने पर बैंक अधिक साख का निर्माण कर सकते हैं। इसके विपरीत, न्यूनतम कोषों का अनुपात अधिक होने पर बैंकों की साख निर्माण की शक्ति काफी सीमित होती है। बैंकों के नकद कोषों का अनुपात मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करता है–बैंकों पर क़ानूनी प्रतिबंध, जनता द्वारा नकदी की माँग तथा बैंकों की स्थिति।

(4) बैंकों के केंद्रीय बैंक के पास रक्षित कोषः–प्रत्येक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास अपनी चालू तथा निश्चितकालीन जमाओं अथवा माँग तथा काल दायित्वों का कुछ भाग रक्षित कोष के रूप में रखना पडता है। कुल जमाराशियों के अनुपात में रक्षित कोष की मात्रा जितनी अधिक होगी, बैंकों की साख निर्माण की शक्ति उतनी ही अधिक सीमित होगी।

(5) केंद्रीय बैंक की साख संबंधी नीतिः–प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों की साख निर्माण की सीमा निर्धारण करने के लिए न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपातों में परिवर्तनों के अतिरिक्त बैक दर तथा खुले बाज़ार की क्रियाओं आदि से संबंधित नीति में समय–समय पर परिवर्तन करके बैंकों द्वारा साख निर्माण को प्रभावित करता है। केंद्रीय बैंक की नीति का उद्देश्य साख के विस्तार का नियंत्रण करना होने पर, बैंक साख निर्माण की मात्रा को सीमित रखने पर विवश हो जाते हैं।

(6) अन्य बैंकों की साख निर्माण संबंधी नीतिः–बहु बैंक बैंकिग प्रणाली में साख निर्माण के संबंध में प्रत्येक बैंक को अन्य बैंक की साख निर्माण नीति को ध्यान में रखना पड़ता है। एक बैंक विशेष द्वार अन्य बैंक की तुलना में अधिक निर्माण करने की उसकी नकदी शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी, क्योंकि इस बैंक के ऋणियों द्वारा दिए गए चैक जब अन्य बैंकों के पास पहुँचेंगे तो इस बैंक को नकदी देकर भुगतान करना पड़ेगा। अन्य बैंकों की तुलना में साख निर्माण कम होने पर इस बैंक के नकद कोष में वृद्धि होगी तथा यह साख का विस्तार करेगा। इस प्रकार कोई एक बैंक अन्य बैंकों से भिन्न नीति अपनाकर अपनी बरबादी का उपाय स्वयं ही कर लेता है। सफल संचालन के लिए कोई भी बैंक साख निर्माण के कार्य में अन्य बैंकों के आगे या पीछे अधिक समय तक नहीं रह सकता।

(7) प्रारंभिक जमाओं की मात्राः–लोगों द्वारा बैंकों में अधिक नकद जमा कराने पर बैंक की प्रारंभिक जमाओं में वृद्धि होगी, क्योंकि बैकों द्वारा साख निर्माण की आधारशिला उनकी नकद जमा ही है। केन्स का विचार पूर्णतया सही है कि बैंकों द्वारा साख निर्माण उनकी प्रारम्भिक जमा की मात्रा पर निर्भर करता है।

सारांश

बैंक की कार्य प्रणाली के अंतर्गत बैंक की पूँजी के साधन, बैंक की निवेश नीति, बैंक निवेशों की प्रकार, बैंक की ऋण देने संबंधी कार्य शामिल होते है। इन गतिविधियों के द्वारा ही बैंक अपना कार्य करते है व जनता को सुविधाएँ उपलब्ध करवाते है। बैंक के स्थिति विवरण के अंतर्गत उसकी लेनदारी व देनदारियों को शामिल किया जाता है। साख को वर्तमान समय में व्यापार का प्राण कहा गया है। इस पर सभी आर्थिक प्रक्रियाएँ आधारित है।

लघु उतरीय प्रश्न

प्र.1 वाणिज्यिक बैंक अपनी पूँजी किन साधनों से प्राप्त करते है? विवेचना कीजिए?

प्र.2 बैंकों की निवेश नीति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए?

प्र.3 किसी बैंक के नकद कोषों के आकार को निर्धारित करने वाले कारणों की व्याख्या कीजिए?

प्र.4 ऋण देते समय बैंक द्वारा कौन–सी जमानतों की माँग की जाती है। व्याख्या कीजिए?
प्र.5 बैंकों के दायित्वों में कौन–कौन–से मदें सम्मिलित होती है?
प्र.6 बैंकों के आदेय में कौन–कौन–सी मदें सम्मिलित होती है।
प्र.7 साख की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए?
प्र.8 साख कितने प्रकार की हो सकती है?
प्र.9 साख के महत्व की विवेचना कीजिए?
प्र.10 विनिमय बिल क्या है? यह चैक तथा प्रतिज्ञा पत्र से किस प्रकार भिन्न है?
प्र.11 यदि देश में एक ही बैंक हो तो क्या वह साख का निर्माण कर सकेगा?
प्र.12 बैंक जमाओं के बहुगुणक विस्तार की प्रक्रिया बताइएं?
प्र.13 बैंक साख के निर्माण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए?

दीर्घ उतरीय प्रश्न

प्र.14 ''साहस व्यापार का जीवन है, परंतु सावधानी न कि भीरूता आधुनिक बैंकिग का सार है।'' इस कथन की विवेचना कीजिए।
प्र.15 बैंक द्वारा ग्राहकों को ऋण देते समय किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। बैंक के दृष्टिकोण से कौन से निवेश सबसे अधिक उपयुक्त है?
प्र.16 ''एक अच्छे बैंक को चाहिए कि वह तरलता तथा लाभदायकता के बीच संतुलन बनाए रखे।'' व्याख्या कीजिए।
प्र.17 बैंकों के स्थिति विवरण के दोनों ओर की मुख्य मदों को बताइएँ। एक ओर की मद को दूसरी ओर भी क्यों दिखाया जाता है।
प्र.18 'साख' शब्द का अर्थ समझाइएं और आधुनिक व्यापार में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए?
प्र.19 साख की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए? क्या साख का आधार केवल विश्वास ही है?
प्र.20 क्या साख पूँजी का निर्माण करती है? व्यापार तथा उत्पादन में साख से क्या सहायता मिलती है?
प्र.21 साख का कीमतों पर क्या प्रभाव पडता है? क्या यह ठीक है कि साख का उचित प्रयोग न होने से यह आर्थिक संकट का कारण बन सकती है?
प्र.22 विभिन्न प्रकार के साख पत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए?
प्र.23 जमा राशियाँ साख को जन्म देती है तथा साख जमा राशियों को जन्म देती है। इस कथन की विवेचना कीजिए
प्र.24 बैंक केवल मुद्रा व्यापारी ही नहीं अपितु एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा उत्पादक भी है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
प्र.25 बैकों द्वारा किस प्रकार साख निर्माण किया जाता है। उनकी क्या सीमाएं है?

खंड–3

इकाई–9 भारतीय बैंकिग विधान, भारत में वाणिज्यिक बैंकिग पद्धति का ढांचा

विषय सूची

अध्ययन के उद्देश्य
9.0 प्रस्तावना
9.1 अनुसूचित बैंकों के प्रकार
9.2 सन 1969 से पूर्व बैंकिग विकास
9.3 सन 1969 के पश्चात् बैंकिग विकास की स्थिति
9.4 राष्ट्रीयकृत बैंकों की सफलताएं
9.5 राष्ट्रीयकृत बैंकों की असफलताएं
सारांश
अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत आप समझ सकेंगे:

- वाणिज्यिक बैंकों का अर्थ
- सन् 1969 या बैंक के राष्ट्रीयकरण से पूर्व व पश्चात् की स्थिति
- राष्ट्रीयकृत बैंकों की सफलताएँ व असफलताएँ

9.1 प्रस्तावना

भारत में वाणिज्यिक बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जो सभी साधारण बैंकिग कार्य संपन्न करते हैं और जिनका नियमन व नियंत्रण भारतीय बैंकिग विधान के अनुसार होता है।

रिजर्व बैंक से संबंधों के आधार पर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार के है–अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक। चूँकि भारतीय बैंकिग व्यवस्था में अनुसूचित बैंको को ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इसलिए मुख्य रूप से उन्हीं के अध्ययन को महत्वपूर्ण समझा जाता है।

मार्च 1956 में गैर–अनुसूचित बैंको की संख्या 378 थी जो घटकर मार्च 1961 में 256 तथा मार्च 1966 में केवल 33 रह गयी। जून 1999 में इनकी संख्या केवल 1 थी। इनकी वर्तमान संख्या 4 है जो कि स्थानीय क्षेत्रीय बैंक है। मार्च 2012 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको की संख्या 169 थी जिसमें 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 20 निजी क्षेत्र के, 26 सार्वजनिक क्षेत्र तथा 41 विदेशी बैंक शामिल थे।

टूल बाक्स – 01
वाणिज्यिक बैंक वह बैक है जो सभी बैंकिग कार्य संपन्न करते है और उनका नियमन भारतीय बैंकिग विधान के अनुसार हो।

9.2 अनुसूचित बैंकों के प्रकार

स्वामित्व के आधार पर अनुसूचित बैंक चार प्रकार के है:

1. सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रयीकृत वाणिज्यिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया, इसके सहायक बैंक तथा आई.डी.बी.आई.,
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. निजी क्षेत्र में मिश्रित पूँजी वाले पुराने तथा नये बैंक, तथा
4. विदेशी बैंक।

वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त कुछ सहकारी बैंकों को भी रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक मान लिया गया है। ये सहकारी बैंक अनुसूचित बैंक होते हुए भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको से भिन्न है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समरूप भारत में बैंकिग व्यवस्था भी मुख्यतः दो क्षेत्रों में विभाजित है: (1) सार्वजनिक क्षेत्र (2) निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक सम्मिलित है। बैंकिग व्यवसाय का अधिकांश भाग सार्वजनिक क्षेत्र में है। निजी क्षेत्र में विदेशी बैंकों को विशेष स्थान प्राप्त है।

यद्यपि ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय बैंकिग व्यवस्था का काफी विस्तार हो चुका था परंतु यह विस्तार किसी राष्ट्रीय प्रयोजन की दृष्टि से नहीं हुआ और न ही उसे निश्चित दिशा होने और उसमें आवश्यक दृढ़ता लाने के लिए कोई ठोस प्रयास किए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जनवरी 1949 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार तथा केंद्रीय बैंक की नीति में समन्वय स्थापित करना था। 16 मार्च, 1949 से देश में बैंकिग कंपनीज एक्ट लागू किया गया जिसके अंतर्गत बैंकिग व्यवस्था से संबंधित व्यापक नियम बनाए गए और रिजर्व बैंक को बैंकिग प्रणाली पर नियंत्रण रखने के विस्तृत अधिकार दिए गए। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को समाप्त करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय बैंकिग व्यवस्था में स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंकों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

देश में बैंकिग व्यवस्था एवं नीति को एक निश्चित दिशा देने के उद्देश्य से 1967 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति लागू की गई। जुलाई 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। 6 अन्य बैकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल, 1989 में किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों मे बैंकिग सुविधाओं के विस्तार के लिए 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए है। ये बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ही प्रायोजित किए गए है, परंतु इनका संगठन व कार्य बैंकों से भिन्न है।

नीचे दी गई तालिका में वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति से संबंधित कुछ चुने हुए ऑकड़े प्रस्तुत किए गए है, जिनके विश्लेषण द्वारा गत वर्षों में बैंकों के विकास की गति व प्रवृति का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का भारत में व्यवसाय

	मार्च के अंतिम शुक्रवार	1990–91	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	कुल जमाराशियाँ	192.45	52079.7	59090.8	67504.5	77055.6

2	हाथ में नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा	256.7	3495.1	3594.0	3277.6	3622.1
3	निवेश–सरकारी तथा मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों में	750.7	15016.2	17377.9	20061.0	22128.2
4	बैक ऋण	1163.0	39420.8	46118.5	52604.6	59941.0
	नकद जमा अनुपात	13.3	6.7	6.1	4.8	4.7
	निवेश जमा अनुपात	39.0	28.8	29.4	4.8	28.7
	ऋण जमा अनुपात	60.4	75.7	78.0	77.9	77.8

टूल बाक्स – 02

अनुसूचित बैंकों के प्रकार

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. निजी क्षेत्र के बैंक
4. विदेशी बैंक

9.3 1969 के पश्चात् बैंकिग विकास की स्थिति

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य ये थे : राष्ट्रयीकरण के बाद देश में बैंकिग का विकास होगा, योजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए अधिक ऋण सुविधाएं प्राप्त होती होंगी, छोटे–छोटे व्यक्ति भी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे, निजी उद्योगों एवं व्यापार की आवश्यक साख आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जाएगी। परंतु बैंक साख का उपयोग सट्टे और अन्य अनुत्पादक कार्यो में संबंध न हो सकेगा, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अल्प विकसित क्षेत्रों को बैंकों के साधन अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, तथा बैंकिग क्षेत्र में व्यावसायिक प्रबन्ध के विकास का वातावरण उत्पन्न होगा।

हमें देखना यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक सफल हो पाए हैं। परस्पर विरोधी भावनाओं से अनेक प्रतिद्वन्द्वी ऑकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा कहीं तो उनकी कार्य प्रणाली की अकुशलता और कहीं उनके बैंक के उज्ज्वल पहलू प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है। स्थिति की निष्पक्ष जाँच के लिए हमें कुछ निर्विवाद तथ्यों पर दृष्टिपात करना चाहिए।

अपनी प्रगति जांचिए

प्र.1 व्यापारिक बैंक का अर्थ बताएं?
प्र.2 बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ ?
प्र.3 राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य था?
प्र.4 सन 1969 के बाद बैकों की स्थिति बताएं?

9.4 सफलताएँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों की निम्नलिखित मुख्य सफलताएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक ने विशाल स्तर पर अपनी नयी शाखाएँ खोली है। 30 जून, 1969 को समस्त वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या 8,262 थी जो मार्च 2012 के अंत में 81,240 हो गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय औसत 65,000 जनसंख्या के लिए एक बैंक कार्यालय था। जून 2009 तक औसत 15,000 जनसंख्या के लिए एक बैंक कार्यालय हो गया। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश नई शाखाएं उन स्थानों पर खोली गई हैं जहाँ पहले किसी भी बैंक की कोई भी शाखा कार्य नहीं कर रही थी। जुलाई 2011 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपनी कम से कम 25 प्रतिशत नई शाखाएँ बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलें।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र में नई शाखाएँ खोलने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। जुलाई 1969 में ग्रामीण शाखाओं की संख्या 1,860 थी जो मार्च 2013 में 26,493 हो गई। इस प्रकार कुल शाखाओं में ग्रामीण शाखाओं का भाग 22.3 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 30 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में अर्द्ध शहरी शाखाओं का अनुपात 40.2 प्रतिशत से घटकर 28.2 प्रतिशत रह गया। मार्च 2013 में शहरी शाखाओं का अनुपात 22.0 प्रतिशत तथा महानगरों में शाखाओं का अनुपात 22.3 प्रतिशत था।

(ग) बैंकों की जमाराशि में वृद्धि हुई है। जून 1969 से मार्च 2014 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की जमाराशि 4,665 करोड़ रूपये से बढ़कर 77,055.6 बिलियन रूपये हो गयी है। 1969 से 1983 के बीच बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि की वार्षिक औसत 19.2 प्रतिशत रही जबकि 1951 से 1969 के बीच यह दर 9.2 प्रतिशत थी। 1980–81 से 1989–90 के बीच वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत थी। 2010–11 तथा 2011–12 में वृद्धि क्रमशः 17.7 प्रतिशत तथा 13.7 प्रतिशत थी। 2011–12 में जमाराशि में हुई वृद्धि दर पिछले 10 वर्षो में सबसे कम थी। यह कमी अर्थव्यवस्था में आई शिथिलता का परिणाम थी। बाजार की ब्याज दरों का ऊँचा होना तथा बाजार में उपलब्ध अन्य विकल्पों का होना भी इसके कारण हो सकते हैं। 2011–12 तथा 2012–13 में वृद्धि दर क्रमशः 14.9 तथा 14.2 प्रतिशत थी। 2013–14 में 14.1 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(घ) बैंकों के अग्रिम तथा निवेश बढ़े है। जून 1969 से मार्च 2012 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि 3,599 करोड़ रूपये से बढ़कर 59,941 बिलियन रूपये हो गई। 1969 से 1983 के बीच इन बैंकों के ऋणों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 18 प्रतिशत रही, जबकि 1951 से 1969 के बीच यह दर 10.8 प्रतिशत थी। 2004–05 से यह बढ़कर 30.0 प्रतिशत से भी अधिक हो गई। 2005–06 तथा 2006–07 तथा 2006–07 में भी वृद्धि दर का स्तर इसी के करीब रहा है। बाद के वर्षों में इसकी गति कम होती गई। 2010–11 में वृद्धि दर 22.6 प्रतिशत थी जो कि 2011–12 में गिरकर 16.3 प्रतिशत रह गई। 2012–13 तथा 2013–14 में वृद्धि दर क्रमशः 14.1 प्रतिशत तथा 13.9 प्रतिशत थी।

(ङ) राष्ट्रीयकरण के बाद उपेक्षित वर्गो तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बैंकों के प्राप्त होने वाली सहायता में वृद्धि हुई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद छोटे किसानों, कारखानेदारों, परिवहन परिचालकों तथा फुटकर व्यापारियों आदि को ऋण दिलाने के लिए बैंकों द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएँ और छूटें दी गई हैं।

बैंकों द्वारा उपेक्षित क्षेत्र अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समझे जाने लगे हैं। इस प्रकार के क्षेत्र ये है : कृषि, लघु उद्योग, परिवहन परिचालक, फुटकर व्यापार एवं लघु व्यवसाय, व्यावसायिक व निजी रोज़गार मे लगे लोग तथा शिक्षा। इन क्षेत्रों को दिए गए ऋण जून 1969 में कुल बैंक साख का 14.6 प्रतिशत भाग थे। बैंको से कहा गया था कि मार्च 1979 के अंत तक वे अपने ऋणों का 33.3 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देने का लक्ष्य रखें। अधिकांश बैंकों द्वारा यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया। मार्च 1985 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल साख का 40 प्रतिशत देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्तमान मापदण्डों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों को पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनके समायोजित निबल बैंक ऋण या तुलन पत्रेतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि जो भी अधिक हो, का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना होता है।

(च) ग्रामीण साख की व्यवस्था में सहयोग देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार किया है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ऋण देने के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हिताधिकारियों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है और उन्हें मियादी ऋण भी दिए गए है। 20–सुत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हिताधिकारियों को बैंकों द्वारा दिए गए हैं।

(छ) माइक्रों, लघु तथा मध्यम उपक्रमों को ऋण में प्राथमिकता–माइक्रों, लघु तथा मध्यम उपक्रमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। 2012–13 में इन्हें पिछले वर्ष की तुलना में 29.8 प्रतिशत अधिक ऋण दिए गए। ये ऋण बैंकों की निबल ऋण का 14.7 प्रतिशत भाग थे। 2012 में बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे रूग्ण इकाईयों की जाँच करे और उनके पुनुरूत्थान के उपाय करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे ऋणों का उपयोग कर निगरानी की व्यापक व्यवस्था करें।

टूल बाक्स – 04
राष्ट्रीयकृत बैंकों की सफलताएँ 1. नई शाखाएँ 2. ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएँ 3. जमाराशि में वृद्धि 4. बैंकों के अग्रिम व निवेश बढ़े है 5. उपेक्षित वर्गों व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की सहायता में वृद्धि 6. ग्रामीण साख की व्यवस्था 7. लघु व मध्यम उपक्रमों को ऋण में प्राथमिकता

(ज) अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत बैंकों को अलग–अलग जिले सौंपे गए है जिनमें उन्हें गहन अध्ययन तथा सर्वेक्षण के द्वारा बैंकिग विकास की स्थिति, साधनों एवं सम्भावनाओं का पता लगाना है और कमियों को दूर करने के उपाय ढूँढने है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र पर दृष्टि रखते हुए बैकों को क्षेत्रीय आर्थिक विकास के कार्यो के साथ संबद्ध किया गया है। लीड बैंक योजना प्रो. गाडगिल की अध्यक्षता में नियुक्त किए गए अध्ययन दल के सुझावों तथा अगस्त 1969 में रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई नारीमन समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

अपनी प्रगति जांचिए
प्र.5 राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैकों की जमाराशियों में कितनी वृद्धि हुई? **प्र.6** ग्रामीण साख व्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य बताएं? **प्र.7** अग्रिम बैंक योजना से क्या अभिप्राय है?

9.5 असफलताएँ

बैंक राष्ट्रीयकरण की उपर्युक्त उपलब्धियों के साथ–साथ कुछ असफलताएँ अथवा त्रुटियां भी सामने आयी है जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। ये निम्नलिखित है।

(क) शाखा विस्तार के बावजूद बैंकिग विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ बहुत अधिक है। जून 1969 में प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या 64,000 थी। राष्ट्रीयकरण के बाद के वर्षो में शाखा विस्तार के परिणामस्वरूप जून 1996 के अंत में औसन 13,000 जनसंख्या के लिए एक बैंक शाखा हो गई थी। परतु असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उतर प्रेदश, पश्चित बंगाल आदि अनेक राज्यों में प्रति बैंक शाखाओं में जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है।

(ख) ग्रामीण शाखाओं का कार्य संतोषजनक नहीं है। सामान्यतः वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण शाखाएं तथा विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के कार्यालयों पर होने वाले व्यय के कारण अत्यधिक बोझ उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हे एक ओर तो बहुत अधिक संख्या में छोटे ऋण खातों की देखभाल करनी होती है तथा दूसरी ओर इन छोटे ऋणों पर रियायती ब्याज दरों के लागू होने के कारण ब्याज आमदनी कम होती है। ग्रामीण शाखाओं की कुल जमाराशियों कम है और उनकी जमाराशियों में चालू जमाराशियों का अनुपात बहुत ही कम है। परिणामस्वरूप इन शाखाओं को संसाधनों को जुटाने पर होने वाले व्यय के संदर्भ में अन्य शाखाओं की तुलना में अलाभकारी स्थिति में रख दिया है। अतिदेयों का दबाव दूषित वसूली की परिस्थतियों की ओर झुकाव की मात्रा को परिलक्षित करता है।

(ग) बैकों का ऋण जमा अनुपात असंतोषजनक है। बैंकों के ऋण जमा अनुपात से पता चलता है कि बैंकों द्वारा जमाराशियों से प्राप्त साधनों का व्यावसायिक क्षेत्र में ऋण देने में कितना उपयोग किया जा रहा है। 1960–70 के दौरान औसत ऋण जमा अनुपात 77.8 प्रतिशत था। राष्ट्रीयकरण के बाद आरक्षित कोषों में वृद्धि के कारण 1970–80 तथा 1980–90 के दौरान गिरकर क्रमशः 72.4 तथा 64.8 प्रतिशत रह गया। 1990–98 के दौरान यह 55.7 प्रतिशत था। मार्च 2013 के अंत मे यह 79.0 प्रतिशत था।

(घ) बैकों की जमाराशि में वृद्धि की दर असंतोषजनक है। 1969 के बाद बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि हुई है परंतु इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। बैंक शाखाओं की संख्या में हुई विशाल वृद्धि तथा देश में मुद्रा पूर्ति एवं मौद्रिक आय मे लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बैंको की जमाराशि में तीव्र गति से वृद्धि होनी चाहिए थी। बैंकों की नई शाखाएं पर्याप्त मात्रा में जमाराशियाँ प्राप्त करने में अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर पाई है। बैंकों की जमाराशियों का अधिकांश भाग नगरों तथा महानगरों से ही प्राप्त किया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीयकृत के बाद भी बैंकों के संगठन, कार्य प्रणाली अथवा नीति में कोई विशेष परिवर्तन नही हुआ है। बैंक शाखाओं का विस्तार तथा कुछ विशेष वर्गो को बैंकिग सुविधाएं देने का कार्य राष्ट्रीयकरण के बिना भी किया जा सकता था। बैंक राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य जन साधारण की अल्प बचतों को प्राप्त करना और बैंकिग सुविधाओं को उन तक पहुँचाना था। इन दिशाओं में अभी तक संतोषजनक सफलता नहीं मिली है। काश्तकार, छोटे किसान तथा कारीगर तो बैंक तक पहुँच ही नहीं पाते है। बैंकों की ऋण नीति न तो रोज़गार के अवसर बढाने में अधिक सहायक हुई है और न ही दुर्बल वर्गों को पर्याप्त सहायता मिली है।

(च) पूँजी पर्याप्तता बनाए रखने कर समस्या–बैकों के पूँजी पर्याप्तता निर्धारण के लिए जोखिम आस्ति भार प्रणाली अपनाई गई है। अक्टूबर 1998 में यह निर्णय किया गया है कि बैंकों द्वारा मार्च 2000 तक 9 प्रतिशत तथा मार्च 2002 तक 10 प्रतिशत का पूँजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करें।

(छ) बैंक ऋण की वृद्धि दर में कमी हुई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों के ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि दर जो कि मार्च 2005 कें अंत में 33.2 प्रतिशत की ऊँचाई पर थी, तब से मंद होती जा रही है। 2013–14 के अंत में कम होकर यह 14 प्रतिशत रह गई। बैंकों द्वारा उद्योग, व्यक्तिगत ऋण और सेवा क्षेत्र को दिये गये ऋण की वृद्धि दर में गिरावट हुई है।

सारांश

व्यापारिक बैंक बैंकिग के सभी कार्यो को करते हैं व उनपर बैंकिग विधान का नियंत्रण होता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों ने काफी सफलताएँ हासिल की है व ये सफलताएँ आने वाले समय में भी मिलती रहेगी।

लघु उतरीय प्रश्न

प्र.1 बैंको द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने की नीति क्या रही है?
प्र.2 ग्रामीण साख की व्यवस्था में वाणिज्यिक बैंकों के योगदान की व्याख्या कीजिए?
प्र.3 अग्रणी बैंक योजना क्या है?
प्र.4 भारतीय बैंकिग में विविधीकरण की दिशा में किए गए कार्य की समीक्षा कीजिए

दीर्घ उतरीय प्रश्न

प्र.5 भारत में वाणिज्यिक बैंकिग व्यवस्था किस प्रकार की है? अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में सम्मिलित विभिन्न बैंक समूहों का वर्णन कीजिए।
प्र.7 1969 के पश्चात् भारत में बैंकिग विकास की स्थिति की समीक्षा कीजिए?
प्र.8 1969 के पश्चात् भारत में बैंकिग के विकास में कौन सी त्रुटियां रही है। समीक्षा कीजिए।

खंड–4

इकाई–10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

विषय सूची

अध्ययन के उद्देश्य
10.0 प्रस्तावना
10.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता
10.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विशेषताएँ
10.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य
10.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन
10.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याएँ
10.6 सुधार के लिए सुझाव
10.7 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए सुधार के उपाय
सारांश
अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप समझ सकेंगेः

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्यों की गई और कब?
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा कौन से कार्य करने की अपेक्षा की गई
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियां
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा की गई समस्याओं का सामना व उसके लिए सुझाव
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना

10.0 प्रस्तावना

2 अक्टूबर, 1975 को महात्मा गाँधी के जन्म दिवस पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की स्थापना इस आशय से की गई कि ये ग्रामीण साख को बढ़ावा देगें। सन 1975 में रिजर्व बैंक के उप–गर्वनर एम. नरसिम्हम की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक कार्य समिति इस उद्देश्य से नियुक्त की कि वह ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए संस्थागत साख के प्रवाह की समीक्षा करें। इस समिति ने ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्ग के लिए संस्थागत साख की उपलब्धता के बारे में अध्ययन किया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैकल्पिक एजेंसी संबंधी सुझाव दिए थे। समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची की व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग की विशेष रूप से और ग्रामीण समाज की सामान्य रूप से साख आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते।

कार्यकारी समिति ने इसके विकल्प के रूप में यह सुझाव दिया कि एक नए प्रकार के बैकों की स्थापना की जाए। ये बैंक, सहकारी तथा व्यापारिक दोनों बैंकों की विशेषताओं की पूर्ति जारी रखेंगे। सहकारी बैंक के रूप में ये बैंक ग्रामीण समस्याओं का स्थानीय ज्ञान एवं इनसे परिचय बनाए रखेंगे और व्यापारिक बैंकों की भांति ये बैंक जमाओं को गतिशील बनाने के लिए आधुनिक तकनीक तथा संगठनात्मक योग्यताओं का प्रयोग करेंगे, अग्रिम उधार देंगे तथा मुद्रा बाज़ार तक पहुँच बनाए रखेंगे। सरकार ने कार्यसमिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए सितंबर 1977 में एक अध्यादेश जारी कर दिया।

ग्रामीण वित्त में लगी अनेक संस्थागत एजेंसियों के बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र में एक निश्चित समूह को वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नाबार्ड तथा मूल वाणिज्यिक बैंकों के मार्गदर्शन के अंतर्गत विशेष रूप रुपांकित वित्तीय सस्थाएँ हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में फैली हैं और एक विशेष क्षेत्र अथवा जिले में अपनी शाखाओं के नेटवर्क द्वारा उनको वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है।

10.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एवं आवश्यकता यह थी कि ये बैंक उन छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों तथा कारीगरों को साख एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगें जिनकी साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंक तथा व्यापारिक बैंक जैसी वर्तमान साख संस्थाएं पर्याप्त रूप से पूरी नहीं कर सकती है।

(i) सहकारी बैंक—जहाँ तक इन बैंकों की सहकारी साख संरचना का संबंध है, इनमें प्रबंधकीय कौशल, साख देने के बाद निरीक्षण और ऋण वसूली का अभाव पाया जाता है। ये बैंक इस स्थिति में भी नहीं हैं कि वे आवश्यक संसाधनों का संग्रहण कर सकें।

टूल बाक्स – 01
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की अध्यक्षता में छोटे व सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों व कारीगरों को साख एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किया गया।

(ii) व्यापारिक बैंकः—ये बैंक अधिकांश रूप से शहरों में स्थित है और ये शहर—उन्मुख हैं, जहाँ तक कृषि साख संबंध है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। इसके लिए उन्हें अपनी विधियों, कार्य प्रणालियों, प्रशिक्षण एवं स्थिति विवरण को ग्रामीण वातावरण के अनुसार ढ़ालना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ऊँचे वैतनिक ढ़ाँचे, कर्मचारी प्रतिरूप और उच्च स्थापना व्यय के कारण इनकी प्रचालन लागत भी ऊँची है। अतः इन परिस्थितियों में, व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लिए सस्ती दर पर साख उपलब्ध नहीं करा सकते।

(iii) नई संस्था की आवश्यकताः— ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप एक ऐसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई जो ग्रामीण उन्मुख हो तथा जो ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्ग की साख आवश्यकता की पूर्ति कर सके तथा ऊपर वाली दोनों संस्थाओं के दोषों को दूर रखकर, उनके गुणों को मिला सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता के रूप में, किसानों तथा ग्रामीण उद्योगों को न केवल दीर्घकाल में ऋण प्रदान कर सकें बल्कि ग्रामीण गृहस्थों की जमाओं को भी गतिशील बना सके। भारत में ये ग्रामीण वित्तीय संरचना का अटूट अंग बन सके।

अतएव ग्रामीण बैंक को वह संस्था स्वीकार किया गया जो ग्रामीण स्पर्श और स्थानीय भावना को जोड़ता है। यह ग्रामीण समस्याओं एवं आधुनिक व्यावसायिक संगठन से घनिष्ठता बनाए रखने का गुण रखता है। इसमें वाणिज्य संबंधी अनुशासन, साधनों को गतिशील बनााने की योग्यता तथा मुद्रा बाजार तक पहुँचने की क्षमता है। ये सभी गुण एक व्यापारिक बैंक के पास अवश्य होने चाहिए। संक्षेप में ग्रामीण बैकों की संस्था वह संस्था है, जो स्थानीय आधारिक ग्रामीण उन्मुख तथा वाणिज्यिक रूप से संगठित हैं।

10.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की विशेषताएँ

बेशक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आधारिक रूप से अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं, परंतु इनमें निम्नलिखित आधार पर अंतर पाया जाता है।

(क) क्षेत्र

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्षेत्र कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है, जिसमें राज्य के एक या एक से अधिक जिले शामिल होते हैं।

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल छोटे तथा सीमांत किसानों, ग्रामीण कारीगरों, कृषि श्रमिकों तथा उन अन्य व्यक्तियों को जिनके पास उत्पादक उद्देश्यों के लिए साधन कम हैं, प्रत्यक्ष ऋण एवं अग्रिम देते हैं।

(iii) किसी राज्य विशेष में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उधार देने की दरें, सहकारी समितियों की प्रचलित उधार देने वाली दरों से अधिक नहीं है। प्रायोजक बैक और भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कई अनुदान व रियायतें देते है, ताकि वे प्रभावपूर्ण रूप से कार्य कर सकें।

(ख) संगठन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रायोजक बैंक द्वारा की गई है जो सामान्यतया सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विषय निर्वाचन समिति उन जिलों की पहचान करती है जिनको इस बैंक की आवश्यकता होती है। बाद में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक की सलाह पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की स्थापना करती है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उन स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्य करना होता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। बैंक अपनी कोई भी शाखा अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थापित कर सकता है।

(ग) पूँजी

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रु. है जिसे केंद्रीय सरकार बढ़ा या घटा सकती है परंतु यह इसकी 25 लाख प्रदत्त पूँजी से कम नहीं होनी चाहिए। इस सारी पूँजी में केंद्रीय सरकार का 50 प्रतिशत, राज्य सरकार का 15 प्रतिशत और प्रायोजक बैंक का 35 प्रतिशत अभिदान होता है। वर्तमान में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्पॉन्सर बैंक के बीच अभिदान का फार्मूला 60:20:20 निश्चित कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक का अभिदान द्वारा दिया जाता है।

टूल बाक्स – 02

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संगठन

- बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस
- चेयरमैन
- जनरल मैनेजर
- क्षेत्रीय मैनेरजरस

- सीनियर मैनेजरस
- मैनेजर
- ऑफिसर

(घ) प्रबंध

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबंध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामलों तथा व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण दिशा और प्रबंध बोर्ड ऑफ डायरेक्र्स के 9 सदस्यों के पास निहित होता है। केंद्रीय सरकार 3 डायरेक्टरों, राज्य सरकार 2 डायरेक्टरों तथा स्पॉन्सर बैंक 3 डायरेक्टर को नामित करता है। चेयरमैन सामान्यतया स्पॉन्सर बैक का ही एक अधिकारी होता है, परंतु इसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई दिशाओं व मार्ग दर्शन पर कार्य करना पड़ता है और व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना होता है। राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय समन्वित समिति की स्थापना भी की गई है, ताकि विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के दृष्टिकोण में समरूपता बनी रहे।

(ङ) प्रायोजक बैंक की ज़िम्मेदारियां

स्पॉन्सर बैंक उन सभी आर.आर.बी. की सहायता निम्नलिखित आधार पर करेगाः

(i) उसके शेयर पूँजी में अभिदान करना।

(ii) इनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा

(iii) प्रथम पाँच वर्षों तथा बढ़ाई गई अवधि के दौरान प्रबंधकीय एवं वितीय सहायता का प्रावधान करना। स्पॉन्सर बैंकों को आर.आर.बी. की प्रगति को मानीटर करने का अधिकार प्राप्त है, आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा छानबीन कर सकते है और जब ज़रूरत हो सुधारात्मक उपाय सुझा सकते हैं।

(च) स्रोत

आर.आर.बी. के मुख्य स्रोत हैं (i) शेयर पूँजी, (ii) जनता से प्राप्त जमाएं, (iii) स्पॉन्सर बैंक से लिया गया ऋण तथा (iv) नाबार्ड से पुनर्वित्ता।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनर्वित्त सुविधाओं के लिए आर.आर.बी को सहकारी बैंकों के बराबर माना है अर्थात् 2 प्रतिशत बैंक की दर से नीचे। व्यापारिक बैंकों की भाँति आर.आर.बी को उपयुक्त या पात्र ऋणों के केवल घोषणा के बदले में तथा उनके द्वारा दिए अग्रिमों के अनुकूलन के लिए पात्र माना गया है। इसके अतिरिक्त आर.आर.बी को रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों का स्तर दिया है। दिसंबर 2002 तक आर.आर.बी अपनी माँग तथा सर्वाधिक दायित्वों का 3 प्रतिशत नकद कोष के रूप में रख सकते हैं।

व्यापारिक बैंकों द्वारा दी गई दर के ऊपर आर.आर.बी को अपनी जमाओं के 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर देने की अनुमति दे दी गई है। इन बैंकों की जमाओं का बीमा भी भारतीय जमा बीमा तथा साख गारण्टी निगम द्वारा किया गया है, यह बीमा जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रख कर किया गया है।

10.3 कार्य

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से निम्नलिखित कार्य करने की अपेक्षा की गई हैः–

(क) ऋण क्रियाओं से संबंधित कार्यः– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किए जाने वाले ये कार्य निम्नलिखित हैः

टूल बाक्स – 03
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य
• ऋण क्रियाओं से संबंधित कार्य • गैर–कृषि क्रियाओं से संबंधित कार्य • पुनः उन्मूलन वित्तीय की सुविधा

(i) ऋण एवं अग्रिम देनाः–ये बैंक छोटे तथा सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमिकों को ऋण व अग्रिम देते हैं। इन किसानों तथा श्रमिकों को ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध कराने का उद्देश्य उनको इस योग्य बनाना है कि वे निजी रूप से कृषि संबंधी क्रिया शुरू कर सकें। मुख्यतः ये क्रियाएँ हैं–भूमि, बीज, खाद आदि की खरीद करना। इन ऋणों के मिल जाने से ये लोग स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे और बड़े–बड़े भू–स्वामियों तथा साहूकारों के बंधन से मुक्त हो सकेंगे। इससे उनकी आय कमाने की क्षमता में वृद्धि होगी और वे अपना जीवन स्तर ऊँचा करने में सक्षम हो सकेंगे।

(ii) भुगतान प्राप्तकर्ताः–ये ऋण एवं अग्रिम व्यक्तिगत रूप में अथवा समूहों में अथवा सहकारी समितियों को जिनमें कृषि बाजान समितियाँ, कृषि प्रक्रमण समितियाँ, प्राथमिक कृषि समितियाँ शामिल हैं, कृषि उद्देश्यों के लिए अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए दिए जा सकते हैं। निजी व्यक्तियों अथवा समूहों को ये ऋण देने का उद्देश्य उनको उत्पादक क्रियाओं में ये राशि निवेशित करने की प्रेरणा देना है, ताकि उनके रोज़गार तथा आय में वृद्धि हो। सहकारी कृषि समितियाँ, इन ऋणों की प्राप्ति से इस योग्य हो जाएगी कि वे उत्तम प्रकार के बीज, खाद, उर्वरक आदि खरीद सकें और इस प्रकार अपने उत्पादन के स्तर में वृद्धि कर सकें। इन ऋणों की सहायता से कृषि विपणन समितियाँ सही समय, सही स्थान तथा सही कीमत पर कृषि उत्पाद को बेच सकेंगी।

(iii) साहूकारों से मुक्तिः–क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंक संस्थागत साख उपलब्ध कराने में वैकल्पिक एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं। समय व्यतीत होने के साथ–साथ इनका उद्देश्य ग्रामीण साहूकारों पर निर्भरता को भी समाप्त करना है। ये बैंक सहकारी साख समितियों के पूरक के रूप में भी कार्य करते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए	
प्र.1	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्यों की गई?
प्र.2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूँजी के स्रोत बताइए?
प्र.3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य बताएं?

(iv) बैंकिग सेवाएं उपलब्ध करानाः–ये बैंक ग्रामीण लोगों के घरों पर बैंकिग सुविधाएँ उपलब्ध कराते है विशेष कर उन क्षेत्रों में जहाँ व्यापारिक बैंकों की कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं है।

(v) जमाएँ स्वीकार करनाः–आर.आर.बी. ग्रामीण बचतों को एकत्रित करते हैं और उनकी जमाओं को स्वीकार करते हैं और फिर इन जमाओं को उत्पादक क्रियाओं में लगाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यह कार्य गाँव के लोगों को अपनी आय में से बचत करने की प्रेरणा देता है इस प्रकार उनकी बचत करने की आदतों को प्रोत्साहन मिलता है।

(vi) साख की लागत कम करनाः—जैसा कि हम जानते है कि गाँव के लोगों की आय कम होती है, इसलिए वे अकसर ग्रामीण साहूकारों से कई उद्देश्यों के लिए ऋण लेते हैं। ये साहूकार दिए गए ऋणों पर ब्याज की ऊँची दर लेते हैं और ब्याज की यह ऊँची दर ग्रामवासियों को इस प्रकार फंसा लेती है कि उनके लिए साहूकार के चंगुल से निकलना मुश्किल हो जाता है। इस कठिनाई से मुक्ति देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ब्याज की नीची दर लेते हैं और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ये साख की लागत को कम करने का प्रयास करते हैं।

(ख) गैर—कृषि क्रियाओं से संबंधित कार्य—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गैर—कृषि क्रियाओं से संबंधित निम्नलिखित कार्य करते हैः

(i) कारीगरों को ऋणः—कारीगरों को भी ऋण उपलब्ध कराते हैं, ताकि वे कलात्मक व अन्य संबंधित वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित उत्पादक क्रिया कर सकें। कारीगर तथा अन्य ऐसे श्रमिकों निर्धन व्यक्ति, बाज़ार में अपनी निर्मित कलात्मक वस्तुएं बेचकर ही वे अपना निर्वाह करते हैं। यदि इन व्यक्तियों को वितीय सहायता प्राप्त हो जाती है, तो ये लोग अपनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चा माल व अन्य वांछित सामग्री खरीदने में समर्थ हो सकेंगे और इस प्रकार बेचे जाने वाले अपने सामान की गुणवत्ता में ये सुधार ला सकते हैं। अच्छी क्वालिटी वाली वस्तुओं के बिकने से इनकी आमदनी में वृद्धि होगी और इस प्रकार जीवन स्तर ऊँचा उठ सकता है।

(ii) छोटे उद्यमियों को ऋणः—गाँवों, उपनगरों तथा छोटे—छोटे कस्बों में छोटे उद्यमियों की एक बड़ी भारी संख्या है, ये लोग खुदरा व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य कई उत्पादक क्रियाओं में लगे हुए है। इन छोटे उद्यमियों के पास भी अपनी व्यापारिक एवं उत्पादक क्रियाएँ चलाने के अपर्याप्त वित्तीय साधन हैं। आर.आर.बी. इन्हें ऋण व अन्य वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, ताकि ये अपनी व्यापारिक क्रियायों में वृद्धि कर सकें। वे उद्यमी जिनके पास छोटे—छोटे या घरेलू उद्योग हैं, उन्हें कच्चा माल तथा मशीनरी के लिए कलपुर्जे खरीदने तथा अपने उद्योगों के रख—रखाव के लिए ये बैंक सहायता उपलब्ध कराते हैं। ये बैंक स्वरोजगार के लिए भी ऋण देते हैं, ताकि बेरोज़गार लोग कोई स्वयं का धन्धा शुरू करके अपने परिवारों का पालन—पोषण कर सकें।

(iii) उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करनाः—आजकल आर.आर.बी. कमज़ोर वर्गों की उपभोग आवश्यकताओं को भी पूरा करने में लगे हैं, जिसमें विशिष्ट छोटे एवं सीमांत किसान, अनुसूचित वर्ग एवं अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य ऋणकर्ता जो शिक्षा, चिकित्सा, व्ययों, पुनः सृजन आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के छोटे साधन हैं, शामिल हैं।

(ग) निर्धनता उन्मूलनः—हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य तथा सुधारों का अंतिम उद्देश्य समानान्तर आर्थिक विकास तथा निर्धनता को कम करना है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में यह प्रावधान है कि आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाए और निर्धन परिवारों को लाभान्वित किया जाए, ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम अपनाएं जाएं और इनके लिए जो भी उपाय अपनाएं जाए वे स्वयंमेव कार्य करते जाएं।

(घ) पुनः वित्त की सुविधाः—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड से अल्पकालीन तथा मध्यकालीन अग्रिमों के रूप में पुनःवित्त सुविधा प्राप्त करते हैं। नाबार्ड से प्राप्त पुनः वित्त का अधिकांश भाग अल्पकालीन अग्रिमों के संदर्भ में होता है।

अब क्षेत्रीय बैंक सोने के आभूषण, राष्ट्रीय बचत सर्टीफिकेट, इंदिरा विकास पत्र आदि की जमानत पर, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं तथा अन्य उद्देश्यों के लिए ग्रामीण को ऋण व अग्रिम दरें लगे हैं। वे अपने ग्राहकों की तरफ से गारण्टी भी देने लगे हैं। अपने स्पांसरिंग बैंक के एजेण्ट के रूप में ये बैंक यात्री चैक भी दे सकते हैं और लॉकर सुविधा भी उपलब्ध करा सकते हैं। ये 25,000 रु. तथा एक लाख रु. तक के प्रति ग्राहक तथा प्रति ब्रांच चैक और ड्राफ्ट भी खरीद सकते हैं।

इन बैंकों को यह अनुमति भी दे दी गई है कि ये यू.टी.आई. द्वारा सूचीबद्ध, लाभ देने वाली सावधि संस्थाओं के फिक्स डिपाजिट राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक उद्यमों के बॉण्डों तथा ब्लु चीप कंपनियों के गैर परिवर्तनशील डिबेंचरों और अपने स्पांसरिंग बैंक के क्रेडिट, पोर्टफोलियो धनराशि निवेश कर सकते हैं। परंतु इसकी अधिकतम सीमा एक वर्ष के दौरान अपनी ताजा उधार दी गई राशि की 15 प्रतिशत होनी चाहिए। 8 जनवरी 1997 से इन बैंकों को यह अनुमति भी मिल गई कि ये निगम शेयरों तथा डिबेंचरों तथा मिचुअल फंडस की इकाइयों में निवेश कर सकते हैं, इनकी अधिकतम सीमा अपनी वेतन वृद्धि जमाओं की 5 प्रतिशत होनी चाहिए। अब ये द्वितीयक बाजार से भी निगमीय शेयर व डिबेंचर खरीद सकते हैं। ये बैंक अपनी उधार तथा जमा दरें भी निश्चित कर सकते हैं।

10.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन

कृषि तथा संबद्ध कार्यों को ऋण प्रवाह पर बनी सलाहकार समिति (अध्यक्ष **प्रो. वी.एस. व्यास**) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालानात्मक सक्षमता में सुधार करने तथा बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय बैंकों का ढाँचा फिर से तैयार करने की सिफारिश की। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मज़बूत करने के लिए मौजूदा कानूनी ढाँचे के भीतर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जाँच–पड़ताल करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर एक अतिरिक्त कार्यदल गठित किया। भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति पुनः निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकारों तथा प्रायोजक बैंकों से विचार–विमर्श के बाद सितंबर, 2005 में राज्य स्तरीय प्रायोजक बैंकवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के समामेलन की दशा में पहल की थी, ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में व्याप्त कमियों को दूर करके उन्हें सक्षम और लाभप्रद इकाइयां बनाया जा सके।

25 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन जनवरी 2013 में 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों में किया गया। जून 2013 में 67 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, जो कि मार्च 2015 में 56 थे।

कुल संख्या 1– मार्च 2011 के अंत में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 82, जो कि मार्च 2013 में 64 हुए व मार्च 2014 में 57 नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कार्यकारी संघ ने कहा कि जून 10, 2014 को, के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋणों के बँटवारे में अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या इस प्रकार हैः

- 196 (सितम्बर, 2005 तक की स्थिति)
- 104 (31 अगस्त, 2006 तक की स्थिति)
- 82 (31 मार्च, 2010 तक की स्थिति)
- 67 (जनवरी, 2013 तक की स्थिति)

महत्वपूर्ण तथ्य

1. सिक्किम और गोवा दो ऐसे राज्य है जहाँ कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं है।
2. केलकर कमेटी की सिफ़ारिश पर वर्ष 1987 के बाद से कोई भी नया आर.आर.बी स्थापित नहीं किया गया।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक करके सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर, 2005 से चरणबद्ध तरीके से इन बैंकों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, जो वर्तमान में भी जारी है।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का स्वामित्व भारत सरकार, संबधित राज्य सरकार तथा इसके प्रवर्तक बैंकों के पास होता है। इनकी निर्गत पूँजी का बंटवारा इन तीनों मे मध्य 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत के अनुपात में है।
5. कुछ विशेष प्राथमिकता प्रदान गतिविधियों के वित्तीयकरण के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इन आर आर बी को नाबार्ड तथा इनके प्रवर्तक बैंकों ने पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की है।

नवीनतम तकनीकी प्रावधान

9 अप्रैल 2012 को आर.बी..आई द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को धनराशियों के आनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा दी गई। अब इन बैंकों को केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे यह बैंक रियल टाइम ग्रास सेटेलमेंट व नेशनल इलेक्ट्रानिंक फंड ट्रांसफर के जरिए धनराशियों को एक खाते से दूसरे खाते मे ट्रांसफर कर सकेंगे।

10.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याएँ

छोटे किसानों, कारीगरों और कृषि श्रमिकों की बचतें एकत्रित करने में आर.आर.बी ने अहम भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों के स्थापित हो जाने से लोगों में बैंक संबंधी आदतें जागृत हो गई हैं। परंतु इस प्रगति के बावजूद भी आर.आर.बी. निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहें हैः

(क) संगठन से संबंधित समस्याएँः—चूँकि आर.आर.बी को कई एजेंसियों ने स्पॉन्सर किया है, इसलिए इनकी कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। इससे राज्य सरकारों में पूरा समर्थन नहीं मिल पाया है और न ही स्पॉन्सर बैंकों से उचित मानीटरिंग हो पाया है। दूसरे, क्षेत्र प्रतिबंध भी इनके मार्ग में एक बाधा बन गया है। तीसरे आर.आर.बी. की सभी संस्थाओं के भीतर उचित प्रणाली एवं कार्य विधि का अभाव भी पाया जाता है। चौथे, आर.आर.बी के स्टॉफ की भर्ती एवं प्रशिक्षिण की ओर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। पाँचवे, इन बैंकों का विकास आयोजित रहा है और इनकी कई शाखाएँ राज्य सरकारों के दबाव के अंदर खोली गई है। इन सभी कारणों के फलस्वरूप इनके आगे नियंत्रण एवं प्रबंध संबंधी कई समस्याएँ अभी बनी हुई हैं।

(ख) वसूली से संबंधित समस्याएँः—इन बैंकों की ऋण वसूली स्थिति सही नहीं है। इनकी वसूली अभी भी 51 प्रतिशत तथा 61 प्रतिशत के बीच है। अतएव इनके खड़े भुगतान 39 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत के बीच है। इनके ढाँचे विलम्बित या खड़े भुगतान के लिए जो कारण जिम्मेदार है, वे आंतरिक तथा बाहरी दोनों हैं। आंतरिक कारणः दोषपूर्ण ऋण नीतियां, कमजोर देखभाल, वसूली के प्रति रूचि का अभाव, विकास के साथ ऋण देने का कोई भी तालमेल होना तथा ऋणों के अंतिम प्रयोग में अनिश्चिता का होना। बाहरी कारणों में राजनैतिक हस्तक्षेप, ऋणों की वसूली में राज्य सरकारों को कम कानूनी तथा प्रशासनिक समर्थन आदि।

(ग) बढ़ती हानियों से संबंधित समस्याएंः—जैसा कि ऊपर बता दिया गया है कि 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 152 बैंक निरन्तर हानियाँ दिखला रहे हैं। इन बढ़ती हानियों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैः (i) ये बैंक अधिकतर ऋण कमजोर वर्गो को देते है, ऋणों पर इस वर्ग से प्राप्त ब्याज बैंकिग प्रणाली में सबसे कम है। (ii) बड़ी संख्या में खातों को बनाए रखने में बहुत खर्च आता है जो हानियों को और भी बढ़ा देता है। (iii) वर्ष प्रतिवर्ष इन बैंकों की शाखाओं के खोलने में ऊपरी लागतों में बहुत वृद्धि होती है जबकि इसके अनुपात में आय बहुत कम प्राप्त होती है। (iv) प्रशिक्षित एवं सक्षम स्टॉफ की उपलब्धता का न होना भी इनकी एक बड़ी समस्या है। (v) इन बैंकों की कई शाखाओं की आर्थिक स्थिति आशाजनक है।

(घ) प्रबंध से संबंधित समस्याएँः—चूँकि सभी आर.आर.बी. संस्थाएँ जिला स्तर पर स्थापित की गई हैं, स्पॉन्सर बैंकों ने इनकी देखभाल के लिए मध्यवर्गीय प्रबंध स्टॉफ की नियुक्ति की है। ये प्रतिनियुक्त स्टॉफ सदस्य इस अवस्था में नहीं है कि नई परिस्थिति में वे कोई स्वतंत्र निर्णय ले सकें। इसके अतिरिक्त आर.आर.बी. के बोर्ड ऑफ डायेरक्टरों की मींटिग भी नियमित रूप से नहीं होती और अशासकीय डायरेक्टरों की एक बड़ी संख्या इन बैंकों की कार्य प्रणाली में कोई रूचि नहीं दिखाती। इसमे साथ—साथ कई ऐसी समस्याएँ भी है जो इन बैंकों के बहु—एजेंसी नियंत्रण के कारण उत्पन्न होती है और इनकी कार्यप्रणाली भी सभी राज्यों/जिलों मे एक समान नहीं है।

(ङ) स्पॉन्सरिंग बैंकों की शाखाएँः—आर.आर.बी. को स्पॉन्सर करने वाले कई बैंकों की शाखाएं उस क्षेत्र में है जहाँ कि आर.आर.बी. अपना प्रचालन कर रहे हैं इससे कई विषमताएं उदय हुई है और इनके नियत्रंण एवं प्रशासन पर होने वाले खर्च से बचा नहीं जा सका है।

(च) दोषपूर्ण व्याप्ति क्षेत्रः—इन क्षेत्रों का व्याप्ति क्षेत्र एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। कई जिलों में नकद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन बैंकों तालुका/या ब्लॉक मुख्यालय पर शाखाओं में तालमेल या जुड़ाव नहीं है। कई स्थानों पर इनकी शाखाएं खोलने के लिए सही जगह नही मिल पाई है।

(छ) दोषपूर्ण भर्ती नीतिः—ऐसी अपेक्षा की गई है कि ये बैंक अपने स्टॉफ की स्थानीय भर्ती कर लेगें। परंतु इसमें लगे स्टॉफ की भर्ती बैंकिग सर्विस रिक्यूटमैंट बोर्ड द्वारा की जा रही है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि ग्रामीण बैंकों के प्रचालन क्षेत्र से बाहर के लोग भी इन बैंकों में रोज़गार के लिए योग्य है। इससे निश्चित रूप से इन बैंकों की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई।

(ज) मानदण्डों की कठोरताः—इन बैंकों में लाभग्राहियों के चुनाव के लिए निश्चित किए गए मानदण्ड बहुत कठोर है और संपूर्ण भारत की आय स्तर पर आधारित है। इतना ही नहीं लोगों के व्यवसाय एवं आर्थिक स्तर भी, एक ही राज्य में, एक ही जिले में व्यापक रूप से भिन्न हैं। जरा सोचिए, पंजाब में उपलब्ध निर्धनता रेखा, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य पर कैसे लागू की जा सकती है? इसका परिणाम यह हुआ कि कई उपयुक्त या योग्य व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है और उनकी साख आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई है।

(झ) साधनों की कमीः—गाँव के सभी ज़रूरतमन्द लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन बैंकों के पास पर्याप्त साधनों का अभाव है। इनका पूँजी आधार भी कमजोर है। राज्य सरकारों ने भी अपने शेयरों का पूरा भाग इन बैंकों को नहीं दिया है। इसके परिणामस्वरूप इन बैंकों को निरंतर हानि सहनी पड़ी है और इनका पूँजी आधार भी क्षीण हो गया है।

(ञ) जमाएं एकत्रित करने में कठिनाईः—चूँकि ये वर्ग समाज के कमज़ोर वर्ग को साख सुविधाएँ उपलब्ध कराते है, इन्हें मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण उच्च वर्ग से जमाएँ अपनी ओर आकर्षित करना कठिन हो रहा है। ग्रामीण उच्च वर्ग व्यापारिक बैंकों में अपनी बचते जमा करना अधिक पसंद करते हैं और इन्हें व्यापारिक बैंकों की ऋण सुविधाएँ भी प्राप्त होती हो जाती हैं।

(ट) दोषपूर्ण साख नीतिः—इन बैंकों ने केवल फसल ऋणों पर तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों को सही महत्व नहीं दिया गया है। इसी भाँति ग्रामीण कारीगर/हस्तकार और स्वरोज़गार व्यक्तियों को भी इन बैंकों से कोई विशेष सहायता नहीं हुई है।

(ठ) ऋण लेन—देन की ऊँची लागतेंः—चूँकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वेतन का पैमाना व्यापारिक बैंकों की भांति ही है, इसलिए इनकी ऋण देन—लेन की लागत बहुत ऊँची है, और कई बार यह लागत व्यापारिक बैंक की ग्रामीण शाखाओं से भी अधिक हो जाती है।

10.6 सुधार के लिए सुझाव

आर.आर.बी द्वारा सामना की जाने वाली उपरोक्त सभी समस्याएँ सही हैं। इन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है, अतएव इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

(क) स्वामित्व तथा नियंत्रणः—स्पांसर बैंकों के विस्तार के रूप में कार्य करने की बजाए, इन्हें एक अलग–थलग इकाई के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। वर्तमान 50:35:15 पूँजी अंशदान को हल करने के लिए पूँजी निवेश की पुनः संरचना की जाए। इन बैंकों को विशेष पदनाम अस्तित्व तथा भूमिका दी जाए, ताकि ये अपनी मूल संस्था से अलग हट कर काम कर सकें। श्रेणीबद्धता स्तरों की संख्या से इन्हें राज्य स्तर समन्वय तथा रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार स्तरीय नियमन तथा नियत्रंण तक घटाया जाए।

उच्च स्तर पर औपचारिक विनियमितता उपाय अपनाए जा सकते है, जबकि कार्यसंबंधी नीतियों का राज्यनीतियों, प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं तथा विशेष परिस्थितियों के अनुरूप राज्य स्तर पर निर्माण किया जा सकता है।

टूल बाक्स – 04

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याएँ

1. संगठन से संबधित समस्याएँ
2. वसूली से संबधित समस्याएँ
3. बढ़ती हानियों से संबधित समस्याएँ
4. प्रबंध से संबंधित समस्याएँ
5. स्पान्सरिंग बैंक की शाखाएँ
6. दोषपूर्ण व्याप्ति क्षेत्र
7. दोषपूर्ण भर्ती क्षेत्र
8. मानदंडों की कठोरता
9. साधनों की कमी
10. जमाएँ एकत्रित करने में कठिनाइयाँ
11. दोषपूर्ण साख नीति
12. ऋण लेन–देन की ऊँची लागतें

इन बैंकों को अपनी प्रचालन नीति तथा कार्यप्रणाली में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इनकी कार्यप्रणाली में किसी अन्य एजेंसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसे स्वतंत्र वातावरण में ये बैंक अपने कार्य की दिशा का निर्णय ले सकते हैं और सामान्य प्रबंध का संचालन सही प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रबंधन में यदि कोई मार्गदर्शक नीति अथवा अन्य बैंकिग विनियमन इसके समक्ष आता है, तो ये बैंक इसे सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं।

(ख) कोषों का प्रबंधः—इन बैंकों के लिए कठोर रूप से मार्गदर्शन किया जाए कि वे अपने कोषों का उपयुक्त उपयोग कहाँ करें, इनका प्रचालन का विस्तृत क्षेत्र क्या हो तथा किस प्रकार की ऋण सेवाएँ ये प्रदान करें। इन बैंकों का लक्ष्य ग्रामीण सुधार होना चाहिए। इस संदर्भ में यदि ये बैंक एक लोचशील दिशानिर्देश अपनाएँ, तो इससे अच्छे परिणाम मिल सकते है। इनको अपनी नीतियों का निर्माण इस विधि से अपनाना चाहिए कि जिससे निम्नलिखित उद्देश्य यथाशीघ्र प्राप्त हो सकें। लोगों की जमाओं का एकत्रीकरण करना स्व–रोज़गार परियोजना को संगठित करने के लिए स्व–सहायता समूहों को समर्थन देना, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए वित्त प्रबंध करना, विशेष क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रमुख ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देना तथा बेरोजगारी, निर्धनता, निरक्षरता एवं अन्य ऐसी सामाजिक आर्थिक बुराइयों के चंगुल से बचने के लिए ब्लॉक/ग्रामीण स्तर पर जीवनक्षम सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को शुरू करना।

(ग) लक्ष्य तथा प्रयोजनः—साख/जमा अनुपात 75 प्रतिशत के आस–पास अवश्य बना रहना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम लक्ष्य किसी भी कीमत पर पूरा किया जाना चाहिए। लगभग सभी

अग्रिम ग्रामीण क्षेत्र में जाने चाहिए। ग्रामीण कोषों को किसी भी हालत में अन्य क्षेत्रों में नहीं जाने देना चाहिए।

ऋणों की अवधि, ज़ोखिम तत्व, प्राथमिकता, सरकारी स्कीमों आधारित विभिन्न प्रकार के सभी ऋणों की (जैसे फसल ऋण, ग्रामीण गृह निर्माण ऋण, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग व अन्य) ब्याज की दर लोचशील होनी चाहिए।

निर्धन तथा मार्जिन किसानों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले इन बैंकों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। इन्हें सेवा की भावना से कार्य करना चाहिए। वित्तीय सुधारों के बाद व्यापारिक बैंक सामाजिक बैंक की बजाए लाभ बैंकों में बदल गए हैं और इस बदलाव के क्रम में प्राथमिक क्षेत्र को बीच में छोड़ दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक की भूमिका पर अब प्रश्न यह उठता है कि प्राथमिक क्षेत्र (ग्रामीण कृषि, कुटीर उद्योग आदि) अब किसका बच्चा है, अर्थात् उसका ध्यान रखने वाला कौन है। इसका यह अर्थ नहीं कि उधार देने के सिद्धांतों को हवा में फेंक दिया जाए। एक उचित लागत–परिणाम–लाभ विश्लेषण की आवश्यकता है। कार्य प्रणाली में मितव्ययित तथा कुशलता को बलि पर नहीं चढ़ा देना चाहिए।

(घ) व्यापित क्षेत्र तथा शाखा विस्तारः–भारत में लगभग 5 लाख गाँव है। अनुसूचित बैकों ने तो अपना ध्यान शहरी तथा मैट्रों क्षेत्रों में केंद्रित कर लिया है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों मे उनकी कई शाखाएं प्रायः बंद हो चुकी है, सहकारिता को छोड़कर अब केवल एक मात्र विकल्प क्षेत्रीय ग्राामीण बैंक की कार्य प्रणाली ही है। इसलिए आवश्यक है कि सभी गाँवों में पंचायतें, ब्लाक तथा तालुका इन बैंकों के अधीन आ गए। क्षेत्रीय आधार पर स्थित इसकी शाखाओं का एक निकट जाल अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा, आत्मसंतुष्टि तथा प्रयासों के दोहरेपन को जोड़ सकता है और समक्षता को प्रोत्साहित कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को व्याप्ति में लाने के लिए इन बैंकों की अधिक से अधिक शाखाएँ खोली जाए।

(ङ) कर्मचारी तथा प्रशिक्षणः–इन ग्रामीण–परक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक शाखा के कर्मचारियों मे कम से कम एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जो उसी ग्रामीण इलाके का हो, ऐसा होने से बैंक मैनेजर स्थानीय दशाओं तथा लोगों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। सामान्यतया ग्रामीण समुदाय में से इन बैंकों में लोगों/कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि बैक में काम करने वाले अन्य कार्यकर्ता अपने आपको ग्रामीण वातावरण से बाहर न महसूस करें। इसके अतिरिक्त ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अपने आप को इन बैंकों में प्रभावी सिद्ध कर सकते है और अच्छी प्रकार से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते है। बेशक यह एक कोरी आशा हैं, परंतु फिर भी इन बैंकों में ग्रामीण शिक्षित युवकों के लिए 5 लाख रोज़गार सृजित किए जा सकते हैं।

इनके कर्मचारियों को निरंतरता के आधार पर प्रभावपूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि इन कर्मचारियों की क्रियाएँ ठीक दिशा की ओर अग्रसर हो सकें। उमंग व जोश लाने तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए इन कर्मचारियों को मौद्रिक तथा गैर–मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(च) कृषि–आधारित उद्योगों का विकासः–सूखे के कारण फसलों के फेल होने से विश्वीकरण के कारण छोटे, कुटीर तथा लघु उद्योगों के बीमार होने से, आधारिक संरचना के अभाव आदि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोज़गारी तथा अल्प रोज़गार काफ़ी मात्रा में व्याप्त है। जब तक कृषि आधारित उद्योग विकसित नहीं किए जाते बैंकों के लिए इन ग्रामीण क्षेत्रों मे कम करना थोड़ा कठिन–सा हो गया है।

इन क्षेत्रों में कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से बैकों को भी लाभ होगा तथा क्षेत्र के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के विस्तार से, आर. आर.बी अपने प्रचालन तथा कार्यविधि में वृद्धि कर सकते हैं। अतएव किसी विशेष इलाके में उपयुक्त औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं विकास के फलस्वरूप आर.आर.बीं की कार्यप्रणाली अधिक कुशल हो सकेगी।

(छ) ग्रामीण वित्त में नेताः—ग्रामीण वित्त में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की हैसियत एक बाज़ार नेता के रूप मे होनी चाहिए। अन्य खिलाड़ियों के प्रवेश को वहाँ प्रतिबंधित किया जाए। दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं, पूँजी निवेश, गृह निर्माण आदि के अतिरिक्त जनसंख्या की अन्य सभी ज़रूरतों की पूर्ति आर.आर.बी द्वारा की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोषों के अतिरिक्त प्रवाह द्वारा सहायता प्रदान कर सकता है।

(ज) उच्च पूँजीः—आर.आर.बी. को व्यापार की अतिरिक्त मात्रा को पूरा करने के लिए अपनी पूँजी को बढ़ाना होगा, ताकि जनसंख्या के कम से कम 50 प्रतिशत की माँग को पूरा किया जा सके। विशाल ग्रामीण जनसंख्या को कवर करने के लिए इन बैंकों को लगभग 1 लाख शाखाएँ खोलनी होगी, बेशक वे सरल पैमाने पर ही हो। इसके अनुरूप सरकारी योगदान अथवा/और सार्वजनिक इशू द्वारा, इन बैंकों को अपने पूँजी आधार को बढ़ाना होगा। विभिन्न एजेंसियों द्वारा पुनर्वित्त सुविधा, इस संदर्भ में, सुगम और उपयोगी होगी।

(झ) स्पांसर बैंक के लिए सुझावः—स्पांसर बैंक को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। (i) उन्हें व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को बंद कर देना चाहिए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दे देना चाहिए; (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को परामर्श देकर उनके लिए कोषों के प्रबंध मे इनके द्वारा अधिक प्रभावी योगदान देना चाहिए, ऋण योजनाओं के मूल्यांकन में साख के उपयोग में तथा उनके आंतरिक ऑडिट के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित स्टॉफ उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से संभव सहायता देनी चाहिए।(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः वित पर ब्याज को कम दर देनी चाहिए; (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाओं का निवेश दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों मे करें; (v) इन बैकों के स्टॉफ के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ञ) केंद्रीय सरकार के लिए सुझावः—केंद्रीय सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए; (i) अपने स्टॉफ का वेतन पैमाना तथा काम के घंटे निश्चित करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इन द्वारा पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए; (ii) नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन क्षेत्रों में खोले जाने चाहिए जहाँ पिछड़े वर्गो की जनसंख्या अधिक हो;(iii) इन बैंकों को स्पान्सर बैंकों द्वारा नहीं बल्कि अपने स्टॉफ की स्वयं भर्ती करने की अनुमति देनी चाहिए, ताकि स्थानीय व्यक्ति जो स्थानीय स्थिति तथा समस्याओं से परिचित है, इनकी सहायता कर सकें।

(ट) राज्य सरकारों के लिए सुझावः—राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए; (i) राज्य सरकारों को बकाया राशि वसूली में इन बैंकों की सहायता करनी चाहिए; (ii) इन्हें या तो प्राथमिक कृषि साख समितियों को पुनः संगठित करना चाहिए अथवा नई सेवा समितियाँ स्थापित करनी चाहिए ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बड़े पैमाने पर उत्पादक क्रियाएँ शुरू करने के लिए साख उपलब्ध हो सके और सेवा लागत कम हो सके।

(ठ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सुझावः—अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए क्षेत्रीय बैंकों को निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिएः

(i) इन्हें गैर—लक्ष्य समूहों को भी साख सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उनका लाभ—मार्जिन बढ़ सकें। परंतु ऐसी साख सुविधाएँ कुल बकाया अग्रिम की 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii) पर्याप्त शिक्षित एवं प्रशिक्षित स्टॉफ के साथ इन बैंकों को अपने स्वयं की वसूली प्रणाली अपनानी चाहिए; (iii) इनको वह रणनीति खोजनी चाहिए कि जिसके द्वारा ग्रामवासियों में बैंक संबंधी आदतें पैदा हो; (iv) ऋण देने के साथ—साथ इन्हें अपनी क्रियाओं में वृद्धि करनी चाहिए जैसे ग्रामीण परामर्श सेवा, साख कार्य को थोड़ा—थोड़ा करके कई बार में पूरा करना, रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करना आदि।

ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि संस्थागत वित्त अपर्याप्त है, साहूकार अपना प्रभुत्व जमाए हुए है और ग्रामीण जनता ऋण और बंधवा की कड़ियों में जकड़ी हुई है। व्यापारिक बैंक अपनी ग्रामीण

शाखाओं को बन्द करते जा रहे हैं, ग्रामीण निर्धन की सेवा की बजाए लाभदायकता पर वे अपना ध्यान अधिक केंद्रित कर रहें हैं। इस संदर्भ में सरकारी संस्थाओं द्वारा व्यवस्थित रूप में गाँवों में उधार देना शुरू करना चाहिए, ताकि ग्रामीण लोगों को ऋण और निर्धनता से मुक्ति मिल सके और वे अपने लिए रोज़गार प्राप्त कर सके तथा अपनी उत्पादकता सुधार सकें।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनेक स्कीमें व संगठन है, जो उनकी सेवा कर सकते है। आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्र की संपूर्ण संवृद्धि के लिए इन सभी संस्थाओं, नीतियों और परियोजनाओं में समन्वय की आवश्यकता है। एक लक्ष्य–परक समयबद्ध, वास्तविक तथा क्षेत्रीय पहुँच की अत्यन्त आवश्यकता है। इस संदर्भ आर.आर.बी. ग्रामीण क्षेत्रों में कोषों में गतिशीलता लाने के लिए अत्यन्त उपयुक्त है और क्षेत्रीय विकास में वे अपना पूरा योगदान दे सकते है।

सन 1986 में केलकर वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट मे इस बात को कहा कि जो कार्य आर.आर.बी. को सौपें गए है, ये बैंक उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अतएव आर.आर.बी. के साधनों में वृद्धि करके, इनके ऋण देने वाली प्रक्रिया को युक्तिकरण करके, इनके स्टॉफ को उचित प्रशिक्षण देकर तथा राज्य सरकारों से सहयोग प्राप्त करके इनकों नया जीवन देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

टूल बाक्स – 05

सुधार के लिए सुझाव

1. स्वामित्व व नियंत्रण
2. कोषों का प्रबंध
3. लक्ष्य तथा प्रयोजन
4. व्यापक क्षेत्र तथा विस्तार
5. कर्मचारी तथा प्रशिक्षण
6. कृषि आधारित उद्योगों का विकास
7. ग्रामीण वित्त में रोक
8. उच्च पूँजी
9. स्पांसर बैंक के लिए सुझाव
10. केंद्रीय सरकार के लिए सुझाव
11. राज्य सरकार के लिए सुझाव
12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सुझाव

टी.टी. वैल्युधन तथा **वी. शंकरनारायण** का कहना है कि, "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल ग्रामीण साख एजेंसियों ही नहीं है ये इससे अधिक हैं, ये बैंक प्रेरित ग्रामीण विकास का एक फलदायक अभ्यास है।"

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना

आर.आर.बी. की हानि की समस्या को हल करने के लिए तथा इनकी क्षमता में सुधार लाने के लिए हाल ही के वर्षों में इनके प्रचालन को पुनः संरचित करने के लिए तथा इनमें नई पूँजी डालने के लिए प्रयास किए गए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर.आर.बी. की पुनःसंरचना के लिए उपाय सुझाने के लिए **एम.सी. भंडारी समिति** की नियुक्ति की थी। भण्डारी समिति की सिफारिशों पर 1994–95 में 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को पुनःसंरचना एवं पुनर्जीवन के लिए लिया गया। आर. आर.बी. की प्रबंधकीय, प्रचालन संबंधी तथा कार्य प्रणाली से संबंधित संरचना के लिए नाबार्ड की विकासीय क्रिया योजनाओं द्वारा कार्य शुरू किया गया है और आवर्ती योजना के आधार पर पाँच वर्षों की समय अवधि के लिए इनके तुलन पत्रों को शुद्ध किया जाएगा।

दिसंबर 1995 में नाबार्ड द्वारा नियुक्त बासु समिति ने फेज ii के अंतर्गत 68 आर.आर.बी की व्यापक पुनः संरचना के चयन की सिफारिश की। इस संदर्भ में ब्याज दरों, शाखाओं के पुनः आवंटन, साख आवंटन, साख की दिशा और पूँजी के अनुप्रेरण के साथ–साथ मानवशक्ति नीति की प्रमुख से पहल की गई। भारत सरकार ने 1994–98 तथा 1998–99 के बीच आर.आर.बी. के पुनः पूँजीकरण के लिए 1867.5 करोड़ रु. की राशि विमोचित की।

इसके अतिरिक्त 1998–99 में रु. 305.3 करोड़ का अतिरिक्त इक्यूटी समर्थन भी दिया गया। 1988–99 में 196 आर.आर.बी. में से 175 आर.आर.बी. पूर्णतया या आंशिक रूप से पुनःपूँजीकृत किए जा चुके थे जबकि 2 आर.आर.बी को किसी समर्थन की आवश्कता नहीं थी। केवल 19 आर.आर.बी. पूँजीकरण कार्यक्रम परिधि के बाहर थे। इसके अतिरिक्त आर.आर.बी. की निर्गमित शेयर पूँजी की राशि भी रु. 75 लाख से बढ़ा कर रु. 1 करोड़ कर दी गई। उत्पादकता, नकदी प्रबंध अग्रिम पोर्टफोलियों तथा वसूली निष्पादन में नाबार्ड इन बैंकों की कार्यप्रणाली को मानीटर करता हैं। नाबार्ड ने आर.आर.बी. के लिए निम्नलिखित अल्पकालीन उपायों का भी एक पैकेज तैयार किया है।

(i) उनको अपने सेवा क्षेत्र आभारों से मुक्त कर दिया गया है।

(ii) उन्हें अपने गैर–लक्षीय समूह वित्त को भी 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है।

(iii) उनको अपनी कुछ हानि देने वाली शाखाओं को कृषि उत्पाद केंद्रों, मार्केट यार्ड, मण्डी आदि में आंबटित करने की अनुमति दे दी गई है।

(iv) उन्हें विस्तार पटल के खोलने की भी स्वतंत्रता दे दी गई है।

(v) गैर–कृषि क्रियाओं को पूरा करने के लिए उन्हें इस बात की अनुमति भी दे दी गई है कि वे अपनी क्रियाओं की रेंज को बढ़ाए तथा गहन करें।

आशा की जाती है कि आर.आर.बी. की इस पुनः संरचना से ये बैंक अब अधिक कार्यकुशलता से कार्य कर सकेंगे।

राव कमेटी सिफारिशें

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य प्रणाली के विभिन्न पक्षों की समीक्षा करने तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की दृष्टि से इन बैकों द्वारा प्रभावपूर्ण ढ़ंग से कार्य के लिए सिफारिशें करने की दृष्टि से सरकार ने जुलाई 2001 में **श्री एम.वी.एस. चालापाथी राव,** नाबार्ड के प्रबंध निर्देशकों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, ताकि वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में सुधार करने के लिए सुझाव दें। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जून 2002 में दी, इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव की गईः

(i) पूंजी संरचना तथा स्वामित्व प्रतिमान में परिवर्तन किया जाए।

(ii) स्पांसर बैंकों की भूमिका को बढ़ाया जाए।

(iii) सामाजिक आर्थिक जोन आधार पर मिश्रण द्वारा संरचनात्मक एकीकरण किया जाए।

(iv) थोड़े–थोड़े रूप में पूँजी पर्याप्त मानदंडों का समावेश किया जाए।

(v) इन्हें अतिरिक्त पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान की जाए।

(vi) कंप्यूटर आधारित प्रबंध प्रणाली अपनाई जाएं।

(vii) परिसंपत्ति दायित्व तथा जोखिम प्रबंध प्रणालियों को समावेश किया जाए।

10.7 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए सुधार के उपाय

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाने के लिए रिजर्व बैंक उन्हें मज़बूत करने तथा उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए समय–समय पर उपाय करता रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भागीदार के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका निर्धारित करने में प्रायोजक बैंकों की निर्णायक भूमिका पर विचार करते हुए तथा प्रायोजक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच सहक्रिया को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक को सूचित किया था कि वे अपने प्रायोजित क्षेत्रीय बैंकों के मानव संसाधन, सूचना प्रौद्यिगिकी तथा परिचालन से जुड़े मुद्दों पर कदम उठाएं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा निर्णय लेने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल को और शक्तियाँ तथा लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक के सितंबर, 2006 में परिचालनात्मक सक्षमता के लिए क्षेत्रीय बैंकों के निदेशक मंडलों के सशक्तीकरण पर एक कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल का गठन ऐसे क्षेत्रों पर विचार करने और सुझाव देने के लिए किया गया था, जहाँ निदेशक मंडलों को विशेष रूप से निवेश, व्यवसाय विकास तथा कर्मचारियों जैसे कर्मचारी संख्या का निर्धारण, नई भर्ती, पदोन्नति आदि के मामलों में और स्वायतता दी जा सकें। इस कार्यबल ने 31 जनवरी, 2007 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालनात्मक लचीलेपन के संबंध में अनेक सिफ़ारिशें कीं, उनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) चयनित आधार पर निदेशक मंडलों में निदेशकों की संख्या बढ़ाकर 15 की जाए।

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के अध्यक्ष का चयन अर्हता प्राप्त अधिकारियों के पैनल से गुणवता के आधार पर किया जाए।

(iii) निदेशक मंडल के सदस्यों का न्यूनतम काल 2 वर्ष का हो।

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निम्नलिखित समितियाँ होनी चाहिए: (1) जोखिम प्रबंधन समिति, (2) प्रबंधन समिति, (3) निवेश, मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी समिति तथा (4) लेखा परीक्षा समिति।

(v) शाखाओं के वर्गीकरण, कर्मचारियों से संबंधित मानदंड तथा पदोन्नति नीति एवं अन्य मानव संसाधन से जुड़े मामलों से संबंधित विषयों का अध्ययन इस प्रयोजन से रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा गठित समिति/कार्यबल द्वारा गहराई से किया जाए।

कार्यबल की कुछ सिफ़ारिशें, कार्यन्वित की जा चुकी हैं और शेष विचाराधीन हैं।

सारांश

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधा पहुँचना, कमज़ोर वर्गो के लोगों के लिए रियायती दर पद ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण बचतों को जुटाकर उत्पादक गतिविधियों में लगाना। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1975 को हुई। एक साथ 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए–उतर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी राजस्थान में जयपुर तथा पश्चिम बंगाल में माल्दा। बाद में देश के अन्य भागों में इसका विस्तार किया गया। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकार ने यह ज़िम्मेदारी सौंपी है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को धर्म, जाति तथा लिंग का ध्यान किए बिना वे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल करें। आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में निर्धन व्यक्तियों का आर्थिक समन्वय बाजार परक क्रिया में किया जाए, ताकि उन लोगों को अवसर मिल सकें जो मज़दूरी की वर्तमान/न्यूनतम दर पर काम करने के योग्य एवं इच्छुक है। इसके साथ अनाज के सार्वजनिक वितरण को भी जोड़ा जाए।

जिला स्तरों पर तकनीकी प्रयोजन उन क्रियाओं की पहचान के लिए संयोजित किए जाए जिनको परियोजना आधार पर संगठित किया जा सकता है। तकनीकी मिशन द्वारा चलाई गई उत्पादक क्रियाओं को संगठित करने लागू करने तथा चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए।

आधारिक संरचना संबंधी क्रियाओं जैसे बायोगैस, कंपोस्ट, पेयजल, निर्माण तथा मनोरंजन संबंधी सुविधाएँ, स्कूल, संचार, पंचायत कार्यालय आदि की ओर ध्यान दिया जाए। ग्रामीण उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का निर्माण करना, गांव पंसारी, जो गांव में श्रमिक की रोजाना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का विनिमय अधिकतर अदला–बदली या वस्तु विनिमय आधार पर करता है, उसके लिए ग्रामीण स्तर पर एक शेड या गोदाम का बन्दोबस्त किया जाना आवश्यक है।

परियोजना ज़रूरतों एवं बाज़ारिक नेटवर्क की देखभाल शिक्षित युवक कर सकते है, जिनको यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे सेवा और भाग के आधार पर कार्य करें न कि आदेश और कृपालु के आधार, जो कि भारतीय समाज के लिए विनाशक तत्व बन चुका है। इसके अतिरिक्त सारे देश ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जाएँ जिनसे मानवीय संसाधनों का विकास हो और जो बाँटने वाली राजनीति का मुकाबला कर सके। इसमे लिए आर.आर.बी. की प्रत्येक शाखा में वाणिज्य, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र तथा इंजीनियरिंग में स्नातकों को सूची में लिया जाए, ताकि ये स्नातक युवक इस कार्यक्रम का सही रूप से संचालन कर सकें।

आर.आर.बी. के नेटवर्क के लिए एक दम आवश्यकता उनके लिए उपयुक्त मौद्रिक कोषों की है और इसके कार्यक्रमों को सही प्रकार से चलाने के लिए टैक्ना–इक्नामिक टीमों, अध्यापकों तथा डाक्टरों के समर्थन की आवश्यकता है। आर.आर.बी. को यह अनुमति दी जाए कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वे जहाँ तक हो सके कम करें। विकास प्रक्रिया में इन बैंकों को कमज़ोर वर्ग की सहायता के ऋण देने वाली संस्था न बनाकर, उत्प्रेरक या परिवर्तनकारी बनाया जाना चाहिए, ताकि कुछ उत्साहजनक परिणाम सामने आ सकें।

अभ्यास

दीर्घ उतरीय प्रश्न

प्र.1 ग्रामीण साख में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए?

प्र.2 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की क्या आवश्यकता थी?

प्र.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न लक्षणों का वर्णन करें। इनकी निम्न वित्तीय स्थिति के कारण क्या हैं?

प्र.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं?

प्र.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामने आने वाली मुख्य समस्याएँ स्पष्ट कीजिए। इसके सुधार हेतु आप क्या सुझाव देंगे?

प्र.6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना पर एक टिप्पणी लिखें?

प्र.7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की व्याख्या कीजिए?

लघु उतरीय प्रश्न

प्र.8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से क्या अभिप्राय हैं?

प्र.9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्यों स्थापित किए गए थे?

प्र.10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन की व्याख्या करें?

प्र.11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन से संबंधित समस्याएँ क्या हैं?

प्र.12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बढ़ती हानियों से संबंधित समस्याओं का संक्षेप में वर्णन करें?

प्र.13 क्षेत्रीय बैंकों के सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए?
प्र.14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से आप क्या समझते हैं?
प्र.15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन पर संक्षिप्त नोट लिखें?
प्र.16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों पर संक्षिप्त नोट लिखें?
प्र.17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निष्पादन को संक्षेप में लिखें?
प्र.18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा व्यापारिक बैकों के बीच अंतर बतलाएं?
प्र.19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति स्पॉन्सर बैंकों की क्या ज़िम्मेदारियां हैं?

खंड–3
इकाई–11 सहकारी बैंक

विषय सूची

अध्ययन के उद्देश्य
11.0 प्रस्तावना
11.1 सहकारी बैंकों का संगठन
11.2 सहकारी बैंक के लाभ
11.3 सहकारी बैंकिग के धीमी गति से विकास के कारण
11.4 भारत में सहकारी बैंकिग को बढ़ावा देने के सुझाव
11.5 सहकारी बैंकिग को बढ़ावा देने के लिए कपूर समिति की सिफारिशें
सारांश
अभ्यास

अध्ययन के उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप समझ सकेंगे:

- सहकारी बैंकिग क्या है?
- सहकारी बैंकिग का वर्गीकरण
- प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ
- केंद्रीय सहकारी बैंक
- ग्रामीण विकास बैंक
- भारत में सहकारी बैंकिग का महत्व
- सहकारी बैंकिग की सफलता को निर्धारित करने वाले तत्व

11.0 प्रस्तावना

सहकारी बैंक, बैंकिग का एक ऐसा विशेष रूप है जिसमें मनुष्य अपने आर्थिक हितों को उन्नत करने के लिए समानता के आधार पर स्वेच्छापूर्वक सम्मिलित होते है। सहकारिता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सह + कार्य। इसका अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। यह एक ऐसा बैंकिग संगठन है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समान स्तर पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए संगठित होते है। भारत मे कृषि सहकारी बैंकों का इतिहास सन् 1904 से प्रारम्भ हुआ।

टूल बाक्स – 01
सहकारी बैंक ऐसा बैंकिग संगठन जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समान स्तर पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए संगठित होते हैं।

11.1 सहकारी बैंकिग का संगठन

भारत में साख सहकारी समितियाँ या बैंकिग के संगठन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है:

(क) साख की अवधि के अनुसार:–साख की अवधि के अनुसार समितियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है:

(i) अल्पकालीन तथा मध्यकालीन साख समितियाँ:– ये समितियाँ अपने सदस्यों को थोड़े समय या मध्यकाल के लिए कर्जे देती है। इन समितियों को प्राथमिक सहकारी समितियाँ कहा जाता है।

(ii) दीर्घकालीन साख समितियाँ:–ये समितियाँ लंबे समय के लिए कर्जे देती है। ये अपने सदस्यों की भूमि गिरवी रख कर कर्जे प्रदान करती है। इन्हें सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है।

(ख) संगठन के आधार पर:–उपरोक्त दोनों प्रकार की समितियों को संगठन के आधार पर निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है:

(i) अल्पकालीन साख समितियाँ तीन प्रकार की होती है:

(अ) प्राथमिकता सहकारी साख समितियाँ
(आ) केंद्रीय सहकारी बैंक
(इ) राज्य सहकारी बैंक

टूल बाक्स – 02	
सहकारी बैंकिग का संगठन • साख के आधार पर ▪ अल्पकालीन तथा मध्यकालीन साख समितियाँ ▪ दीर्घकालीन साख समितियाँ	**संगठन के आधार पर** • अल्पकालीन साख समितियाँ प्राथमिक केंद्रीय राज्य • दीर्घकालीन साख समितियाँ प्राथमिक सहकारी कृषि विकास बैंक केंद्रीय सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक

(ii) दीर्घकालीन साख समितियाँ दो प्रकार की होती हैः
(अ) प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक
(आ) केंद्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

(अ) प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ

संसार में सभी प्रकार की सहकारी समितियों में 44 प्रतिशत सहकारी साख समितियाँ है। भारत मे 64 प्रतिशत सहकारी आंदोलन में इनका प्रमुख स्थान है। इन समितियों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैः

(क) सदस्यता तथा आकारः—इन साख समितियों को क्षेत्र सीमित रखा जाता है। विभिन्न राज्यों में इनकी सदस्य संख्या विभिन्न है। परंतु अधिकतर राज्यों मे दस से अधिक व्यक्तियों को मिलकर एक समिति बनाने की सुविधा दी गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह नियम स्वीकार कर लिया है कि ग्राम समुदाय को प्राथमिक इकाई मानकर सहकारी समितियों को बनाया जाना चाहिए। सरैया समिति के अनुसार प्रति समिति की सदस्य संख्या औसत 32 है।

(ख) उद्देश्यः—इन समितियों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन साख देना है। ये समितियाँ अपने सदस्यों मे बचत करने की प्रवृति को भी प्रोत्साहन देती हैं।

(ग) दायित्वः—सन् 1912 के सहकारी समिति कानून के अनुसार इन समितियों का दायित्व असीमित रखा गया है। कुछ अर्थशास्त्री सीमित दायित्व करने के पक्ष है परंतु उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर, बाकी सभी राज्यों में इन समितियों का दायित्व असीमित ही रखा गया है।

(घ) प्रबंधः—साख समितियों का प्रबंध प्रजातन्त्रात्मक तरीकों से किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार मिलता है चाहे उसके कितने ही शेयर क्यों न हों। सभी सदस्यों के संगठन को सामान्य समिति कहा जाता है। ये सदस्य अपने में से कुछ सदस्यों की प्रबंध समिति चुन लेते हैं। प्रबंध समिति के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता, केवल मंत्री को ही कुछ वेतन दिया जाता है।

(ङ) वित्तः—ये समितियाँ अपने कार्य को चलाने के लिए वित्त कई साधनों से प्राप्त करती है। इन साधनों को दो भागों में बाँटा जा सकता हैः—

(i) आन्तरिक साधनः—इन समितियों के आन्तरिक साधन कई है, जैसे—प्रवेश शुल्क, शेयर पूँजी, सदस्यों की जमा तथा रिजर्व फण्ड। ये समितियाँ थोड़ी रकम के शेयर बेचकर पूँजी इकट्ठे करती है।

(ii) बाहरी साधनः—ये समितियाँ सरकार, केंद्रीय वित्त संस्थाओं, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया आदि से धन प्राप्त करती हैं। इन समितियों में भेंट, दान, तथा अनुदान आदि के द्वारा भी धन की प्राप्ति होती है।

(च) कर्जेः—ये समितियां उत्पादन कार्यों के लिए अपने सदस्यों को अल्पकालीन ऋण देती हैं। ये मध्यकालीन साख भी एक सीमा तक दे सकती है। ऋण देते समय किसान की आर्थिक अवस्था पर विचार कर लिया जाता है और ऋण जमीन की जमानत पर दिए जाते है। अब फसल की जमानत पर भी ऋण दिए जाने लगे हैं। सदस्यों से ऋण पर ब्याज लिया जाता है किन्तु यह ब्याज काफी कम (6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत) होता है। सदस्य अपने कर्जे किस्त में चुका सकते हैं।

(छ) लाभ का वितरणः—ये समितियाँ अपने लाभ का 25 प्रतिशत सुरक्षित कोष में रखकर बाकी अपने सदस्यों मे बाँट देती हैं।

(ज) निरीक्षणः—इन समितियों को अपना हिसाब किताब रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण करवाना पड़ता है।

वर्तमान स्थिति—2009—20 में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ की संख्या 94,942 हो गई है। इनके 1,320 लाख सदस्य है। इनकी जमाराशि रु. 97,224 करोड़ है। तथा रु. 49,614 करोड़ के ऋण दिए है। इनके रु. 58,620 करोड़ के ऋण बकाया है। शहरों में प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या 1,587 है। इनकी जमा राशि रु. 93,089 करोड़ है। वर्ष 2006—07 में सहकारी बैंकों ने कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को रु. 42,480 करोड़ का संस्थागत साख उपलब्ध कराया।

अपनी प्रगति जांचिए	
प्र.1	सहकारी बैंक से क्या अभिप्राय है?
प्र.2	भारत में सहकारी साख समितियाँ कितने प्रकार की है?
प्र.3	सामान्य समिति किसे कहते है?

(आ) केंद्रीय सहकारी बैंक

इन बैंकों की स्थापना 1912 के सहकारी समिति कानून के अनुसार हुई। ये बैंक प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें कुशलतापूर्वक संगठित करने में सहायक सिद्ध होते है। इन बैंकों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः—

(क) सदस्यता तथा कार्यक्षेत्रः—केंद्रीय बैंक के सदस्य, साख समितियाँ, दूसरे प्रकार की सहकारी समितियाँ तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। ये बैंक एक जिले या उसके किसी भाग की प्राथमिक समितियों की देखरेख करते हैं तथा उनको वित्तीय सहायता देते हैं। इन बैंकों का दायित्व सीमित होता है।

(ख) प्रबंधः—इन बैंकों के सभी सदस्य सामान्य सभा का निर्माण करते हैं। इसका प्रबंध एक संचालक मण्डल द्वारा होता है, जिसे साधारण सभा हर वर्ष एक सदस्य एक वोट के आधार पर चुनती है। इनकी सदस्य संख्या अलग—अलग हैं परंतु साधारणतया इनके सदस्य 10 से 24 तक है। ये बैंक अपना कार्य चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टॉफ वेतन पर रखते हैं।

(ग) कार्यः—इन बैंकों का मुख्य कार्य सदस्य समितियों को रूपया उधार देना है।

(i) प्राथमिक कृषि साख समितियों को ये बैंक बिना किसी जमानत के रूपया उधार देते है, बाकि सदस्यों से जमानत लेते हैं।

(ii) ये बैंक साधारण बैंकिग कार्य; जैसे—लोगों का रूपया जमा करना, रुपये का स्थानान्तरण करना आदि कार्य भी करते हैं।

(iii) ये बैंक प्राथमिक समितियों की समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता करते हैं।

(iv) कुछ राज्यों में यें बैंक प्राथमिक समितियों के निरीक्षण का भी कार्य करते हैं।

(v) केंद्रीय बैंक प्राथमिक समितियों में संतुलन स्थापित करते हैं। जिन समितियों के पास धन अधिक होता है उनसे रुपया अपने पास जमा कराते है और यह रुपया उन समितियों को उधार देते हैं जिनके पास धन कम होता हैं।

टूल बाक्स — 03
केंद्रीय सहकारी बैंक की विशेषताएँ
(क) सदस्यता तथा कार्यक्षेत्र
(ख) प्रबंध
(ग) कार्य
(घ) पूँजी
(ङ) कर्जे

(च) प्रगति

(घ) पूँजीः—इन बैंकों को पूँजी चार साधनों से प्राप्त होती हैः

(i) शेयर पूँजीः ये बैंक अपने सदस्यों को हिस्से बेचते है, शेयरों का मूल्य रु. 10 से रु. 100 तक होता है।

(ii) जमाः ये बैंक सदस्यों और गैर सदस्यों, दोनों का ही रुपया जमा करते है।

(iii) रिजर्व फंडः सन् 1912 के सहकारी समिति कानून के अनुसार इन बैंकों को अपने लाभ का 25 प्रतिशत भाग रिजर्व फण्ड के रूप में रखना पड़ता है। **मेहता कमेटी** ने यह सुझाव दिया था कि इन बैंकों को विशेष डूबा ऋण कोष बनाना चाहिए।

(iv) कर्जेः ये बैंक सस्ती दर पर सहकारी बैंकों तथा सरकार से भी कर्जा प्राप्त करते हैं। संक्षेप में, इन बैंकों को कई साधनों से पूँजी प्राप्त होती है।

(ङ) कर्जेः—ये बैंक व्यक्तियों और समितियों को कर्जे देते हैं। समितियों को कर्जे उनके प्रतिज्ञा पत्रों के आधार पर दिए जाते हैं। व्यक्तियों को कर्जे के लिए जमानतें देनी पड़ती है।

(च) प्रगतिः—मार्च, 2007 के अन्त में 371 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य कर रहे थे। इनकी जमाराशि रु. 94,529 करोड़ है। इन्होंने रु. 89,038 करोड़ के ऋण दिए हैं। इनके रु. 67,152 करोड़ के ऋण बकाया है। इसकी कुल परिसंपत्ति/दायित्व रु. 1,58,894 करोड़ था।

राजकीय सहकारी बैंक

प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख सहकारी बैंक होता है जो राज्य के केंद्रीय बैंकों को रुपया उधार देता है और उनका निरीक्षण करता है। इन बैकों की स्थापना की सिफारिश **मैक्लगन कमेटी** ने 1915 में की थी, इनकी स्थापना सबसे पहले चेन्नई और महाराष्ट्र में हुई। अब प्रत्येक राज्य में एक राजकीय सहकारी बैंक है। इन बैंकों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैः

(क) सदस्यताः—भारत में राजकीय बैंकों की सदस्यता दो प्रकार की है। कुछ राज्यों; जैसे—पंजाब, हरियाणा, बंगाल और कर्नाटक में केवल सहकारी समितियां ही इन बैंकों की सदस्य बन सकती है। परंतु कुछ राज्यों; जैसे—महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और असम में सहकारी समितियों के साथ—साथ व्यक्ति भी इन बैंकों के सदस्य बन सकते है; परंतु अब नये व्यक्तियों को सदस्य बनाना बंद कर दिया गया है।

(ख) प्रबंधः—इन बैंकों का संचालन करने के लिए, सदस्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों तथा व्यक्तियों की एक साधारण सभा होती है। इसके सदस्य अपने में से कुछ सदस्यों को डायरेक्टर चुन लेते है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही राज्य सहकारी बैंक का संचालन करते हैं। कुछ राज्यों में सरकार भी अपने अधिकारियों को इन बोर्डों का डायरेक्टर नामज़द कर देती है।

(ग) कार्यः—राज्य सहकारी बैंकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैः—

(i) ये बैंक अपने राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्य संचालन पर नियंत्रण रखते हैं।

(ii) सहकारी आंदोलन के लिए धन की व्यवस्था करते हैं।

(iii) सहकारी आंदोलन और राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में संबंध जोड़ते है।

(iv) राज्य के विभिन्न केंद्रीय बैंकों के कार्यों में संतुलन रखते हैं।

(v) राज्य सहकारी आंदोलन को राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन से जोड़ते है।

(vi) ये एक बैंक के अन्य कार्य भी करते हैं।

(घ) धन के साधनः—इन बैंकों को पूँजी मुख्य रूप से चार साधनों से प्राप्त होती है।

(i) शेयर पूंजीः इन बैंकों का सदस्य बनने के लिए कम से कम एक शेयर खरीदना आवश्यक है। इन बैंको के शेयर काफी ऊँचे मूल्य के होते है। ये बैंक केंद्रीय बैंक को जो कर्जा देते है वह उनके शेयरों पर निर्भर करता है। इसमे फलस्वरूप इनके अधिक शेयर बिक जाते हैं। सरकार भी इनके शेयर खरीद लेती है।

(ii) सुरक्षित कोषः—ये बैंक अपने लाभ का कुछ प्रतिशत भाग एक सुरक्षित कोष में जमा करते रहते हैं जिससे कि कठिनाई के समय में वे उनका प्रयोग कर सकें।

(iii) जमाः—इन बैंकों में सदस्य और गैर सदस्य दोनों ही अपना रुपया करवा सकते हैं। ये बैंक इन जमाओं पर ब्याज भी देते हैं।

(iv) ऋणः—इन बैंकों की वित्त व्यवस्था का सबसे मुख्य साधन कर्जा है। ये बैंक रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं। राज्य सरकारों की गारंटी पर इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा दूसरी संस्थाओं से भी रुपया उधार मिल जाता है। इन बैंकों की कार्यशील पूँजी का लगभग 50 प्रतिशत भाग केवल पूंजी से ही पूरा होता है।

(ङ) ऋण देनाः—ये बैंक केंद्रीय बैंक, प्राथमिक समितियों तथा व्यक्तिगत सदस्यों और सभी प्रकार के सहकारी संगठनों को कर्जे देते है। ये रिजर्व बैंक के पास भी धन जमा करते है और सरकारी प्रतिभूतियों में धन लगाते है। अब ये बैंक केंद्रीय भूमि विकास के ऋण पत्र भी खरीदने लग गए है।

टूल बाक्स – 04
राजकीय सहकारी बैंकों की विशेषताऐं
(क) सदस्यता
(ख) प्रबंध
(ग) कार्य
(घ) धन के साधन
(ङ) ऋण देना
(च) केंद्रीय बैंकों के साथ प्रबंध
(छ) रिजर्व बैंक के साथ संबंध
(ज) प्रगति

(च) केंद्रीय बैंकों से साथ संबंधः—यें बैंक राज्य के केंद्रीय बैंकों की नीतियों और उनके कार्यो पर नियंत्रण रखते है। केंद्रीय बैंक के कार्यो में समन्वय भी करते है। ये केंद्रीय बैंकों को पुनर्मितिकाटा तथा ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएं भी देते है।

(छ) रिजर्व बैंक के साथ संबंधः—राज्य सहकारी बैंक किसी राज्य के सहकारी आंदोलन और रिजर्व बैंक के बीच एक कड़ी का काम करते है। रिजर्व बैंक इन्हें बैंक दर से भी कम ब्याज पर रुपया उधार देता है। ये उनकी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है। मध्यकालीन ऋण देने के लिए रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि साख कोष की स्थापना की थी। अब यह कार्य राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक करता है।

(ज) प्रगतिः—मार्च 2007 के अंत में 31 राज्य सहकारी बैंक थे। इनकी जमाराशि रु. 48,560 करोड़ थी। इन्होनें रु. 47,354 करोड़ के ऋण दिये। इनके रु. 47,354 करोड़ के ऋण बकाया है। इनकी कुल परिसंपतियाँ/दायित्व रु. 85,576 करोड़, कुल आय रु. 5,242 करोड़, कुल व्यय रु.4,967 करोड़ तथा प्रचालन लाभ रु. 777 करोड़ और शुद्ध लाभ रु. 275 करोड़ था।

भूमि विकास बैंक या राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

किसानों को दीर्घकालीन साख देने के लिए विशेष प्रकार की समितियाँ बनाई गई है। इन्हें भूमि विकास बैंक कहते थे। अब इन्हें सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। इन बैंकों की स्थापना सबसे पहले पंजाब में 1920 में झंग (पंजाब) नामक स्थान पर हुई। परंतु इसकी वास्तविक शुरूआत 1929 में हुई जब चेन्नई में एक केंद्रीय भूमि विकास बैंक खोला

गया। भूमि विकास बैंक से अभिप्राय ऐसे बैंकों से है जो किसानों की भूमि को गिरवी या बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण देते है। ये बैंक दो प्रकार के होते हैः

(i) केंद्रीय भूमि विकास बैकः—इन्हें अब राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। इन बैंकों का कार्यक्षेत्र सारा राज्य होता है। ये बैंक प्राथमिक विकास बैंकों के द्वारा रुपया उधार देते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा बिहार में इन बैंकों ने अपनी शाखाएं विभिन्न स्थानों पर खोली हुई है। जहां प्राथमिक बैंक नहीं है।

(ii) प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंकः—इन बैंकों का कार्यक्षेत्र एक तहसील या जिला होता है। ये किसानों को प्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालीन कर्जे देते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए	
प्र.4	राजकीय सहकारी बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई?
प्र.5	राजकीय सहकारी बैकों के मुख्य कार्य बताइएं?
प्र.6	भूमि विकास बैंक क्या है और कितने प्रकार के है?

प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की कार्य प्रणाली

इन बैंकों की कार्य प्रणाली निम्न प्रकार हैः

(i) कार्यः—ये बैंक अचल संपति को बंधक रखकर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए कर्जे देते हैं; जैसे—पुराने कर्जे को चुकाने के लिए, भूमि तथा कृषि यंत्रों को खरीदनें के लिए और भूमि संबंधी सुधार करने के लिए अधिक से अधिक 20 वर्षो के लिए ऋण देते हैं।

(ii) सदस्यताः—इन बैंकों के सदस्य व्यक्ति और सहकारी समितियाँ दोनों हो सकती है।

(iii) पूँजीः—यें बैंक अपनी पूँजी शेयर बेचकर तथा सुरक्षित कोष रखकर प्राप्त करते है। पूँजी का सबसे अधिक भाग ऋणपत्रों या डिबेंचरों के द्वारा प्राप्त होता है। ऋणपत्र रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सहकारी बैंक तथा राज्य सरकारें तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक खरीदता है। सन् 1975 से केंद्रीय सरकार ने भी प्रत्यक्ष रूप से इन बैंकों में धन लगाना आरम्भ कर दिया है।

(iv) प्रगतिः—मार्च 2007 के अंत में भारत में 20 केंद्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा 768 प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक थे। केंद्रीय बैंकों ने रु. 2,436 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण दिए। इनके रु. 18,644 करोड़ के ऋण बकाया थे। प्राथमिक बैकों ने 2005—06 में रु. 17,713 करोड़ के ऋण दिए तथा इनके रु. 11,209 करोड़ के ऋण बकाया थे।

11.2 भारत में सहकारी बैंकिग का महत्व या लाभ या भूमिका

भारत के आर्थिक विकास में सहकारी बैंकिग का बहुत अधिक महत्व है। डेनमार्क, इजराइल, आयरलैंड जैसे देशों ने सहकारिता के कारण अपना आर्थिक विकास किया है। योजना आयोग के अनुसार, "पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सहकारिता का बहुत अधिक महत्व है।" श्री जवाहरलाल नेहरु के अनुसार,"सहकारिता भारत की आधारभूत क्रिया बननी चाहिए।" डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सहकारिता के महत्व के विषय में लिखा है, "भारत जैसे देश मे जहाँ 82 प्रतिशत लोग ग्रामों में रहते है वहाँ कृषकों के जीवन विकास और ऋणग्रस्तता के लिए सहकारिता उन लोगों के संगठन पर आधारित है जिनके पास अन्य साधन नहीं है और जो व्यक्तिगत रूप में कोई साख नहीं रखते। ऐसे लोगों के आर्थिक संतुलन का यह आधार है।

भारत में सहकारिता काफ़ी सक्रिय तथा जीवित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस आंदोलन की काफ़ी समस्याएँ है परंतु वे विकास की समस्याएँ हैं, गतिहीनता की समस्याएँ नहीं है।"

भारत को सहकारिता से निम्नलिखित लाभ मिलने की आशा हैः–

(क) ब्याज की कम दरः–सहकारी बैंक किसानों तथा कारीगरों को सस्ते ब्याज पर रुपया उधार देते है। वे महाजनों के शोषण से बच जाते है। उन्हें उत्पादक कार्यो के लिए ही रुपया उधार मिलता है, इसलिए फिजूलखर्ची भी नहीं कर पाते।

(ख) कृषि उत्पादन में वृद्धिः–सहकारी बैंक किसानों को अच्छे बीज, खाद तथा पशु खरीदनें के लिए कर्जे देते हैं। उनकी भूमि की चकबंदी करने में सहायता देते है। सिंचाई तथा यातायात की कमी को पूरा करते हैं। इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है। हरित क्रांति की सफलता में सहकारिता का काफ़ी महत्व है। पंजाब तथा हरियाणा में गेहूँ क्रांति, महाराष्ट्र में गन्ना क्रांति तथा गुजरात के कपास क्रांति की सफलता मे सहकारी बैंकिग ने काफी सहयोग प्रदान किया है।

(ग) ग्रामीण जीवन की उन्नतिः–सहकारी बैंकों के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होती हैं, उनका जीवन स्तर ऊँचा उठता है। भारत मे सहकारी बैंकों को लाभ का 10 प्रतिशत गांवों के विकास पर खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार सहकारिता ग्रामीण जीवन की उन्नति का एक विशेष साधन है।

(घ) बचत को प्रोत्साहनः–सहकारी बैंक बचत को प्रोत्साहन देती है। इसके द्वारा लोगों द्वारा बचाई गई आय का ठीक उपयोग भी संभव होता है।

टूल बाक्स – 05

सहकारी बैंकों के लाभ

1. ब्याज की दर
2. कृषि उत्पादन में वृद्धि
3. ग्रामीण जीवन की उन्नति
4. बचत को प्रोत्साहन
5. नैतिक लाभ
6. सामाजिक लाभ
7. शिक्षा संबंधी लाभ
8. योजना में सहयोग

(ङ) नैतिक लाभः–सहकारी बैंक नैतिक गुणों का विकास करते हैं। सदस्यों में आत्मसम्मान, भाईचारे तथा आत्मविश्वास की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। सदस्य मुकदमेबाजी, शराब की लत, फजूलखर्ची तथा जुए आदि की बुरी आदतों से बच जाता है।

(च) सामाजिक लाभः–सहकारी बैंकिग के असीमित उतरादायित्व के कारण इसके सदस्य बैंकों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखते हैं। इनमें एक प्रकार की सामाजिक चेतना उत्पन्न हो जाती है। ये बैंक सामाजिक कल्याण के कामों जैसे कुएं, पार्क, पीने का पानी, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर धन खर्च करते हैं।

(छ) शिक्षा संबंधी लाभः–सहकारी बैंकिग के सदस्यों को बैंकिग की शिक्षा मिलती है। उन्हें संगठन करने का ढंग आता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है।

(ज) योजना में सहयोगः–भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। जनता का सहयोग बैंकिग द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं मे सहकारी बैकों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है।

भारत में सहकारिता ने लगभग 94 वर्ष पूरे कर लिया है। परंतु सहकारी बैंकिग की कई कारणों से बड़ी धीमी प्रगति रही है। अभी तक यह आंदोलन किसानों की ऋण संबंधी केवल 40 प्रतिशत

आवश्यकताओं को पूरा कर पाया है। देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या पर इसका प्रभाव पड़ा है। श्री एम. विश्वेश्वरैया के अनुसार,"जो कुछ भी इस दिशा में किया गया है वह भूमि कुरेदने के समान है।"

11.3 इस आंदोलन की धीमी प्रगति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैः

(क) सरकार का अधिक हस्तक्षेपः—दूसरे देशों में सहकारी बैंकिग का जन्म सदस्यों की इच्छा के परिणामस्वरूप हुआ था। परंतु भारत में यह सरकार द्वारा चलाया जाता था और सरकार का इस पर अब भी बहुत अधिक नियंत्रण है। जनता इसे सरकारी काम समझती है। वह सहकारी बैंकों को कर्जा प्राप्त करने का साधन मानती है तथा कर्जे के रुपयों को सरकारी रुपया समझती है। इसलिए इन बैंकों का उचित विकास नहीं हो पाता है।

(ख) सहकारिता के सिद्धांतों के ज्ञान का अभावः—भारत में सहकारी बैंकिग का विस्तार मुख्य रुप में गांवों में हुआ है। हमारी ग्रामीण जनता सहकारिता का सच्चा अर्थ उनके उद्देश्य व आधार को नहीं समझती है। इस कारण वे सहकारिता को भली—भाँति नहीं समझ पाते और इसके विकास में कोई रुचि नहीं रखते हैं।

(ग) धन की कमीः—भारत में सहकारी बैंकों के पास धन की कमी होती है, क्योंकि सदस्य अधिक धन नहीं बचा पाते है। केंद्रीय संस्थाओं के पास भी जनता कम ही धन जमा करती है। धन की कमी के कारण ये बैंक सदस्यों की बहुत कम आवश्यकताएँ पूरी कर पाते हैं।

(घ) केवल उत्पादक ऋणः—सहकारी बैंक केवल उत्पादन कार्यो के लिए ऋण देते है। किसानों को अपनी दूसरी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

(ङ) अशिक्षाः—भारत में व्यापक अशिक्षा के कारण सहकारी बैंकिग की प्रगति काफ़ी धीमी हो गई है। इन बैंकों को चलाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। कई बार गाँवों में सहकारी समितियों के लिए शिक्षित सेक्रेटरी मिलना भी कठिन हो जाता है। शिक्षा के अभाव में कई समितियाँ असफल हो गई है।

(च) स्वार्थी लोगों द्वारा विरोधः—स्वार्थी लोगों द्वारा सहकारी बैंकिग का विरोध किया जाता है। गाँवों में महाजन तथा मण्डियों में व्यापारी इसका काफ़ी विरोध करते हैं।

(छ) अकुशल प्रबंधः—भारत में अधिकतर बैंकों के पदाधिकारी प्रशिक्षित नहीं होते। इसलिए वे बैकों का काम ठीक प्रकार से नहीं चला पाते। कर्जे देने में काफी देर की जाती है, उनकी वसूली के लिए भी विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता।

(ज) भ्रष्टाचार तथा पक्षपातः—सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार तथा पक्षपात की बुराई पाई जाती है। पदाधिकारी अधिकतर अपने रिश्तेदारों, मित्रों और कृपापात्रों को कर्जा देते हैं।

(झ) दलबंदीः—अधिकतर बैंकों के संगठन में दलबंदी पाई जाती है। इसके कारण बैंकों का कार्य ठीक रूप से नहीं चल पाता।

(ञ) ऋण लौटाने में देरीः—सहकारी बैंकों के अधिकतर सदस्य ठीक समय पर अपने ऋण वापिस नहीं करते हैं जिसके फलस्वरूप कुछ सदस्यों पर बहुत अधिक कर्जा जमा हो जाता है। इससे इन ऋणों के कार्यों में बाधा पड़ती है। ऋणों के बहुत अधिक मात्रा से समय पर वापिस न होने की बुराई सहकारी बैंकिग का एक मुख्य दोष है।

(ट) दोषपूर्ण लेखा निरीक्षणः—इन बैंकों के हिसाब—किताब की जाँच ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। अधिकतर बेईमान पदाधिकारियों द्वारा हिसाब—किताब में गड़बड़ की जाती है।

(ठ) असीमित दायित्वः—बैंकों का दायित्व असीमित होने के कारण धनी लोग इसके सदस्य नहीं बनते। इस कारण इसके पास आर्थिक साधनों का अभाव रहता है।

(ड़) बचत का अभावः—इन बैंकों मे लोग अपनी बचत को कम जमा कराते हैं। ये बैंक केवल ऋण लेने की एजेंसियां ही समझे जाते हैं। इन्हें अपनी पूँजी के लिए बाहरी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

(ढ) समन्वय का अभावः—भारत में प्राथमिक, केंद्रीय तथा राज्य सहकारी बैंकों में समन्वय का अभाव पाया जाता है। इस कारण इनके कार्यों में बाधा पड़ती है।

(ण) क्षेत्रीय असमानताः—भारत मे सहकारी बैंकिग के संबंध में बहुत अधिक क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। सहकारी ऋण का 70 प्रतिशत भाग आठ राज्यों; पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक, केरल द्वारा किया जाता है। बाकी राज्यों मे सहकारी बैंकिग का उचित विकास नहीं हो पाया है।

टूल बाक्स – 06

भारत में सहकारी बैंकों की धीमी प्रगति के कारण

1. सरकार का हस्तक्षेप
2. सहकारिता के सिद्धांतों के ज्ञान का अभाव
3. धन की कमी
4. केवल उत्पादन ऋण
5. अशिक्षा
6. स्वार्थी लोगों द्वारा विरोध
7. अकुशल प्रबंध
8. भ्रष्टाचार व पक्षपात
9. दलबंधी
10. ऋण लौटाने में देरी
11. दोषपूर्ण लेख निरीक्षण
12. असीमित दायित्व
13. बचत की कमी
14. समन्वय का अभाव
15. क्षेत्रीय असमानता

11.4 भारत में सहकारी बैंकिग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव

रिजर्व बैंक के अनुसार सहकारी बैंक की व्यवस्था ने पूरे देश में बैंक की आदतों को फैलाने का उपयोगी कार्य किया है। लेकिन अपने दीर्घकालीन अस्तित्व के बावजूद अधिकतर सहकारी बैंकों को सुस्थिर आधार पर वित्तीय क्षमता प्राप्त करना बाकी है। इसलिए सहकारी वित्तीय संस्थाओं के सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारत में सहकारी बैंकिग का विकास बहुत धीमा रहा है। इस बैकिग प्रणाली की सफलता निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करती हैः

(क) प्राथमिक समितियों का पुनर्गठनः—प्राथमिक समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। छोटी और एक बहुउद्देशीय समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इनका दायित्व भी सीमित होना चाहिए।

(ख) पूँजी की पूर्तिः—इन बैंकों के पास पूँजी की कमी है, उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा सरकार को इन्हें कम ब्याज पर काफ़ी रुपया उधार देना चाहिए। सदस्यों को रुपया जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ग) सहकारी बैंकिग का प्रचारः—सहकारी बैंकों के सिद्धान्तों तथा लाभों का काफ़ी प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे लोग उन्हें समझ सकें।

(घ) बचतः—सहकारी बैंकों को गाँवों तथा शहरों मे छोटी—छोटी बचत इकट्ठी करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे एक तो फिजूलखर्ची कम होगी तथा दूसरे इन बैंकों पूँजी में वृद्धि होगी।

(ङ) फसलों के आधार पर साखः—इन बैकों को ऋण खड़ी फसल के आधार पर देना चाहिए। इससे उन्हें भी ऋण मिल सकेगा। जिनके पास बहुत थोड़ी भूमि है। किसान अपने अल्पकालीन खर्चे आसानी से पूरा कर सकेंगे।

(च) प्रशिक्षणः—सहकारी बैंकिग की शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए एक संस्था सबसे पहले रिजर्व बैंक ने पूना में खोली थी। लगभग सभी राज्यों मे सहकारी बैंकिग का प्रशिक्षण दिए जाने का प्रबंध किया जाना चाहिए।

(छ) कम सरकारी नियंत्रणः—सरकार को सहकारी बैंकिग के संगठन पर अपना नियंत्रण कम कर देना चाहिए। इसके फलस्वरूप सहकारी बैंकिग आंदोलन में जनता की रूचि अधिक बढ़ेगी।

(ज) सहकारी बैंकों का पुनर्गठनः—केंद्रीय तथा राजकीय सहकारी बैंकों की आर्थिक दशा में सुधार किया जाना चाहिए जिससे वे अधिक ऋण दे सकें। केंद्रीय बैंकों को ऋण देने के अतिरिक्त प्राइमरी समितियों का, निरीक्षण भी करना चाहिए।

(झ) दीर्घकालीन साखः—भूमि विकास बैंकों का अधिक विकास किया जाना चाहिए किसानों को दीर्घकालीन ऋण मिल सकें और वे उसकी सहायता से भूमि तथा खेती का सुधार कर सकें

(ञ) सरकारी सहायताः—यदि सरकार किसानों की सहायता बैंकों द्वारा करेगी तो ये अधिक लोकप्रिय बन जायेगें और उनकी सदस्यता बढ़ेगी।

(ट) प्रबंध व्यवस्था में सुधारः—इन बैंकों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। बैंकों के चुने हुए पदाधिकारियों को भी सहकारिता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इनके हिसाब—किताब की जाँच के लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए।

(ठ) ऋण नीति में सुधारः—इन बैंकों को अपनी ऋण संबंधी नीति में सुधार करना चाहिए। ऋण की राशि उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जिन्हें उसकी वास्तव में आवश्यकता है। ऋणी के उपयोग की निगरानी की जानी चाहिए। ब्याज की दर कम की जानी चाहिए। ऋण को वापिस लेने के विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

(ड़) समितियों के रक्षित कोषः—प्रत्येक बैंक को अपने रक्षित कोष में अधिक जमा करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वह आर्थिक संकट का सामना कर सकें।

(ढ़) दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन सहकारी साख का समन्वयः—रिजर्व बैंक ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सहकारी साख का समन्वय करने के लिए एक समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने सुझाव दिया है कि दोनों प्रकार की साख का धीरे—धीरे समन्वय किया जाना चाहिए। इसने वर्तमान संस्थाओं के स्थान पर सहकारी जिला विकास बैंक तथा राजकीय सहकारी विकास बैंक की स्थापना का सुझाव दिया है।

टूल बाक्स — 07

सुझाव

1. प्राथमिक समितियाँ का पुर्नगठन
2. पूँजी की पूर्ति
3. सहकारी बैंकिग का प्रकार
4. बचत
5. फसलों के आधाार पर साख
6. प्रशिक्षण
7. कम सरकारी का नियंत्रण
8. सहकारी बैंकों का पुनर्गठन

9. दीर्घकालीन साख
10. सरकारी सहायता
11. प्रबंध व्यवस्था में सुधार
12. ऋण नीति में सुधार
13. समितियों के रक्षित कोष
14. दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन सहकारी साख का समन्वय

11.5 सहकारी बैंकों के सुधार के लिए कपूर समिति की सिफारिशें

सहकारी बैंकिग प्रणाली के सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए अप्रैल 1999 में श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने 24, जुलाई, 2000 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति की मुख्य सिफारिशें अग्रलिखित हैः

(क) संसाधनगत आधारः—इस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि सहकारी बैंकिग संस्थाओं के सीमित साधनों को देखते हुए उनके संसाधनगत आधार खासतौर से पूँजी को मज़बूत किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) विनियमन और नियंत्रणः—इस कमेटी के अनुसार सहकारी संस्थाओं पर सरकार के नियंत्रण को कम किया जाना चाहिए। उन्हें अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। इस कमेटी के अनुसार सहकारी संस्थाओं को सदस्यों द्वारा संचालित बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को आदर्श सहकारी सोसायटी कानून को लागू करना चाहिए। इस कमेटी ने यह भी सिफ़ारिश की थी कि सहकारी संस्थाओं पर नाबार्ड तथा सरकार दोनों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस पर केवल रिजर्व बैंक का ही नियंत्रण होना चाहिए।

(ग) सहकारी बैंकों मे व्यवसायीकरणः—सहकारी बैंकों को व्यावसायिक संगठनों की तरह मज़बूत प्रबंधकीय प्रणाली अपनानी चाहिए। बैंकों के बोर्डों में व्यावसायिक तथा शिक्षित सदस्य होने चाहिए। बैंकों के पास अपने कर्मचारियों से उचित काम लेने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। इनके पास स्टॉफ की भर्ती के लिए उचित नीतियाँ होनी चाहिए।

(घ) कारोबार का विविधीकरणः—सहकारी बैंकों को सभी स्तरों पर विविध प्रकार के व्यवसाय करने चाहिए। सहकारी संस्थाओं को अपने कार्यकरण मे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। सहकारी बैंकों को इस बात की भी इजाजत होनी चाहिए कि वे अपनी जमा राशियों का 10 प्रतिशत भाग सहकारी दायरे के बाहर व्यापारिक तथा तकनीकी योजनाओं के लिए उधार दे सकें।

(ड़) लागत, मार्जिन तथा निधि प्रबंधः—सहकारी बैंकों को अपने कर्जो पर ऐसी ब्याज दरें लागू करनी होगी जो उनकी लागतों को पूरा करके लाभ प्रदान कर सकें। इन बैंकों को अपनी जमाराशियों पर बाज़ार में प्रचलित ब्याज दर देनी चाहिए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ऐसे काम करने के लिए नही मज़बूर किया जाना चाहिए, जिनसे उन्हें लाभ की प्राप्ति न हो।

(च) सहकारी बैंकों के स्तरों को कम करनाः—इस कमेटी के अनुसार बड़े राज्यों में सहकारी संगठनों की तीन स्तर वाली संरचना अर्थात् (1) प्राथमिक (2) केंद्रीय तथा (3) राज्य स्तरों को बनाए रखना आवश्यक हैं परंतु जिन क्षेत्रों मे केंद्रीय सहकारी बैंक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें आपस में मिला देना चाहिए। कमेटी ने भी इस बात की भी सिफ़ारिश की हैं कि अल्पकालीन ऋण देने वाली और दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्थाओं को अलग–अलग नहीं रखना चाहिए। सभी सहकारी समितियों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण देने चाहिए।

(छ) पुनर्जीवन पैकेजः—कमेटी ने इस बात सिफ़ारिश की है कि उन सहकारी संस्थाओं को मज़बूत बनाया जाना चाहिए जिनमें विकास करने की क्षमता है। इसके लिए एक पैकेज लागू किया जाना चाहिए जिसके चार कार्यक्रम होः (1) वित्तीय (2) परिचालनगत (3) संगठनात्मक तथा (4) प्रणालीगत। इन सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक धन का 20 प्रतिशत भाग सदस्यों को शेयर पूँजी के रूप में जुटाना चाहिए तथा 80 प्रतिशत भाग केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बिना ब्याज के कर्जों के रूप में दिया जाना चाहिए।

(ज) सहकारी पुर्नव्यवस्था तथा विकास निधिः—कपूर समिति ने यह सिफ़ारिश की है कि नाबार्ड को 500 करोड़ रु. की राशि से सहकारी पुर्नव्यवस्था तथा विकास निधि की स्थापना करनी चाहिए। यह रकम केंद्रीय सरकार द्वारा नाबार्ड को दी जानी चाहिए। इस रकम का प्रयोग उन राज्यों को सहायता देने के लिए किया जाना चाहिए जो सहकारी संस्थाओं को मज़बूत बनाने की पूर्व शर्तें पूरी करती हो।

(झ) पूँजी सहायता :—सरकारी बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे अपना पूंजीगत आधार मजबूत करने की दशा में आगे बढ़े और एक निश्चित अवधि में लागू मानदंडों के अनुरूप रहें।

(ञ) वसूली प्रबंधः—इस समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि यहाँ ऋण का आधार एक लाख रु. से अधिक है मौजूदा डी. आर. टी. के प्रावधान को सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप कर्ज़ो की वसूली को जल्दी की जा सकेगी। सरकार को सहकारी बैंकों को ऋणों की वसूली के प्रयासों में सहायता करनी चाहिए। सरकार को ऋण माफ़ी की घोषणाओं से बचना चाहिए।

(ट) आंतरिक जाँच नियंत्रण तथा ऑडिटिंगः—सहकारी बैंकों मे उच्च श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण, आंतरिक जाँच तथा ऑडिटिग की जानी चाहिए। इसके लिए नाबार्ड द्वारा उचित दिशा निर्देश तैयार की जानी चाहिए। इन बैंकों की ऑडिटिग चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जानी चाहिए।

सारांश

सहकारी बैंकों के कार्य लगभग व्यापारिक बैंकों के कार्यों से मिलते—जुलते है। अंतर केवल यह है कि सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा सेवाओं को ज़्यादा महत्व प्रदान करते है। इन बैंकों का आधारभूत कार्य किसानों, कारीगरों, कुटीर तथा लघु उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अन्य कार्यो में साख सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

अभ्यास

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्र.1 सहकारी बैंक क्या है? भारत में सहकारी बैंकों के संगठन की व्याख्या करें। इनकी कमियाँ क्या हैं?

प्र.2 भारत में सहकारी बैंकिग के क्या लाभ तथा कमियाँ हैं? इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए?

प्र.3 भारत में सहकारी बैंकों की संरचना का वर्णन करें। इनकी सफलता व विफलता का मूल्यांकन करें।

प्र.4 भारत में सहकारी बैंकिग की धीमी प्रगति होने के क्या कारण है?

प्र.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों में क्या अंतर है? भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

प्र.6 भारत में सहकारी बैंकों की भूमिका व कार्यों का वर्णन कीजिए?
प्र.7 सहकारी बैंकों की व्याख्या कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.8 सहकारी बैंकों को परिभाषित करें।
प्र.9 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ क्या है?
प्र.10 केंद्रीय सहकारी बैंकों के तीन कार्य लिखें।
प्र.11 भारत में सहकारी बैंकों के तीन लाभ लिखें।
प्र.12 भारत में सहकारी बैंकों की धीमी प्रगति के तीन कारण लिखें?
प्र.13 भारत में सहकारी बैंकों के सुधार के लिए तीन सुझाव दें?
प्र.14 नाबार्ड क्या है? इसके मुख्य कार्य बताएं?